जनजातीय कल्याण एवं विकास

अधिकारों का संरक्षण

संस्कृति, शिल्प, पकवान, फसल को प्रोत्साहन

रोजगार

शहरी विकास

शिक्षा

बिजली

आर्थिक विकास

संपर्क

खेलों को प्रोत्साहन

स्वास्थ्य

आवास

पेय जल

सिंचाई

विषय सूची

क्रम सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1	मंत्रालय : एक परिचय	1-15
2	जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यकलाप - सिंहावलोकन	16-18
3	वर्ष 2014-2015 की विशेषताएं	19-32
4	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	33-35
5	जनजातीय विकास के लिए कार्यनीति और कार्यक्रम तथा जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए) तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत कार्यक्रम	36-57
6	अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र	58-116
7	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	117-122
8	शिक्षा के संवर्धन के लिए कार्यक्रम	123-139
9	जनजातीय उत्पाद के लिए विपणन सहायता	140-144
10	स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम	145-177
11	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास के लिए कार्यक्रम	178-185
12	अनुसंधान, सूचना और जनसंचार	186-189
13	पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान	190-193
14	जेंडर संबंधी मामले	194-200
15	विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम	201-202
16	अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006	203-206
17	सूचना का अधिकार-आरटीआई अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	207-209
18	जनजातियों के जनसांख्यिकी रूझान	210-225
19	विभागीय लेखा संगठन	226-227
20	जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए परिणाम-रूपरेखा दस्तावेज (आरएफडी) 2013-14	228-232
21	नागरिक/ग्राहक चार्टर	233-242

अनुलग्नक		पृष्ठ सं.
1क	जनजातीय कार्य मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना	8
1ख (i)	वर्ष 2012-13, तथा 2013-14 के लिए बजट आवंटन/संशोधित आवंटन तथा व्यय (योजना)	9-11
1ख (ii)	वर्ष 2014-15, के लिए बजट आवंटन (योजना) तथा 31.12.2014 तक व्यय	12-15
6क :	राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने के आदेश/ अधिनियम	65-67
6ख :	भारत में अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची	68-82
6ग :	अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य-वार सूची	83-114
6घ :	अनुसुचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल की रिपोर्टों की स्थिति	115
6ङ :	वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 से राज्यों द्वारा आयोजित की गई जनजातीय परमर्शदात्री परिषद (टीएसी) की बैठकों को दर्शाने वाला विवरण	116
7क :	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) ने बीस सूत्री कार्यक्रम 2006 की पुनः संरचना की है जो वर्ष 2014-15 के दौरान लाभार्थियों के कवरेज हेतु लक्षित है	121-122
8क :	अनुसूचित जनजाति के लड़के एवं लड़कियों के छात्रावास की योजना के तहत वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधियां	135
8ख :	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना के तहत वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक स्वीकृत आश्रम विद्यालयों की संख्या तथा निर्मुक्त की गई निधियां	136
8ग :	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधिया	137
8घ :	प्रतिभा उन्नयन की योजना के तहत वर्ष 2012-13 से 2013-14 तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधियां	138
8ङ :	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना के तहत वर्ष 2012-13 से 2014-15तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त सहायता अनुदान	138
8च:	वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक अनुसूचित जनजाति के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या तथा सहायता अनुदान की राज्यवार निमुर्क्ति	139
9 :	'लघु वन उत्पादों के प्रचालनों के लिए एसटीडीसीसी को सहायता-अनुदान' की योजना के तहत राज्यों को वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान निर्मुक्त सहायता अनुदान का ब्यौरा	144
10क:	अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना के तहत वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक के दौरान वित्त-पोषित स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची	154-169
10ख :	अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग की योजना के अंतर्गत वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक के दौरान निर्मुक्त किये गये सहायता अनुदान	170-171
10ग :	"कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण" की योजना के तहत 2012-13 से 2014-15 तक के दौरान निधि पोषित संगठनों की राज्य-वार सूची	172-176
10घ :	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना के तहत 2012-13 से 2014-15 तक के दौरान वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची	176-177
11क :	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों के रूप में ज्ञात) के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार नाम	181-182

11ख :	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी टी जी) (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों के रूप में ज्ञात) के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत राज्यों/गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण	183-185
13क :	वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वर्षवार निर्मुक्तियां	191
13ख :	वर्ष 2014-15 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत निर्मुक्त की गई राशि	192-193
14 :	वर्ष 2014-15 के दौरान महिला लाभार्थियों को कवर करने वाली योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियां	198-200
17क :	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (के.जन.सूचना अधिकारी) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची	208
17ख :	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय में अपीलीय प्राधिकारी (अ.प्रा.) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची	209
18क :	जनसांख्यिकी : जनगणना 2001	215
18ख :	अनुसूचित जनजातियों में राज्यवार लिंग अनुपात : 2001-2011	216
18ग :	कुल जनसंख्या एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की साक्षरता दर तथा दोनों की साक्षरता की दरों में अंतर-भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र : 2001-2011	217
18घ :	आयु समूह 0-6 में अनुसूचित जनजातियों तथा कुल जनसंख्या में विकलांग व्यक्तियों के विवरण की प्रतिशतता	218
18ड. :	अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता तथा प्रकाश का उनका मुख्य स्रोत	219
18च :	ऐसे परिवारों की प्रतिशतता जिनके आवास परिसरों में शौचालय तथा स्नान घर की सुविधाएं हैं	220
18छ :	परिवारों की प्रतिशतता तथा उनके जनगणना मकान की स्थिति	221
18ज :	आवास के अंदर खाना पकाने वाले परिवार तथा प्रयुक्त ईंधन का प्रकार	222
18झ :	आवास के बाहर खाना पकाने वाले परिवार तथा प्रयुक्त ईंधन का प्रकार	223
18ञ :	पेय जल के मुख्य स्रोत की अवस्थिति द्वारा परिवार	224
18ट :	वर्ष 2011 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध किए गए अपराध की घटना तथा दर	225
20क :	पारस/पीएसी की स्थिति जिस पर कृत कार्रवाई टिप्पण (एटीएन) लम्बित है	

शब्दावली

शब्द/छोटा रूप	अर्थ/पूरा रूप
एएमएसवाई	आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना
सीसीडी	संरक्षण–सह–विकास
सीएसएस	केन्द्रीय प्रायोजित योजना
सीवीओ	मुख्य सतर्कता अधिकारी
सीटीएस	क्राफ्ट्समैन प्रशिक्षण योजना
डीईएसए	जिला शिक्षा समर्थनकारी एजेंसी
ईएमआरएस	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
ईवीए	स्थापित स्वैच्छिक एजेंसियां
एफडीए	वन विकास एजेंसियां
एफडीसी	वन विकास निगम
एफआरए	वन अधिकार अधिनियम
जीईआर	समग्र भर्ती अनुपात
एचएलसी	उच्च स्तरीय समिति
आईटीडीपी/आईटीडीए	एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना/एजेंसी
जेबीवाई	जनश्री बीमा योजना
माडा	संशोधित क्षेत्र विकास उपागम
एमईएस	मॉड्यूलर एम्प्लोएबल स्किल्स
एमएफपी	लघु वन उत्पाद
एमओटीए	जनजातीय कार्य मंत्रालय
एमएसपी	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमटीडीपी	बहु उद्देश्य जनजातीय विकास परियोजनाएं
एनएईबी	राष्ट्रीय वन रोपण एवं पारस्थितकीय विकास बोर्ड
एनसीवीटी	राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद
एनसीएसटी	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
एनओएस	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की योजना
एनएसटीएफडीसी	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम
एनटीए	राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार
एनटीएफपी	गैर इमारती लकड़ी वाला वन उत्पाद
एनटीपी	राष्ट्रीय जनजातीय नीति
पीएमएस	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
पीवीटीजी	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पूर्व में आदिम जनजातीय समूह के रूप में ज्ञात)
आरजीएनएफ	राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

टीएसपी को एससीए	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता
अनुसूचित जनजाति	भारत के संविधान का अनुच्छेद 366(25) अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करता है कि वे समुदाय जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुरूप अनुसूचित किया गया है। यह अनुच्छेद कहता है कि केवल वे समुदाय जिन्हें प्रारम्भिक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा अथवा संसद के परवर्ती संशोधनकारी अधिनियम के माध्यम से ऐसा घोषित किया गया है, को अनुसूचित जनजातियां माना जायेगा।
एससीएसवीई	स्वेच्छिक प्रयासों के समर्थन हेतु राज्य समिति
एसजी	राज्य अनुदान
एसएचजी	स्व सहायता समूह
एसआरएफ	वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति
एसएसए	सर्व शिक्षा अभियान
एसटीडीसीसी	राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम
टीएसी	जनजातीय परामर्शदात्री परिषद
ट्राईफेड	भारतीय जन जातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड
टीआरआई	जनजातीय अनुसंधान संस्थान
यूजीसी	विश्व विद्यालय अनुदान आयोग
वीकेवाय	वनबंधु कल्याण योजना
वीओ	स्वैच्छिक संगठन
वीटीसी	व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

अध्याय 1

मंत्रालय : एक परिचय

अधिदेश

1.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन अक्तूबर, 1999 में किया गया था और इसका उद्देश्य एक समन्वित और सुनियोजित तरीके से भारतीय समाज के अत्यंत शोषित वर्ग अर्थात् अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के समेकित सामाजिक-आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना है। इस मंत्रालय के गठन से पहले जनजातीय मामले विभिन्न मंत्रालयों द्वारा निपटाए जाते रहे थे, जो निम्नानुसार हैं:-

1. स्वतंत्रता प्राप्ति से सितम्बर, 1985 तक गृह मंत्रालय के "जनजातीय प्रभाग" नामक एक प्रभाग के रूप में।
2. कल्याण मंत्रालय : सितंबर, 1985 से मई, 1998 तक।
3. मई, 1998 से सितंबर, 1999 तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।

जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजना एवं समन्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। इस उद्देश्य हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अंतर्गत आबंटित विषयों के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलाप करता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय को आवंटित विषय निम्नानुसार हैं-

1) अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा ।
2) जनजातीय कल्याण: जनजातीय कल्याण योजना बनाना, परियोजनाओं का प्रतिपादन करना, अनुसंधान, मूल्यांकन, सांख्यिकी एवं प्रशिक्षण।
3) जनजातियों के कल्याण में स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्धन एवं विकास।
4) अनुसूचित जनजातियां, जिसमें इन जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां शामिल हैं।
5) अनुसूचित जनजातियों का विकास।

5 क) वन भूमियों पर वनों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के संबंध में विधान सहित सभी मामले।

टिप्पणी: जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों के लिए समग्र नीति, आयोजना और समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है। इन समुदायों के क्षेत्रीय कार्यक्रमों और विकास की योजनाओं के संबंध में नीति, आयोजना, निगरानी, मूल्यांकन आदि और साथ ही इनका समन्वय संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों का दायित्व होगा। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग जो इस क्षेत्र से संबंध रखता है, नोडल मंत्रालय या विभाग होगा।

6) (क) अनुसूचित क्षेत्र;
   (ख) अनुसूचित क्षेत्रों के लिए राज्यों के राज्यपालों द्वारा तैयार किए गए विनियम;

7) (क) आयोग द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर रिपोर्ट देना; तथा
   (ख) किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वित करने के संबंध में निर्देश जारी करना।

8) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।

9) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989(1989 का 33) का कार्यान्वयन, जिसमें अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपराधों के संबंध में आपराधिक मामलों का न्याय करना शामिल नहीं है।

भूमिका

1.2 मंत्रालय के कार्यक्रम और योजनाएं अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और आंशिक रूप से स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों को वित्तीय सहायता के माध्यम से समर्थन देने और उनकी संपूर्ति के लिए तथा अनुसूचित जनजातियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संस्थानों और कार्यक्रमों में भारी अंतर को पाटने हेतु निर्दिष्ट हैं। इस प्रकार, अनुसूचित जनजातियों के हितों को बढ़ावा देने की प्राथमिक जिम्मेदारी सभी केन्द्रीय मंत्रालयों की है। यह मंत्रालय विशेष रूप से तैयार की गई योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक हस्तक्षेपों के जरिए अपने प्रयासों की संपूर्ति करता है। इनमें आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास से संबंधित योजनाएं सम्मिलित हैं तथा यह संस्थान निर्माण के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती हैं तथा इनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है।

संगठन

1.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय केन्द्रीय मंत्री के समग्र निर्देश में कार्य कर रहा है और राज्य मंत्री द्वारा इनकी सहायता की जाती है। मंत्रालय के प्रशासनिक मुखिया सचिव हैं तथा इनकी सहायता दो संयुक्त सचिवों, एक उपमहानिदेशक तथा एक आर्थिक सलाहकार द्वारा की जाती है। वित्तीय सलाहकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के आतंरिक वित्त तथा बजट के मामलों में सहायता कर रहे हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक बजट/व्यय नियंत्रण में सहायता कर रहे हैं। मंत्रालय का गठन प्रभागों/शाखाओं तथा अनुभागों/एककों में किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय में 137 कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या है तथा कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 101 है। समूह "क" के 49 पद, समूह "ख" (राजपत्रिक/अराजपत्रिक) के 56 पद, समूह "ग" के 32 पद जिसमें पूर्ववर्ती समूह "घ" के 16 पद शामिल हैं जो छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अब समूह "ग" के पद में परिवर्तित हो गए हैं। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक-1-क** में दिया गया है।

प्रशासन

1.4 मंत्रालय के स्थापना एवं सामान्य प्रशासन से संबंधित मामले और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वे मामले जिनमें मंत्रालय के अनुमोदन की जरूरत होती है, उन्हें मंत्रालय के प्रशासन प्रभाग द्वारा देखा जाता है। इसके अतिरिक्त, विभाग के लिए केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों और इस मंत्रालय के संवर्ग बाह्य पदों तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं से संबंधित पदों जैसे भारतीय आर्थिक सेवा संवर्ग, भारतीय सांख्यिकीय संवर्ग आदि के स्थापना संबंधी मामलों पर इसी प्रभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है।

1.5 जनजातीय कार्य मंत्रालय शुरुआत से ही जगह की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है। कुछ प्रभाग जैसे सांख्यिकी, आर्थिक तथा एफआरए तथा वन कल्याण बंधु कल्याण योजना का परियोजना कार्यान्वयन सेल भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में अगस्त क्रांति भवन में अवस्थित है। माननीय राज्य मंत्री, (जनजातीय कार्य) का कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली में स्थित है।

कंप्यूटर केन्द्र

1.6 राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ने सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग, विकास और प्रचालन समर्थन के लिए शास्त्री भवन में जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए कंप्यूटर केन्द्र स्थापित किया है। एनआईसी लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) तथा वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) के कार्यकरण को देखता है। साइबर आक्रमण की रोकथाम करने के लिए विंडोज, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर और पैच मैनेजमेंट का ऑन-लाइन अपग्रेडेशन करेन के लिए शास्त्री भवन में एक पृथक एंटी वायरस सर्वर और पैच प्रबंधन सर्वर कार्यरत है।

1.7 एनआईसी ने अगस्तक्रांति भवन के लिए भी लोकल एरिया नेटवर्क(एलएएन)/मेट्रोपोलिटनएरिया नेटवर्क (एमएएन)

स्थापित किया है तथा यह सीजीओकाम्पलैक्स, एनआईसी मुख्यालय से 20 एमबीपीएसआरएफके बैकअप के साथ 2 एमबीपीएस लीज्ड लाइन के माध्यम से ई-मेल तथा इंटरनेट कनैक्टिविटी वाला है।

1.8 मंत्रालय की वेबसाइट (**www.tribla.nic.in**) के सरकार के जीआईडब्ल्यू के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनः बनाया गया है तथा वेबसाइट डायनामिक, विकलांगोनुकूलन, अधिक पारदर्शी और सूचनापरक तथा सोशल मीडिया लिंक के साथ अद्यतन है। **मंत्रालय ने सबसे अच्छी सुलभ वेबसाइट के लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति से राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त किया है।**

1.9 एनआईसी ट्राइफेड, एनसीएसटी, एनएसटीएफडीसी को आईटी सहायता तथा उनके वेबसाइट की देखरेख करता है एवं आईटी सेवाएं भी प्रदान करता है।

1.10 ई-आफिस (कार्यालय स्वाचालित साफ्टवेयर) वैयक्तिक सूचना तंत्र के साथ फाइलों के संचालन देखने के लिए कार्यान्वित की गई है **पोर्टल को व्यापक डीडीओ (कॉम्प डीडीओ) के साथ एकीकृत किया गया है।** ताकि कोई भी कर्मचारी अपने, व्यक्तिगत डाटा प्राप्त कर सके। अधिकतर काम्पडाटा प्रविधियां (सभी डीडीओ कार्य) मंत्रालय में चलाई जा रही हैं।

1.11 मंत्रालय में एसजी प्रभाग के लिए वेब आधारित निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली (एसएमआईएस) प्रगति पर है।

1.12 ई-छात्रवृत्ति के लिए केंद्रीयकृत वेब आधारित एमआईएस प्रगति पर है।

1.13 ई-गवर्नेंस तथा आईटी सहायता जब भी आवश्यक हो, हमेशा दी जाती है।

1.14 योजना/कार्यक्रम दिशानिर्देश लोक जागरूकता के लिए तथा इसके लाभ प्राप्त करने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

1.15 हिन्दी संघ की राजभाषा है इसलिए सरकारी काम काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए मंत्रालय सक्रियता से कार्य कर रहा है। हिन्दी अनुभाग अनुवाद का कार्य और राजभाषा नीति तथा अधिनयम के कार्यान्वयन का कार्य कर रहा है। यह मंत्रालय इसके अधीन संगठनों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति की भी निगरानी करता है। अधिकतर अधिकारी तथा कर्मचारी हिन्दी में प्रवीण हैं या उन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है।

राजभाषा अधिनियम/नियमों तथा वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन

1.16 राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्य क्रम, 2014-15 में विभिन्न कार्यालयों/क्षेत्रों आदि के साथ किए जाने वाले पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करनेकी दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं। हिन्दी में प्राप्त सभीपत्रों का उत्तर केवल हिन्दी में दिया जा रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों को अधिकतर पत्रा हिन्दी में भेजे गए। सभी प्रशासनिक तथा अन्य रिर्पोटे द्विभाषी रूप में तैयार की जा रही हैं। रबड़ की सभी मोहरें तथा मुद्रित स्टेशनरी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार की जाती है। मंत्रालय में राजभाषा अधिनयिम की धारा 3(3)का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी/समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है। इस मंत्रालय के अधिकारयों/कर्मचारियों की हिन्दी में सरकारी काम करनेकी हिचक को दूर करने के लिए वर्ष के दौरान दो हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। मंत्रालय के अंतर्गत दो संगठनों द्वारा सरकारी काम में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा करने के लिए निरीक्षण भी किए गए थे। मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति का भी पुनर्गठन किया गया है।

सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय हिन्दी पखवाड़े के उपलक्ष पर बैठक की अध्यक्षता करते हुए (15 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2014)

हिन्दी पखवाड़ा

1.17 मंत्रालय में 15 से 30 सितम्बर, 2014 तक हिन्दीपखवाडे का आयोजन किया गया था। इस पखवाड़े के दौरान हिन्दी कविता पाठ, हिन्दी में टिप्पण तथा मसौदा लेखन, हिन्दी निबंध लेखन, हिन्दी टंकण और श्रुतलेख जैसे कार्यकलाप और प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारयों ने इन प्रतियोगताओं में बहुत उत्साह से भागलिया।

सतर्कता कार्यकलाप

1.18 मंत्रालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में मंत्रालय के सचिव की सहायता करते हैं और मंत्रालय तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के बीच संपर्क-सूत्र के रूप में कार्य करते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय में संयुक्त सचिव (प्रशासन) के रूप में अपने सामान्य कार्य करने के अतिरिक्त सतर्कता संबंधी कार्य भी देखते हैं। मंत्रालय में एक उपसचिव मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यों को निभाने में सहायता करते हैं।

1.19 मंत्रालय ने दिनांक 27.10.2014 से 0.11.2014 तक 'सतर्कता जागरुकता सप्ताह' मनाया । दिनांक 27.10.2014को संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को शास्त्री भवन में तथा उपमहानिदेशक (डीडीजी) ने कर्मचारियों को अगस्त क्रांति भवन में शपथ दिलाई।

श्री अशोक पै, संयुक्त सचिव तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी, जनजातीय कार्य मंत्रालय सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2014 के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को शपथ दिलाते हुए

लोक शिकायत निवारण तंत्र

1.20 मंत्रालय में संयुक्त सचिव (प्रशासन)को शिकायत निदेशक के तौर पर मनोनीत किया गया है। शिकायत निदेशक के ब्योरे जैसे कमरा नंबर, टेलीफोन नंबर आदि व्यापक रूप से परिचालित किए गए हैं। शिकायत निदेशक अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ नियमित रूप से बैठक करते हैं और कभी-कभी उनके प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक आयोजित करते हैं ताकि उनकी समस्याएं और शिकायतें सुन सकें। लोक शिकायत निगरानी तंत्र की आन लाइन (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से निगरानी भी की जा रही है तथा डीएआरपीजी, राष्ट्रपति सचिवालय के माध्यम से तथा सीधे ही आन लाइन प्राप्त लोक शिकायतों का निपटान आन-लाइन किया जा रहा है।

1.21 परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (आरएफडी) 2014-15 तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय हेतु नागरिक/ग्राहक चार्टर 2014-15 क्रमश: अध्याय 20 तथा अध्याय 21 में दर्शाए गए हैं।

गणतंत्र दिवस समारोह, 2015

1.22 वर्षों से चली आ रही परिपाटी के अनुसार, इस वर्ष भी मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड और समारोह, 2015 में भाग लेने के लिए भारत सरकार के अतिथियों के रुप में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दो जनजातीय प्रतिनिधियों, एक महिला और एक पुरुष को आमंत्रित किया।

1.23 गणतंत्र दिवस समारोह 2015 में 25 राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों से 50 जनजातीय अतिथियों ने गणतंत्र दिवस परेड 2015, 28 जनवरी, 2015 को प्रधानमंत्री की एनसीसी रैली तथा 29 जनवरी, 2015 को बीटिंग रिट्रीट समारोह को देखा। जनजातीय अतिथि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री से भी मिले। वे रक्षा मंत्री से भी मिले। जनजातीय

माननीय जनजातीय कार्य मंत्री 'गणतंत्र दिवस 2015 समारोह' के दौरान जनजातीय अतिथियों तथा झांकी कलाकारों के लिए 31.01.2015 के समारोह के उपलक्ष में वक्तव्य देते हुए

अतिथियों ने दिनांक 30.01.2015 को राजघाट पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। माननीय जनजातीय कार्य मंत्री तथा जनजातीय कार्य राज्यमंत्री ने जनजातीय अतिथियों के सम्मान में 31.01.2015 को रात्रि–भोज का आयोजन किया तथा उन्हें उपहार प्रदान किए गए।

1.24 मेहमानों को दिल्ली, मथुरा एवं आगरा के दर्शनीय स्थानों पर भी ले जाया गया।

संसदीय स्थायी समिति

1.25 श्री रमेश बैस की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी संसदीय समिति ने वर्ष 2014–15 के लिए मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच के संबंध में 09.10.2014 को मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साक्ष्य लिए।

1.26 प्राक्कलन समिति 2013–14, दिनांक 05.02.2014 को लोक सभा को जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित जनजातीय कल्याण योजना विषय के प्राक्कलन पर समिति की 21वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिश पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर प्राक्कलन समिति (15वीं लोक सभा) की अपनी 31वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की।

1.27 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संसदीय समिति आरक्षण नीतियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण के उपाय पर 24.09.2014 को जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों की संक्षिप्त बैठक ली।

1.28 माननीय जनजातीय कार्य मंत्री ने 08.12.2014 को लोक सभा में तथा 17.12.2014 में राज्य सभा में जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों (2013–14) पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर स्थायी समिति की 34 वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों की कार्यान्वयन की स्थिति पर टिप्पणी की।

1.29 सरकार के आश्वासन पर समिति में लंबित आश्वासन के संबंध में 08.10.2014 को जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी)

1.30 वर्ष 2014-15 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु बजट आबंटन 4479.00 करोड़ रु. था तथा संशोधित अनुमान के अनुसार अंतिम अनुदान 3850 करोड़ रु. था। वर्ष 2014-15 (31.12.2014 तक) के दौरान इस मंत्रालय द्वारा की गई कुल निर्मुक्तियां 3002.31 करोड़ रु. थी जो संशोधित अनुमान अंतिम/अनुदानों का 77.98 प्रतिशत है।

1.31 वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान योजनावार बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा व्यय **अनुलग्नक-1 ख** (i) तथा **अनुलग्नक 1 ख** (ii) में दिए गए हैं।

'गणतंत्र दिवस 2015 समारोह' के दौरान जनजातीय अतिथियों/झांकी कलाकारों के लिए माननीय जनजातीय कार्य मंत्री के द्वारा 31.01.2015 को आयोजित समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम

अनुलग्नक-1क

जनजातीय कार्य मंत्रालय: संगठनात्मक संरचना

एसजी	:	राज्य अनुदान
प्रशा.	:	प्रशासन
सं.सम.स.	:	संसद, समन्वय एवं सतर्कता
सीपीएंडआर	:	सहकारी विपणन एवं विनियमन
एनजीओ	:	गैर-सरकारी संगठन
शि.	:	शिक्षा
सीएंडएलएम	:	संवैधानिक एवं विधायी मामले
वि.	:	वित्त
सा.	:	सामान्य
स्था.	:	स्थापना
रा.भा.	:	राजभाषा

सं.स	:	संयुक्त सचिव
सं.स. एवं वि.स.	:	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
मु.स.अ.	:	मुख्य सतर्कता अधिकारी
उ.म.निदे.	:	उप महा निदेशक
मु.ले.नि.	:	मुख्य लेखा नियंत्रक
निदे.	:	निदेशक
उ.स.	:	उप सचिव
सं.निदे.	:	संयुक्त निदेशक
ले.नि.	:	लेखा नियंत्रक
अ.स.	:	अवर सचिव
उ. निदे.	:	उप निदेशक
अनुसं.अधि.	:	अनुसंधान अधिकारी
अनु.अधि.	:	अनुभाग अधिकारी
वे. एवं ले.अधि.	:	वेतन एवं लेखा अधिकारी

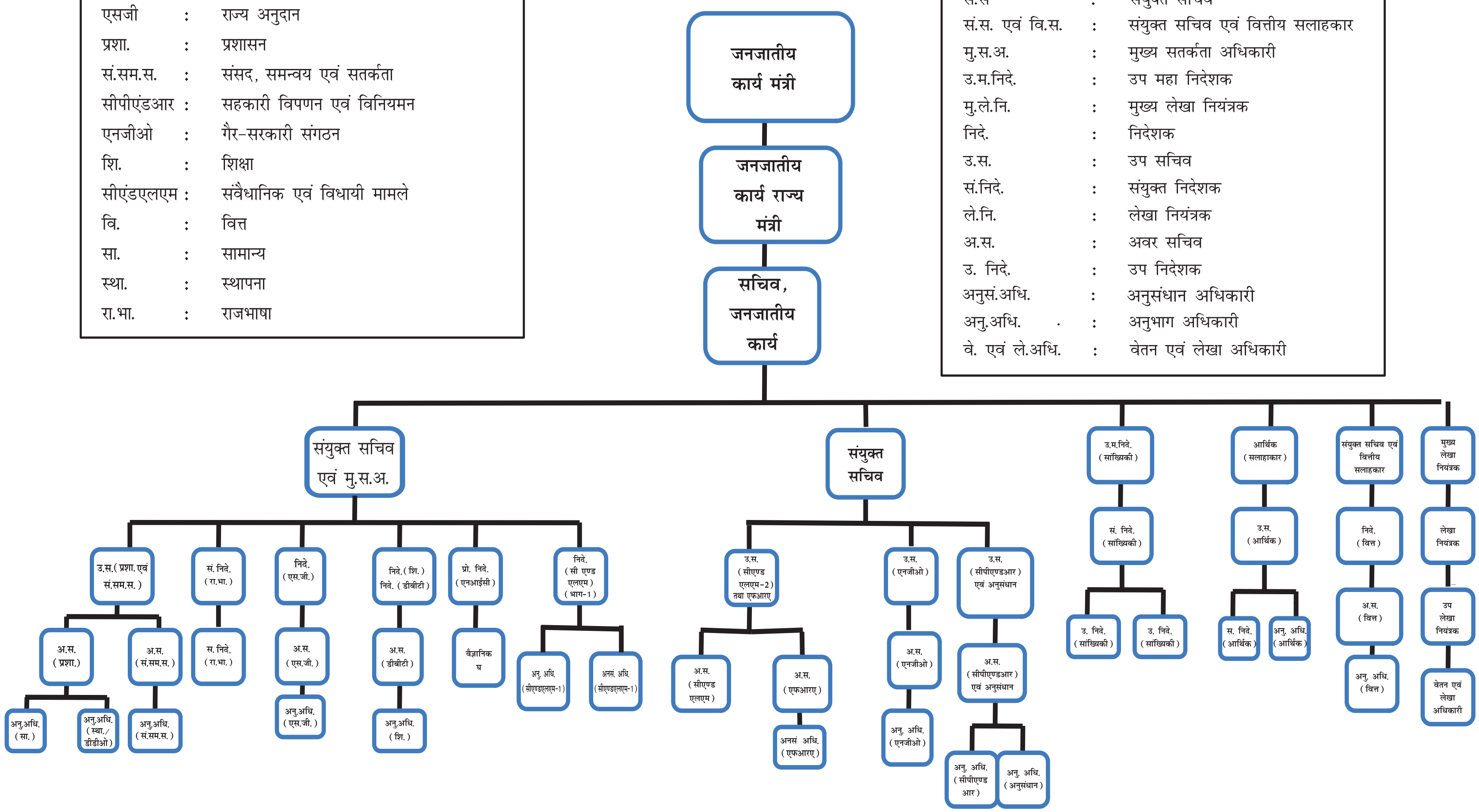

अनुलग्नक-1 ख

जनजातीय कार्य मंत्रालय

जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट आवंटन/संशोधित आवंटन तथा व्यय

(करोड़ रुपये में)

मुख्य शीर्ष	कार्यक्रम/उपयोजनाएं	योजना	2012-13			2013-14		
			ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
क	**केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं**							
2225	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	कोचिंग एवं सम्बद्ध योजनाओं और अनुकरणीय सेवा सहित अनुसूचित जनजाति के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	39.50	23.25	18.0888	39.50	25.00	40.00
2225	अनुकरणीय कार्य निष्पादित करने वाले एनजीओ को विशेष प्रोत्साहन							
2225	कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना		4.50	0.50	0.4506	4.50	1.50	1.1842
	कुल 2225 का कुल		**44.00**	**23.75**	**18.5394**	**44.00**	**26.50**	**41.1842**
2225	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	3.00	2.22	1.6812	3.00	2.80	2.7075
3601			5.00	1.65	2.65	5.00	6.62	6.1092
	कुल		**8.00**	**3.87**	**4.3312**	**8.00**	**9.42**	**8.8167**
2225	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातीय लड़कियों के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	**40.00**	**14.61**	**7.4149**	**40.00**	**42.00**	**40.30**
2225	जनजातीय उत्पाद/उपज का बाजार विकास	जनजातीय उत्पाद/उपज का विपणन विकास	**22.00**	**47.24**	**47.24**	**34.31**	**34.31**	**34.31**
3601	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम	**20.00**	**13.00**	**13.00**	**20.00**	**10.00**	**10.00**
2225	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) का विकास	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) का विकास	5.80	1.50	1.50	5.80	5.40	5.2954
3601			234.20	173.00	176.90	234.20	197.60	201.60
	कुल		**240.00**	**174.50**	**178.40**	**240.00**	**203.00**	**206.8954**
4225	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	70.00	68.10	68.10	70.00	70.00	60.50
4225	राज्य जनजातीय वित्त एवं विकास निगम							
	कुल		**70.00**	**68.10**	**68.10**	**70.00**	**70.00**	**60.50**
2225	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	**90.00**	**45.00**	**45.00**	**90.00**	**10.00**	**0.00**
2225	उत्कृष्टता संस्थान/उच्च श्रेणी संस्थान की योजना	उत्कृष्टता संस्थान/उच्च श्रेणी संस्थान की योजना	**13.00**	**10.11**	**10.0958**	**13.00**	**9.50**	**9.50**
2225	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**0.98**	**0.6831**
2225	नयी योजना-न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास	नयी योजना-न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी)के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65	0.00
3601			0.00	0.00	0.00	0.00	116.35	112.49
	कुल		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122.00**	**112.49**
2225	नयी योजना-विश्व बैंक परियोजना-जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा	नयी योजना-विश्व बैंक परियोजना-जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.16**	**0.00**
	क का कुल (केन्द्रीय क्षेत्र योजना)		**548.00**	**401.18**	**393.1213**	**560.31**	**538.87**	**524.6795**

मुख्य शीर्ष	कार्यक्रम/उपयोजनाएं	योजना	2012-13			2013-14		
			ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
ख	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं							
2225	अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति /पुस्तक बैंक	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक तथा उनकी प्रतिभा के उन्नयन की योजना	0.10	0.10	0.0699	0.10	0.10	0.0074
	2225 का कुल		**0.10**	**0.10**	**0.0699**	**0.10**	**0.10**	**0.0074**
3601	अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति /पुस्तक बैंक		628.10	628.10	730.6735	623.40	623.40	748.2777
3601	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभा का उन्नयन		1.50	0.64	0.3151	1.50	1.50	0.1614
	3601 का कुल		**629.60**	**628.74**	**730.9886**	**624.90**	**624.90**	**748.4391**
	2225 एवं 3601 का कुल		**629.70**	**628.84**	**731.0585**	**625.00**	**625.00**	**748.4465**
2225	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	1.00	0.33	0.00	1.00	0.33	0.00
3601	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति		80.00	106.40	111.40	201.19	201.19	219.43
	कुल		**81.00**	**106.73**	**111.40**	**202.19**	**201.52**	**219.43**
2225	लड़कियों के छात्रावास	अनुसूचित जनजाति के लड़कों एवं लड़कियों के लिए छात्रावास की योजना	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00
2225	लड़कों के छात्रावास							
	2225 का कुल		**5.00**	**5.00**	**5.00**	**5.00**	**5.00**	**0.00**
3601	लड़कियों के छात्रावास		63.00	63.00	73.00	100.80	100.80	101.06
3601	लड़कों के छात्रावास							
	3601 का कुल		**63.00**	**63.00**	**73.00**	**100.80**	**100.80**	**101.0550**
	2225 एवं 3601 का कुल		**68.00**	**68.00**	**78.00**	**105.80**	**105.80**	**101.0550**
2225	आश्रम विद्यालयों की स्थापना	आश्रम विद्यालयों की स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3601			75.00	61.00	61.00	75.00	72.17	72.17
	कुल		**75.00**	**61.00**	**61.00**	**75.00**	**72.17**	**72.17**
2225	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	अनुसंधान सूचना व जन शिक्षा, जनजातीय त्योहार व अन्य	0.10	0.00	0	0.10	0.03	0.03
2225	सूचना एवं मास मीडिया		3.00	1.99	1.4062	3.00	2.52	1.1179
2225	राष्ट्रीय जनजातीय कार्य पुरस्कार		0.50	0.46	0.4279	0.50	3.43	2.1551
2225	उत्कृष्टता केन्द्र		0.56	1.86	1.0768	0.56	1.59	1.04
2225	अनुसूचित जनजातियों के लिए अखिल भारतीय प्रकृति या अंतर्राज्यीय प्रकृति की समर्थनकारी परियोजनाएं		0.30			0.30		
2225	जनजातीय त्योहारों का आयोजन		1.60			1.60		
2225	जनजातीय लोगों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान		0.44			0.44		
	2225 का कुल		**6.50**	**4.31**	**2.9109**	**6.50**	**7.57**	**4.3130**
3601	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण		4.00	3.25	4.1621	4.00	2.57	2.7069
	2225 एवं 3601 का कुल		**10.50**	**7.56**	**7.0730**	**10.50**	**10.14**	**7.0199**
2225	निगरानी एवं मूल्यांकन	निगरानी एवं मूल्यांकन	**2.00**	**1.35**	**1.1310**	**4.00**	**1.43**	**0.6503**
2251	सूचना प्रौद्योगिकी	मंत्रालय	1.40	1.40	1.3478	2.80	2.20	1.0356
2225		एन.सी.एस.टी.	0.10	0.10	0.0079	0.20	0.20	0.00399
		कुल	**1.50**	**1.50**	**1.3557**	**3.00**	**2.40**	**1.0755**
	ख का कुल (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं)		**867.70**	**874.98**	**991.0182**	**1025.49**	**1018.46**	**1149.8492**
2552	पूर्वोत्तर के लिए एक-मुश्त प्रावधान	पूर्वोत्तर के लिए एक-मुश्त प्रावधान	157.30	151.30	0.00	176.20	174.53	0.00
	ग का कुल		**157.30**	**151.30**	**0.00**	**176.20**	**174.53**	**0.00**

मुख्य शीर्ष	कार्यक्रम/उपयोजनाएं	योजना	2012-13			2013-14		
			ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
	क + ख + ग का कुल		**1573.00**	**1427.46**	**1384.1395**	**1762.00**	**1731.86**	**1674.5287**
घ	**विशेष केन्द्रीय सहायता**							
3601	जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता		1200.00	852.54	852.5435	1200.00	1050.00	1050.00
3601	संविधान के अनुच्छेद 275 के परंतुक के अंतर्गत योजना		1317.00	820.00	819.9978	1317.00	1097.14	1097.1398
	घ. का कुल (विशेष केन्द्रीय सहायता)		**2517.00**	**1672.54**	**1672.54**	**2517.00**	**2147.14**	**2147.1398**
	क, ख, ग तथा घ का कुल		**4090.00**	**3100.00**	**3056.6808**	**4279.00**	**3879.00**	**3822.6685**

अनुलग्नक-1ख (II)

जनजातीय कार्य मंत्रालय
वर्ष 2014-15 (योजना) के लिए बजट आवंटन 31.12.2014 तक

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	योजना का नाम	उपयोजनाओं का विवरण	मुख्य मद	विस्तृत मद	ब.अ. 2014.15	* 31.12.2014 तक व्यय
1	2	3	4	5	6	7
I	**ब्लॉक अनुदान**					
1	जनजातीय उपयोजना को एससीए	**प्रशासनिक व्यय**	2225	घरेलू यात्रा व्यय	1.50	0.00
				विदेश यात्रा व्यय	1.00	0.00
				कार्यालय व्यय	2.00	0.02
				व्यावसायिक सेवाएं	0.30	0.00
				अन्य शुल्क	7.20	0.00
				कुल	**12.00**	**0.02**
		अनुदान	3601	सामान्य	840.00	591.36
				पूंजी	348.00	169.35
				कुल	**1188.00**	**760.71**
		2225 तथा 3601 का कुल			1200.00	760.73
2	संविधान का अनुच्छेद 275(1)	**प्रशासनिक व्यय**	2225	घरेलू यात्रा व्यय	1.50	0.00
				विदेश यात्रा व्यय	1.00	0.00
				कार्यालय व्यय	2.00	0.02
				व्यावसायिक सेवाएं	0.30	0.00
				अन्य शुल्क	8.20	0.00
				कुल	**13.00**	**0.02**
		अनुदान	**3601**	सामान्य	250.00	197.90
				पूंजी	1054.00	726.73
				कुल	**1304.00**	**924.63**
		2225 तथा 3601 का कुल			1317.00	924.65
	कुल (ब्लॉक अनुदान)				**2517.00**	**1685.38**
ख	**केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं**					
3	कोचिंग तथा संबद्ध योजना सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए एनजीओ को सहायता अनुदान तथा विशेष सेवा के लिए अवॉर्ड	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	2225	सामान्य	30.00	34.15
				पूंजी	0.00	0.00
				कुल	**30.00**	**34.15**
		कोचिंग तथा संबद्ध योजना	2225	सामान्य	1.50	0.00
				पूंजी	0.00	0.00
				कुल	**1.50**	**0.00**
		कोचिंग तथा संबद्ध योजना	3601	सामान्य	0.00	0.00
				पूंजी	0.00	0.00
				कुल	**0.00**	**0.00**
		2225 का कुल			**31.50**	**34.15**
4	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातियों के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण		2225	सामान्य	40.00	30.56
				पूंजी	0.00	0.00
				कुल	**40.00**	**30.56**

क्रम सं.	योजना का नाम	उपयोजनाओं का विवरण	मुख्य मद	विस्तृत मद	ब.अ. 2014.15	* 31.12.2014 तक व्यय
1	2	3	4	5	6	7
5	जनजातीय उत्पादों का बाजार विकास		2225	सामान्य	11.98	9.00
				पूंजी	0.00	0.00
				वेतन	23.02	17.25
				कुल	**35.00**	**26.25**
6	नई योजना-न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र		2225	सामान्य	7.00	7.00
			3601	पूंजी	30.00	0.00
				कुल	3.00	0.00
				कुल	40.00	7.00
				सामान्य	260.00	47.90
				पूंजी	17.00	0.00
				कुल	277.00	47.90
				कुल	**317.00**	**54.90**
7	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम		3601	सामान्य	0.00	0.00
				पूंजी	15.00	6.14
				कुल	**15.00**	**6.14**
8	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी) का विकास		2225	सामान्य	5.40	3.39
				पूंजी	0.00	0.00
				कुल	**5.40**	**3.39**
			3601	सामान्य	87.60	52.91
				पूंजी	110.00	78.15
				कुल	**197.60**	**131.06**
		2225 तथा 3601 का कुल			**203.00**	**134.45**
9	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगमों को सहायता	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	4225	सामान्य	70.00	70.00
		राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम		पूंजी	0.00	0.00
				कुल	**70.00**	**70.00**
10	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति		2225	सामान्य	50.00	0.00
				पूंजी	0.00	0.00
				छात्रवृत्ति	0.00	0.00
				कुल	**50.00**	**0.00**
11	विश्व बैंक परियोजना-जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।		2225	घरेलू यात्रा	0.27	0.01
				विदेश यात्रा व्यय	1.00	0.00
				कार्यालय व्यय	0.16	0.00
				प्रकाशन	0.08	0.00
				अन्य प्रशासनिक व्यय	0.34	0.14
				व्यावसायिक सेवा	2.00	0.11
				अन्य शुल्क	0.01	0.00
				कुल	**3.86**	**0.26**

क्रम सं.	योजना का नाम	उपयोजनाओं का विवरण	मुख्य मद	विस्तृत मद	ब.अ. 2014.15	* 31.12.2014 तक व्यय
1	2	3	4	5	6	7
12	अनुसंधान सूचना तथा जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव तथा अन्य	अनुसंधान प्रशिक्षण	2225	सामान्य	0.50	0.41
		सूचना एवं मास मीडिया			3.00	1.00
		उत्कृष्टता का केन्द्र			1.00	0.30
		अखिल भारतीय या अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं को समर्थन			0.30	
		जनजातीय उत्सव का आयोजन			1.60	
		जनजातियों द्वारा यात्रा का आदान-प्रदान			0.44	
		राष्ट्रीय जनजातीय कार्य अवॉर्ड			3.50	1.10
		2225 का कुल			**10.34**	**2.81**
		अनुसंधान प्रशिक्षण	3601		7.00*	7.66
	2225 तथा 3601 का कुल				17.34	10.47
13	सूचना प्रौद्योगिकी	मंत्रालय	2251	अन्य शुल्क	2.80	0.78
		एनसीएसटी	2225	अन्य शुल्क	0.50	0.06
		कुल			**3.30**	**0.84**
14	निगरानी तथा मूल्यांकन		2225	सामान्य	0.50	0.00
				अन्य शुल्क	3.50	0.68
				कुल	**4.00**	**0.68**
15	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना		2225	सामान्य	1.00	0.99
				छात्रवृत्ति	0.00	0.00
				कुल	**1.00**	**0.99**
16	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र		2225	सामान्य	3.00	1.94
17	वन बंधु कल्याण योजना		3601	सामान्य	100.00	75.00
				पूंजी	0.00	0.00
				कुल	**100.00**	**75.00**
18	अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के लिए अम्ब्रेला योजना (प्रशासनिक व्यय)		2225			
	पीएमएस, बुक बैंक तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के कौशल का उन्नयन/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मेट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति/अनुसूचित जनजाति के बालक तथा बालिकाओं के लिए छात्रावास की योजना/आश्रम विद्यालयों की स्थापना/जनजातीय क्षेत्रों में प्रशिक्षण केन्द्र/उत्कृष्टता के केन्द्र की योजना/उच्च श्रेणी शिक्षा			घरेलू यात्रा व्यय	4.23	0.00
				विदेश यात्रा व्यय	0.00	0.00
				कार्यालय व्यय	5.29	0.00
				व्यावसायिक सेवा	9.62	0.00
				अन्य शुल्क	2.02	0.00
	कुल			**कुल**	**21.16**	**0.00**
19	पूर्वोत्तर के लिए एकमुश्त प्रावधान		**2552**	सामान्य/पूंजी	**12.5**	**0.00**
	कुल योग				**925.16**	**446.63**

क्रम सं.	योजना का नाम	उपयोजनाओं का विवरण	मुख्य मद	विस्तृत मद	ब.अ. 2014.15	* 31.12.2014 तक व्यय
1	2	3	4	5	6	7
ग	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
20	अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के लिए अम्ब्रेला योजना		2225			
	पीएमएस, बुक बैंक तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के कौशल का उन्नयन/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मेट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति/अनुसूचित जनजाति के बालक तथा बालिकाओं के लिए छात्रावास की योजना/आश्रम विद्यालयों की स्थापना/जनजातीय क्षेत्रों में प्रशिक्षण केन्द्र/उत्कृष्टता के केन्द्र की योजना/उच्च श्रेणी शिक्षा		3601	सामान्य	13.84	7.01
				पूंजी	5.00	5.00
				कुल	**18.84**	**12.01**
				सामान्य	736.41	785.74
				पूंजी	88.48	72.55
				कुल	**824.89**	**858.29**
	2225 तथा 3601 का कुल				843.73	870.30
21	पूर्वोत्तर के लिए एकमुश्त प्रावधान		2552	सामान्य/पूंजी	**193.11**	**0.00**
कुल (केन्द्रीय प्रायोजित योजना					**1036.84**	**870.30**
	क+ख+ग का कुल				**4479.00**	**3002.31**

अध्याय 2

जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यकलाप - सिंहावलोकन

2.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजना एवं समन्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। मंत्रालय के कार्यक्रम और योजनाएं अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों का वित्तीय सहायता के माध्यम से समर्थन करने एवं उन्हें पूरक बनाने तथा अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने से संबंधित हैं। यद्यपि, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संवर्धन की प्राथमिक जिम्मेदारी केन्द्रीय मंत्रालयों की होती है, तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय विशेष रूप से बनाई गई अनुकूल योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से, उनके प्रयासों, को पूरक बनाता है। आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित ये योजनाएं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती हैं और राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।

2.2 मंत्रालय की विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के संबंध में संक्षिप्त सिंहावलोकन नीचे दिया गया है जबकि इनका ब्यौरा अनुवर्ती अध्यायों में दिया गया है।

2.3 चूंकि शिक्षा का विकास आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रगति का सोपान है तथा जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए सर्वाधिक कारगर उपाय है, शैक्षिक विकास आर्थिक एवं सामाजिक विकास का आधार है तथा जनजातीय लोगों के सशक्तिकरण हेतु एक अत्यधिक प्रभावी यंत्र है, इसलिए उनकी शैक्षिक स्थिति में सुधार करने के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस), अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, आश्रम विद्यालयों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, उच्च श्रेणी शिक्षा, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी अध्येतावृत्ति तथा राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं कार्यान्वित करके वर्ष के दौरान प्रयास किए गए थे।

2.4 'अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास की योजना' का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता को बढ़ाना है ताकि माध्यमिक/उच्चत्तर स्तर की शिक्षा में ड्रॉप आउट दरों को घटाया जा सके। **राज्यों के लिए 6 नए छात्रावास स्वीकृत किए गए थे तथा 31.12.2014 तक योजना के तहत 46.86 करोड़ रु. का व्यय किया गया था।** आश्रम विद्यालयों की योजना एक अन्य योजना है, जिसका उद्देश्य समर्पित आवासीय विद्यालयों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के लिए सहज वातावरण प्रदान करना तथा शैक्षिक सुविधाएं देना है। **वर्ष 2014-15 के लिए 31 दिसंबर, 2014 तक विभिन्न राज्यों में आश्रम विद्यालयो के निर्माण की पूर्णता के लिए एक बकाया अनुदान के रूप में 35.69 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई थी।**

2.5 व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के युवकों की रोजगार योग्यता बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देना है। इस योजना को 01.04.2009 से संशोधित किया गया है तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, संस्थानों या संगठनों को मानदण्डों के अनुसार प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम 30,000/- रुपए प्रतिवर्ष की अधिकतम सहायता दी जाएगी। **इस योजना के तहत 31 दिसंबर, 2014 तक 4.86 करोड़ रुपए (राज्य घटक) की राशि खर्च की गई है।** संशोधित योजना के प्रावधान राज्य द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ-साथ एनजीओ द्वारा संचालित केन्द्रों पर समान रूप से लागू हैं।

2.6 'कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना' 01-07-2012 से आरंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य

कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों का समर्थन करने का दोहरा उद्देश्य है ताकि प्राथमिक से माध्यमिक में परिवर्तन और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के दौरान स्कूल छोड़ने (ड्रॉप आउट) की घटना को कम से कम किया जा सके तथा मैट्रिक-पूर्व स्तर की कक्षा 9 - 10 कक्षाओं में अ.ज.जा. के विद्यार्थियों की भागीदारी में सुधार किया जा सके तथा शिक्षा के मैट्रिकोत्तर स्तर के चरणों में उन्हें बेहतर प्रगति करने का मौका मिल सके। **इस योजना के तहत 31-12-2014 तक 193.06 करोड़ की राशि 1118608 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए खर्च की गई है।**

2.7 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की फ्लेगशिप योजना को छात्रवृत्ति, उच्चतम आय सीमा की दर तथा विषयों के सामूहीकरण में कुछ संशोधनों के साथ दिनांक 01.07.2010 से संशोधित कर दिया गया है तथा अनुसूचित जनजातियों में उच्चतर शिक्षा के संवर्द्धन हेतु एक महत्वपूर्ण केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में यह जारी है। वर्ष 2014-15 के दौरान 31.12.2014 तक **योजना के तहत 587.84 करोड़ रूपए की राशि खर्च की गई है और 2106403 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियो को कवर किया गया है।**

2.8. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास योजना के तहत, वर्ष 2014-15 (31.12.2014 तक) के दौरान मंत्रलय ने अनुमोदित संरक्षण सह विकास (सीसीडी) योजना के अनुसार पीवीटीजी के लिए प्राथमिक क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए पीवीटीजी जनसंख्या के साथ 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 134.45 करोड़ रूपए जारी किया गया।

2.9. वर्ष 2014-15 (31.12.2014 तक) के दौरान मंत्रालय ने **''अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान''** की योजना के तहत आवासीय विद्यालयों, गैर-आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, सचलऔषधालयों, दस या अधिाक बिस्तरों वाले अस्पतालों,कम्प्यूटरप्रशिक्षण केन्द्रों, ग्रामीण रात्रि विद्यालयों, कृषीय प्रशिक्षण इत्यादिको कवर करते हुए लगभग 6,13,895 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए 34.14 करोड़ रुपए का अनुदान देकर लगभग 326 परियोजनाओं को निधिपोषित किया है।

2.10. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) नामक राष्ट्रीय स्तर के एक अन्य संगठन ने अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक विकासात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक उत्प्रेरक अभिकर्ता के रूप में कार्य करना जारी रखा। यह निगम रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता देता है। वर्ष 2014-15 के दौरान, निगम ने आय सृजनकारी गतिविधियों के तहत 190 करोड़ रुपये स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा था। इसकी तुलना में वर्ष 2014-15 के लिए 31978 लाभार्थियों हेतु 202.09 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई) के तहत 687 महिलाओं के लिए 2.78 करोड़ रुपए, लघु ऋण योजना के तहत 12,253 लाभार्थियों के लिए 53.45 करोड़ रुपए तथा आदिवासी शिक्षा ऋण योजना के तहत 16 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 0.38 करोड़ रूपए की स्वीकृति शामिल है।

31.12.2014 तक, निगम ने विभिन्न स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 44.99 करोड़ रुपए भी निर्मुक्त किए हैं।

2.11 मोटे तौर पर, जनजातीय कार्य मंत्रालय का अधिादेश है:

- अनुसूचित जनजातियो का कल्याण एवं विकास
- कानूनी अधिाकारों की रक्षा
- जनजातीय संस्कृति एवं विरासत का संरक्षण एवं प्रसार

2.12 जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में जनजातीय आबादी का समेकित विकास प्राप्त करने के लिए समर्पित है। मंत्रालय की भूमिका अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा) के विकास के लिए बने कार्यक्रमों की योजना एवं समन्वयन, उचित नीतियों के निर्माण के लिए भागीदारी एवं वकालत करना है। पूरे देश में जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लिए बहुआयामी रणनीति अपनायी गई है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जलापूर्ति, आजीविका, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण आदि शामिल है। अधाोसंरचनात्मक विकास क्रियाकलापों का प्रमुख भाग संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माधयम से पूर्ण किया जाता है, जबकि मंत्रालय गंभीर अंतरों को भरने के द्वारा इन पहलुओं को योगज प्रदान करता है। अब तक मंत्रालय देश में जनजातीय लोगों के विकास के लिए सभी प्रयासों को योगदान देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान तथा जनजातीय उपयोजना को केंद्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए) के तहत दो विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र तथा केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं चलाता है। मंत्रालय

की योजनाओंधकार्यक्रमों की सूची निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	योजनाओं/कार्यक्रम के नाम
1.	जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए)
2.	भारत के संविधाान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान
3.	लघु वन उत्पाद (एमएपी) के कार्यों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों (एसटीडीसीसी) को अनुदान सहायता
4.	न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माधयम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास
5.	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता
6.	अनुसूचित जनजातियो के लिए कोचिंग
7.	कम साक्षरता वाले जिलों मे अनुसूचित जनजाति की बालिकाओ के बीच शिक्षा का सुदृढीकरण
8.	जनजातीय क्षेत्रें में व्यावसायिक प्रशिक्षण (एनजीओ घटक)
9.	अनुसूचित जनजातियों के लिए बालक/बालिका छात्रावास
10.	टीएसपी क्षेत्रों मे अनुसूचित जनजातियो के लिए आश्रम विद्यालयों की स्थापना
11.	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
12.	उत्कृष्टता का उन्नयन
13.	कक्षा 9 तथा 10 मे अध्ययनरत अनुसूचित जनजातियों के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति
14.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण
15.	अनुसूचित जनजातियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा
16.	अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति
17.	राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
18.	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) का विकास
19.	अनुसंधाान सूचना एवं जनशिक्षा, जनजातीय उत्सव तथा अन्य

2.13 मंत्रालय द्वारा ध्यान देने के लिए प्राथमिकता वाले मुद्दे एवं क्रियाकलाप निम्नलिखित है:-

i. अधिाकारों का संरक्षण

ii. आजीविका एवं आवास

iii. कौशल विकास एवं रोजगार

iv. शिक्षा

v. आर्थिक विकास

vi. स्वास्थ्य

vii. पेयजल एवं स्वच्छता

viii. संस्कृति, शिल्प, भोजन, अनाज का प्रसार

ix. बिजली

x. दूरभाष संपर्क सहित संपर्क

xi. सिंचाई सुविधाा

xii. बाजार विकास

xiii. संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

अध्याय 3

वर्ष 2014-2015 के प्रमुख कार्य

3.1 जनजातीय उपयोजना निधियों और अनुच्छेद 275(1) के निरुपण कार्यान्वयन व निगरानी के लिए दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार परियोजना मूल्यांकन समिति का तंत्र 2014 में प्रारंभ किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता सचिव, जनजातीय कार्य द्वारा की जाती है जिसमें राज्य सरकारों, वित्तीय सलाहकार योजना आयोग आदि के प्रतिनिधि होते हैं जो मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत आवंटन के लिए प्रस्तावों का मूल्यांकन व अनुमोदन करती है। इसने राज्यों के साथ परामर्श सुनिश्चित करने में, मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के तालमेल को, मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता में तथा निधियां जारी करने व सीमित वित्तीय संसाधानों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने में सहायता की है।

परियोजना मूल्यांकन समिति की वित्तीय वर्ष 2014-15 में 18 बैठकें हुई हैं जिनके विवरण नीचे दिए गए हैं।

सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री से मिलते हुए

पीएसी बैठक की तारीख	राज्य का नाम
11.08.2014	(i) मध्यप्रदेश (ii) ओडिशा
12/08/2014	(i) गुजरात (ii) राजस्थान
13/08/2014	(i) पश्चिम बंगाल (ii) त्रिपुरा
14/08/2014	छत्तीसगढ़
19/08/2014	(i) उत्तरप्रदेश (ii) मिजोरम (iii) हिमाचल प्रदेश
20/08/2014	सिक्किम
26/08/2014	आंध्रप्रदेश
27/08/2014	(i) असम (ii) नागालैण्ड
01/09/2014	(i) केरल (ii) तमिलनाडु
03/09/2014	कर्नाटक
04/09/2014	महाराष्ट्र
05/09/2014	(i) मणिपुर (ii) बिहार
11/09/2014	झारखण्ड
16/09/2014	(i) उत्तरप्रदेश (ii) मध्यप्रदेश
15/10/2014	(i) मिजोरम (ii) अरुणाचल प्रदेश (iii) असम
16/10/2014	तेलंगाना
17/12/2014	(i) राजस्थान (ii) नागालैण्ड
22/12/2014	(i) असम (ii) जम्मू और कश्मीर (iii) मेघालय

3.2 परियोजना मूल्यांकन समिति के बैठकों के दौरान अन्य चीजों के अतिरिक्त राज्य सरकारों को आवश्यकता आधारित एकीकृत आजीविका पहलों को प्रोत्साहित करने के प्रति संवेदनशील बनाया गया। अग्रगामी और पश्चगामी संपर्कों के साथ द्वारा पर अपनी आजीविका कमाने के लिए जनजातियों के लिए समर्थकारी वातावरण बनाना। पारंपरिक कृषि पद्धतियों को किसी भी प्रकार से बाधित किए बिना इसमें राज्य सहकारिता बागवानी, फूलों की खेती, सब्जियों का उत्पादन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट का पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन इत्यादि के साथ डेयरी विकास शामिल है। राज्य सरकार पर पारंपरिक फसलों की खेती तथा पारंपरिक खाद्य जैसे ज्वार, हरी सब्जियों को प्रोत्साहित करने पर तथा जनजातीय जनसंख्या के संबंधा में फोलिक एसिड के चल रहे अनुपूर्ति प्रयास के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त महिला केंद्रित व्यावसायों को शामिल करके महिला जनसंख्या के लिए उसका उचित हिस्सा सुनिश्चित करते समय जनजातियों के कार्योन्मुखी कौशल विकास की आवश्यकता पर जोर देने के लिए ध्यान दिलाया गया। सह-शिक्षा को बढ़ावा देना तथा विद्यार्थियों की शिक्षा बीच में छोड़ने की दर रोकना ध्यान देने वाले क्षेत्रों में हैं। स्वास्थ्य संस्थानों का सुदृढ़ीकरण, टीकाकरण सहित जनजातियों के संपूर्ण स्वास्थ्य को सुधाारने के लिए उपायों की मंत्रालय द्वारा जोरदार तरीके से वकालत की गई। सिकल सेल एनीमिया, मलेरिया, कोढ़ इत्यादि जैसी बीमारियों पर धयान दिया गया। स्वच्छता उपाय विशेष रुप से पानी सहित शौचालयों की सुविधाा तथा आवासीय स्कूलों में बिजली की सुविधाा पर जोर दिया गया है। लोगों को किचन गार्डेन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया ताकि कुपोषण के मुद्दे का समाधाान किया जा सके।

3.2.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय क्षेत्रों में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए)/एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी), लघु परियोजनाओं, जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) आदि जैसे संस्थानों को अपनी योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता नहीं देता है। निधियां संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से निर्मुक्त की जाती हैं। ये प्रशासनिक संरचनाएं स्वामित्व वाली प्रकृति की नहीं अपितु सरकारी संस्थान हैं। आईटीडीए/आईटीडीपी इत्यादि जैसे संस्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की सुपुर्दगी के अतिरिक्त संस्थानों के रुप में 1970 तथा 1980 में अस्तित्व में आए थें। इसके अलावा, जनजातीय अनुसंधान संस्थान ज्ञान के संस्थान थे जो अन्यों के बीच जनजातीय लोगों और संबंधित अधिकारियों में क्षमता निर्माण में सहायक थे। मंत्रालय ने सेवा सुपुर्दगी को सुधारने तथा उन क्षेत्रों जहां जनगणना के आंकड़े जनजातीय सघनता सुझाते हैं, में नए आईटीडीए सृजित करने के लिए उपयुक्त कुशल जनशक्ति तथा अवसंरचना के साथ इन संस्थानों को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है। आईटीडीए तथा गैर-आईटीडीए दोनों क्षेत्रों में विशिष्ट जनजातीय समूहों के विकास के साथ-साथ जनजातीय लोगों को इन क्षेत्रों में अपने अधिकारों की सुरक्षा तथा विभिन्न लाभों जिनके लिए वे पात्र हैं, तक पहुंच बनाने हेतु सुविधाएं देने के लिए शहरी क्षेत्रों में प्रशासनिक संरचनाओं के समाधान के लिए नई लघु परियोजना एजेंसियां सृजित करने के लिए भी राज्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मंत्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों के 20 प्रतिशत तक भाग को इस उद्देश्य के लिए राज्यों द्वारा जब और जैसे मांगने पर प्रदान करने के लिए भी प्रावधान किए हैं। संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों के लिए निधियों के आवंटन को दर्शाने वाला विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:-

क्रम सं.	राज्य का नाम	आईपीडीपी/आईटीडीए/टीआरआई के सुदृढ़ीकरण के लिए जारी राशि
1	असम	147-60
2	आंध्रप्रदेश	100-00
3	छत्तीसगढ़	1259-24
4	गुजरात	773-97
5	झारखण्ड	2200-00
6	कर्नाटक	1600-00
7	केरल	2500-00
8	महाराष्ट्र	2798-11
9	मधयप्रदेश	3000-00
10	मणिपुर	900-00
11	ओडिशा	3000-00
12	राजस्थान	1226-34
13	तेलंगाना	500-00
14	उत्तरप्रदेश	300-00
15	पश्चिम बंगाल	45-00
	कुल	**20350-26**

3.3 केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग और राज्यों में लाइन मंत्रालयों/विभागों के पास पड़ी हुई जनजातीय योजना निधियों का उपयोग संयुक्त तरीके से करना वर्षो से सरकार के लिए एक चुनौती रहा है। इन वित्तीय संसाधानों के तालमेल को सुनिश्चित करने के लिए उचित संस्थागत तंत्र की कमी की परिणीति निधियों के बिखरे तरीके से व्यय में हुई और इस प्रकार वांछित परिणाम नहीं मिल सके। जनजाति योजना के अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय संसाधानों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने गुजरात मॉडल पर आधाारित वन बन्धु कल्याण योजना (वीकेवाई) की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। वन कल्याण योजना के माध्यम से जनजातीय उपयोजना के तहत वित्तीय संसाधानों का प्रभावी रुप से तालमेल को प्रकल्पित किया है। इसके अतिरिक्त परिणामों को अधिकतम करने की दृष्टि से और वास्तविकता में जनजाति लोगों की आवश्यकताओं और मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के बीच विवेकपूर्ण संतुलन करने की दृष्टि से मंत्रालय संसाधानों के तालमेल पर जोर देता है इसके लिए वह मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों का संयुक्त स्वरुप के रुप में उपयोग करने की सलाह देता है।

माननीय जनजातीय कार्य मंत्री दिनांक 28.10.2014 को नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के जनजातीय कार्य के प्रभारी मंत्रियों को संबोधित करते हुए

3.4 हितधारियों के साथ परामर्श की आवश्यकता के अनुसार विशेष रुप से राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, मंत्रालय जनजातीय विकास की विभिन्न स्वरुपों को सुगम बनाने के लिए नियमित रुप से विचार विमर्श कर रहा था। वर्तमान वर्ष के दौरान मंत्रालय ने अनेक परामर्श/बैठकें आयोजित कीं जिससे कि जनजातिय लोगों के तेजी से विकास को चुनौती देने वाले मुद्दों पर गहराई से चर्चा हो सके तथा जनजातीय उपयोजना के उपयोग के लिए संभावित तरीकों व उपायो पर विमर्श किया जा सके जिससे वित्तीय संसाधनों को संभावित परिणामों में बदला जा सके। उक्त परामर्शों की संक्षिप्ति रुप रेखा नीचे तालिका में दी गई है

परामर्श की तारीख	**राज्य सरकारों/केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की भागीदारी**	**संयुक्त राष्ट्र संगठन व अन्य एजेंसियां**	**विचार विमर्श के मुद्दे**
मई, 2014	• 5वीं अनुसूची वाले राज्य • जम्मू व कश्मीर	डी एफ आई डी	(i) आई टी डी ए/आई टी डी पी संस्थानों का सुदृढ़ीकरण/ लघु परियोजनाएं (ii) शिक्षा
जून, 2014	• राजस्थान • कर्नाटक • महाराष्ट्र • गुजरात • मध्य प्रदेश • दमन व द्वीप	डी एफ आई डी	(i) (ii) जा.अ.सं. को सुख्रढ करना (iii) शिक्षा का विकास (iv) गैर-सरकारी संगठन व आजीविका
अगस्त, 2014	• संसद सदस्य	–	विभिन्न जानजातीय मुद्दे
सितम्बर, 2014	• कर्नाटक • तमिलनाडु • आन्ध्र प्रदेश • तेलंगाना • केरल • अण्डमान व निकोबार द्वीप • लक्षद्वीप	संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना स्थानीय गैर-सरकारी संगठन	(i) वन बन्धु कल्याण योजना (ii) जनजातीय क्षेत्रों में संस्थानों का सुदृढ करना (iii) शिक्षा (iv) कौशल विकास व आजीविका
अक्टूबर, 2014	• राज्य मंत्री	–	विभिन्न जनजातीय मुद्दे
अक्टूबर, 2014	• 5वीं अनुसूची वाले राज्य	संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना	वन बन्धु कल्याण योजना का कार्यान्वयन
नवम्बर, 2014	–	मंत्रालय द्वारा जनजातीय अनुसंधाान संस्थानों, विश्वविद्यालय, संस्थानों को उत्कृष्टता केन्द्र के रुप में मान्यता दी गई।	अनुसंधाान मामले
अक्टुबर, 2014 नवम्बर, 2014 फरवरी, 2015	सभी राज्य व संघ शासित प्रदेश	संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना	निम्नलिखित क्षेत्रें में जनजातीय एच डी आर की तैयारी (i) स्वास्थ्य (ii) शिक्षा (iii) भूमि अधिकार एवं भूमि हस्तांतरण (iv) स्थायीवत आजीविका (v) न्याय तक पहुंच (vi) संपर्क एवं ऊर्जाकरण
जनवरी, 2015	–	आई सी एम आर	दिल्ली में स्वास्थ्य मुद्दे

3.5 31.12.2014 को नई दिल्ली में एक और जोरदार सत्र हुआ जिसमें सरकार के अतिरिक्त अधिकारियों ने, पूर्व सचिव (जनजातीय कार्य), विभिन्न राज्य सरकारों के प्रधान सचिव, विशेषज्ञ, और स्थापित स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसे इस प्रकार से आयोजित किया गया कि जनजातीय विकास परिदृश्य के अत्यधिक संगत मुख्य विषयों पर चर्चा की जाती है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, सांस्कृतिक विरासत व कानूनी परिप्रेक्ष्य।

माननीय जनजातीय कार्य मंत्री दिनांक 05.08.2014 को नई दिल्ली में माननीय संसद सदस्यों के साथ बैठक के दौरान

3.6 विभिन्न परामर्शों के दौरान की गई चर्चा, विमर्श ने मंत्रालय को इसके समाधान के लिए सिफारिशों/विचारों के सहित जनजातियों के विकास को प्रभावित करने वाले मुद्दों व चुनौतियों को समझने में समर्थ बनाया है। इसने राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा विकास और कल्याण के सिद्धांतों को बेहतर रुप से समझने में भी सहायता की है जिसके परिणाम स्वरुप योजना/परियोजनाओं की गुणता में सुधार हुआ है और उनके कार्यान्वयन की स्थिति भी सुधरी है।

3.6.1 मुद्दे और परिणाम

क्षेत्र	मुद्दे	निक्षेप
शिक्षा	➢ सुदूरता ➢ आजीविका के कम साधन ➢ अपर्याप्त गुणता विद्यालय ➢ भाषा एवं सांस्कृतिक बाधाएं ➢ अध्यापकों की अनुपलब्धता ➢ सुदूर होने के कारण अध्यापकों की अनिच्छा ➢ व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव ➢ छुटियां जनजातीय उत्सवों के अनुकूल नहीं हैं	• कम नामांकन • शिक्षा बीच में छोड़ने की उच्च दर • अनुसूचित जनजातियों और अन्य समूहों के बीच विद्यमान अंतर

क्षेत्र	मुद्दे	निक्षेप
स्वास्थ्य	➢ अपर्याप्त असंरचना ➢ कम टीकाकरण ➢ कुपोषण ➢ पारम्परिक भोजन का लोप ➢ गर्भवती माताओं को अपर्याप्त रुप से शामिल करना ➢ डॉक्टरों/चिकित्सा स्टॉफ की सदूर और जटिल क्षेत्रें में जाने की अनिच्छा ➢ ए एन एम/डॉक्टरों का अभाव	• जनजातियों के बीच उच्च नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर • सुरक्षित पेय जल की अनुपलब्धता • मलेरिया की अधिक घटनाएं • मलेरिया, सिकल सेल एनेमिया, जी ई डी, यू आर टी आई जैसी बड़ी बीमारियों • फ्लूरोसिस, स्केलटल फ्लूरोसिस
आजीविका	➢ कौशल, प्रशिक्षण अवसरों की कमी ➢ अपर्याप्त संपर्क ➢ अग्रगामी और पश्चगामी संपर्क का अभाव- कृषि गतिविधियां ➢ वनों की कमी ➢ सिंचाई की कमी ➢ बाजार संपर्क का अभाव	• बेरोजगारी • पारम्परिक व्यवसाय से कम आय • खाद्य विविधता का अभाव
संस्कृति	➢ जागरुकता और जनजातीय संस्कृति के संरक्षण का अभाव ➢ अकादमिक समुदाय के साथ संवाद का अभाव ➢ अवसंरचना या तंत्र का अभाव ➢ जनजातीय दस्तकारी को प्रोत्साहित करने के लिए बाजार संपर्क का अभाव ➢ राज्यों के टूरिस्ट मानचित्र में जनजातीय संग्रहालयों का न होना	• पारम्परिक खेल, शिल्प, औषधियां, चिकित्सा पद्धति का विलोप • अलगाव का बोधा • जनजातीय संस्कृति पर स्वामित्वकी भावना का ह्रास • विरासत, व्यंजनों, पारंपरिक भोजन का विलोप

3.6.2 मुद्दों के समाधान के लिए सुझाई गई परिणाम आधारित पहल

क्षेत्र	सुझाई गई पहल/उपाय	परणिम
शिक्षा	➢ विज्ञान, गणित व भाषा अधयापकों का पर्याप्त प्रावधाान ➢ व्यावसायिक शिक्षा में नौकरी का प्रावधाान ➢ उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल ➢ खेल कूद प्रतिभा बढाने के लिए प्रशिक्षण ➢ गुणात्मक पुस्तकालय उपलब्ध कराना ➢ जनजातीय संस्कृति, शिल्प, पाक शैली में शिक्षा ➢ अवकाश में संशोधन ➢ जनजातीय भाषा व स्थानीय लिपि में प्राइमर ➢ आवासीय विद्यालय सुविधाा ➢ शिक्षण स्टाफ के लिए छात्रावास/आवासीय पारगमन सुविधााएं	• चार वर्षों के लिए प्राथमिक विद्यालय स्तर पर 100 प्रतिशत नामांकन • जहां नामांकन अधिक है वहां 100 प्रतिशत उत्तीर्णता दर • जहां नामांकन अधिाक है वहां प्रथम श्रेणी/विशेष प्रतिभा • लड़कियों की शिक्षा बीच में छोड़ने की दर में कमी

स्वास्थ्य	➢ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग मानक ➢ एकीकृत निधियां ➢ पैरामैडिक्स के लिए स्थानीय विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाना ➢ एन एम सी पी टीकाकरण कार्यक्रम में जनजातीय क्षेत्रों के विशेष धयान ➢ जनजातीय विकास व आई सी एम आर के बीच संवाद ➢ पारम्परिक भोजन ➢ विद्यालयों में आई एफ ए स्कीम की निगरानी ➢ विद्यालयों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग शौचालय, ➢ ए डब्लू सी, ए एन एम केन्द्रों का निर्माण	• छूट गई गर्भमती माताओं का 100 प्रतिशत रोगप्रतिरोधीकरण • बच्चों के टीकाकरण की प्रतिशतता को 50 प्रतिशत तक बढ़ाना • छात्रावास, विद्यालयों और आगनबाड़ी केन्द्रों में खाद्य रीतियों में परिवर्तन • सोमवार को विद्यालयों में 100 प्रतिशत आई एफ ए गोलियां • एस सी टी के 100 प्रतिशत सर्वेक्षण को एम ओ एच डब्लू की तकनीक उपलब्ध करानी है

3.6.3 जनजातीय समुदायों में कुपोषण से लड़ने के लिए दृष्टिकोण

✓ पारम्परिक ज्वार बाजरा और हरी सब्जियों की हिमायत करना ।

✓ स्कूल आई सी डी एस मेन्यू में माइनोर मिलट पेयजल अनुपूरक योजनाओं का समर्थन (नलकूप में फ्लोराइड प्रदूषण के मामले में जैसे खुले तालाब)।

✓ डेयरी विकास, मछली पालन व मुर्गी पालना।

✓ आवासीय विद्यालयों में किचन गार्डन।

✓ नकद फसल योजनाओं के अन्तर्गत (जैसे वाडी) घर के आगन में हरी पत्तेदार सब्जियों को प्रोत्साहित किया जाना।

3.6.4 सुझाई गई रोजगार पहल

- विभिन्न फसलें, बागवानी, डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालनव पोषण भी प्रदान करना।
- लाइन विभाग स्कीमों जैसे दूध सहकारिता के तहत वित्त पोषण।
- विपणन योग्य पारम्परिक कौशल जैसे पेन्टिग।
- उद्यमशीलता
- तकनीकी व उच्च शिक्षा
- आधुनिक कौशलः सौर सेल असेम्बली तथा इलेट्रीशियन, मोबाइल फोन मरम्मत
- जनजातीय क्षेत्र में इको टूरिज्म
- हथकरघा, हस्तशिल्प, शिल्पकार, कौशल रोजगार
- महिलाओं के लिए कौशलः कम्प्यूटर प्रशिक्षण, अतिथ्य, पैरामेडिक, आयुर्वेदिक व जनजातीय औषधिायां व चिकित्सा प्रयोग
- एकीकृत सिंचाई सुविधाा उपलब्ध कराना
- लघु वन उत्पादों के लिए बाजार संपर्क

3.6.5 जनजातीय उत्पादों के लिए बाजार संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए सुझाई गई पहल

- महत्वपूर्ण मंडियों में लघु वन उत्पाद के मूल्य अद्यतन करने के लिए एम एफ पी एन ई टी एक वेब आधाारित पोर्टल प्रारम्भ किया गया।
- लघु वन उत्पादों के मूल्य के अतिरिक्त कृषि जिन्सों के मूल्यों को अद्यतित करने के लिए एम एफ पी एन ई टीह से जुड़े 400 किसान कॉंल सेन्टर हैं।
- जनजातीय उत्पादों को बेचने के लिए फ्लिपकार्ट.कॉंम, स्नेप डील.कॉंम आदि के साथ गठजोड़ के लिए ट्राईफेड द्वारा ई कोमर्स पोर्टल
- निम्नलिखित की ब्रांडिंग
- पारम्परिक या समसामायिक जनजातीय कला व शिल्प उत्पाद
- ट्राइब्स ऑफ इण्डिया द्वारा बने
- कारीगरों को लाभकारी मूल्य का भुगतान।

3.6.6 संस्कृति शिल्प व खेल कूद के लिए सुझाई गई पहलें

- रोमन लिपि में ध्वन्यात्मक अशुद्धी के कारण भाषा का देवनागरी लिपि में डॉक्यूमेन्टेशन गीतों (नोटेशन के साथ), नृत्य (पाद चरणों के साथ), सांस्कृतिक रीतियों

का लिखित दस्तावेजीकरण विपणन के लिए माध्यम में बदलाव जैसे डोकरा धातु की पवित्र वस्तुएं जैसे कछुए के लिए प्रयोग।

- कार्यात्मक मदों में परिवर्तन-टोकरी की जगह थेले।
- केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक उपक्रम को विपणन में सहयोग-शिल्पय कौशल उन्यन।
- फरवरी में राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव।
- जनवरी में जनजातीय भोजन उत्सव।
- जनजातीय अनुसंधाान संस्थान उड़ीसा में जनजातीय भोजन काउंटर।
- जनजातीय खेल कूदों को जानने के लिए जनजातीय अनुसंधाान संस्थान।
- अभिजात्य ई एम आर एस में स्थानीय जनसंख्या के लिए एक अनुकूल खेल कूद।
- जनजातीय जो आधुनिक खेलों में जो भाग लेते हैं उन्हें अधिकांश छात्रवृत्ति कार्यक्रमों में शामिल किया जाना।

3.6.7 पूर्वोत्तर मुद्दे

- नागालैण्ड, मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र, असम व मेघालय के छठी अनुसूची वाले क्षेत्रें में चुने गए ग्राम पंचायत जैसे निकाय का अभाव।
- वंशानुगत गांव मुखिया की परम्परा जो भुमि के स्वामी भी हैं और सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों को लागू भी करते हैं।
- असम सरकार ने जनजाति विशिष्ट की स्वायत्त जिला परिषदें गठित की हैं जिसने जातीय संघर्ष को बढ़ाया है।
- मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वे स्थान हैं जहां चुनी हुई पंचायत/ग्राम परिषद है और वे सर्वाधिक शांतिपूर्ण राज्य हैं।

सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय जमनमरथुर, जिला तिरूवन्नमलई, तमिलनाडु में एक एनजीओ एसएफआरडी द्वारा संचालित एक उच्च विद्यालय का दौरा करते हुए

3.6.8 राज्यों के उत्तम प्रयोग

- कर्नाटक के विद्यालयों में खाद्य पदार्थों की सूची में रागी दिया जाता है।
- आन्ध्र प्रदेश की एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियां।
- उड़ीसा में विद्यालयों के लिए प्राइमर जो अन्य राज्यों में भी दिए गए हैं।
- मध्य प्रदेश में फ्लोरोसिस नियंत्रण (मण्डला और सियोनी जिले)।
- मध्य प्रदेश में मलेरिया नियंत्रण (बैगा छाक)।
- उड़ीसा के डोंगरिया समुदाय में पारम्परिक वन भोजन।
- जनजातीय अनुसंधान संस्थान उड़ीसा।
- गुजरात से सिकल सेल एनेमिया कार्ड।
- केरली की जनजातीय औषधि प्रयोग।
- महाराष्ट्र की वाडी स्कीम।
- झारखण्ड से टसर व लाख।
- केरल, सिक्किम और महाराष्ट्र में इकोटूरिज्म।
- गुजरात में आयोजना और निधि प्रवाह।

3.7 मंत्रालय का एक कार्य समुदायों का अनुसूचीकरण/गैर-अनुसूचीकरण है। संविधान राज्यों को अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा व विकास की विशेष जिम्मेदारी सौंपता है। अनुसूचित जनजातियां संविधाान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित हैं। वर्षों से समुदायों के अनुसूचित जनजातियों के रुप में अनुसूचीकरण के लिए बड़ी संख्या में प्रस्ताव रहे हैं। प्रस्तावों को अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार प्रक्रियान्वित किया गया है। तथापि बहुत से प्रस्तावों पर वर्तनी में अंतर, ध्वन्यात्मक भिन्नता, स्थानान्तरण मानव जातीय जैसे जटिल मुद्दों व अनुसूचित जनजातियों में पुराने मानकों को लागू करने की समस्या के कारण अन्तिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। अतएव फरवरी 2014 में समुदायों के अनुसूचीकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए और तथ्यों पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए सचिव जनजातीय कार्य की अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किया गया। राज्यों द्वारा उपलब्धा कराई गई सूचना पर विचार करने के बाद कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अनुसूचित जनजातियों के रुप में समुदायों के अनुसूचीकरण के लिए मानकों के संशोधन के लिए तथा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सिफारिशें निहित हैं। कार्य दल की सिफारिशों की जनजातीय कार्य मंत्रालय और सचिवों की समिति द्वारा भी जांच की गई। यह मुद्दा सरकार के विचार के अधीन है।

3.8 उच्च स्तरीय समिति को भारत के जनजातीय समुदायों के सामाजिक आर्थिक, स्वास्थ्य और शैक्षिक स्तर पर रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। उच्च स्तरीय समिति को अनुसूचित जनजातियों और अन्य जनजातीय जनसंख्या के लिए विकास सूचक बढ़ाने व लोक सेवा आपूर्ति सुदृढ़ करने के लिए नीतिगत पहल और प्रभावी परिणामोन्मुखी उपाय सुझाने थे। समिती ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो कि सरकार के विचाराधीन है।

3.9 ''न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उत्पादों का विपणन व लघु वन उत्पादों के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए तंत्र'' की योजना वर्ष 2013-14 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरु की गई ताकि अनुसूचित जनजातियों से जुड़े लोगों और अन्य परम्परागत वन निवासियों जिनकी आजीविका लघु वन उत्पादों के संग्रहण व बिक्री पर निर्भर करती है उनके लिए बहु अपेक्षित सुरक्षा नेट और समर्थन दिया जा सके। प्रारम्भ करने के लिए 5वीं अनुसूची वाले 8 राज्यों में स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय दुधानी पंचायत के ग्राम अम्बाबरी, जिला सिलवासा दादर एवं नगर हवेली दुग्ध उत्पादकों से मिलते हुए

3.10 कार्यान्वयन के भाग के रुप में न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उत्पादों के विपणन और लघु वन उत्पादों के लिए मूल्य श्रृंखला विकास के लिए तंत्र की योजना शुरु की गई, दस लघु वन उत्पादों नामतः इमली, शहद, गोंद कराया, करंज बीज, साल बीज, महुआ बीज, साल पत्ते, चिरौंजी ग्ली, हरितिका, लाख (रंगिनी और कुसमी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है।

3.11 जनजातीय बच्चों की शिक्षा के लिए संपूर्ण योजना, मंत्रालय के सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग, मानव संसाधान मंत्रालय, राज्यों के शिक्षा विभागों के साथ तालमेल तथा इस मंत्रालय की विद्यमान स्कीमों को शिक्षा के अधिकार सर्वशिक्षा अभियान आदि के साथ तालमेल के उद्देश्य से एक छत्र स्कीम शुरु की जाएगी। जनजातीय जनसंख्या की शिक्षा के लिए विद्यमान निम्नलिखित स्कीमों को इस छत्र योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने का प्रस्ताव हैः

i. आश्रम विद्यालय

ii. जनजातीय लड़के और लड़कियों के लिए छात्रवास

iii. जनजातीय क्षेत्रें में व्यवसायिक प्रशिक्षण

iv. 10वीं पूर्व छात्रवृत्ति

v. 10वीं बाद छात्रवृत्ति

3.12 मंत्रालय 2 अक्टूबर 2014 से ''स्वच्छ भारत अभियान'' के अन्तर्गत स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए लगातार/नियमित कार्य कर रहा है। मंत्रालय के अन्य कार्यालयों ने भी स्वच्छता और जागरुकता के लिए समान अभियान शुरु किए हैं। इस अभियान ने जो गति पकड़ी है उस पूर्ण रुप से आगे बढ़ाया जाएगा।

3.13 सचिव जनजातीय कार्य की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति गठित की गई है जिसमें स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता, पेयजल आपूर्ति, पावर, श्रम व रोजगार, ग्रामीण विकास तथा महिला व बाल विकास मंत्रालय /विभागों के प्रतिनिधिा हैं इसके अतिरिक्त योजना आयोग सदस्य के रुप में है जिससे कि उनके द्वारा विशेष रुप से अनुसूचित जनजातियों के संपूर्ण विकास के लिए मूलभूत सुविधाओं के संबंध में उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों/ कार्यक्रमों में समुचित निवेश सुनिश्चित किया जा सके। समिति शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि व अन्य विकासात्मक मुद्दों से संबंधित विषयों पर वर्ष में 30.04.2014, 25.06.2014, 28.08.2014 तथा 07.11.2014 मिली।

3.14 जनजातीय कार्य मंत्रालय में सचिव जनजातीय कार्य की अध्यक्षता में 18.11.2014 को अन्तरिक्ष विभाग के प्रतिनिधियों के साथ अन्तरिक्ष तकनॉलोजी आधाारित उपकरणों के प्रभावी उपयोग पर बैठक हुई।

3.15 परामर्श प्रक्रिया के क्रम में जनजातीय अनुसंधाान संस्थानों, उत्कृष्टता केन्द्रों और 5 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के जनजातीय विभागों के प्रतिनिधियों के साथ मंत्रालय द्वारा समर्थित अनुसंधान क्रियाकलापों की समीक्षा के लिए तथा उनके बीच सीमा सहयोग सुनिश्चित करने के लिए 11 नवम्बर, 2014 को नई दिल्ली में एक बैठक की गई।

3.16 मंत्रालय ने 10.11.2014 को नई दिल्ली में ''न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उत्पादों का विपणन और लघु वन उत्पादों के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास'' की स्कीम के कार्यान्वयन तथा उसमें चुनौतियों की चर्चा के लिए संबंधित राज्यों के साथ बैठक की।

3.17 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने परामर्श किया ताकि एक संस्थान की स्थापना की रुप रेखा तैयार की जा सके जो दिल्ली में रह रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों और विस्थापितों द्वारा झेली जा रही विभिन्न समस्याओं का एक स्थान पर समाधान उपलब्ध कराएगा।

3.18 (i). लघु वन उत्पाद प्रचालनों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम को सहायता और (ii). जनजातीय उत्पादों/उपज के बाजार विकास की स्कीमों की पुनरीक्षा की गई है। तदानुसार जनजातीय उत्पाद/उपज के विकास एवं विपणन के लिए संस्थागत सहायता की पुनः बनाई गई स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से शुरु किया गया है। इस स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के लिए संस्थान बनाना है जिससे कि उन गतिविधियों के विकास और विपणन में सहयोग दिया जा सके जिन पर वे अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। यह विशिष्ट उपाय जैसे (i). बाजार हस्तक्षेप, (ii). जनजातीय कारीगरों, शिल्पकारों, लघु वन उत्पाद एकत्र

करने वालों आदि के प्रशिक्षण व कौशल विकास (iii). अनुसंधान एवं विकास/भारतीय बौद्धिक संपदा गतिविधि और (iv). आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना विकास।

3.19 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (ट्राईफेड) ने देश में अपने खुदरा विक्रय केन्द्र ''ट्राइब्स इण्डिया'' के नेटवर्क के माधयम से जनजातीय उत्पादों का विपणन जारी रखा है तथा वर्ष के दौरान 1065.44 लाख रुपये (31.12.2014 के अनुसार) मूल्य के उत्पाद बेचे हैं।

3.20 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अप्रैल 2014 को 14वें वित्त आयोग को संशोधित ज्ञापन प्रस्तुत किया। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय जनसंख्या वाले सभी राज्यों को निम्नलिखित आधाार पर क्षेत्र विशिष्ट अनुदान की सिफारिश की हैः-

(i). सभी संस्थानों को सुदृढ़ करना- वे संस्थान जो ज्ञान के भण्डार हैं व क्षमता निमार्ण करने वाले संस्थानों के रुप में काम कर सकते हैं तथा जनजातियों को हितों एवं सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी हैं; (ii). शिक्षा के लिए बनाई गई अवसंरचना के रख रखाव पर आवर्ती लागत और व्यय पूरा करने के लिए अनुदानय (iii). विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए अनुदान; (iv). राज्यों के बीच संसाधनों के वितरण के लिए मापदंड के रुप में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या पर विचार; (v). जनजातीय उपयोजना निधि के अन्यंत्र उपयोग न होने की योग्यता सुनिश्चित करने की शर्त लगाना।

(ii). जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान के लिए बजट परिव्यय बढ़ाने का सुझाव दिया है। अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत बढ़ाए गए अनुदान से मंत्रालय राज्यों को अनुदान देने के लिए विचार कर सकता है (i). संस्थानों का सुदृढ़ीकरण- आई टी डी ए और टी आर आई; (ii). नए आई टी डी ए बनाना; (iii). ग्रामीण क्षेत्रों में लघु परियोजना एजेंसिया बनाना; (iv). शहरी क्षेत्रें में लघु परियोजनाएं बनाना; (v). एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए पूंजी व आवर्ती अनुदान; (vi). मंत्रालय द्वारा विकसित किए जाने वाले मापदंडों पर निष्पादन अनुदान।

सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय उच्च साइकत ग्राम, लवंथलाई जिला मिज़ोरम में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से मिलते हुए

3.21 ''जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान'' की स्कीम को ''अनुसंधान सूचना ,मास शिक्षा, जनजातीय उत्सव एवं अन्य'' की स्कीम के एक घटक के रुप में संशोधित वित्तीय मानकों व चिन्हित हस्तक्षेपों के साथ जारी रखने का निर्णय लिया गया है। जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में चुनौतियों को पहचानना तथा उनकी संस्कृति को समझना, प्रोत्साहित करना और संरक्षित करना जनजातियों के लिए विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रम बनाते समय महत्वपूर्ण बन गया है तथा इसमें ज्ञान की हिमायत की आवश्यकता है जो बदले में नीति आधाारित साक्ष्य व आयोजना बनाने में मदद करेगा। स्कीम का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण के क्षेत्र में (जनजातीय संस्कृति का संरक्षण), प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण (कानून/संवैधानिक प्रावधानों पर) तथा कार्यकर्त्ताओं और जनजातीय प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण (सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम पर) का सुदृढ़ीकरण है। विभिन्न राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों द्वारा स्थापित जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान के रुप में वित्तीय सहायता देना है।

3.22 विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह के विकास की स्कीम के तहत मध्यावधि पुनरीक्षा के रुप में परियोजना मूल्यांकन समिति की 2014 में राज्यों के साथ हुई बैठकों के दौरान संरक्षण और विकास योजनाओं की पुनरीक्षा की गई और उसके अन्तर्गत गतिविधियों को जब कभी आवश्यक हुआ पुनः तैयार किया गया ताकि उन्हें विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह और अधिक संगत बनाया जा सके।

3.23 12वीं योजना अवधि के दौरान ''विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह के विकास'' और ''अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए शैक्षिक संगठनों को सहायता अनुदान'' की स्कीमें संशोधान के अधीन हैं। ''न्यून साक्षरता जिलों में जनजातीय लड़कियों की शिक्षा का सुदृढ़ीकरण'', ''अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग'' तथा ''अनुसूचित जनजातियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण'' की विद्यमान स्कीमें ''अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान'' की एकल खिड़की में शामिल कर दी गई हैं।

3.24 गैर सरकारी संगठन की स्कीमों के तहत स्थायित स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान जारी करने की प्रक्रिया सरलीकृत कर दी गई है। ईवीयों की पहचान अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के क्षेत्र में उनकी सिद्ध क्षमता, विश्वसनीयता और विगत निष्पादन के कारण हुई है और उन्हें राज्य सरकार से सिफारिशों के प्राप्ति में देरी के कारण निधि पोषण के लिए विलम्ब नहीं झेलना चाहिए। अतः यह निर्णय लिया गया कि ईवीयों को अनुदान जारी करने के लिए राज्य सरकार की सिफारिशें अपेक्षित नहीं होंगी।

3.25 सचिव जनजातीय कार्य की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति गठित की गई है जिसमें स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता, पेयजल आपूर्ति, पावर, श्रम व रोजगार, ग्रामीण विकास तथा महिला व बाल विकास मंत्रालय/विभागों के प्रतिनिधि हैं इसके अतिरिक्त योजना आयोग सदस्य के रुप में है जिससे कि उनके द्वारा विशेष रुप से अनुसूचित जनजातियों के संपूर्ण विकास के लिए मूलभूत सुविधाओं के संबंध में उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों में समुचित निवेश सुनिश्चित किया जा सके। समिति शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि व अन्य विकासात्मक मुद्दों से संबंधित विषयों पर वर्ष में 30.04.2014, 25.06.2014, 28.08.2014 तथा 07.11.2014 मिली।

3.26 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अप्रैल 2014 को 14वें वित्त आयोग को संशोधित ज्ञापन प्रस्तुत किया। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय जनसंख्या वाले सभी राज्यों को निम्नलिखित आधार पर क्षेत्र विशिष्ट अनुदान की सिफारिश की हैः-

(i). सभी संस्थानों का सुदृढ़ करना- वे संस्थान जो ज्ञान के भण्डार हैं व क्षमता निमार्ण करने वाले संस्थानों के रुप में काम कर सकते हैं तथा जनजातियों को हितों एवं सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी हैं; (ii). शिक्षा के लिए बनाई गई अवसंरचना के रख रखाव पर आवर्ती लागत और व्यय पूरा करने के लिए अनुदान; (iii). विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए अनुदान; (iv). राज्यों के बीच संसाधानों के वितरण के लिए मापदंड के रुप में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या पर विचार; (v). जनजातीय उपयोजना निधि के अन्यंत्र उपयोग न होने की योग्यता सुनिश्चित करने की शर्त लगाना।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान के लिए बजट परिव्यय बढ़ाने का सुझाव दिया है। अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत बढ़ाए गए अनुदान से मंत्रालय राज्यों को अनुदान देने के लिए विचार कर सकता है:- (i). संस्थानों का सदृढ़ीकरण- आई टी डी ए और टी आर आई; (ii). नए आई टी डी ए बनाना; (iii). ग्रामीण क्षेत्रों में लघु परियोजना एजेंसिया बनाना; (iv). शहरी क्षेत्रें में लघु परियोजनाएं बनाना; (v). एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए पूंजी व आवर्ती अनुदान; (vi). मंत्रालय द्वारा विकसित किए जाने वाले मापदंडों पर निष्पादन अनुदान।

3.27 जनजातीय कार्य मंत्रालय में सचिव जनजातीय कार्य की अध्यक्षता में 18.11.2014 को अन्तरिक्ष विभाग के प्रतिनिधियों के साथ अन्तरिक्ष तकनॉलोजी आधारित उपकरणों के प्रभावी उपयोग पर बैठक हुई।

3.28 विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह के विकास की स्कीम के तहत मध्यावधि पुनरीक्षा के रुप में परियोजना मूल्यांकन समिति की 2014 में राज्यों के साथ हुई बैठकों के दौरान संरक्षण और विकास योजनाओं की पुनरीक्षा की गई और उसके अन्तर्गत गतिविधियों को जब कभी आवश्यक हुआ पुनः तैयार किया गया ताकि उन्हें विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह और अधिक संगत बनाया जा सके।

3.29 12वीं योजना अवधि के दौरान ''विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह के विकास'' और ''अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए शैक्षिक संगठनों को सहायता अनुदान'' की स्कीमें संशोधान के अधीन हैं। ''न्यून साक्षरता जिलों में जनजातीय लड़कियों की शिक्षा का सुदृढ़ीकरण'', ''अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग'' तथा ''अनुसूचित जनजातियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण'' की विद्यमान स्कीमें अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की एकल खिड़की में शामिल कर दी गई हैं।

3.30 गैर सरकारी संगठन की स्कीमों के तहत ईवीयों को अनुदान जारी करने की प्रक्रिया सरलीकृत कर दी गई है। ईवीयों की पहचान अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के क्षेत्र में उनकी सिद्ध क्षमता, विश्वसनीयता और विगत निष्पादन के कारण हुई है और उन्हें राज्य सरकार से सिफारिशों के प्राप्ति में देरी के कारण निधि पोषण के लिए विलम्ब नहीं झेलना चाहिए। अतः यह निर्णय लिया गया कि ईवीयों को अनुदान जारी करने के लिए राज्य सरकार की सिफारिशें अपेक्षित नहीं होंगी।

3.31 जनजातीय भाषा साहित्य के प्रोत्साहन और अनुसंधान को सुदृढ़ करने के लिए उडिया विभाग, विश्व भारती, शांति निकेतन को मंत्रालय द्वारा उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना की गई है।

अध्याय 4

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

4.1 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान में दिए गए विभिन्न सुरक्षोपायों और विभिन्न अन्य सरक्षात्मक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1950 में स्थापित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय के अतिरिक्त, 1978 में एक बहुसदस्यीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1992 में ये दो संगठन सांविधिक बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए गए थे। तथापि, अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताएं और समस्याएं तथा उनके अपेक्षित समाधान, अनुसूचित जातियों की समस्याओं से कहीं अधिक भिन्न थे, अत: जनजातीय विकास के लिए एक विशेष दृष्टिकोण और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के सुरक्षोपायों के लिए विशेष स्वतंत्र मशीनरी का होना आवश्यक समझा गया। तद्नुसार, अनुच्छेद 338 का संशोधन करके तथा अनुच्छेद 338-क का अंतर्निवेश करके दिनांक 19 फरवरी, 2004 को एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी।

4.2 आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमश: केन्द्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है जबकि आयोग के सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य, कार्यालय में अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि तक उस कार्यालय में अपने पद पर बने रहते हैं।

4.3 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के डा. रामेश्वर ओरांव-अध्यक्ष हैं; श्री रवि ठाकुर उपाध्यक्ष हैं, वर्तमान में सदस्यों के तीन पद रिक्त हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य, कर्तव्य तथा शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (5), (8) तथा (9) में दिए गए हैं। एनसीएसटी (अन्य कार्यों का निर्धारण) नियमावली, 2005 के अनुसार आयोग को अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण, विकास तथा उन्नति के संबंध में कुछ अन्य कार्य भी निपटाने होंगे जो निम्नानुसार हैं:

(क) वन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को लघु वन उत्पाद के संबंध में स्वामित्व का अधिकार देने के लिए किए जाने वाले आवश्यक उपाय;

(ख) कानून के अनुसार, खनिज संसाधनों, जल संसाधनों आदि के संबंध में जनजातीय समुदायों को सुरक्षा अधिकार देने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ग) जनजातियों के विकास के लिए किए जाने वाले उपाय और अपेक्षाकृत अधिक व्यवहार्य आजीविका नीति के लिए किए जाने वाले उपाय,

(घ) विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की प्रभावोत्पादकता को सुधारने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ङ) जनजातीय लोगों का भूमि से अन्य अन्तरण रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय और उन लोगों का प्रभावी रूप से पुनर्वास करना जिनके मामले में पहले ही अन्तरण हो चुका है;

(च) वनों के संरक्षण और सामाजिक वनरोपण के लिए जनजातीय समुदायों को शामिल करने के लिए अधिकतम सहयोग प्राप्त करने हेतु किए जाने वाले उपाय;

(छ) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के उपबंधों के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपाय; अनुसूचित जनजातियों के लिए 18

राष्ट्रीय आयोग;

(ज) जनजातियों द्वारा की जाने वाली झूम खेती को धीरे-धीरे कम करना और अन्तत: समाप्त करना जिसके कारण उनकी अधिकारिता निरंतर कम होती है और भूमि तथा पर्यावरण का क्षय होता है, के लिए किए जाने वाले उपाय।

4.4 आयोग के मुख्य कर्त्तव्य-अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच-पड़ताल करना और उनकी निगरानी करना है तथा ऐसे सुरक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना है; तथा अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों से वंचित करने और सुरक्षोपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। आयोग के पास अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षोपायों के वंचन से संबंधित किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करते समय अथवा किसी मामले, विशेषकर निम्नलिखित मामलों के संबंध में, जांच-पड़ताल करते समय सिविल न्यायालय के वाद की जांच करने के सभी अधिकार निहित हैं, अर्थात्:

(क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन भेज कर उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा उसे शपथ दिलाकर उससे पूछताछ करना;

(ख) किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से किसी सरकारी रिकार्ड अथवा उसकी प्रति की मांग करना;

(ङ) गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए आदेश जारी करना;

(च) कोई अन्य मामला, जिसे राष्ट्रपति नियमानुसार निर्धारित करें।

4.5 338 (क) के खंड (9) में यह व्यवस्था है कि संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने से संबंधित सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेंगी।

4.6 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आयोग के छ: क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, रांची एवं शिलांग में स्थित हैं। इन कार्यालयों के पते और क्षेत्राधिकार नीचे तालिका में दिए गए हैं।

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालयों के पते	क्षेत्राधिकार
1.	कमरा नं.309, निर्माण सदन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011 (दूरभाष: 0755-2576530/फैक्स-0755-2578272)	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा तथा दादर और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र
2.	एन-1/297, आईआरसी ग्राम, भुवनेश्वर-751015 (दूरभाष: 0674-2551616/फैक्स-2551818)	आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र
3.	कमरा संख्या 101 तथा 102, पहला तल, ब्लॉक-ए, केन्द्रीय सदन, सेक्टर-10, विद्याधर नगर, जयपुर-302023 (दूरभाष: 0141-2236779/फैक्स-2235488	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और चंडीगढ़ एवं दमन और दीप संघ राज्य क्षेत्र
4.	आर-26, सैक्टर-2, अवंती विहार, पोस्ट ऑफिस रविग्राम, रायपुर-492006 (दूरभाष 0771-2443335)	छत्तीसगढ़
5.	14, न्यू ए.जी. को-ऑपरेटिव कॉलोनी, कदरू, रांची-834002 (दूरभाष: 0651-2341677/फैक्स-2340368)	बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश
6	रबेका विला, टेम्पल रोड, लोअर लचुमैरी, शिलांग-793001 (दूरभाष: 0364-2504202/फैक्स-2221362)	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा।

4.7 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपने गठन से लेकर वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के लिए अपनी पहली रिपोर्ट 8.8.2006 को; वर्ष 2006-07 के लिए दूसरी रिपोर्ट 3.9.2008 को; वर्ष 2007-08 के लिए तीसरी रिपोर्ट 29.3.2010 को; वर्ष 2008-09 के लिए चौथी रिपोर्ट 27.8.2010 को तथा वर्ष 2009-10 के लिए पांचवी रिर्पोट दिनांक 13.07.2011 को; वर्ष 2010-11 के लिए छठी रिपोर्ट, दिनांक 25-10-2013 को तथा जनजातीय विकास एवं प्रशासन संबंधी सुशासन पर विशेष रिपोर्ट 18.06.2012 को भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की है। संविधान के अनुच्छेद 338(क) के खंड (6) के अनुसार, इन रिपोर्टो को संसद के दोनों सदनों में रखना अपेक्षित है और इसके साथ संघ सरकार से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन भी प्रस्तुत करना होगा तथा ऐसी सिफारिशों को स्वीकार न करने के कारण, यदि कोई हों, भी बताने होंगे। तदनुसार की गई कार्रवाई के साथ वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 से संबंधित पहली रिपोर्ट है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रख दी गई है। वर्ष 2006-07 के लिए दूसरी रिपोर्ट लोक सभा पटल पर दिनांक 26 अप्रैल 2013 तथा राज्य सभा में 2मई, 2013 को सभा पटल पर रखी गई। वर्ष 2012 के लिए विशेष रिपोर्ट राज्य सभा के सदन पटल पर 12 दिसम्बर, 2013 तथा लोक सभा में 13 दिसम्बर, 2013 को सभा पटल पर रखी गई।

अध्याय 5

जनजातीय विकास के लिए कार्यनीति और कार्यक्रम

पृष्ठभूमि:

5.1 योजना प्रक्रिया के आरंभ से ही यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए हैं कि जनजातीय लोगों को विकास की प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जाए। तथापि विभिन्न विकासीय प्रयास से नई जानकारी के साथ प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के साथ रणनीति विकसित होती गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जनजातीय लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक स्पष्ट जनजातीय विकास कार्यनीति तैयार करने की बजाए सामुदायिक विकास दृष्टिकोण के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया। इन वर्षों में, केंद्र तथा राज्य सरकारों ने देश की जनजातीय जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न पहल कि हैं। इसमें 1974-75 से कार्यान्वित जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) रणनीति शामिल है। टीएसपी एक बहुआयामी रणनीति है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जलापूर्ति, आजीविका आदि शामिल है। अवसंरचनात्मक विकास के क्रियाकलापों का मुख्य भाग संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। जबकि, जनजातीय कार्य मंत्रालय महत्वपूर्ण अंतरों को भरने के माध्यम से इन पहलों को योगज प्रदान करता है। मोटे तौर पर, टीएसपी रणनीति के तहत जनजातीय विकास के लिए निधियां निम्नलिखित है:-

- राज्य योजना का टीएसपी घटक
- केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के क्षेत्रीय कार्यक्रमों के टीएसपी घटक
- जनजातीय उपयोजना (टीएसप) को विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) का विशेष क्षेत्र कार्यक्रम;
- संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान;
- संस्थागत वित्त तथा;
- निगमित संस्था का सीएसआर.

5.2 टीएसपी रणनीति के माध्यम से किये गये प्रयास से साक्षरता, स्वास्थ्य, आजीविका आदि से संबंधित विभिन्न सूचकांकों के मामले में जनजातियों के लिए कुछ सुधार हुआ है। तथापि, यहां अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य सामाजिक समूहों के बीच मानव विकास सूचकांकों में अब भी काफी अंतर है। 2011 जनगणना के अनुसार देश में जनजातीय जनसंख्या 104281034 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है। जनगणना 2011 में प्रतिबिंबित आंकड़ों पर सरसरी निगाह डालने पर निम्नलिखित ग्राफ में सभी सामाजिक समूहों की तुलना में देश में अनुसूचित जनजाति की स्थिति की उल्लेख तैयार करता है।

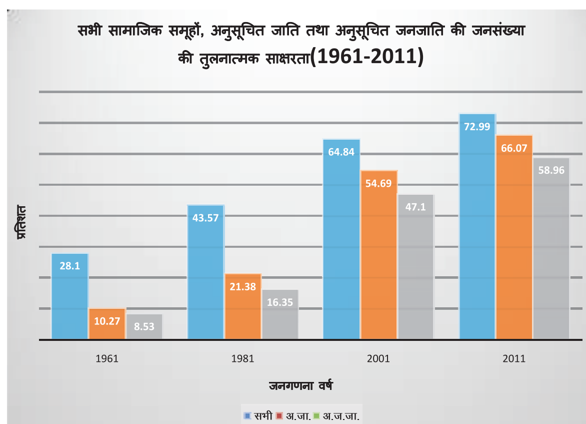

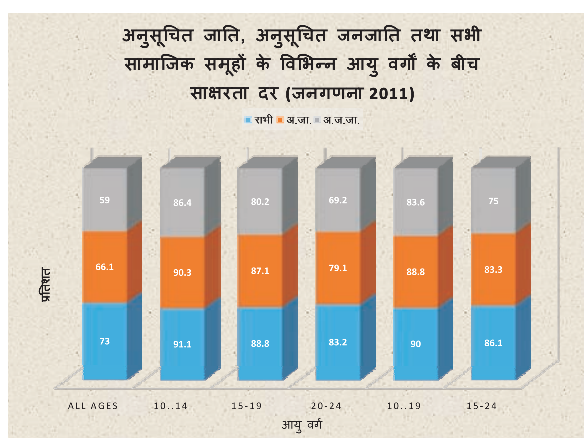

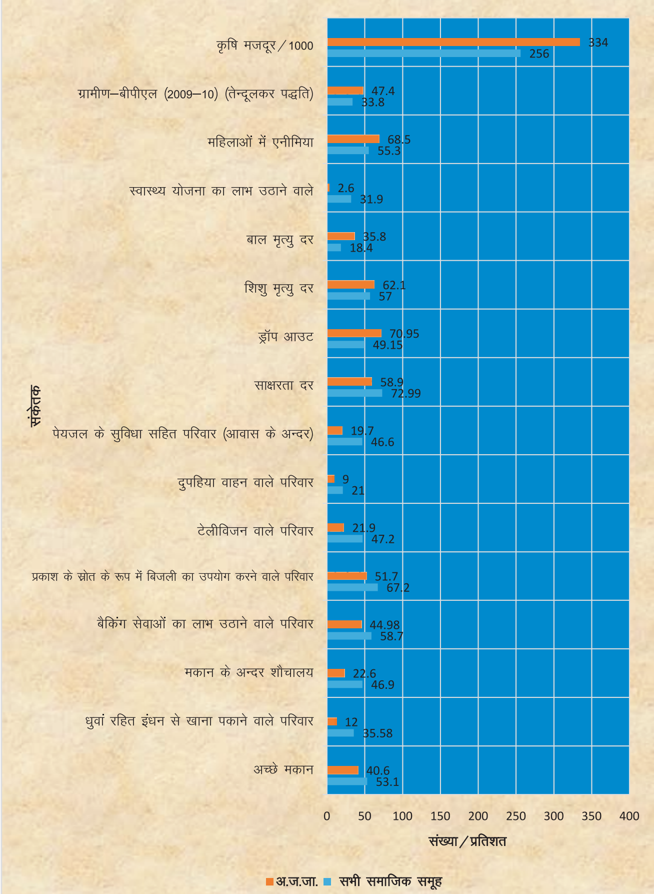

तुलनात्मक मानव विकांक-सभी सामाजिक समूह और अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)

जनजातीय विकास में चुनौतियां

5.3 जनजातियों तथा अन्य जनसंख्या के बीच मानव विकास सूचकांक में अंतर के कई कारण। उनमें से कुछ अच्छी तरह से समझे गए तथ कुछ को कम समझा गया है। औपनिवेशिक दिनों के दौरान, वनों के आरक्षण से बहुत से जनजातीय लोग व वन्य धन से वंचित हुए जिससे उनके पोषण पर भी प्रभाव पड़ा। वास्तविक अथवा मनगढ़ंत वन अपराधों के लिए अत्यधिक सजा उन्हें गहरे क्षेत्रों अथवा मोरिशस एवं असम के चाय बागानों में जाने वाले अनुबंधित मजदूरों के रुप में जाने के लिए बाध्य करती है। स्वतंत्रता के पश्चात, आश्रम विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना 1950 में आरंभ हुआ तथा आईटीडीए 1970 में आरंभ हुआ। इसी समय पर, 1951-1990 के दौरान, 85 लाख जनजातीय लोग बांधों, खदानों, उद्योगों, वन्य जीव अभ्यारणों आदि के कारण विस्थापित हुए जो 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी के विपरीत, 2.13 करोड़ लोगों के कुल विस्थापन का 40 प्रतिशत है। 85 लाख विस्थापितों में से, लगभग 21 लाख जनजातीय लोग पुनर्विस्थापित किए गए (योजना आयोग की दसवीं पंचवर्षीय योजना ''अनुसूचित जनजातियों का सुदृढ़ीकरण'' के लिए प्रचालन समिति की रिपोर्ट)। भौतिक सुदूरता इन लोगों को लोकवस्तु एवं सेवा प्रदान करने में कठिनाई उत्पन्न करती है। प्राय: ऐसे निष्पादन के प्रभारी लोक सेवक इन सुदूर क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं रहते हैं। वहां भाषाई बाधा भी थी। इसके अलावा, जनजातीय लोगों को वस्तु तथा सेवा प्रदान करने के लिए विशेष रुप से बनाई गई समर्पित संस्था जैसे एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी), एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए), जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) तथा अन्य सक्षम परियोजनाएं समय के साथ कमजोर हो गई। स्पष्ट रुप से, संस्थाओं के कमजोर होने के कारण से वित्तीय स्रोतों का निष्पादन कम रहा। सभी प्रतिकूलता के बावजूद, वहां विकास हुआ, जिसे पहचानने की आवश्यकता है।

5.4 एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्रों/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के टीएसपी घटकों के तहत उपलब्ध निधियों की एक बड़ी राशि जनाजतीय जनसंख्या के लाभ के लिए जिस तरीके से खर्च की जानी चाहिए, नहीं की गई है। जनजातीय लोगों के लाभ के लिए राज्य योजना के तहत टीएसपी निधियों के प्रचालन में आरंभ की खामियां भी जनजातियों के बीच अल्प मानव विकास सूचकांक के लिए समस्या रही है। पिछले तीन वर्षो के दौरान टीएसपी के तहत निधियों के उपलब्धता को देखते हुए, यह पता चला है कि, औसतन, देश की जनजातीय जनसंख्या के विकास के लिए प्रति वर्ष निधियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 8 हजार रुपये है।

टीएसपी निधियों की उपलब्धता

(रुपये करोड़ों में)

टीएसपी निधियों की उपलब्धता	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (BE)
सीएस/सीएसएस के तहत निधियां	17453.61	20184.10	22029.97	32386.84
राज्य योजना के अंतर्गत टीएसपी घटक	44772.42	55019.05	59937.64	69922.16
अनुच्छेद 275(1)	1015.01	852.54	1050.00	1317.00
टीएसपी के लिए एससीए	1111.28	820.00	1097.14	1200.00
कुल	**64352.32**	**76875.69**	**84114.75**	**104826.00**

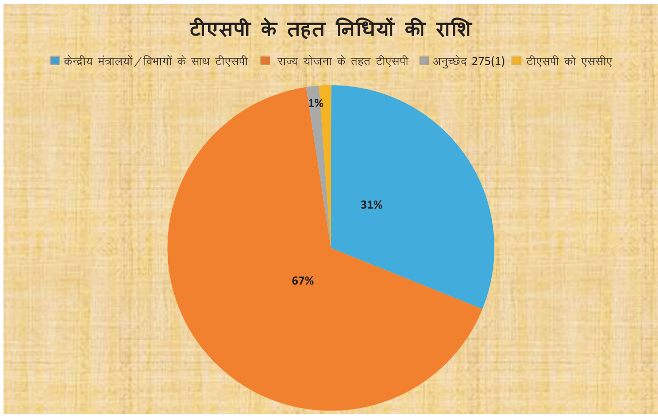

5.5 स्पष्टतया, निधियों की उपलब्धता निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में वास्तविक बाधा प्रतीत नहीं होती है। बल्कि, कहीं न कहीं, इसका उचित स्रोत जुटाना तथा प्रभावी प्रबंधन चुनौती रहा है। समस्या यह है कि निधियों का व्यय कैसे किया जाए। वृहद सिंचाई परियोजनाओं में, बांधों के निर्माण पर व्यय का प्रतिशत टीएसपी घटकों के विरुद्ध दर्शाया गया था जबकि नहरों का निर्माण बाकी के परियोजना व्यय के विरुद्ध दर्शाया गया था। बांधों के निर्माण ने वास्तव में जनजातीय लोगों को विस्थापित किया जो अन्य जगहों पर गए जहां भूमि कम उपजाऊ थी तथा जहां भूमि अधिकार नहीं दिए गए थे। विस्थापित जनजातीय लोगों को कमांड क्षेत्रों में भूमि नहीं मिली। अत:, परियोजना के टीएसपी घटक ने वास्तव में जनजातियों को गरीब बनाया है।

बैगा महिला उस खान जिसने उसके समुदाय को विस्थापित कर दिया है, में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करती हुई: वेदांता की बोडाई-डालडाली बॉक्साइट खान, छत्तीसगढ़

5.6 टीएसपी का प्रतिशत व्यय जनजातीय लोगों एवं जनजातीय क्षेत्रों में निवासरत लोगों के लिए निधियों के वास्तविक लक्ष्य के संबंध में अच्छी निगरानी तथा सुनियोजित उद्यम के बजाय केवल एक लेखा कार्य का चित्रण करता है। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के लिए निगरानी भारत सरकार के स्तर पर होनी है। सीएसएस निधियों, राज्य योजना टीएसपी घटकों के संबंध में राज्य स्तर पर निगरानी होनी है, तथा जिला स्तर पर जनजातीय लोगों तथा क्षेत्रों के लिए लोकवस्तु तथा सेवाओं का भौतिक वितरण के लिए होनी है। यहां जनजातीय लोगों से संबंधित व्यय की निगरानी में जनजातीय विकास विभाग के पास अधिक अधिकार की आवश्यकता होती है।

5.7 हाल ही में, योजना आयोग ने जनजातीय लोगों को वस्तु एवं सेवाएं प्रदान करने के संबंध में टीएसपी रणनीति के प्रभाव पर एक तृतीय पक्ष एजेंसी के माध्यम से आयोजित एक समग्र मूल्यांकन अध्यन प्राप्त किया। अध्ययन की रिपोर्ट मई, 2013 के दौरान सार्वजनिक की गई। अध्ययन ने, अन्य बातों के साथ साथ, वास्तविक परिणाम प्राप्त करने में टीएसपी निधियों का उम्मीद से कम निष्पादन तथा इसके लिए जनजातियों के विकास से संबंधित बातों के बारे में बताया।

5.8 मूल रुप में, अन्य बातों के अलावा, टीएसपी निधियों के आशा से कम निस्पादन के मुख्य कारण हैं, (i) एकीकृत आयोजना, कार्यान्वयन तथा निगरानी तंत्र की कमी (ii) केन्द्रीय योजना टीएसपी निधियों तथा राज्य योजना टीएसपी निधियों को मिलाने के लिए प्रभावी तंत्र की कमी (iii) बिखरे हुए वित्तीय स्रोतों का अव्यवस्थित उपयोग (iv) स्थान विशेष संबंधी योजना की कमी (v) अंतर विश्लेषण की कमी (vi) जनजातीय लोगों को वस्तु एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाई गई विशेष संस्थाओं जैसे एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए)/एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना/जनजातीय अनुसंधान संस्थान(टीआरआई) तथा अन्य लघु परियोजनाओं का कमजोर होना (vii) टीएसपी निधियों की उपयोगिता एचडीआई में अंतर विश्लेषण पर आधारित परीणामोन्मुखी पहल से अधिक (viii) राज्यों में जनजातीय कल्याण विभागों तथा केंद्र में जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास अपर्याप्त प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों ।

जनजातियों के प्रभावी विकास के लिए सरकार की पहलें

5.9 जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं पूर्व के योजना आयोग ने सहमत उद्देश्यों के अनुरुप जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) की निधियों के उपयोग के लिए राज्य सरकारों के साथ निरंतर

संपर्क में हैं। योजना आयोग ने केंद्र सरकार मंत्रालयों/विभागों के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा टीएसपी के तहत निधियों की उपयोगिता के लिए निर्देश जारी किए हैं। समय समय पर जारी दिशा निर्देशों ने राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में राज्य योजना में से टीएसपी के लिए परिव्यय चिन्हित करने के लिए राज्य सरकार पर जोर डाला है। योजना आयोग ने जनजातीय लोगों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए 18 जून, 2014 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा टीएसपी के कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं।

5.10 दिनांक 18 जून 2014 के योजना आयोग के दिशा निर्देश, अन्य बातों के साथ साथ, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अनुपात से अधिक कुल योजना परिव्यय में से टीएसपी के तहत निधियों के आवंटन के लिए सरकार के संकल्प को दोहराते हैं। दिशा निर्देश में इसके आगे सुपरिभाषित सूचकांकों, इसमें आने वाले प्रावधानों, सेवा प्रदाता मानकों तथा परिणामों के साथ जनजातीय क्षेत्रों एवं समग्र निगरानी तंत्र के लिए दी गई निधियों के अविपथन के बारे में बताते हैं। दिशा निर्देश टीएसपी विकास की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए अधिकृत नोडल विभाग के रुप में राज्यों में संबंधित जनजातीय कल्याण विभाग की पहचान करते हैं।

टीएसपी रणनीति के तहत आने वाले राज्य

क्र. सं.	राज्य का नाम
1	आंध्रप्रदेश
2	असम
3	बिहार
4	छत्तीसगढ़
5	गोवा
6	गुजरात
7	हिमाचल प्रदेश
8	जम्मू और कश्मीर
9	झारखंड
10	कर्नाटक
11	केरल
12	मध्य प्रदेश
13	महाराष्ट्र
14	मणिपुर
15	ओडिशा
16	राजस्थान
17	सिक्किम
18	तमिलनाडु
19	तेलंगाना
20	त्रिपुरा
21	उत्तराखंड
22	उत्तर प्रदेश
23	पश्चिम बंगाल

5.11 दिनांक 18.06.2014 के योजना आयोग के दिशा निर्देशों में दिए गए नियमानुसार, राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि टीएसपी निधियां नोडल विभाग के नियंत्रण में जाएं तथा निधियां निम्नलिखित शर्तों टीएसपी को चिन्हित/आवंटित की जाएंगी:-

i. टीएसपी के तहत व्यय सामान्य प्रावधानों के ऊपर, अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रुप में केवल विकास में कमी को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, जो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों सहित, विभिन्न योजनाओं में अन्य लोगों की तरह, अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध होना चाहिए।

ii. टीएसपी के तहत निधियां, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों के जनसंख्या अनुपात से अधिक तथा अनुसूचित जनजाति की आबादी की समस्याओं के अनुसार कुल योजना परिव्यय से चिन्हित की गई हैं (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना-ईएपी तथा कोई अन्य योजना के तहत निवेश को बिना छोड़े)।

iii. निधियां वित्तीय वर्ष की शुरुआत के पहले, कम से कम छः माह पूर्व चिन्हित की जानी चाहिए। अतः टीएसपी निधियों के आकार की सूचना प्रत्येक विभाग के लिए टीएसपी तैयार करने की प्रक्रिया शुरु करने के लिए सभी विभागों को दी जाएगी।

iv. जिनके पास सीधे अनुसूचित जनजातियों को लाभ देने के लिए योजनाएं नहीं हैं, उन्हें कोई भी सांकेतिक आवंटन नहीं होगा।

v अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजातियों को अधिक आवंटन का भुगतान करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा।

vi. भौतिक सुदूरता तथा दुर्गम घाटियों में जनजातीय अधिवासों के कारण, सामान्य क्षेत्रों की तुलना में जनजातीय क्षेत्रों में वित्तीय मानक बढ़ाने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में सेवा मानकों से कोई समझोता न हो।

vii. प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कौशल मूल्यांकन करेंगे तथा जनजातीय युवाओं के कौशल विकास के लिए टीएसपी के तहत निधियां आवंटित करेंगे एवं बारहवीं पंच वर्षीय योजना में गरीबी एवं रोजगार के तहत निगरानी योग्य लक्ष्यों के प्रकाश में लक्ष्य निर्धारित करेंगे।

viii. अंतर क्षेत्रीय कार्यक्रम में तथा अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ एकीकृत तरीके से तालमेल स्रोतों के प्रभावी उपयोग के लिए सुनिश्चित हैं।

ix. नोडल विभाग के परामर्श से, सभी विभाग अनुसूचित जनजातियों में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच विकास में समानता प्रोत्साहित करने के लिए टीएसपी तैयार करेंगे।

x. अन्यत्र उपयोग की रोक सुनिश्चित करने के लिए, टीएसपी के तहत निधियां क्रियाशील मुख्य मद/उप मुख्य मद के नीचे एक पृथक उप मद के अंतर्गत चिन्हित की जाएंगी।

xi. लघु मद के अंतर्गत टीएसपी निधियां क्षेत्रवार तथा योजनावार आतंटन एवं वास्तविक लागत व्यय के साथ होंगे।

xii स्रोतों का प्रभावी तथा अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, टीएसपी निधियों का पुर्न विनियोग।

5.12 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने मंत्रालय द्वारा प्रशासित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मार्च, 2014 के महीने में ''जनजातीय उपयोजना तथा अनुच्छेद 275(1) अनुदानों के निर्माण, कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए कार्यात्मक दिशानिर्देश'' भी जारी किए है जिसमें निधियों के आवंटन, प्राथमिक क्षेत्रों, राज्यों में नोडल विभागों की आवश्यकता, टीएसपी निधियों का उचित उपयोग, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यंत्रों को संस्थागत करना, उत्तरदायित्व तथा सामाजिक लेखा परीक्षण के बारे में बताया गया है। कार्यात्मक दिशानिर्देशों में संस्थाओं जैसे एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए)/एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी), जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) के सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर दिया गया है जिसके माध्यम से राज्यों में कल्याणकारी कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं। योजना आयोग के प्रतिनिधियों, वित्तीय सलाहकार तथा सदस्यों/आगंतुकों के रुप में राज्य के प्रतिनिधियों के साथ सचिव (जनजातीय कार्य) की अध्यक्षता में परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन तथा अनुमोदन के लिए अन्य प्रावधान बनाए गए हैं।

5.13 इसके अनुसार, राज्य सरकारों के प्रस्तावों के मूल्यांकन तथा अनुमोदन के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न तिथियों पर 17 पीएसी बैठकें आयोजित की गई।

पीएसी बैठकों का मुख्य उद्देश्य परिणामों को अनुकूल बनाने के लिए मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत स्रोतों के साथ तालमेल सुनिश्चित करना था, साथ ही मंत्रालय द्वारा बनाई गई प्राथमिकताओं तथा जनजातीय लोगों की वास्तविक आवश्यकता की बीच उचित तालमेल बनाना भी था।

12 अगस्त, 2014 को नई दिल्ली में परियोजना आकलन समिति की बैठक में प्रस्तुतिकरण

5.14 टीएसपी को एससीए तथा अनुच्छेद 275(1) के संबंध में परियोजना मूल्यांकन समिति की बैठकों के दौरान चिन्हित मुद्दे तथा लिए गए निर्णय

कृषि
• पारंपरिक फसल जैसे ज्वार बाजरे का उत्पादन।
• मृदा परीक्षण, उर्वरा शक्ति जांच तथा उर्वरक की आवश्यकता के आंकलन का प्रावधान।
• जनजातीय लोगों में घर के पीछे किचन गार्डन बनाने को प्रोत्साहन।
• बेमौसमी सब्जियां उगाना।

बागवानी
• निरंतर आय अर्जन के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु बाजार संयोजन के साथ जनजातीय लाभार्थियों के माध्यम से फल, फूल, सब्जियां तथा रेशम कीट पालन की नर्सरी स्थापित करना।
• आवासीय विद्यालयों में किचन गार्डन बनाना तथा इसका प्रोत्साहन।
• जनजातीय लोगों के बीच पोषण को बढ़ावा देने के लिए सहजन की फली का उत्पादन तथा प्रोत्साहन।

दुग्ध उत्पादन
• उचित मूल्य पर दूध बेचने के लिए उचित सुविधाओं के साथ सहकारिता आधारित दुग्ध उत्पादन, प्रसंस्करण।
• राज्य सहकारी संस्थाओं द्वारा स्थानीय मवेशियों की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा उन्नत करने के लिए कीटनाशन की मुहिम तथा अन्य पशु चिकित्सा सेवा आरंभ करना।
• एआई के माध्यम से स्थानीय नस्ल को उन्नत नस्ल में बदलना।
• स्वरोजगार के लिए अग्र एवं पश्च गामी संयोजन के साथ प्रशिक्षण तथा सहायता प्रदान करना।

मुर्गी पालन तथा मछली पालन
• बाजार मूल्य श्रृंखला के उचित संयोजन के साथ फ्राइस और फिंगरलिंग के उत्पादन सहित जनजातीय लाभार्थियों के माध्यम से व्यावसायिक मत्स्य पालन।
• घर में मछली पालन को प्रोत्साहन।
• मछली बीज/फिंगरलिंग बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान।
• अग्रगामी तथा पश्चगामी संयोजन के साथ सामुदायिक क्रियाकलापों के रुप में घर पर मुर्गी पालन को प्रोत्साहन।
• राज्य द्वारा प्रचालित हेचरी की स्थापना।

कौशल विकास

- उचित रोजगार के संयोजन के साथ सम्मानजनक रोजगार सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय लोगों को प्रशिक्षण।
- आधुनिक विधाओं के साथ-साथ पारंपरिक आर्थिक क्रियाकलापों को शामिल करना।
- मछली के बीज/फिंगरलिंग उत्पादन का प्रशिक्षण।
- रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन का प्रशिक्षण।
- महिला लाभार्थियों के लिए स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत बढ़ान के प्रावधान के साथ महिला केंद्रित विधाओं पर ध्यान देना।

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता

- स्वास्थ्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण
- गर्भवती माताओं और विद्यार्थियों के लिए टीकाकरण अभियान
- जनजातीय विद्यार्थियों मे सिकल सेल एनीमिया के लिए टेस्ट करना तथा स्वास्थ्य कार्डो का प्रावधान
- मलेरिया एवं कोढ़ आदि के उन्मूलन पर ध्यान देना

- विद्यार्थियों के लिए आयरन की गोलियां देने की प्रक्रिया
- आवासीय विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण
- स्वच्छ पेयजल का प्रावधन
- गर्म पानी के सौर ऊर्जा स्रोत का प्रावधान

कला संस्कृति तथा खेलों का संरक्षण

- जनजातीय विद्यालयों में खेल सुविधाओं का प्रावधान
- खेल परिसर, मिनी स्टेडियम आदि का निर्माण
- जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का सुदृढ़ीकरण
- सामुदायिक केंद्रों का निर्माण
- लघु वन उत्पाद के लिए बाजार विकास
- वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन
- संग्रहालय का निर्माण

शिक्षा
• ईएमआरएस का निर्माण
• सह शिक्षा व आश्रम विद्यालयों का निर्माण
• लड़कियों तथा लड़कों के छात्रवासों का निर्माण
• शर्त प्रतिशत नामांकन के लिए साक्षरता अभियान का प्रावधान
• विद्यमान विद्यालयों का नवीकरण तथा अवसंरचनात्मक विकास
• ड्रॉप आउट की रोकथाम हेतु उपाय

वर्ष 2014-15 के दौरान टीएसपी को एससीए तथा अनुच्छेद 275(1) के तहत स्वीकृत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) तथा सह-शिक्षा/आश्रम विद्यालयों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य	ईएम आरएस	सह-शिक्षा/आश्रम विद्यालय	स्वीकृत निधियां (करोड रू. में)
1.	आंध्रप्रदेश	10	-	120.00
2.	असम	1	-	16.00
3.	बिहार	2	5	15.00
4.	झारखंड	6	5	46.00
5.	कर्नाटक	7	-	10.00
6.	मध्यप्रदेश	3	-	36.00
7.	महाराष्ट्र	3	-	20.00
8.	तेलंगाना	1	-	12.00
9.	तमिलनाडु	1	1	2.00
	कुल	**33**	**11**	**277.00**

वर्ष 2014-15 के दौरान टीएसपी को एससीए तथा अनुच्छेद 275 (1) की मुख्य पहलों के लिए परियोजना आकलन समिति द्वारा अनुमोदित निधियों का विवरण(लाख रू. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	आईटीडीपी/आईटीडीए/टीआरआई के लिए निर्मुक्त राशि	स्वास्थ्य योजना/स्वच्छता के लिए निर्मुक्त राशि	कौशल विकास/व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा आय सृजन कार्यकमों के लिए निर्मुक्त राशि
1	असम	147.60	56.00	118.25
2	अरूणाचल प्रदेश	0.00	210.00	100.00
3	आंध्रप्रदेश	100.00	0.00	487.82
4	बिहार	0.00	0.00	250.00
5	छत्तीसगढ़	1259.24	699.10	4125.30
6	गुजरात	773.97	720.00	8237.50
7	हिमाचल प्रदेश	0.00	46.00	0.00
8	झारखंड	2200.00	900.00	3492.00
9	कर्नाटक	1600.00	210.00	900.00
10	केरल	2500.00	0.00	530.00
11	मेघालय	0.00	1050.00	500.00
12	मिजोरम	0.00	0.00	160.08
13	महाराष्ट्र	2798.11	100.00	1200.00
14	मध्य प्रदेश	3000.00	3500.00	8057.00
15	मणिपुर	900.00	300.00	150.00
16	नागालैंड	0.00	0.00	0.00
17	ओडिशा	3000.00	90.00	4584.47
18	राजस्थान	1226.34	410.62	5753.53
19	सिक्किम	0.00	0.00	60.00
20	त्रिपुरा	0.00	0.00	1038.50
21	तेलंगाना	500.00	100.00	1750.00
22	तमिलनाडु	0.00	300.00	144.31
23	उत्तर प्रदेश	300.00	35.93	536.92
24	पश्चिम बंगाल	45.00	100.00	3110.00
	कुल	**20350.26**	**8827.65**	**45285.68**

5.15 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

- दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय (आरपीवीवी), जवाहर नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा केंद्रीय विद्यालयों की पद्धति पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) प्रत्येक विद्यालय 480 विद्यार्थियों की क्षमता के साथ स्थापित किया गया है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का उद्देश्य सुदूर क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणात्मक मिडिल एवं उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराना है, उनको न केवल उच्च एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में आरक्षण उपलब्ध कराने और सार्वजनिक और निजी व सरकारी क्षेत्रों में नौकरी दिलाने में समर्थ बनाना है बल्कि गैर अनुसूचित जनजाति के बराबर शिक्षा में उत्तम अवसर उपलब्ध कराना भी है।

- ईएमआरएस की स्थापना के लिए कम से कम 15 एकड़ भूमि अपेक्षित है और अकादमिक शिक्षा और पाठ्यतर गतिविधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बेहतर ढांचागत सुविधाएं देना भी आश्यक है। स्कूल भवन के अतिरिक्त खेल कूद के लिए जगह, विद्यार्थी कम्प्यूटर

लैब, अध्यापक संसाधन कक्ष इत्यादि की व्यवस्था भी ईएमआरएस में इस दृष्टि से की गई हैं कि विद्यार्थियों के लिए एक समर्थकारी वातावरण बनाया जा सके ताकि वे अपनी रुचि के क्षेत्रों में उभरने के लिए अवसरों का उपयोग करें। स्थापित मानदण्डों के अनुसार केवल 60 विद्यार्थी प्रति कक्षा को दो भागों में विभाजित किया जाएगा जिसमें 30 विद्यार्थी प्रति कक्षा छठी से दसवीं कक्षा तक होंगे और प्रति कक्षा 90 विद्यार्थी 3 भागों में होंगे विज्ञान वाणिज्य और मानविकी विषयों में कक्षा 11 और 12 में 30 विद्यार्थी एक कक्षा में अनुमत्य हैं। यह भी अपेक्षित है कि राज्य सरकारें अध्यापकों और अकादमिक तथा पाठ्यतर गतिविधियों के लिए स्टाफ के चयन में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें और बनाए रखें।

- ईएमआरएस दिशानिर्देश 2010 के अनुसार कम से कम एक ईएमआरएस प्रत्येक एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी/एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना में स्थापित किया जाना है। छात्रावास और स्टाफ मकानों सहित विद्यालय परिसर स्थापित करने के लिए पूंजीगत लागत 12.00 करोड़ रुपये के रुप में रखी गई है जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों, रेगिस्तानों व द्वीप समूहों में यह प्रावधान 16.00 करोड़ रुपये तक जा सकते हैं। विद्यालय के लिए पहले वर्ष के दौरान आवर्ती लागत 42 हजार रुपये प्रति बच्चे की दर पर होगी जिसमें महंगाई आदि की क्षतिपूर्ति के लिए प्रति दूसरे वर्ष 10 प्रतिशत तक प्रावधान बढ़ाए जा सकते हैं।
- आज की तारीख में देश के विभिन्न भागों में मंत्रालय द्वारा 197 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए हैं। इनमें से 129 ईएमआरएस पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं और शेष 68 निर्माणाधीन हैं।
- अब तक मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किए गए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की राज्यवार सूची और आज की तारीख में जो कार्यरत हैं उनकी स्थिति सारणी 5(1) में दी गई है। 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार के लिए आवर्ती निधियों के जारी करने का विवरण सारणी 5(2) में है।

तालिका 5(1)

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अब तक संस्वीकृत व कार्यरत ईएमआरस की संख्या

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृक ईएमआरस की संख्या	कार्यरत ईएमआरस की संख्या
1.	आंध्रप्रदेश	14	04
2.	अरूणाचल प्रदेश	02	01
3.	असम	02	–
4.	बिहार	02	–
5.	छत्तीसगढ़	16	11
6.	गुजरात	22	22
7.	हिमाचल प्रदेश	01	01
8.	जम्मू और कश्मीर	02	–
9.	झारखंड	15	04
10.	कर्नाटक	18	04
11.	केरल	02	02
12.	मध्य प्रदेश	23	20
13.	महाराष्ट्र	11	08
14.	मणिपुर	03	02
15.	मिजोरम	02	01
16.	नागालैंड	03	03
17.	ओडिशा	16	13
18.	राजस्थान	17	09
19.	सिक्किम	02	02
20.	तमिलनाडु	02	02
21.	तेलंगाना	07	06
22.	त्रिपुरा	04	04
23.	उत्तर प्रदेश	03	02
24.	उत्तराखंड	01	01
25.	पश्चिम बंगाल	07	07
	कुल	**197**	**129**

तालिका 5(2)

वर्ष 2014-14 (31.12.2014 तक) के दौरान ईएमआर के लिए निधियों की राज्यवार निर्मुक्ति दर्शाने वाला विवरण

(लाख रू. में)

क्र.सं.	राज्य	2014-15		
		आवर्ती	गैरआवर्ती	ईएमआरएस के लिए जारी कुल निधियां
1	2	3	4	5
1	आंध्रप्रदेश	0.00	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	50.40	20.00	70.40
3	असम	0.00	0.00	0.00
4	बिहार	0.00	500.00	500.00
5	छत्तीसगढ़	4126.24	0.00	4126.24
6	गोवा	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	2503.62	440.00	2943.62
8	हिमाचल प्रदेश	71.25	0.00	71.25
9	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00
10	झारखंड	504.00	3600.00	4104.00
11	कर्नाटक	0.00	2527.80	2527.80
12	केरल	291.37	0.00	291.37
13	मध्य प्रदेश	3290.80	2120.00	5410.80
14	महाराष्ट्र	876.96	3240.00	4116.96
15	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
16	मेघालय	0.00	0.00	0.00
17	मिजोरम	0.00	12.00	12.00
18	नागा भूमि	92.00	0.00	92.00
19	ओडिशा	2683.29	0.00	2683.29
20	राजस्थान	1381.80	70.00	1451.80
21	सिक्किम	320.30	0.00	320.30
22	तमिलनाडु	264.00	0.00	264.00
23	तेलंगाना	2520.00	500.00	3020.00
24	त्रिपुरा	491.40	0.00	491.40
25	उत्तर प्रदेश	146.58	313.48	460.06
26	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00
27	पश्चिम बंगाल	786.87	0.00	786.87
कुल		**20400.88**	**13718.28**	**34119.16**

5.16 वन बंधु कल्याण योजना

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में वन बंधु कल्याण योजना नाम की स्कीम की घोषणा की। परिणामस्वरुप यह स्कीम जनजातीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक योजना में योजना आयोग द्वारा 2014-15 के लिए 100.00 करोड़ रुपये के प्रारंभिक आवंटन के साथ केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के रुप में शामिल की गई। योजना के मूल्यांकन एवं अनुमोदन की औपचारिकताओं के बाद स्कीम 28.10.2014 को कार्यान्वयन के लिए औपचारिक रुप से शुरु की गई।

वन बंधु कल्याण योजना एक रणनीतिक प्रक्रिया है। इसका लक्ष्य जनजातीय लोगों के परिणामोन्मुखी संपूर्ण विकास और आवश्यकता आधार के लिए समर्थकारी वातावरण बनाना है। यह प्रक्रिया केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के तहत वस्तुओं और सेवाओं के सभी लक्षित लाभों को सुनिश्चित करने और समुचित संस्थागत तंत्र के माध्यम से संसाधनों के तालमेल द्वारा वास्तव में लक्षित समूह तक पहुंचने को प्रकल्पित करती है।

क्षेत्र

देश भर में जनजातीय जनसंख्या के साथ सभी क्षेत्र और सभी लोग इसमें शामिल हैं।

उद्देश्य

- जनजातीय क्षेत्रों में जीवन की गुणता में सुधार
- शिक्षा की गुणता में सुधार
- जनजातीय परिवारों के लिए गुणात्मक और निरंतर रोजगार
- गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए अवसंरचनात्मक अंतरों को कम करना
- जनजातीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण

क्रियाकलाप

(i) आजीविक।

(ii) शिक्षा।

(iii) जनजातीय क्षेत्रों का आर्थिक विकास।

(iv) स्वास्थ्य।

(v) आवास।

(vi) सुरक्षित पेयजल।

(vii) सिंचाई सुविधाएं।

(viii) दूरभाष संबंधी सम्पर्क सहित जोड़।

(ix) सभी के लिए बिजली।

(x) शहरी विकास।

(xi) जनजातीय क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा।

(xii) जनजातीय सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन व संरक्षण।

(xiii) सतत विकास के लिए कड़ा संस्थागत तंत्र।

रणनीतियां:

(i) समुचित प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय शक्तियों सहित वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए बने हुए संस्थानों को सुदृढ़ करना जैसे जनजातीय कल्याण विभाग नोडल विभाग के रुप में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना और जहां ये नहीं हैं वहां नए बनाना।

(ii) विभिन्न घटको के अंतर्गत बिखरे हुए संसाधनों और की जा रही गतिविधियों का तालमेल।

(iii) पंचायती राज संस्थान जैसे ग्राम सभा इत्यादि को जोड़ते हुए आधार रेखा मूल्यांकन के बाद परिणामोन्मुखी एवं निगरानी योग्य लक्ष्यों के साथ परिप्रेक्ष्य की तैयारी।

(iv) लैंगिक प्रतिक्रिया।

(v) जहां कहीं आवश्यक हो वहां गुजरात राज्य में गुजरात प्रचालन की विकास सहायक एजेंसी जैसे विशेष प्रयोजन वाहक।

(vi) यह सुनिश्चित करने के लिए कि केंद्रीय प्रायोजित योजना और राज्य योजना के जनजातीय उपयोजना घटक वास्तव में जनजातीय लोगों और जनजातीय लोगों की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए वास्तव में खर्च किए जाएं।

(vii) केन्द्रीय सरकार स्तर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ परियोजना कार्यान्वयन प्रकोष्ठ।

(viii) लोक निजी भागीदारिता के साथ आईटीडीए/आईटीडीपी के माध्यम से प्राथमिक रुप से हस्तक्षेपों का कार्यान्वय जहां कहीं आवश्यक हो और संभव हो।

(ix) परिणामों की निगरानी के लिए व्यावसायिक एजेंसियों अकादमिक संस्थानों अनुसंधान संगठनों जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की सेवाएं।

(x) पूर्वोत्तर राज्यों में जहां पंचायत नहीं है वहां ग्राम/शहर के स्तर पर बिकेंद्रित प्रशासन के संस्थानों को सृजित किया जाना।

कार्य योजना

क्षेत्र विशेष के मुद्दों एवं प्राथमिकताओं के साथ ये राज्य और जनजातीय विशिष्ट हैं।

परिणाम

ये सामाजिक आर्थिक संकेतकों के आधार पर राज्य विशिष्ट हस्तक्षेप व व्यापक उद्देश्यों के साथ सुसंगत होंगे। उदाहरण के लिए उच्च साक्षरता वाले राज्य गुणात्मक शिक्षा और उच्च शिक्षा से प्रारंभ करेगा और वह जो न्यून साक्षरता वाले हैं वे 100 प्रतिशत साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई

1. वांछितों के लिए जनजातीय उपयोजना संसाधनों के तालमेल पर राज्य और केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभाग के साथ परामर्श के कुछ दोर चले हैं।
2. राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उससे आगे की योजना तैयार करने के लिए विशेषज्ञों, संस्थानों, सेवानिवृत्त और सेवारत सिविल अधिकारियों के साथ 13 दिसंबर, 2014 को एक राष्ट्रीय स्तरीय चिंतन सत्र हुआ।.
3. जनजातीय विकास के लिए वीकेवाई दृष्टिकोण के अनुरुप मंत्रालय की सभी स्कीमों को लाया गया।
4. परियोजना मूल्यांकन समिति सचिव जनजातीय कार्य की अध्यक्षता में राज्यों, मंत्रालय के आंतरिक वित्त प्रभाग के प्रतिनिधियों और अन्यों के साथ टीएसपी कार्यक्रमों के उचित संयोजन के साथ राज्यों की परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए गठित की गई।
5. परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए जनजातीय वार साक्षरता एवं अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों का प्रयोग किया गया।
6. आईटीडीए/आईटीडीपी, लघु परियोजनाओं और जनजातीय अनुसंधान संस्थान जैसे संस्थानों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया।
7. अन्य चीजों के बीच टीआरआई को स्वतंत्र निगरानी का कार्य भी सौंपा गया।

वर्ष 2014-15 के दौरान वीकेवाई का कार्यान्वयन

चालू वर्ष के दौरान वीकेवाई को पांचवीं अनुसूची वाले राज्यों में प्रत्येक ब्लाक में कार्यान्वित किया जा रहा है। अंतर कम करने के लिए प्रत्येक ब्लाक के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि दी रखी गई है। पायलेट परियोजना के लिए ब्लाकों का चयन न्यून साक्षरता के आधार किया गया है। ऐसे ब्लाकों के नाम इस प्रकार है-

क्र. स.	राज्य	ब्लाक का नाम	जिला
01	आंध्र प्रदेश	जी मदुगुला	विशाखापत्तनम
02.	छत्तीसगढ़	कोंडागांव	कोंडागांव
03.	गुजरात	छोटा उदयपुर	*छोटा उदयपुर*
04.	हिमाचल प्रदेश	चंबा	चंबा
05.	झारखंड	ललितपारा	पाकुर
06.	मध्य प्रदेश	पटी	बड़वानी
07.	महाराष्ट्र	अक्रनी	नंदुरबार
08.	ओडिशा	बंधुगावं	कोरापुट
09.	राजस्थान	कोटरा	उदयपुर
10.	तेलंगाना	चन्दम पेट	नलगोंडा

31.12.2014 की स्थिति के अनुसार 100 करोड़ रुपये के बजट प्रावधानों में से उपर्युक्त उल्लिखित प्रत्येक राज्य को 7.5 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है जिसमें वीकेवाई के अंतर्गत कार्यान्वयन के कार्यक्रम के लिए 75 करोड़ रुपये की कुल राशि है।

दिनांक 28.10.2014 को माननीय जनजातीय कार्य मंत्री तथा माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री द्वारा वन बंधु कल्याण योजना (वीकेवाई) का शुभारंभ

5.17 निधियों के आवंटन/निर्मुक्त के संबंध में विवरण तथा ग्राफिक प्रस्तुतिकरण

तालिका-5क	• केंद्र सरकार के केंद्रीय क्षेत्र/केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं तहत टीएसपी घटक का आवंटन
तालिका- 5ख	• राज्य योजना के टीएसपी घटक के तहत निधियों का राज्यवार आवंटन
तालिका-5ग	• अनुच्छेद 275(1) के तहत निधियों का आवंटन तथा निर्मुक्ति
तालिका-5घ	• टीएसपी को एससीए के तहत निधियों का आवंटन तथा निर्मुक्ति
चित्र -5क	• वर्ष 2002-03 से अनुच्छेद 275(1) के तहत निधियों की निर्मुक्ति का ग्राफिक प्रस्तुतिकरण
चित्र - 5ख	• अनुच्छेद 275(1) के तहत पंचवर्षीय योजना के दौरान निधियों का आवंटन तथा निर्मुक्ति
चित्र - 5ग	• वर्ष 2002-03 से टीएसपी को एससीए के तहत निधियों की निर्मुक्ति का ग्राफिक प्रस्तुतिकरण
चित्र - 5घ	• टीएसपी को एससीए के तहत पंचवर्षीय योजना के दौरान निधियों की निर्मुक्ति का ग्राफिक प्रस्तुतिकरण

तालिका 5(ए)

क्र. स.	मंत्रालय/विभाग	टीएसपी आवंटन (2013-14)	टीएसपी आवंटन (2014-15)
	कृषि मंत्रालय		
1	*कृषि और सहकारिता विभाग*	932.50	953.52
2	*कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग*	123.00	133.80
3	*कोयला मंत्रालय*	31.60	37.15
	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
4	*दूरसंचार विभाग*	14.50	17.50
5	*सूचना प्रौद्योगिकी विभाग*	201.00	256.00
	उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		
6	*खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग*	6.28	4.13
7	*संस्कृति मंत्रालय*	28.70	36.70
8.	*पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय*	1526.00	1526.00
8	*पर्यावरण और वन मंत्रालय*	16.00	16.00
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
9	*स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग*	2391.53	2512.89
10	*आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग (आयुष)*	21.38	21.38
11	*एड्स नियंत्रण विभाग*	146.37	0.00
12	*आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय*	35.04	144.00
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय		

क्र. स.	मंत्रालय/विभाग		टीएसपी आवंटन (2013-14)	टीएसपी आवंटन (2014-15)
13	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग		5313.52	5663.80
14	उच्चतर शिक्षा विभाग		1219.59	1267.62
15	श्रम और रोजगार मंत्रालय		206.95	200.57
16	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		244.21	273.00
17	खान मंत्रालय		9.72	21.47
18	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		800.00	400.00
19	पंचायती राज मंत्रालय		37.55	1203.00
	ग्रामीण विकास मंत्रालय			
20	ग्रामीण विकास विभाग		4452.03	10358.49
21	भूमि संसाधन विभाग		576.45	375.00
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
23	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग		69.43	78.12
24	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		46.00	45.20
25	कपड़ा मंत्रालय		55.57	55.57
26	पर्यटन मंत्रालय		32.05	47.05
27	जनजातीय कार्य मंत्रालय		4279.00	4479.00
28	जल संसाधन मंत्रालय		19.50	191.58
29	महिला और बाल विकास मंत्रालय		1668.70	1730.20
30	युवा मामले और खेल मंत्रालय		90.28	101.29
		कुल	***24594.45***	***32386.84***

तालिका 5(ख)

वार्षिक योजना 2011-12 से 2014-15 के दौरान टीएसपी परिव्यय

(करोड़ रू में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अ.ज.जा. जनसंखा का प्रतिशत (जनगणना 2011)	वार्षिक योजना 2011-12			वार्षिक योजना 2012-13			वार्षिक योजना 2013-14			वार्षिक योजना 2014-15 प्रस्तावित परिव्यय	
			कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन	वास्तविक टीएसपी व्यय	कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन	वास्तविक टीएसपी व्यय	कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन	वास्तविक टीएसपी व्यय	कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	7.00	43000.00	2973.13	2228.12	48935.00	3591.39	2241.76	53000.00	3666.60	2070.68	सू.अ.	सू.अ.
2	असम	12.45	9000.00	63.16	54.85	10500.00	72.46	65.50	12500.00	82.00	72.55	14029.00	90.20
3	बिहार	1.28	24000.00	269.24	289.81	28000.00	393.86	281.63	34000.00	485.00	434.52	40100.00	508.80
4	छत्तीसगढ़	30.62	16710.00	5561.44	4229.53	23480.00	7356.00	6177.65	25250.00	7952.17	6946.97	26615.00	9518.57
5	गोवा	10.23	3320.00	328.81	226.75	4700.00	566.42	92.19	4715.00	614.47	187.08	4520.48	328.63
6	गुजरात	14.75	38000.00	5103.03	4875.71	51000.00	6682.41	6498.44	59000.00	7236.60	7102.85	सू.अ.	सू.अ.
7	हिमाचल प्रदेश	5.71	3300.00	297.00	286.05	3700.00	333.00	333.00	4100.00	369.00	369.00	4400.00	395.47
8	जम्मू और कश्मीर	11.91	6600.00	743.45	743.45	7300.00	1254.77	सू.अ.	7300.00	1113.55	1113.55	सू.अ.	सू.अ.
9	झारखंड	26.21	15322.75	7501.39	5749.39	16300.00	8199.40	4458.06	16800.00	8474.60	5102.97	26250.00	11680.29
10	कर्नाटक	6.95	38070.00	1866.95	1866.95	42030.01	2075.00	1679.79	47000.00	2354.70	2480.74	6559.78	4315.07
11	केरल	1.45	12010.00	284.19	284.19	14010.00	325.15	325.15	17000.00	389.85	389.85	20000.00	600.00
12	मध्य प्रदेश	21.09	23000.00	4964.90	4432.57	28000.00	6178.91	5930.89	35500.00	6800.00	6267.45	53512.64	12057.64
13	महाराष्ट्र	9.35	42000.00	3738.00	3106.00	45000.00	4005.00	3065.47	49000.00	3817.34	3713.12	51222.54	4814.92
14	मणिपुर	35.12	3210.00	1071.85	1030.00	3500.00	1358.53	1566.90	3650.00	1376.28	1280.67	8671.43	3059.68
15	ओडिशा	22.85	15200.00	3603.44	3282.63	17250.00	4316.40	3741.80	21500.00	5134.54	5099.02	40810.00	9654.10
16	राजस्थान	13.48	27500.00	3568.18	3339.75	33500.00	4321.19	3859.15	40500.00	5193.40	4809.55	69820.05	9178.10
17	सिक्किम	33.80	1400.00	37.50	37.50	1877.00	386.66	सू.अ.	2060.00	सू.अ.	सू.अ.	3905.00	सू.अ.
18	तमिलनाडु	1.10	23535.00	250.44	245.20	28000.00	353.93	267.76	37128.00	496.13	439.77	59549.86	468.75
19	त्रिपुरा	31.76	1950.00	607.47	492.13	2250.00	699.75	740.48	2500.00	सू.अ.	सू.अ.	3125.00	सू.अ.
20	उत्तर प्रदेश	0.57	47000.00	31.85	26.46	57800.00	38.00	30.26	69200.00	41.50	18.69	113500.00	104.29
21	उत्तराखंड	2.89	7800.00	234.00	117.60	8200.00	246.38	145.56	8500.00	255.00	90.99	सू.अ.	सू.अ.
22	पश्चिम बंगाल	5.80	22214.00	1470.29	1470.29	28000.00	1658.52	1657.52	30314.00	2173.14	2173.14	46290.35	3136.41
23	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7.50	1434.84	173.92	115.15	1701.43	226.43	214.53	1867.10	228.79	228.79	सू.अ.	सू.अ.
24	दमन और दीव	0.06	324.95	28.79	2.18	568.25	50.29	3.42	630.05	3.90	4.95	2070.07	11.24
	कुल		**425901.54**	**44772.42**	**38532.26**	**505601.69**	**54689.85**	**43376.91**	**583014.15**	**58258.56**	**50396.90**	**594951.20**	**69922.16**

स्रोत: राज्य योजना अनुमोदन पत्र तथा राज्य सरकारों के टीएसपी दस्तावेज।

अ.ज.जा. स्वायत्त परिषद सहित (आंध्रप्रदेश में 7, 2012-13 तथा 2013-14) सू.अ. सूचना अप्राप्त

तालिका 5 ग

वर्ष 2002.03 से 2014.15 के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत निर्मुक्त निधियां

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (31.12.14 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	आंध्रप्रदेश	2160.30	1785.00	2300.46	3112.31	2830.31	2453.03	1863.44	1946.20	5187.70	7998.00	4834.00	350.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	300.00	200.00	273.72	384.06	322.52	544.29	308.68	35.20	772.00	1082.83	0.00	832.19	892.80
3	असम	1023.40	668.87	1155.00	1381.41	1514.17	1192.63	1444.88	1240.77	3517.96	3419.00	0.00	3540.25	0.00
4	बिहार	209.00	209.00	229.90	0.00	293.00	319.20	0.00	95.00	838.00	959.00	0.00	0.00	586.00
5	छत्तीसगढ़	2689.50	2089.00	2858.56	3479.69	4131.86	3090.44	3211.43	2834.80	7786.00	9294.00	8534.00	9172.11	10778.00
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	68.45	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	2250.00	2280.00	2515.00	5660.96	3964.38	3652.68	2372.77	4783.00	8302.00	9426.00	4629.60	10275.69	7828.45
8	हिमाचल प्रदेश	80.00	80.00	109.36	133.88	330.33	165.43	148.32	360.00	377.00	431.00	474.00	474.00	190.99
9	जम्मू और कश्मीर	318.00	367.00	398.70	361.29	427.00	286.61	193.66	282.74	607.00	1390.00	150.34	1146.75	0.00
10	झारखंड	2808.00	2208.00	2428.80	400.00	3244.15	3060.27	1852.43	3730.00	8004.00	9181.00	7369.50	9280.40	9873.00
11	कर्नाटक	904.35	797.00	957.88	1519.35	1526.87	1458.05	1496.37	1823.00	3813.00	4263.00	4800.00	4800.00	3660.30
12	केरल	588.00	158.00	161.56	0.00	497.19	101.52	159.42	387.00	405.00	463.00	510.00	510.00	610.12
13	मध्य प्रदेश	4052.32	3821.58	5173.57	6420.27	6052.44	5973.00	6466.80	6435.00	17311.31	14015.50	16518.04	15793.47	14441.32
14	महाराष्ट्र	2925.00	2672.00	2939.20	3459.20	2508.35	3610.310	2441.46	2000.00	9442.00	10805.00	2911.00	12489.00	11701.29
15	मणिपुर	424.55	230.00	253.00	0.00	411.00	311.96	324.44	352.50	819.00	937.00	1031.00	1031.00	750.00
16	मेघालय	555.00	50.55	759.50	0.00	0.00	773.02	155.33	0.00	2100.00	2798.00	0.00	2924.38	721.07
17	मिजोरम	240.00	240.00	488.41	422.62	384.17	409.79	403.57	441.00	922.96	1056.00	810.75	1133.61	576.04
18	नगालैंड	0.00	0.00	529.58	700.93	812.22	866.170	200.00	576.59	2047.42	2301.00	2454.00	2886.93	1361.81
19	उड़ीसा	3641.60	2830.00	4346.98	4445.48	4029.11	4176.84	4129.73	7026.00	11144.33	11347.00	11283.99	14706.50	7956.56
20	राजस्थान	2224.48	2070.00	2200.00	2240.48	3160.00	3168.91	3107.04	1500.00	8351.00	7642.00	7737.98	9437.80	9755.92
21	सिक्किम	83.00	33.00	45.20	143.92	50.99	101.50	65.00	149.20	226.00	259.00	272.58	302.90	277.72
22	तमिलनाडु	210.00	250.00	287.40	619.57	477.62	0.00	291.39	342.00	358.00	614.25	0.00	901.00	639.60
23	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3894.40
24	त्रिपुरा	665.50	313.00	428.30	412.28	570.32	485.04	434.88	780.00	1358.73	1250.00	1375.00	1355.00	914.24
25	उत्तर प्रदेश	27.00	27.00	36.82	0.00	0.00	499.12	391.28	350.00	1200.00	1484.91	200.00	0.00	743.49
26	उत्तराखंड	78.00	128.00	135.80	0.00	249.00	107.81	20.00	120.00	250.00	0.00	0.00	267.00	0.00
27	पश्चिम बंगाल	1543.00	1763.00	1987.30	2702.30	2151.00	2151.620	2489.09	2320.00	4848.00	6066.99	6104.00	6104.00	4310.25
	कुल योग	**30000.00**	**25270.00**	**33000.00**	**38000.00**	**40000.00**	**39027.69**	**33978.41**	**39910.00**	**99988.41**	**108483.48**	**81999.78**	**109713.98**	**92463.37**

तालिका 5 घ

वर्ष 2002-03 से 2014.15 के दौरान टीएसपी को एससीए के तहत निधियों की निर्मुक्ति

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (30.12.2014 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	आंध्र प्रदेश	2732.80	2459.52	2459.52	2751.14	3344.33	3712.99	4176.75	1930.00	5746.50	6057.00	4125.00	5789.00	2203.37
2	असम	3058.99	2753.09	2064.82	3066.59	3601.59	3220.27	3755.65	2883.00	3500.00	5475.00	4674.00	6563.63	1788.59
3	बिहार	556.56	500.90	250.45	543.57	656.00	715.50	0.00	870.94	650.00	1147.00	0.00	0.00	403.00
4	छत्तीसगढ़	4626.18	4405.12	5397.76	4641.08	5477.04	5893.78	6829.20	6322.88	8453.00	10645.00	9478.00	9478.00	4810.32
5	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	गुजरात	3930.91	3743.09	3537.82	3963.52	4882.13	5419.14	4571.44	5635.53	8126.00	8838.00	7410.00	8448.00	9198.50
7	हिमाचल प्रदेश	643.53	612.79	750.87	825.90	1022.14	1133.43	1276.00	1179.40	1506.00	1851.00	1262.00	1768.00	107.24
8	जम्मू और कश्मीर	971.94	925.50	874.75	901.28	1088.00	956.24	676.00	263.79	489.57	1143.00	0.00	1702.41	0.00
9	झारखंड	5870.24	5283.22	5283.22	5896.10	7041.25	7711.12	2198.25	0.00	9481.55	10704.00	11413.25	12187.00	7178.33
10	कर्नाटक	771.33	694.19	899.97	1029.06	1242.00	1372.00	1544.00	1647.96	2053.00	2170.00	1853.25	2471.00	2250.00
11	केरल	273.70	260.62	319.35	274.03	318.13	352.36	396.25	366.10	440.00	574.00	549.00	549.00	530.00
12	मध्य प्रदेश	7833.22	7458.93	9139.70	8186.01	10126.02	9129.39	12644.25	8722.00	15214.00	15593.00	17525.00	17525.00	10946.59
13	महाराष्ट्र	3723.83	3351.45	3351.45	3351.45	3888.00	4293.00	2500.00	895.91	6696.00	7055.93	0.00	7728.00	8794.63
14	मणिपुर	761.96	725.55	685.76	685.76	796.00	879.00	989.00	527.80	1187.00	705.00	1230.10	1581.90	688.50
15	उड़ीसा	6495.30	6184.94	7578.63	6516.82	7695.87	8543.41	10110.50	8885.55	12393.00	14449.15	13321.00	13321.00	8914.65
16	राजस्थान	3649.56	3284.60	3284.60	3490.91	4214.00	4654.00	5236.00	3400.00	8209.00	1840.00	7441.00	8377.00	8822.04
17	सिक्किम	108.02	102.86	126.04	109.49	135.52	280.36	315.00	291.38	369.00	451.01	437.00	437.00	56.43
18	तमिलनाडु	323.32	290.99	377.25	323.70	375.55	142.59	469.00	108.00	393.05	572.00	0.00	651.00	217.33
19	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.00
20	त्रिपुरा	1041.03	991.29	1214.66	1045.03	1240.34	1318.28	1548.00	1431.29	1879.00	2244.00	1955.00	2102.10	1183.94
21	उत्तराखंड	92.91	88.47	83.62	83.62	50.00	0.00	0.00	108.14	0.00	0.00	0.00	139.60	0.00
22	उत्तर प्रदेश	32.10	30.57	37.45	33.63	0.00	425.36	644.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.97
23	पश्चिम बंगाल	2202.57	1982.31	1982.31	1982.31	2270.00	2894.59	3255.75	2654.34	3384.00	4720.00	2580.75	4181.36	4298.04
	कुल	**49700.00**	**46130.00**	**49700.00**	**49701.00**	**59573.91**	**63179.81**	**63135.29**	**48124.00**	**90169.67**	**96234.09**	**85254.35**	**105000.00**	**76289.47**

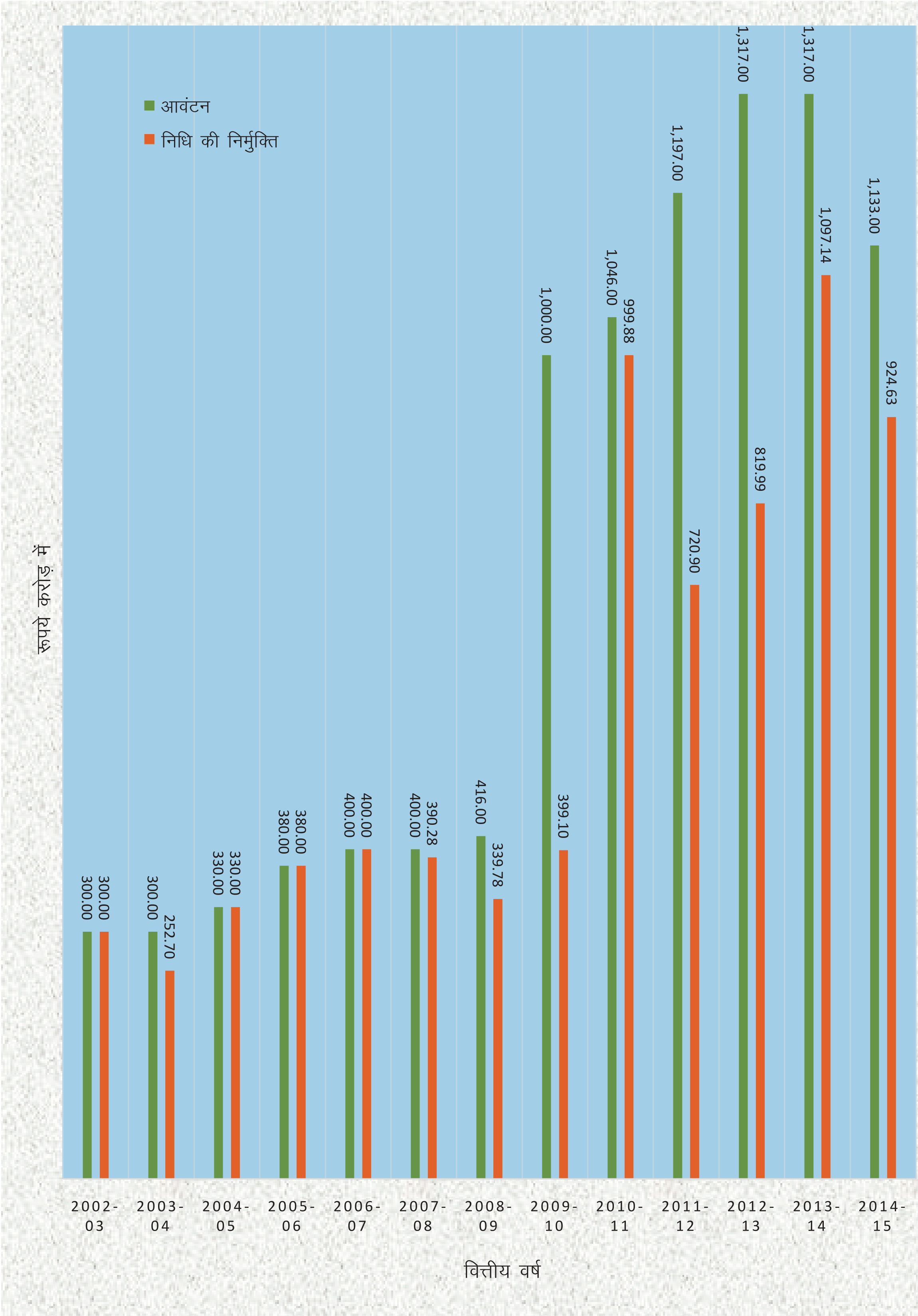

(आकृति 5 (क)) अनुच्छेद 275(1) के तहत निधियों के आवंटन तथा निर्मुक्ति का विवरण

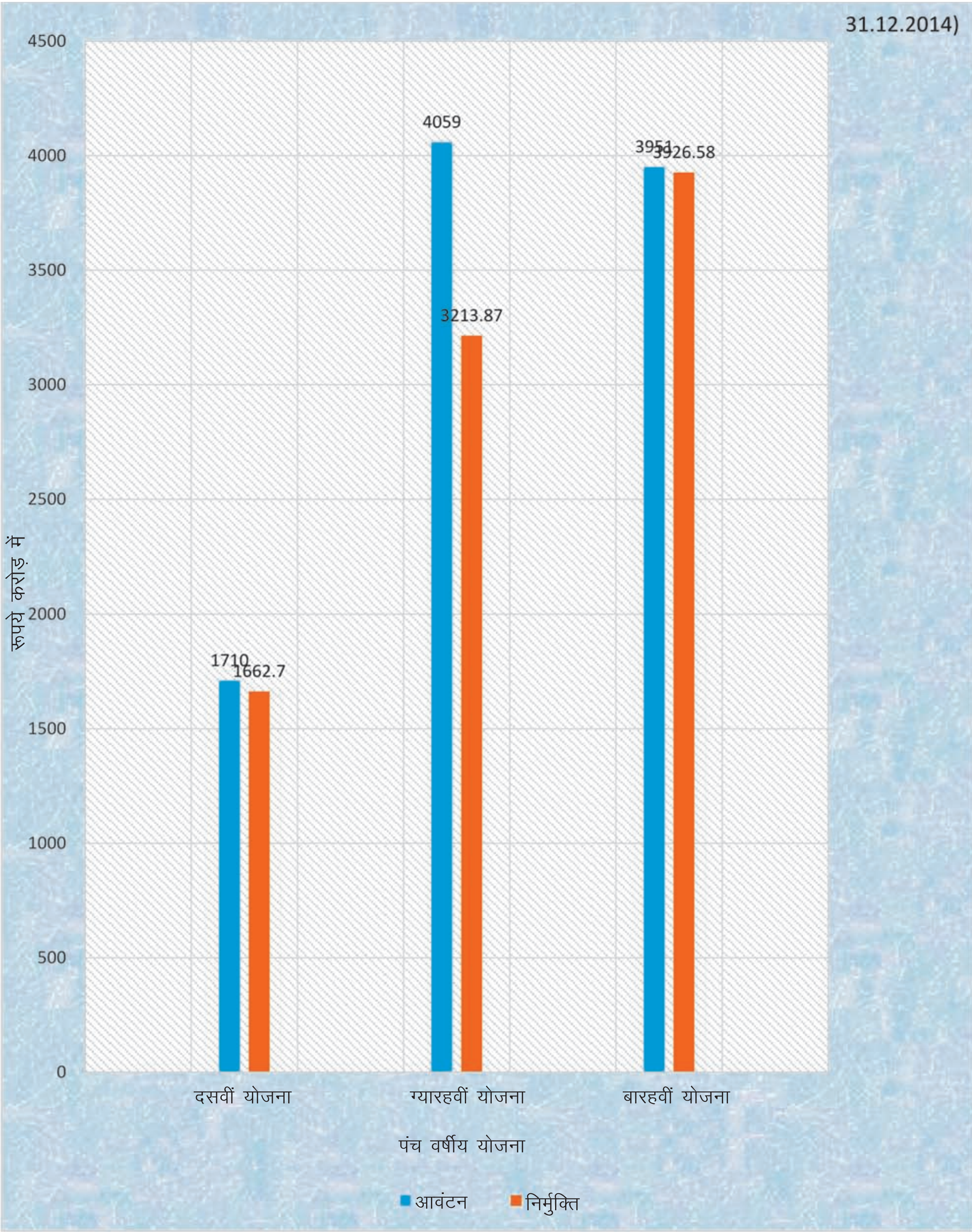

(आकृति 5 (ख)) पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुच्छेद 275(1) के तहत निधियों के आवंटन तथा निर्मुक्ति का विवरण

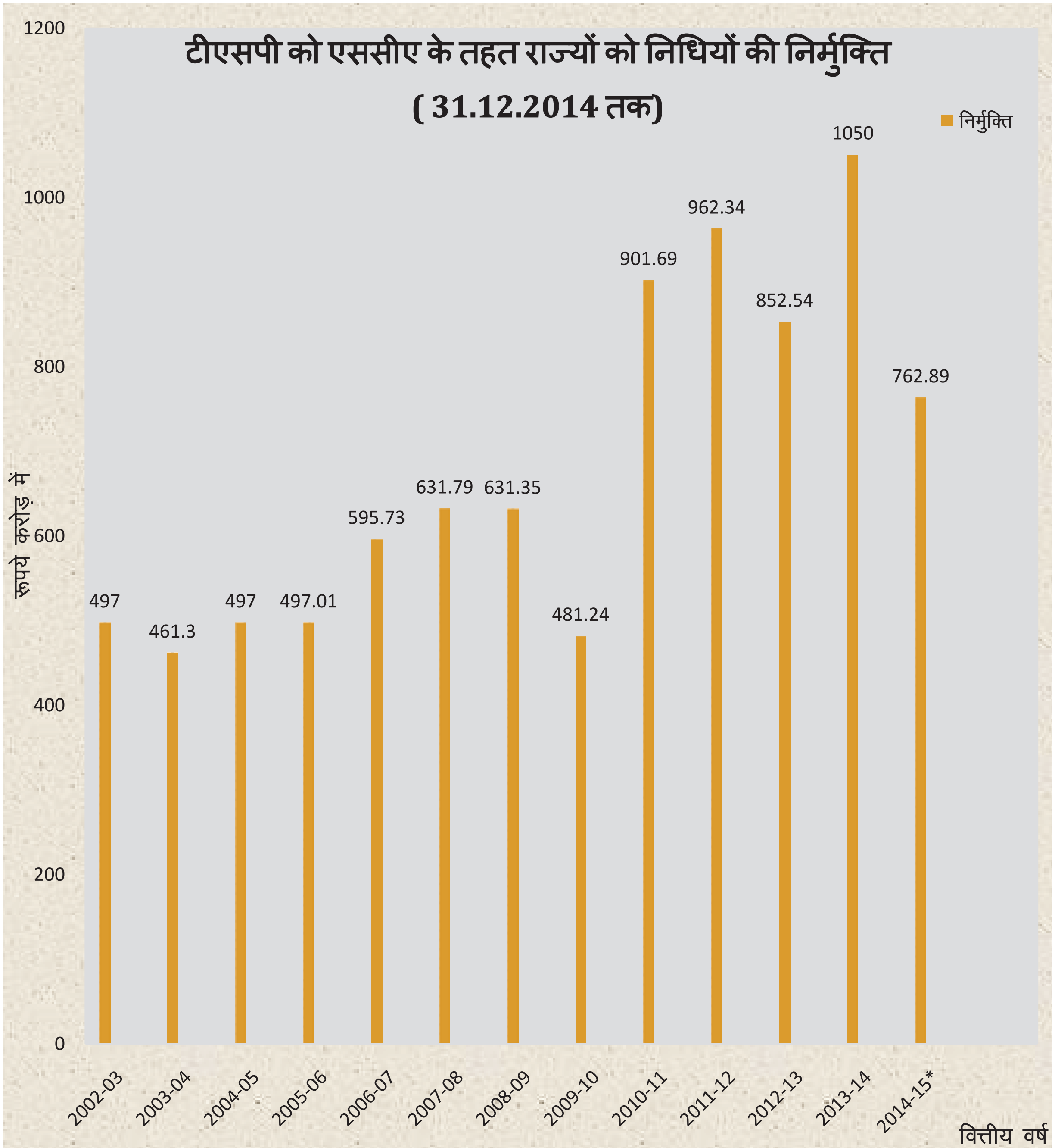
टीएसपी को एससीए के तहत राज्यों को निधियों की निर्मुक्ति
(31.12.2014 तक)
निर्मुक्ति
रुपये करोड़ में
1200
1000
800
600
400
200
0
497
461.3
497
497.01
595.73
631.79
631.35
481.24
901.69
962.34
852.54
1050
762.89
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15*
वित्तीय वर्ष

(आकृति-5ग)

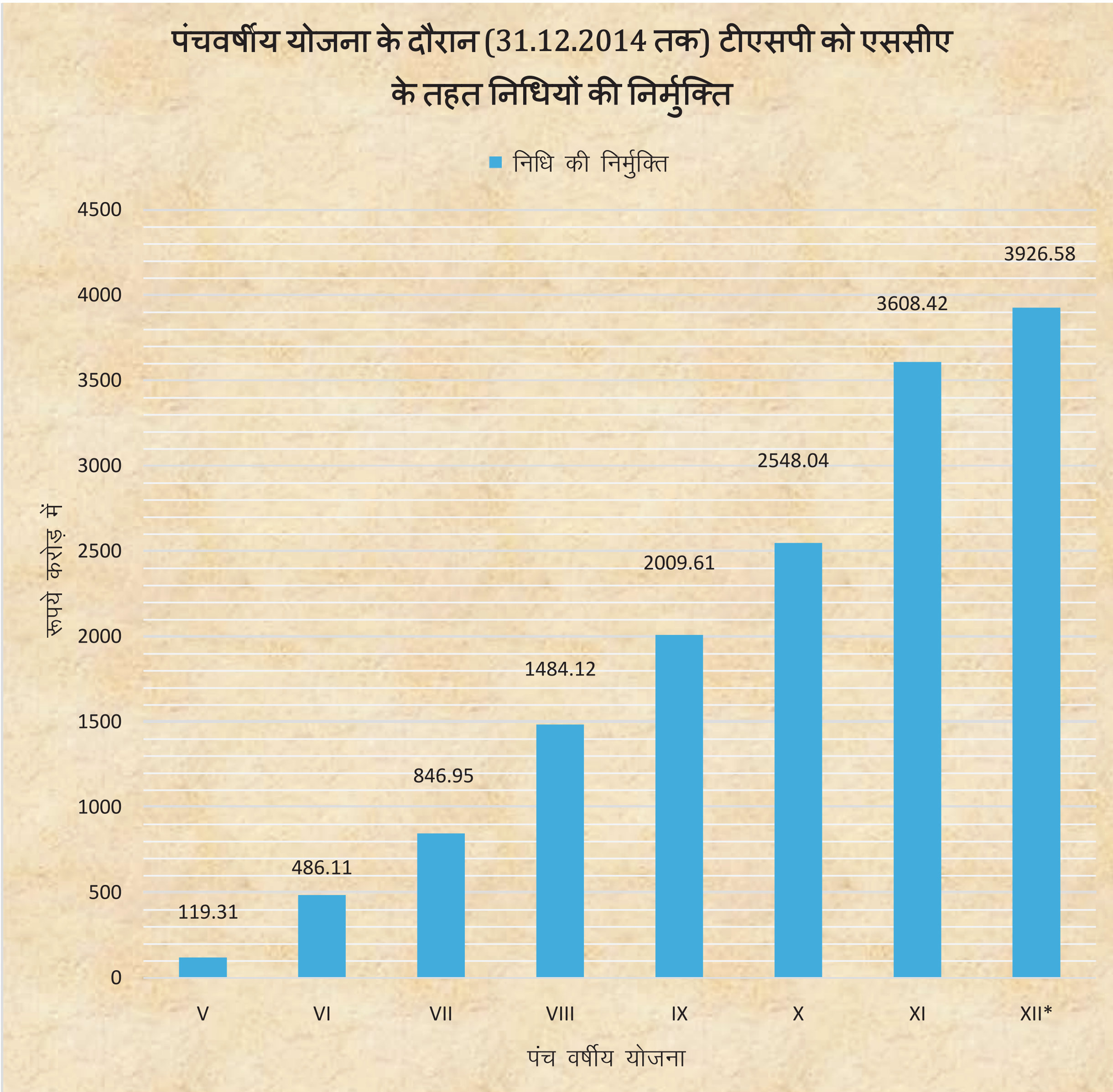

(आकृति-5घ)

*योजना- 31.12.2014 तक के आंकड़े

अध्याय 6

अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र

अनुसूचित जनजातियाँ

6.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख उन समुदायों केरुप में किया गया है जो संविधान केअनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि केवल वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक लोक अधिसूचना के जरिए अथवा संसद के अधिनियम में अनुवर्ती संशोधन के जरिए इस प्रकार घोषित किया है, अनुसूचित जनजाति माने जाएंगे।

6.2 अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विशेष से संबंधित है और किसी राज्य में किसी समुदाय को यदि अनुसूचित जनजाति का घोषित किया होतो जरूरी नहीं कि दूसरे राज्य में भी उस समुदाय व के लोग अनुसूचित जाति के माने जाएं। अनुसूचित जनजाति का पता लगाने की जो जरूरी विशेषताएं होनी चाहिए और जिनका पहली बार निर्धारण लोकुर समिति द्वारा किया गया था, इस प्रकार है:-

- आदि, जनजातीय गुण,
- अनूठी संस्कृति
- आम लोगों से संपर्क करने से कतराना
- भौगोलिक अलगाव और
- पिछड़ापन।

6.3 अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी समुदाय को शामिल करने के लिए प्रक्रिया इस अध्याय में बाद में दर्शायी गई है।

जनजातियों का वितरण

6.4 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जनजातियों की कुल जनसंख्या 10.43 करोड़ है जो कुल आबादी का 8.6 प्रतिशत है। जनजातियों की जनसंख्या में वर्ष 2001 से 2011 के बीच 23.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है आधी से ज्यादा जनजातीय आबादी की बहुलता मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में है।

6.5 अनुसूचित जनजातीय समुदाय देश के लगभग 15% क्षेत्र में विभिन्न पारिस्थितिकीय और भौगोलिक जलवायु के हालात में मैदानों और जंगलों से लेकर पहाड़ों और अगम्य क्षेत्रों में रहते हैं। जनजातीय समूह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं। जबकि कुछ जनजातीय समुदायों ने जीवन की मुख्यधारा की शैली अपना ली है वहीं दूसरी ओर 75 ऐसे समूह हैं जिन्हें विशेष रूप से कमजोरजनजातीय समूह के रूप में जाना जाता है (जिन्हें पहले आदिम जनजातीय समूह कहा जाता था), निम्नलिखित विशेषताएं होती है:-

(क) कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी;

(ख) स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या;

(ग) बहुत ही कम साक्षरता; तथा

(घ) अर्थव्यवस्था का न्यूनतम स्तर

6.6 भारत के अलग-अलग राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जनजातीय जनसंख्या का वितरण (जनगणना 2011) तालिका **6.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 1 विभिन्न राज्यों/संघ रा.क्षे. के अ.ज.जा.जनसंख्या का वितरण

क्रम सं.	राज्य	अ.जजा. जनसंख्या का %
1	मधय प्रदेश	14.69
2	महाराष्ट्र	10.08
3	उड़ीसा	9.20
4	राजस्थान	8.86
5	गुजरात	8.55
6	झारखंड	8.29
7	छत्तीसगढ़	7.50
8	आंध्र प्रदेश	5.68
9	पश्चिम बंगाल	5.08
10	कर्नाटक	4.07
11	असम	3.72
12	मेघालय	2.45
13	नगालैंड	1.64
14	जम्मू और कश्मीर	1.43
15	बिहार	1.28
16	त्रिपुरा	1.12
17	उत्तर प्रदेश	1.09
18	मिजोरम	0.99
19	अरुणाचल प्रदेश	0.91
20	मणिपुर	0.87
21	तमिलनाडु	0.76
22	केरल	0.46
23	हिमाचल प्रदेश	0.38
24	उत्तराखंड	0.28
25	सिक्किम	0.20
26	दादरा एवं नागर हवेली	0.17
27	गोवा	0.14

6.7 जबकि, कुछ राज्यों में जनजातीय जनसंख्या भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में गणना करने पर कम है किन्तु यह राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के अंदर बहुसंख्य बनाते हैं (उदाहरण लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश तथा दादर एवं नगर हवेली)। जैसा कि पूर्व में बताया गया है, जनजातीय जनसंख्या का बहुत बड़ा वर्ग छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओड़िशा, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में रहता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रतिशत में जनजातीय जनसंख्या चित्र 6 (क) में दर्शायी गई है। देश के कुल जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की जनजातीय जनसंख्या चित्र 6 (ख) में दिया गया है।

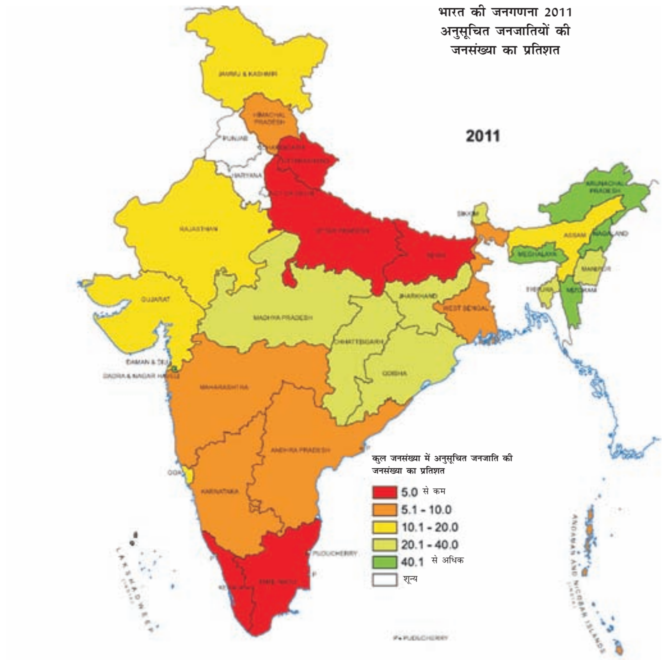

चित्र 6(क) जनगणना 2011, सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की जनसंख्या में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत

प्रमुख जनजातियां

6.8 भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित 700 से अधिक जनजातियां हैं जो देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फैली हुई हैं। अनेक जनजातियां एक से अधिक राज्यों में मौजूद हैं। अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध समुदायों की सबसे अधिक संख्या उड़ीसा राज्य में (अर्थात् 62) है।

जनजातियों का अनुसूचीकरण एवं गैर-अननुसूचीकरणः

6.9 अनुसूचित जनजातियां शब्द की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366(25)में इस प्रकार की गई है, ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के अंतर्गत भाग या समूह, जिन्हें संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियां होना समझा जाता है अनुच्छेद 342में अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के मामले में अनुसरण किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

6.10 संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1)के अधीन राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, तथा जहां यह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के परामर्श से जनजातियों या जनजातीय समुदायों या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। इससे जनजाति या इसके भाग को संविधान में किए गए रक्षोपायों के प्रावधान का आह्वान करते हुए उनके संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।

6.11 अनुच्छेद का खण्ड (2) संसद को किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने या शामिल नहीं करने के लिए कानून पारित करने की शक्तियां प्रदान करता है।

6.12 इस प्रकार, किसी विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियों का पहला विनिर्देश संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुसूचित जनजाति को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों की सूची **अनुलग्नक-6क** में दी गई है। इसके बाद आदेशों को संसद के अधिनियम द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। उपर्युक्त अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति का सूचीकरण का प्रावधान अखिल भारतीय आधार पर न करके राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार करने का है। राष्ट्रपति का आदेश संसद के अधिनियमों के द्वारा संशोधित किया या है।

6.13 किसी समुदाय को एक अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए अपनाये जाने वाले मानदंड निम्नलिखित हैं-

- आदिम विशेषताओं के संकेत
- विशिष्ट संस्कृति
- भौगोलिक एकाकीपन
- बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ सम्पर्क में संकोच, तथा
- पिछड़ापन ।

6.14 इस मानदंडों का उल्लेख संविधान में नहीं है, परन्तु ये सुस्थापित और स्वीकृत हो चुके हैं। यह 1931 की जनगण ाना, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (कालेलकर) 1955,अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची के संशोधन संबधी सलाहकार समिति (लोकुर समिति)1965 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के आदेश (संशोधन) विधेयक 1967, (चंदा समिति)1969 में उल्लिखित परिभाषाओं को ध्यान में रखा जाता है।

6.15 अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची **अनुलग्नक 6-ख** में दर्शाई गई है।

6.16 हरियाणा और पंजाब राज्यों तथा चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

व्यक्तियों की अनुसूचित जनजाति की स्थिति का पता लगाना

6.17 जहां कोई व्यक्ति जन्म से अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करता है वहां यह प्रमाणित किया जाना चाहिए:-

कि वह व्यक्ति या उसके माता-पिता दावा किए गए समुदाय से संबंधित हैं:

(i) कि वह समुदाय अपने संबंधित राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल है;

(ii) कि वह व्यक्ति उस राज्य तथा उस राज्य के अंतर्गत उसक्षेत्र से संबंधित है जिसका समुदाय अनुसूचित किया गया है;

(iii) वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है;

(iv) कि वह या उसके माता-पिता/दादा-दादी आदि उसके मामले में लागू राष्ट्रपति के आदेश को अधिसूचित करने की तारीख को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्थायी निवासी होने चाहिए।

6.18 वह व्यक्ति जो लागू राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना जारी होने के समय अपने स्थायी निवास स्थान से अस्थाई रूप से अर्थात् उदाहरण के लिए जीविकोपार्जन या शिक्षाप्राप्त करने आदि के कारण दूर होता है तो वह उसके मामले में वह उसे

भी अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जा सकता है, यदि उसकी जनजाति उस आदेश में उसके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट की गई है। परंतु इस तथ्य के बावजूद कि उस राज्य ने जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है, के संबंध में उसकी जनजाति के नाम को राष्ट्रपति के किसी आदेश में अधिसूचित किया गया है, उसके अस्थायी निवास के संबंध में उसे राष्ट्रपति के उक्त आदेश में शामिल नहीं माना जा सकता।

6.19 राष्ट्रपति के संबंधित आदेश के अधिसूचित होने की तारीख के पश्चात् पैदा हुए लोगों के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति की हैसियत प्राप्त करने के लिए वह निवा सस्थान मान्य होगा जो उक्त आदेश जिसके तहत उन्होंने इस प्रकार की जनजाति होने का दावा किया है, के अधिसूचित होने की तारीख को उनके माता-पिता का स्थायी निवास स्थान था। यह लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है, जिनके लिए अनुसूचित जनजाति की स्थिति की पात्रता के लिए इस संघ शासित क्षेत्र में जन्म होना अपेक्षित होता है।

6.20 एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद अनुसूचित जनजाति का दावा

(i) यदि एक व्यक्ति राज्य के उस भाग जिसके संबंध में उसका समुदाय अनुसूचित है, से उसी राज्य के दूसरे भाग जिसके संबंध में वह समुदाय अनुसूचित नहीं है, में चला जाता है तो वह व्यक्ति उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य समझा जाना रहेगा।

(ii) यदि एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाता है तो वह केवल अपने मूल राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा कर सकता है और उस राज्य के संबंध में नहीं कर सकता जिसमें वह बस गया है।

6.21 विवाह के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के दावे

इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त यह है कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म से अनुसूचित जनजाति का नहीं है, उसे केवल इसलिए अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना नहीं समझा जाएगा कि उसने एक अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति से विवाह कर लिया है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वह अपनी शादी उस व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है, के साथ हो जाने के बाद भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा।

6.22 अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र जारी करना

अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी किए जा सकते हैं:

1. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट/ नगर मजिस्ट्रेट/उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेट/तालुकामजिस्ट्रेट/ कार्य पालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

   (जो प्रथम श्रेणी के वेतनभोगी मजिस्ट्रेट से निचले स्तरके न हों)

2. मुख्य प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेट/ प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेट।

3. राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार से नीचे के स्तर केन हों।

4. उस क्षेत्र जहां वह उम्मीदवार तथा/या उसका परिवार सामान्य तौर पर निवास करता है, के उप-मण्डलीय अधिकारी।

5. प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी(लक्षद्वीप द्वीपसमूह)।

बिना उचित सत्यापन के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के लिए दंड

6.23 यदि किसी अधिकारी के संबंध में यह पता चलता है कि उसने अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र असावधानी पूर्वक तथा बिना उचित सत्यापन के जारी कर दिया है, तो भारतीय दंड संहिता के संगत प्रावधानों के अंतर्गत उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह उनपर लागू उपयुक्त अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई के अलावा होगी।

6.24 अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आए प्रवासियों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को उदार बनानाकिसी अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति जो एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार, शिक्षा आदि के लिए आए हैं वे उस राज्य से प्रमाणपत्र प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं जहां सेवे आए हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का निर्धारितप्राधिकारी उसके पिता/माता के मूल राज्य के निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उसके पिता/माता को जारी किए गए वास्तविक प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने पर उस परिस्थिति को छोड़कर जिसमें वह निर्धारित प्राधिकारी यह महसूस करता है कि प्रमाणपत्र जारीकरने से पूर्व मूल राज्य के माध्यम से विस्तृत जांच आवश्यक है,उस व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी कर सकता है जो एक अन्य राज्य से आया है। यह प्रमाणपत्र इसका ध्यान किए बिना जारी कर दिया जाएगा कि वह संबंधित जनजाति उसराज्य/संघ राज्य क्षेत्रा जिसमें वह व्यक्ति आया है, में अनुसूचित है अथवा नहीं। तथापि, वे उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लाभों केपात्र नहीं होंगे जहां वे स्थानांतारित हुए है।

6.25 अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने या बाहर निकालने संबंधी प्रक्रिया:

जून, 1999 में सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूचियों मेंशामिल करने और शामिल नहीं करने संबंधी दावों केनिर्णय केलिए प्रक्रियाओं को अनुमोदित किया जिन्हें 25.6.2002 को औरसंशोधित किया गया। इन अनुमोदित प्रविधियों केअनुसार केवलउन मामलों को विचारार्थ लिया जाएगा जिन पर राज्य सरकार,भारत केमहापंजीयक (आरजीआई)तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जातितथा अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)(जो अब राष्ट्रीयअनुसूचित जनजाति आयोग है)की सहमति होगी। जब कभी किसीराज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय कोशामिल करने/अपवर्जन केलिए मंत्रालय में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं तो जैसा कि प्रविधियों के अनुसार है, मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत आवश्यकतानुसार संबधित राज्य सरकार को उस अभ्यावेदन को सिफारिश केलिए भेज देता है।यदि संबंधित राज्य सरकार उस प्रस्ताव की सिफारिश करती हैतो उसे भारत के महापंजीयक को भेज दिया जाता है। यदि भारत के महापंजीयक राज्य सरकार की सिफारिश से संतुष्ट होते हैं तोवह उस प्रस्ताव को केन्द्रसरकार को अपनी सिफारिश के साथ भेजते हैं। तत्पश्चात, सरकार उस प्रस्ताव को अनुसूचित जनजातिआयोग को सिफारिश के लिए भेजती है। यदि राष्ट्रीय अनुसूचितजनजाति आयोग भी सिफारिश कर देता है तो उस मामले परमंत्रिमंडल के निर्णय के लिए कार्यवाही की जाती है। उसके बाद मामले को राष्ट्रपति के आदेश को संशोधित करने के लिए एक विधेयक के रूप में संसद के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए शामिल करने/अपवर्जन के मामले जिसका राज्य सरकार, अथवा आरजीआई, अथवा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग समर्थन नहीं करते, निरस्त कर दिए जाते हैं।

अनुसूचित क्षेत्र

6.26 अनुसूचित जनजातियां अन्य समुदायों के विपरीत सटे हुए क्षेत्रों में रहती हैं। इसलिए उनके हितों की रक्षा करने के लिए विकास संबधी कार्यकलापों तथा विनियम संबंधी प्रावधानों केलिए क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण रखना अधिक आसान होता है।

6.27 अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए भूमि तथा अन्य सामाजिक मुद्दों के संबंध में प्रावधान संविधान की पांचवी अनुसूची तथा छठी अनुसूची में दिए गए हैं।

6.28 संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत पांचवींअनुसूची इन ''अनुसूचित क्षेत्रों'' को ऐसे क्षेत्रों केरूप में परिभाषितकरती है जिन्हें राष्ट्रपति किसी राज्य केसंबंध में राज्यपाल के परामर्श के पश्चात् आदेश द्वारा इस प्रकार के क्षेत्रों के रूप में घोषित करें।

6.29 संविधान केअनुच्छेद 244 (2)के अंतर्गत छठी अनुसूचीमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम क्षेत्रों को जनजातीयक्षेत्र'' के रूप में घोषित किया गया है और ऐसे क्षेत्रों के लिए जिला अथवा क्षेत्रीय स्वायत्त परिषदों की व्यवस्था की गई है। इन परिषदों को विभिन्न प्रकार की विधायी, न्यायिक तथा कार्यकारी शक्तियां प्राप्त हैं।

पांचवीं अनुसूची क्षेत्र

6.30 पांचवीं अनुसूची के अधीन किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषित करने के लिए मानदंड निम्नलिखित हैं–

- जनजातीय जनसंख्या का बाहुल्य,
- सघनता तथा क्षेत्रा का औचित्यपूर्ण आकार,
- व्यवहार्य प्रशासनिक अस्तित्व जैसे वह जिला, ब्लाक या तालुका हो, तथा
- निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन।

6.31 एक राज्यध्संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों का विनिर्दिष्टीकरण, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। परिवर्तन मेंवृद्धि, कमी, नए क्षेत्रों को शामिल करने या अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित किसी आदेश को रद्द करने के किसी मामले में भी यह लागू होता है।

6.32 इस समय निम्नलिखित आदेश अपने मूल रूप यासंशोधित रूप में लागू हैं:-

क्र. सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तारीख	राज्य (राज्यों) का नाम जिसके लिए लागू है
1	अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.9)	26.1.1950	आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना
2	अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.26)	7.12.1950	आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना
3	अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश 1975 (सी.ओ.102)	21.11.1975	हिमाचल प्रदेश
4	अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य) आदेश, 1977 (सी.ओ. 109)	31.12.1977	गुजरात और ओडिशा
5क	अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य)	12.2.1981	राजस्थान
	आदेश, 1981 (सी.ओ.114)		
6	अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985 (सी.ओ. 123)	2.12.1985	महाराष्ट्र
7	अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मध्य प्रदेश) आदेश, 2003 (सी.ओ. 192)	20.2.2003	छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश
8	अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य) आदेश, 2007 (सी.ओ. 229)	11.04.2007	झारखंड

6.33 मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों का पुनर्गठन मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत तथा बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत किया गया है। इसके परिण ाामस्वरूप, पूरे मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों का एक भाग नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य को अंतरित हो गया और इसी प्रकार के संपूर्ण क्षेत्रमूल राज्य बिहार से झारखंड को अंतरित हो गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नव गठितराज्यों के अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत उपलब्ध लाभ प्राप्त होते रहेंगे, इसलिए 31 दिसम्बर, 1977 को जारी अनुसूचित क्षेत्र (बिहार,गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा)आदेश, 1977 (सी.ओ.109), जहां तक कि यह बिहार और मध्य प्रदेश केपूरे राज्यों से संबंधित हैं, को संशोधित करना आवश्यक हो गया था। राष्ट्रपति ने 20 फरवरी, 2003 को छत्तीसगढ़, झारखंड तथामध्य प्रदेश राज्यों के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक नया संवैधानिक आदेश प्रख्यापित किया है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को झारखण्ड राज्य मे अंदर अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अनुसूचित क्षेत्र (झारखण्ड राज्य)आदेश, 2007 (संवैधानिक आदेश 229)दिनांक 11.04.2007 के अनुसार पुनः परिभाषित किया गया है।

6.34 अनुसूचित क्षेत्रों की राज्यवार स्थिति अनुलग्नक-6ग में दी गई है।

अनुसूचित क्षेत्रों के उद्देश्य तथा लाभ

6.35 जनजातियों को सुरक्षा देने और लाभ प्रदान करने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं:

(क) अनुसूचित क्षेत्रों वाले किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित के संबंध में विनियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं:

(i) जनजातियों से भूमि के हस्तांतरण को रोकना अथवा इसे नियंत्रित करनाय

(ii) अनुसूचित जनजाति के लोगों को धन उधार देने के कारोबार को विनियमित करना। ऐसे किसी विनियम को बनाने में, राज्यपाल संसदया राज्य विधान मंडल के किसी ऐसे अधिनियम को रद्द या संशोधित कर सकते हैं, जो इस प्रकार के क्षेत्र के लिए लागू हैं।

(ख) राज्यपाल सार्व जनिक अधिसूचना के द्वारा यह दिशा-निर्देश दे सकते हैं कि संसद या राज्य विधान मंडल का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रा पर या राज्य में उसके किसी भाग पर लागू नहीं होगा अथवा ऐसे अपवादों तथा संशोधनों की शर्त के अधीन लागू हो गाजो वे विनिर्दिष्ट करेंगे,

(ग) उस राज्य का राज्यपाल जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट वार्षिक रूप से या जब कभी राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाए, प्रस्तुत करेगा तथा केन्द्र की कार्यकारी शक्ति का विस्तार उक्त क्षेत्र के प्रशासन के बारे में राज्य को निर्देश देने के लिए होगा।

(घ) संविधन की पांचवीं अनुसूची के पैरा 3 के प्रावधानों के अनुरूप अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा राजस्थान को राज्यपाल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। वर्ष 2007-2008 के बाद से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल की वार्षिक रिपोर्टा की स्थिति को दर्शानेवाला विवरण **अनुलग्नक-6घ** में दिया गया है।

(ङ) नौवें अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा राजस्थान में जनजातीय परामर्शदात्री परिषदें (टीएसी) गठित कर ली गई हैं। यद्यपि, तमिलनाडु तथा पश्चिमी बंगाल में कोई अनुसूचित क्षेत्रा नहीं है, तो भी उनकी जनजातीय परामर्शदात्री परिषद है। उत्तराखंड राज्य में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं होने पर भी राज्य में टीएसी के गठन के लिए महामहिम राष्ट्रपति के निर्देश 2010 में राज्य को भेज दिए गए हैं। उत्तराखंड राज्य में टीएसी के गठन के बारे में सूचना प्रतिक्षितहै। वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान राज्यो द्वारा आयोजित टीएसी की बैठकों को दर्शाने वालाविवरण अनुलग्नक-6ङ में दिया गया है।

अनुलग्नक 6क :
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने के आदेश

क्र. सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तिथि	राज्य/संघ राज्यों के नाम जिन पर लागू है (यथा संशोधित)
1.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950 (सी.ओ. 22)	06.9.1950	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल
2.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951 (सी.ओ. 33)	20.9.1951	दमन व दीव, लक्षद्वीप
3.	आंध्रप्रदेश राज्य अधिनियम, 1953	14.9.1953	आंध्रा
4.	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधि नियम, 1956 (1956 की अधिनियम संख्या 63)	25.9.1956	आंध्रा, असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य भारत, मैसूर, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर, कोचिन, अजमेर, भोपाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा तथा विंध्य प्रदेश
5.	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956	29.10.1956	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा तथा लक्कादीव, मिनीकोय तथा अमिनदीवी द्वीप समूह
6.	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956 के शुद्धिपत्र	28.1.1957	मध्य प्रदेश
7.	संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1959 (सी.ओ. 58)	31.3.1959	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह
8.	बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 की संख्या 11)	25.4.1960	महाराष्ट्र तथा गुजरात
9.	संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1962 (सी.ओ. 65)	30.6.1962	दादर व नगर हवेली
10.	संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1967 (सी.ओ. 78)	24.6.1967	उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड
11.	संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1968	12.1.1968	गोवा, दमन और दीव
12.	संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1970 (सी.ओ. 88)	23.7.1970	नागालैंड

13.	हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970	06.01.1971	हिमाचल प्रदेश
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971	30.12.1971	असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश
15.	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन अधि नियम), 1976 (1976 की संख्या 108)	18.9.1976	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
16.	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन)अधिनियम, 1976 के शुद्धिपत्र	03.2.1977	महाराष्ट्र
17.	संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978 (सीओ 111)	22.6.1978	सिक्किम
18.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 की संख्या 43)	09.12.1987	मेघालय
19.	संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 (सीओ 142)	07.10.1989	जम्मू और कश्मीर
20.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1991 (1991 का 36)	20.8.1991	जम्मू और कश्मीर
21.	संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 की संख्या 39)	17.9.1991	कर्नाटक
22.	मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 28)	25.8.2000	मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़
23.	उत्तरप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 29)	25.8.2000	उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड
24	बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 30)	25.8.2000	बिहार तथा झारखण्ड
25.	संशोधन (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 की संख्या 32)	03.6.2002	गुजरात
26.	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2003 की संख्या 10)	07.1.2003	आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कनार्टक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, गोवा, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश तथा सिक्किम

27.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 47)	19.9.2003	असम
28.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 की संख्या 48)	12.12.2006	बिहार
29.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 की संख्या 14)	01.4.2008	अरूणाचल प्रदेश
30.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 की संख्या 02)	07.1.2009	लक्षद्वीप
31.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2012 की संख्या 2)	08.1.2012	मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश
32.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 की संख्या 24)	31.5.2012	कनार्टक
33.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 की संख्या 24)	18.9.2013	केरल तथा छत्तीसगढ़
34	आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 की संख्या 6)	1.3.2014	आंध्रप्रदेश तथा तेलंगाना

हरियाणा तथा पंजाब राज्यों और चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदूचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में किसी समुदाय को निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

अनुलग्नक : 6-ख

भारत में अनुसूचित जनजातियों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची

आंध्र प्रदेश

1. अन्ध, साधु अन्ध
2. बगता
3. भील
4. चेंचू,
5. गदाबास, बोडो
   गदाब, गुतोब
   गडाबा, कालायी
   गडाबा, परांगी
   गडाबा, कठेरा
   गडाबा, कापु
   गडाबा
6. गोंड, नाइकपोड़, राजगोंड, कोईतुर
7. गौडु (एजेन्सी क्षेत्रों में)
8. पहाड़ी रेड्डी
9. जातपुस
10. कम्मारा
11. कट्टूनायकन
12. कोलम, कोलवर
13. कोन्डा धोरस, कुबी
14. कोन्डा कापुस, ।
15. कोन्डारेड्डी
16. कोन्ध कोडी, कोध, देस्या कोन्ध, डोंगरिया कोन्ध, कुटीया कोन्ध, टिकिरिया कोंध, मेनिती, कोंध, कुविंगा
17. कोटिया, बेन्थो उड़िया,
    बारतिका, दुलिया, होल्वा,
    सनरोना,
    सिधोपाइको
18. कोया, डोली कोया,
    गुटटा कोया,
    कमारा कोया, मुसारा कोया, ओडी कोया, पट्टडी कोया, राजा, रश कोया, लिन्गाधारी, कोया (सामान्य), कोट्टू कोया, भीने कोया, राजकोया
19. कुलिया,
20. मालिस (आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, मेढक, नालगोड़ा निजामाबाद और वारंगल जिलों को छोड़ कर)
21. मन्ना धोरा
22. मुक्खा धोरा, नुका धोरा,
23. नायक (एजेन्सी क्षेत्रों में)
24. परधान
25. परजा, पारंगीपेरजा
26. रेड्डी धोरा
27. रोना, रेना,
28. सवारस कपू सवारस, मालिया
    सवारस, खुट्टो सवारस,
29. सुगालिस, लम्बादि, बंजारा
30. वाल्मीकि (विशाखापटनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी जिलों के अनुसूचित क्षेत्रों में)
31. येनादिस, चेल्ला येनादी, कपाला येनादी, मांची येनादी, रेड्डी येनादी
32. येरूकुलस, कोरचा, डब्बा
    येरूकुला, कुंचापुरी
    येरूकुला, उप्पु येरूकुला
33. नक्काला, कुरविकरन
34. धुलिया, पैको, पुतिया
    (विशाखापटनम और
    विजयनगरम जिलों में)

अरुणाचल प्रदेश

1. अबोर
2. आका
3. अपतानी
4. न्यीशी
5. गालो
6. खम्पती
7. खोवा
8. मिशमी, इदु, *तारोंन*
9. मोम्बा
10. कोई भी नागा जनजातियां
11. शेरदुकपेन
12. सिंगफो
13. हरुसो
14. तागिन
15. खम्बा
16. आदि

असम

**I. कारबी आंगलोंग तथा उत्तर कछार पहाड़ी के स्वायत्त जिलों में :

1. चकमा
2. दिमसा, कचारी
3. गारो
4. हजोंग
5. हमार
6. खासी जयन्तिया, सिन्तेंग, प्नार, वार, भोई, लेंगंगम्
7. निम्नलिखित सहित कोई भी कूकी जनजाति :-

(i) बिआत, बिएत
(ii) चांगसान
(iii) चोंगलाइ
(iv) डुंगेल,
(v) गमाल्हू
(vi) गंगते
(vii) गुइते,
(viii) हन्नेगं
(ix) हाओकिप, हाउपिट,
(x) हओलंई
(xi) हेंगना
(xii) होंगसुंग
(xiii) हरंखवाल, रंगखोल,
(xiv) जोगबी
(xv) खाओचुंग
(xvi) खावाथलांग, खोतालोंग
(xvii) खेलमा
(xviii) खोल्हू
(xix) किपजेन
(xx) कुकी
(xxi) लेगथांग
(xxii) ल्हांगम
(xxiii) ल्होउजेम
(xxiv) ल्होउवुन
(xxv) लुपहेंग
(xxvi) मांग जेल
(xxvii) मिसाओ
(xxviii) रियांग
(xxix) साइरहेम
(xxx) सेलनाम
(xxxi) सिंगसन
(xxxii) सितल्होउ
(xxxiii) सुक्ते
(xxxiv) थादो
(xxxv) थांगनगेऊ
(xxxvi) उइबुह
(xxxvii) वाइफेइ

8. लाखेर
9. मान (ताई बोलने वाले)
10. कोई भी मिजो (लुसाई) जनजाति
11. करबी
12. कोई भी नागा जनजाति
13. पावी
14. सिंथेग
15. लालुंग

**II.असम राज्य में कारबी आंगलोंग तथा उत्तर कछार पहाड़ी के स्वायत्त जिलों को छोड़कर तथा बोडो भूमि टेरिटोरियल क्षेत्र जिले सहित:

1. कचार में बरमन
2. बोरो, बोरोकचारी
3. देओरी
4. होजाइ
5. कचारी, सोनावाल
6. लालुंग
7. मेच,
8. मिरि
9. राभा
10. दीमासा
11. हजोंग
12. सिंगफो
13. खम्पती
14. गारो

बिहार

1. असुर, अगारिया
2. बइगा
3. बंजारा
4. बाथूडी
5. बेदिया
6. हटा दिया है
7. बिनझिया
8. बिरहोर
9. बिरजिया
10. चेरो
11. चिक बारिक
12. गोंड
13. गोरइत
14. हो
15. करमाली
16. खारिया, घेलकी खारिया, दुध खारिया, हिल खारिया
17. खारवार
18. खोंड
19. किसान, नगेशिया
20. कोरा, मुडी-कोरा

21. कोरवा
22. लोहारा, लोहरा
23. महली
24. मल पहाडिया, कुमारभाग पहाडिया
25. मुंडा, पतार
26. ओरान, धानगर (ओरांव)
27. परहइया
28. सन्ताल
29. सउरिया पहारिया
30. सवर
31. कवार
32. कोल
33. थारू

छत्तीसगढ़

1. अगारिया
2. अन्ध
3. बैगा
4. भैना
5. भारिया भूमिया, भूइंहार भूमिया, भूमिया, भारिया, पलिहा, पान्डो
6. भत्रा
7. भील, भीलाला, बरेला, पटेलिया
8. भील मीना
9. भून्जिया
10. बीअर, बीयार
11. बीन्जवार
12. बिरहुल, बिरहोर
13. डामोर, डामारिया
14. धँवर
15. गडाबा, गाडबा
16. गोंड़, अराक, अराख, अगेरिया आसुर, अबुझमारिया बादी मारिया, बादा मारिया, भटोला, भीमा, भूटा, कोलियाबूटा, कोलियाबूटी, भर, बीसोनहोरन मरिया, छोटा मरिया, डान्डामी मरिया, धुरू, धुर्वा, धोबा, धुलिया, डोरला, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड ग्वारी, हिल मारिया, कन्दरा, लंगा, खटोला, कोयतार, कोया, खिरवार, खिरवारा, कूचा मारिया, कूचकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मानेवर, मोघिया, मोगिया, मोंघिया, मूडिया, मूरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, गोंड, सोनझारी झरेका, थाटिया, थोटिया, वादे मरिया, वाद मारिया, दरोई
17. हल्बा, हल्बी
18. कमार
19. करकु
20. कवर कंवर, कौर, छेरवा, राथिया तंवर, छत्री
21. खैरवार, कोन्दार
22. खैरिया
23. कोन्ध, खोन्द, कन्ध
24. कोल
25. कोलम
26. कोरकू बोपची, मुआसी, नीहाल, नाहुल बोन्धी, बोन्देया
27. कोरवा, कोड़ाकू, पहाड़ी कोरवा
28. मांझी
29. मझवार
30. मवासी
31. मुण्डा
32. नागेसिया, नागासिया
33. ओरान धानका, धानगाड
34. पाओ
35. परधान, पाथरी, सरोती
36. परधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता परधी, लंगोली परधी, फन्स परधी, शिकारी, टकान्कर, टकिया (i) बसतर, दांतेवाडा, कांकेर, रायगढ, जसपुरनगर, सरगुजा और कोरिया जिले और (ii) कोटगोडा, पाली, करतला और कोरबा जिले की कोरबा तहसील (iii) बिलासपुर, पंडेरा, कोटा, विलासपुर जिले की तख्तपुर तहसीलें (iv) दुर्ग जिले के दुर्ग पाटनगुंडनडेही, धांधा, बलोद, गुरुर और डोंडिल होड़ा तहसील (v) चौकी, मानपुर और राजनंदगांव जिले का मोहाला रेवेन्यू सर्किल इंस्पेक्टर (vi) महासमुंद जिले की महासमुंद, सरायपाली की बसना तहसील (vii) बिंद्रानावगढ रजीम और रायपुर जिले की देवोभोग तहसील

(viii) धमतरी जिले की धमतरी, कुरूद और सिहावा तहसील

37. परजा
38. सहारिआ, सहारिया सेहरिया, सोसिआ, सोर
39. साओन्ता, साउन्ता
40. साउर
41. सावार, सावारा
42. सोनर

गोवा

1. धोदिया
2. दुबला (हलपती)
3. नैकदा (तालविया)
4. सिद्धी (नायका)
5. वरली
6. कुन्बी
7. गवडा
8. वेलिप

गुजरात

1. बारदा
2. बवाछा, बमाछा
3. भारवाड (अलेचा, बारदा और गिर के जंगलों में)
4. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भीलाला पावरा, वसावा, वसाए
5. छारन (एल्चा वारदा और गिर के जंगलों में)
6. चौधरी (सूरत और वलसाद जिलों में)
7. चौधरी
8. धानका, ताडवी, तेतारिया, वाल्वी
9. धोदिया, धोदी
10. दुबला, तलावइया, हलपाती
11. गामित गामता, गावित मावछी, पादवी
12. गोंड राजगोंड
13. कथोडी, कतकारी, ढोरकथोडी ढोरकतकारी, सोन कथोडी सोन कतकारी
14. कोकना, कोकनी कुकना
15. हटा दिया गया
16. कोली ढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा
17. कुनबी (डांग जिले में)
18. नायकडा, नायका, चोलीवाला नायका, कपाडिया नायका, मोटा नायका, नाना नायका
19. पधार
20. हटा दिया गया
21. परघी अदवीचिंचर, फान्से पारघी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, राजकोट, और सुरेन्द्रनगर जिलों के अतिरिक्त)
22. पटेलिया,
23. पोमला
24. रबारी (अलेच्छ, बरादा और गिर के जंगलों में)
25. राथवा
26. सिद्दी, सिद्दी बादशान (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़ राजकोट और सुन्दरनगर जिलों में)
27. हटा दिया गया
28. वरली
29. विटोला, कोतवालिया, बरोदिया
30. भील, भीलाला बरेला पटेलिया
31. तडवी भील, बावरा, वसावे,
32. पदवी

हिमाचल प्रदेश

1. भोत, बोध
2. गद्दी
3. गुज्जर
4. जाड, लाम्बा, खाम्पा
5. कनउरा, किन्नर
6. लाहउल
7. पांगवाला
8. स्वांगला
9. बेटा, बेडा
10. डोम्बा, गारा, जोबा

जम्मू और कश्मीर

1. बालटी,
2. बेदा
3. बोत, बोतो
4. ब्रोकपा, ड्रोकपा, दार्द, शिन
5. छांगपा
6. गारा
7. मोन
8. पुरिगपा
9. गुज्जर
10. बकरवाल
11. गद्दी
12. सिप्पी

झारखंड

1. असुर, अगारिया
2. बैगा
3. बनजारा
4. बठूडी
5. बेदिया
6. बिंझिया
7. बिरहोर
8. बिरजिया
9. चेरो
10. चिक बराइक
11. गोंड
12. गोरइत
13. हो
14. करमाली
15. खारिया, धोलकी, खारिया, दुध खारिया, हिल खारिया
16. खारवार
17. खोंड
18. किसान, नगेशिया
19. कोरा, मुडी कोरा
20. कोरवा
21. लोहरा
22. महली
23. मल पहारिया, कुमारबाग पहाडिया
24. मुंडा, पतार
25. उरांव, धानगर (ओरांव)
26. परहया
27. सन्थाल
28. सोरिया पहारिया
29. सवार
30. भूमिज
31. कवार
32. कोल

कर्नाटक

1. आदियान
2. बरदा
3. बवाचा, बामचा
4. भील, भील गरसिया, ढोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरसिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भागालिया भीलाला, पावरा, वसावा, वसाए
5. चेंचू, चेंचवार
6. चौधरा
7. दुबला, तालविया, हालपति
8. गामित, गामता, गावित, मावछी पदवी वालवी
9. गौड, नाइकपोड, राजगोंड,
10. गौडालू
11. हक्किपिक्कि
12. हसलारू
13. इरूलार,
14. इरूलिगा,
15. जेनू कुरूबा
16. काडू कुरूबा
17. कम्मारा (दक्षिण कनारा जिला तथा मैसूर जिले के कोलेगल तुलुक में)
18. कनियन, कन्यन (मैसूर जिले के कोलेगल तालुक में)
19. कथोडि, कटकारि, ढोर कथोडि, ढोर कतकारी, सोन कथोडि, सोन कतकारि
20. कट्टूनायकन
21. कोकना, कोकनी, कूकना
22. कोली ढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलहा
23. कोन्डा कापस
24. कोरगा
25. कोटा
26. कोया, भीने कोया, राजकोया
27. कुड़िया, मेलाकुडि

28 कुरूबा (कूर्ग जिले में)

29. कुरूमान

30. महा मलासर
31. मलाइकुडि
32. मालासर
33. मलायेकान्डि
34. मालेरू
35. मराठा (कुर्ग जिले में)
36. मराठी (दक्षिणी कनारा जिले में)
37. मेडा, मेडारा, मेदारी, गोरिगा, बुरूद
38. नायकडा, नायक, चोल्लिवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक, नाइक, नायक, बेड़ा, बेदार, और वाल्मिकि
39. पल्लियन
40. पानियां,
41. पारधी, अड्विचिन्चेर, फेन्स पारधी, हरंशिकारी
42. पटेलिया
43. रथावा
44. शोलगा
45. सोलिगारू
46. टोडा
47. वारलि
48. वितोलिया, कोतवालिया बरोडिया
49. येरावा
50. सिद्धी (उत्तर कन्नड जिले में)

केरल

1. अदियन,
2. अरान्दन, *अरांधान*
3. इरावल्लन
4. हिल पुलाया, *माला पुलायन कुरन्म्बा पुलायान, करवाझी पुलायन, पाम्बा पुलायन*
5. इरूलार इरूलान
6. कदार, *वायनाड कदार*
7. *हटा दिया गया*
8. कनिकारन, कनिक्कार
9. कट्टूनायकन
10. *कोच्चुवेलन*
11. हटा दिया गया
12. हटा दिया गया
13. कोरगा
14. हटा दिया गया
15. कुदिया मेलाकुड़ि
16. कुरिच्छान, **कुरिचियन**
17. कुरूमान, **मुल्लु कुरूमान**, *माला कुरूमान*
18. कुरूम्बास, *कुरुम्बार, कुरुम्बान*
19. महा मालासर
20. मलाई आर्यान, *माला आर्यन*
21. मलाई पंडाराम
22. मलाई वेदान, मालावेदान
23. मालाकुरवन
24. मालासार
25. **मालायन**, *नत्तु मालायन, कोंगा मलायन, (कसारगोडे, कन्नानोर, वायनाड और कोजीकोड जिलों को छोड़कर)*
26. मालायरयार
27. मन्नान
28. *मराति (कसार गौड जिले के होस दुर्ग और कसार गौड तालुका)*
29. मुथुवन, मुदुगर, मुदुवन
30. **पालेयान, पालीयान, पालीयार, पालीयान**
31. *हटा दिया गया*
32. *हटा दिया गया*
33. पानियान
34. उलादन, **उलातन**
35. उरली
36. *माला वेत्तुवन (कसारगोड तथा कन्नुर जिलों में)*
37. *तेन कुरुम्बान, जेनु कुरुम्बान*
38. **थाचानदान, थाचानदान, मूपान**
39. **चोलानैकान**
40. **माविलन**
41. **करीमपलान**
42. **वेटा कुरुमान**
43. **माला पनिक्कर**

मध्य प्रदेश

1. अगारिया
2. अन्ध
3. बैगा
4. भैना
5. भारिया भूमिया, भूइन्हार भूमिया, भूमिया, भारिया, पलिहा, पान्डो
6. भथरा
7. भील, भेलाला, बरेला, पटेलिया
8. भील मीना
9. भून्जिया
10. बीअर, बीआर
11. बीन्जवार
12. बिरहुल, बिरहोर
13. डामोर, डामारिया
14. धँवर
15. गडाबा, गडबा
16. गोंडय अराक, अराख, अगेरिया, अगारिया, आसुर, बादी मारिया, बादा मारिया, भटोला, भीमा, भूटा, कोलियाबूटा, कोलियाबूटी, भर, बीसोनहोरन मरिया, छोटा मरिया, डान्डीमी मरिया, धुरू, धुर्वा, धेबा, धुलिया, डोरलो, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड गौरी, हिल मरिया, कन्दरा, कलंगा, खटोला, कोएतार, कोया, खिरवार, खिरवारा, कूचा मरिया, कूचिका मरिया, मडिया, मरिया, माना, मानेवर, मोघिया, मोगिया, मोंघिया, मूडिया, मूरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राझ, सोनझारी झरका, थाटिया, थोटिया, वादी मरिया, वादी मरिया, दरोई
17. हल्बा, हल्बी
18. कमार
19. कोरकु
20. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया तंवर, छत्री
21. *(हटा दिया गया)*
22. खैरवार, कोन्दार
23. खैरिया
24. कोन्ध, खोन्द, कन्ध
25. कोल
26. कोलम
27. कोरकु बोपची, मेउआसी, नीहाल, नाहुल बोन्धी, बोन्देया
28. कोरवा, कोड़ाकू
29. माझी
30. मझवार
31. मवासी
32. हटा दिया गया
33. मुण्डा
34. नागेसिया, नागासिया
35. ओरान, घांका, धांगाद
36. पानिका (छतरपुर पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया सीधी तथा टीकमगढ़ जिले और दतिया जिले का सेवाड़ा और दतिया तहसील)
37. पाओ
38. प्रधान, पठारी, सरोटी
39. *हटा दिया गया*
40. परधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता परधी, लंगोली परधी, फन्स परधी, शिकारी टकान्कर, टकिया [(i) बस्तर, छिन्दवाड़ा, मंडला, डिंडौरी सिवनी जिलों में (ii) बाला घाट जिले में बैहर तहसील (iii) बेतुल जिले के बेतुल, शाहपुर और भैंस डेही तहसीलों में (iv) जवलपुर जिले के पटन तहसील और सिहोरा एवं मंझाली ब्लॉक
(v) कटनी जिले के कटनी (भुरवाड़ा) विजय राघोगढ़ तहसील तथा बहोरीबंधा तथा घेमरखेड़ा ब्लाक
(vi) होशंगाबाद जिले के होशंगबाद, बबाई, सोहागपुर, पिपरिया, बांकखेड़ी तहसील और किस्ला ब्लाक (vii) नरसिंहपुर जिला
(viii) खांडवा जिले के हरसुद तहसील में ,
41. परजा
42. सहारिआ, सहारिया सेहरिया, सेहरिया, सोसिया, सोर
43. साओन्ता, साउन्ता
44. साउर
45. सावार, सावारा
46. सोनर

महाराष्ट्र

1. अंध
2. बेगा
3. बारदा
4. बावाचा, बामचा
5. भाइना
6. भारिया, भूमिया, भूइंहार, भूमिया, पान्डो
7. भातरा
8. भील, भीलगरासिया, ढोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तादवी भील भागालिया, भिलाला, पावरा, बसावा, वासावे
9. भूंजिया
10. बिंझवार
11. बिरहुल, बिरहोर
12. *हटा दिया गया*
13. धानका, तादवी, तेतरिया, वाल्वि
14. धानवार
15. धोदिया
16. दुबला, तालाविया, हलपति
17. गामित, गमता, गवित, मावछी पाडवी
18. **गोंड, राजगोंड,** अरख, अर्राख, अगारिया, असुर बादी मारिआ, बड़ा मारिआ, भटोला, भीम्मा, भूटा, कोइलाभूटा कोइलाभूटी, भार, बिशोनहर मारिआ, छोटा मारिआ, दांन्दमी मारिआ धुरू, धुरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, गाइकी, गात्ता, गात्ति, गैता, गौंड़, गोवारी, हिल मारिया कांद्रा कालगा, खटोला कोइतार कोया, खिरवार खिरवारा, कुछा मारिया, कुछकी मारिया, माडिया मारिया, माना, मान्नेवार, मान्नेवार, मोघया, मोगिया, मोंधया, मुदिया, मुरिया नागारची, नाइकपोड, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझारी, झारेका थातिया, थोट्या, वाडे मारिया, वाडे मारिया
19. हलबा, हल्बी
20. कामर
21. कथोड़ी, कटकारी, ढोर कथोडी, ढोर कथकारी, सोन कथोडी, सोन कतकारी
22. कवर, कँवर, कौर, छेरवा, राथिया, तँवर, छत्री
23. खैरवार
24. खारिया
25. कोकना, कोकनी, कुकना
26. कोल
27. कोलम, मन्नेरवारलू
28. कोलीढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलगा
29. कोली महादेव, डोंगर कोली
30. कोली मल्डार
31. कोंध खोंध कन्ध
32. कोरकू, बोपची, मोउआसी, निहाल, नाहुल बोन्धी बोन्देया
33. कोया, भीने कोया, राजकोया
34. नागेसिया नागासिया
35. नाइकदा, नायक, छोलीवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
36. ओरान, धानगर
37. परधान, पठारी सरोती
38. पारद्यी, अडवीचिंन्चेर, फान्स परधी फान्से परद्यी लांगोली परधी, बहेलिया, छिट्टा परधी, शिकारी, ताकन्कार ताकिया
39. पारजा
40. पटेलिया
41. पोमला
42. रथावा
43. सवार, सवारा
44. ठाकुर, ठाकर, का ठाकुर, का ठाकर मा ठाकुर, मा ठाकर
45. **हटा दिया गया**
46. वारली
47. विटोलिया, कोतवालिया, बडोदिया

मणिपुर

1. अइमोल
2. अनाल
3. अनगामी
4. छिरू
5. छोथे
6. गांगते
7. हमार
8. काम्बुई
9. कच्चा नागा
10. कोइराओ
11. कोइरेंग
12. कोम
13. लामगांग
14. माओ
15. मारम
16. मारिंग
17 कोई भी मीजो (लुशई) जनजाति
18. मोनसांग
19. मोयोन
20. पाइटे
21. पुरूम
22. राल्टे
23. सीमा
24. सीमते
25. सुथे,
26. तांगखुल
27. थाडोउ
28. वाइफुई
29. जोउ
30. पौमाई नागा
31. ताराव
32. खराम
33. कोई कुकी जनजाति
34. माते

मेघालय

1. चकमा
2. दिमसा, कछारी
3. गारो
4. हाजोंग
5. हम्मार
6. खासी जयंतिया स्येनतेग प्नार, वार, भोइ ल्येनगनगाम सहित
7. कोई भी कूकी जनजाति निम्न सहित:

(i) बइते बिएते
(ii) छंगसान
(iii) चोंगलोइ
(iv) डोउन्गेल
(v) गमाल्हू
(vi) गंगत
(vii) गुइते
(viii) हान्नेंग
(ix) हाओकिप या हाउपिट
(x) हाओलाई
(xi) हेंगना
(xii) होनसुंघ
(xiii) हरांगकोवाल या रंगखोल
(xiv) जोंगबे
(xv) खावचांग
(xvi) खवथलांग, खोथालांग
(xvii) खेल्मा
(xviii) खोल्हू
(xix) किपजेन
(xx) कुकी
(xxi) लेनथांग
(xxii) ल्हांगम
(xxiii) ल्होउजेम
(xxiv) ल्होउवेन
(xxv) लुपहेंग
(xxvi) मांगजेल
(xxvii) मिसाओ
(xxviii) रिआंग
(xxix) सइरहेम
(xxx) सेलनाम
(xxxi) सिंगसन
(xxxii) सितल्होउ
(xxxiii) सुक्ते
(xxxiv) थादो
(xxxv) थागंनगेऊ
(xxxvi) उईबुह
(xxxvii) वाइफेई, सहित

8. लाखेर
9. मन (थाई बोलने वाले)
10. कोई भी मीजो (लुसाई) जनजाति
11. मिकिर
12. कोई भी नागा जनजाति
13. पावी
14. स्येनतेंग
15. बोरो कचारिस
16. कोछ
17. राबा, रावा

मिजोरम

1. चकमा
2. दिमसा (कछारी)
3. गारो
4. हांजोग
5. हम्मार
6. खासी और जयंतिया (खासी, स्येनतेग या प्नार, वार, भोइ या ल्येनगनगाम सहित)
7. कोई भी कूकी जनजाति निम्न सहित:

(i) बइतेथा बिएते
(ii) छंगसान
(iii) चोंगलोइ
(vi) डोउन्गेल
(v) गमाल्हू
(vi) गंगत
(vii) गुइते
(viii) हान्नेंग
(ix) हाओकिप या हाउपिट
(x) हाओलाई
(xi) हेंगना
(xii) होंनसुघ
(xiii) हरांगकोवाल या रंगखोल
(xiv) जोंगबे
(xv) खावचांग
(xvi) खवथलांग या खोथालांग
(xvii) खेल्मा
(xviii) खोल्हू
(xix) किपजेन
(xx) कुकी
(xxi) लेनथांग
(xxii) ल्हांगम
(xxiii) ल्होउजेम
(xxiv) ल्होउवेन
(xxv) लुपहेंग
(xxvi) मांगजेल
(xxvii) मिसाओ
(xxviii) रिआंग
(xxix) सइरहेम
(xxx) सेलनाम
(xxxi) सिंगसन
(xxxii) सितल्होउ
(xxxiii) सुक्ते
(xxxiv) थादो
(xxxv) थांगनेऊ
(xxxvi) उईबुह
(xxxvii) वाइफेई,

8. लाखेर
9. मन (थाई बोलने वाले)
10. कोई भी मीजो (लुसाई) जनजाति
11. मिकिर
12. कोई भी नागा जनजाति
13. पावी
14. स्येनतेंग
15. पैते

नागालैंड

1. नागा
2. कुकी
3. कचारी
4. मिकिर
5. गारो

ओडिशा

1. बगता, भक्ता
2. बइगा
3. बनजारा, बनजारी
4. बाथूडी, बाथूरी
5. भोत्ताड़ा, धोताडा, भोतरा, भतरा, भत्तरा, भौतोरा, भतारा
6. भूइया, भूयान,
7. भूमिया
8. भूमिज, तेली भूमिज, हल्दीपोखरिया भूमिज, हल्दी पोखरिया भूमिजा, देसी भूमिज, देसिया भूमिज, तमारिया भूमिज
9. भूंजिया
10. बिन्झाल, बिंझवार
11. बिनझिआ, बिनझोआ
12. बिरहोर
13. बांडो पोराजा, बोंडा परोजा, बोंडा परोजा
14. चेनछू
15. दाल
16. देसुआ भूमिज
17. धारूआ, धुरूबा धुरूआ
18. दिदायी, दिदायी परोजा, दिदाई
19. गडाबा, बोडो गडाबा, गुतोब गडाबा, कापु गडाबा, ओलारा गडाबा, पेरंगे गदाबा, सोनो गदाबा
20. गांडिया

21. धारा
22. गोंड, गोंडो राजगोंड, मारिया गोंड, धुर गोंड
23. हो
24. होल्वा
25. जतापु
26. जुआंग
27. कंधा गैदा
28. कवार, कंवर
29. खारिया, खरियन, बेरगा खारिया, डेलकी खारिया, दुध खारिया, एरेंगा खारिया, मुंडा खारिया, ओरांव खारिया, खाडिया, पहाड़ी खारिया
30. खरवार
31. खोंड, कोंड, कधा, नंगुली, कंधा, सीता केंधा, कोंधा, कुई, बुदा कोंध, बुरा, कंधा, देसिया कंधा, दुंगारिया कोंध, कुटिया कंधा, कंधा गौड़, मुली कोंधा, मालुआ कोंधा, पेंगो कंधा, राजा कोंधा, राज खोंड
32. किसान, नगेसर, नगेसिया
33. कोल
34. कोलाह लहारस, कोल लोहारस
35. खोल्हा
36. कोली मल्हार
37. कोंडाडोरा
38. कोरा, खारा, खयारा
39. कोंरूआ
40. कोटिया
41. कोया, गुम्बा कोया, कोइतुर कोया, कमार कोया, मुसार कोया
42. कुलिस
43. लोधा, नोधा, नोधा, लोधा
44. मादिया
45. महाली
46. मनकिदी
47. मनकिरदिया, मनकरिया, मनकिदी
48. मत्या, मातिया
49. मिरधास, कुदा, कोदा
50. मुंडा, मुंडा लोहारा, मुंडा महालिस, नागाबंशी मुंडा, उड़िया मुंडा
51. मुंडारी
52. ओमनत्य, ओमनत्यो, आमनत्य
53. ओरांव, धानगर, उरान
54. परेंगा
55. परोजा, पराजा, बोडो परोजा, बरोंग झोदिया परोजा, चेलिया परोजा, झोदया परोजा, कोंडा परोजा, पराजा, पोंगा परोजा, सोदिया परोजा, सोनो परोजा, सोलिया परोजा
56. पेंटिया
57. राजौर
58. संताल
59. साओरा, सावर, सौरा, सहारा आरसी साओरा, बसेड साओरा, भीमा साओरा, भीम्मा साओरा, चुमुरा साओरा, जरा सावर, जादु साओरा, जती साओरा, जुआरी साओरा, साओरा, कन्पू, कापोसओरा, कम्पा साओरा, किंदल साओरा, कुंबी कंचेर साओरा, कलपितिया साओरा, किराट साओरा, लांजिया साओरा, लाम्बा लांजिया साओरा, लुआरा साओरा, लुआर साओरा, लारिया सावर, मलिया साओरा, मल्ला साओरा, उड़िया साओरा, राइका साओरा, सुद्दा साओरा, सारदा साओरा, तंकला साओरा, पटरो साओरा, वेसु साओरा
60. शबार, लोधा
61. सौंटी
62. थारूआ, थारूआ बिंदानी

राजस्थान

1. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डुंगरीभील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तादवी भील, भगालिया, भीलाला, पावरा, वासवा, वासावे
2. भील मीना
3. दामोर, दामारिया
4. धानका, तादवी, तेतरिया, वाल्वी
5. गरासिया (राजपूत गरासिया के अतिरिक्त)
6. कथोडि, काटकारी, ठोर कथोड़ि, ठोर काटकारी, सोन कठोडी, सोन काटकारी
7. कोकना, कोकनी, कुकना
8. कोली ढ़ोर, टोकरे कोली,कोलचा, कोलगा
9. मीना
10. नाइकदा, नायक, छोलीवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
11. पटेलिया
12. सेहारिया, सेहरिया सहारिया

सिक्किम

1. भुतिया (चुंबिपा, दोपथापा, दुकपा, कागेती, शेरपा, तिबतेन, तरोमोप, योल्मो सहित)
2 लेपचा
3 लिम्बू
4 तमांग

तमिलनाडु

1. आदियान
2. आरानादान
3. इरावल्लान
4. इरूलार
5. कादर
6. कम्मारा (कन्याकुमारी जिला एवं तिरूनेलवेलि जिले के शेनकोट्टा तालुक के अलावा)
7. कनीकारन कनीक्कार (कन्याकुमारी व तिरूनेलवेल्लि जिले के शेनकोट्टा और **अम्बासमुद्रम तालुक** में)
8. कनियान, कन्यान
9. कट्टनायकन
10. कोच्युवेलन
11. कोंडा कापस
12. कोंडारेड्डी
13. कोरगा
14. कोटा (कन्याकुमारी जिला एवं तिरूनेलवेलि जिले के शेनकोट्टा तालुक को छोड़कर)
15. कुडिया, मेलाकुडी
16. कुरिच्छान
17. कुरूम्बा (नीलगिरि जिले में)
18. कुरमांस
19. महा मलासर
20. मलाई आर्य
21. मलाइ पण्डाराम
22. मलाई वेदन
23. मलाक्कुरावन
24. मालासर
25. मलयाली (धर्मपुरी, उत्तरी अरकोट, पुदुकोट्टाई, सालेम, दक्षिणी अरकोट और तिरूचना पल्ली जिले में)
26. मलायेकान्डी
27. मन्नान
28. मुदुगार, मुदुवान
29. मुत्थुवान
30. पल्लेयान
31. पल्लियान
32. पल्लियार
33. पनियान
34. शोलागा
35. टोडा (कन्याकुमारी जिले वे तिरूनेलवलि जिले के शेनकोट्टा तालुक को छोड़ कर)
36. यूराली

तेलंगाना

1. अन्ध, साधु अन्ध
2. बगता
3. भील
4. चेंचू,
5. गदाबास, बोडो गदाब, गुतोब गडाबा, कालायी गडाबा, परांगी गडाबा, कठेरा गडाबा, कापु गडाबा
6. गोंड, नाइकपोड़, राजगोंड, कोईतुर
7. गौडु (एजेन्सी क्षेत्रों में)
8. पहाड़ी रेड्डी
9. जातपुस
10. कम्मारा
11. कट्टूनायकन
12. कोलम, कोलवर
13. कोन्डा धोरस, कुबी
14. कोन्डा कापुस, ।
15. कोन्डारेड्डी
16. कोन्ध कोडी, कोध, देस्या कोन्ध, डोंगरिया कोन्ध, कुटीया कोन्ध, टिकिरिया कोंध, मेनिती, कोंध, कुविंगा
17. कोटिया, बेन्थो उड़िया, बारतिका, दुलिया, होल्वा, सनरोना, सिधोपाइको
18. कोया, डोली कोया, गुट्टा कोया, कमारा कोया, मुसारा कोया, ओडी

कोया, पट्टडी कोया, राजा, रश कोया, लिन्गधारी, कोया (सामान्य), कोट्टू कोया, भीने कोया, राजकोया
19. कुलिया,
20. मन्ना धोरा
21. मुक्खा धोरा, नुका धोरा,
22. नायक (एजेन्सी क्षेत्रों में)
23. परधान
24. परजा, पारंगीपेरजा
25. रेड्डी धोरा
26. रोना, रेना,
27. सवारस कपू सवारस, मालिया सवारस, खुट्टो सवारस,
28. सुगालिस, लम्बादि, बंजारा
29. थोटी (अडिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूब नगर, मेदक, नालगोंडा, निजामाबाद, वारंगल जिले में)
30. येनादिस, चेल्ला येनादी, कपाला येनादी, मांची येनादी, रेड्डी येनादी
31. येरूकुलस, कोरचा, डब्बा येरूकुला, कुंचापुरी येरूकुला, उप्पु येरूकुला
32. नक्काला, कुरविकरन

त्रिपुरा

1. भील
2. भूटिया
3. छइमल
4. चकमा
5. गारो
6. हालाम, बेंगशेल, डुब केइपेंग, कलाई, कारबोंग, लेंगुई, मुस्सुम, रपिनी, सुकुचेप, थांगचेप
7. जमातिया
8. खासिया
9. कूकी, निम्न उप जन जातियों सहित:-
   (i) बालते
   (ii) बेलालहुट
   (iii) छाल्या
   (iv) फुन
   (v) हजांगो
   (vi) जांगतेइ
   (vii) खोरेंग
   (viii) खेपफोंग
   (ix) कुन्तेइ
   (x) लाइफांग
   (xi) लेन्तई
   (xii) मिजेल
   (xiii) नामते
   (xiv) पाइतु, पाइते
   (xv) रांगचांग
   (xvi) रांगखोले
   (xvii) थांगलुया
10. लेपचा
11. लुशाइ
12. माग
13. मुण्डा, कौर
14. नोआटिया, मुराशिंग
15. ओरांग
16. रियांग
17. सन्ताल
18. त्रिपुरा, त्रिपुरी तिप्पेरा
19. उछाई

उत्तराखंड

1. भोटिया
2. बुक्सा
3. जोनसारी
4. राजी
5. थारू

उत्तर प्रदेश

1. भोतिया
2. बुक्सा
3. जन्नसारी
4. राजी
5. थरू
6. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पाथरी, राज गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ आजमगढ़, जोनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में)
7. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में)
8. सहारिया (ललितपुर जिले में)
9. परहइया (सोनभद्र जिले में)
10. बइगा (सोनभद्रा जिले में)
11. पंखा, पानी का (सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में)
12. अगारिया (सोनभद्र जिले में)
13. पतारी (सोनभद्र जिले में)
14. चेरो (सोनभद्र और वाराणसी जिलों में)
15. भुइया, भुइन्या (सोनभद्र जिले में)

पश्चिम बंगाल

1. असुर
2. बइगा
3. बदिया, बेदिया
4. भूमिज
5. भूटिया, शेरपा, टोटो, दुकबा, गगाते, तिब्वती योल्मो
6. विरहोर
7. बिरजिया
8. चकमा
9. छेरो
10. चिक बारिक
11. गारो
12. गोंड
13. गोरइत
14. हाजांग
15. हो
16. करमाली
17. खारवार
18. खोंड
19. किसान
20. कोरा
21. कोरवा
22. लेप्चा
23. लोधाा खेरिया, खारिया
24. लोहार, लोहरा
25. माघ
26. महाली
27. माहली
28. मल पहारिया
29. मेच्छ
30. मरू
31. मुण्डा
32. नागेसिया
33. ओरान
34. परहाइया
35. रभा
36. सन्ताल
37. सउरिया पहरिया
38. सवार
39. लिम्बू (सुब्बा)
40. तमांग

अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह

1. अंडमानी, चारियार, चारी, कोरा, ताबो, बो येरे, केडे, बी, बलवा, बोजीगियाब, जुवाई, कोल
2. जारवास
3. निकोबारी
4. ओंगेस
5. सेंटाइनलीस
6. शोम पेन्स

दादर व नगर हवेली

1.	धोडिया	4.	कोकना	6.	नइकदा या नायक
2.	दुबला हालपति सहित	5.	कोली धोर कोलघा सहित	7.	वारली
3.	कठोडी				

दमन व दीव

संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र में :		2.	दुबला (हालपति)	4.	सिद्वी (नायक)
1.	धोडिया	3.	नइकडा (तालावी)	5.	वारली

लक्षद्वीप

सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र में :-

लक्कादीव, मिनिकोय और अमिनिदिवी द्वीपों के निवासी जो स्वयं और जिनके माता-पिता दोनों इन द्वीपों में पैदा हुए थे। 'बशर्ते ऐसे बच्चे जो भारत की मुख्य भूमि पर किसी अन्य स्थान पर लक्षद्वीप के निवासियों के संतान के रूप में पैदा हुए हैं, को यदि वे स्थायी रूप से इन द्वीप समूहों में बस गए हैं, तो, इन द्वीप समूहों के पैदाइशी निवासी माना जाएगा।'

स्पष्टीकरण :- 'स्थायी रूप से बसने' शब्द का अर्थ वही होगा जैसा कि लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 1994 के खण्ड 3(I)(घ) में परिभाषित किया गया है।

नोट :- यदि उपर्युक्त सूची के समुदाय की वर्तनी में किसी प्रकार का अंतर पाया जाता है तो संबंधित मूल अधिसूचना अंतिम तथा अधि प्रमाणित होगी।

अनुलग्नक 6-ग

अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य-वार सूची

आन्ध्र प्रदेश*

(1) **महबूबनगर जिले के आचमपेट तालुका के** बालमोर, कोदनांगोल, बनाल, बिलाकास, धारावारभ, अप्पाइपाली, रासुल छेरनुव, पुलेछेलमा मारलापया, बुर्ज गुंडाल, अगारला पेन्टा, पुल्लाइपाली, दुक्कान पेंटा, बिकिट पेंटा कारकार पेंटा, बोरामाछेरन्वू, येमेलापाया, इरलापेंटा, मुरारदीपेंटा, तेरकालदारी, वकारामामिदी पेंटा, मेडी मानकल, पंडीबोरे, संगरी गुण्डल, लिंगबोर, रामपुर, अप्पापुर मालापुर, जलालपैंटा, पीमानपेण्टा, रायलेट, वेटीलापाली, पातुर बयाल, भावीपैंटा नारदी पेंटा, तपासीपेंटा, चन्द्रगुप्ता, युल्लुकातरेवु, तिम्मारेड्डीपाल्लि, सारलापाल्लि, ततिगुण्डाल, इल्पामायेहेना, कोमान पेंटा, कोल्लामपेंटा मानानूर, माछाराम, मलहामाम्डी, वेकेटेश्वरला बावी, अमराबाद, तिरमालपुर, उपनुटोला, मघवनपल्लि, जगमरेड्डी पाल्लि, पेदरा, वेंकेश्वरम, चितलाम कुंटा, लाछमापुर, उदमेला, मारेड़, इप्पालापाली मड्डीमाडाग, अक्काराम, अइनोल, सिद्दापुर, बमानपाली, गनपुरा और मानेवारपल्लि गांव।

(2) **आदिलाबाद जिले के आदिलाबाद तालुका के** मलाइ बोरगोवा, अनकानपुर, जामुलाद्यारी, लोकारी, तान्तोली, सीतागोंटी, बुरनूर, नवगांव, पीपलदारी, पारदी बुजुर्ग, यापाल गुदा, छिनछूघाट, वानकोली, कानपा, अवसोदा बुरकी, मलकापुर, जारी, पालसी बुजर्ग, आरिल खुर्द, नन्दगांव, वाघापुर, पालसीखुर्द, लिंगी, कफ़र देनी, रतनापुर, कोसाइ, उमारी, मदनपुर, अम्बूगांव, रूयेअडी, सकानपुर, दादगांव, कसलापुर, डोरली, साहाजी, सांगवी, खोगदूर, कोबाई, पोनाला, छापराला, मंगरोल, कोपा, अरगूने, सोअनखास, खिडकी, खासल खुर्द, खासल बुजर्ग, जामनी, बोरगांव, सयेद पूर, खारा, लोहारा, मारीगांव, छिछदारी, खानापुर, खण्डाल, तीपा, हाती, घोता, करोदखुर्द, करोनी बुजर्ग, सिंगापुर, वुरानपुर, नागराला, बोदाद, छांदपेल्ली, पीतगेन, येकोरी, सादारपुर, वारूर, रोहार, तकाई तकली और रामखाम गांव।

(3) **आदिलाबाद जिले के किनवात तालुका के** अम्बारी, बोदरी, छिकली, कामताला, घोती, मांडवा, मेरेगांव, मालबोर गांव, पटोडा, दहीगांव, दोमेन घारी, दरसांगी, डिघरी, सिंदगी, कनकवाड़ी, कोपरा, मलाकवाडी निसपुर एन्डा, पीपलगांव, बलजा, वारोली, अन्जी, भीमपुर, सिरमेती, केरल, कोठारी, गोकुड़ा, गोगरवुडी, मलकापुर, द्योनोरा, रामपुर, पातरी, परोद्यी, बाओथ दरसांगी, नोरगांव, उनरसी, गोदी, साउरखेर नायकवाड़ी, सरकानी, वाझेरा, मारदाप, अंजेरखेर, गोण्डवारसा, पलाइगुडा करालगांव, पाल्सी, पटोड़ा जवारला, पीपलगांव, कानकी, सिंगोरा, डोगरगांव, पीपल सेंद्या, जुरूर, मिनकी तुलसी, माचौरड़ेर, पारधी मुरली, टाकरी, पारसा, वारसा, उमरा, अश्ता, हिंगनी, तिमारपुर, बाजरा, बानोला पाटसोन्डा, धनोरा, साकुर और डिगरी गांव।

(4) **आदिलाबाद जिले के बोथ तालुका के** हतनूर, बाकरी, पारद्यी, करतान्डा, सेरलापाल्लि, नेरादी-कोन्डा, डालीगाओ, कुनताला वेंकटपुर, हसनपुर, सुरदापुर, पोलमामदा, बाल्हनपुर, धार्मपुरी, गोकोडां भोताई, कोरसेकाल, पतनापुर, तेजापुर, गुरूज, खाहदीगुडी, राजुरवाड़ी, इसपुर घानपुर, जतेरला, खान्तेगांव, साउरी, इछोरा, मुतनुर, गुडी हाटनूर, तालमेडी, गेरजाम छिनछोली, सिरछेलमा, मनकापुर, नारसापुर, धार्मपुर, हरकापुर, धाामपुर, निगनी, अजारवजार, चिन्तलबोरी, रामपुर, गंगापुर और गयात्पाली गांव।

(5) **आदिलाबाद जिले के उत्नूर तालुका के** सभी गांव।

(6) **आदिलाबाद जिले के असैफाबाद तालुका के** राजमपेट, गुंजाला, इंघानी, समेला, तेजपुर,

कन्नारगांव, कन्टागुडा, शकेनपाल्ली, जामुलद्यारी, गुडी, छोरपाली, सालेगुदा, बादीगुदा, सवाती, ढाबा, छोपनगुडा, नीमगांव, खिरदी, मेटापिपरी, साकरा सांगी, देवमुरपाली, खोटरा–रिंगनघाट, निशानी, कोटा परानडोली, मेसापुर, गोइगावं, द्यनोरा, पारद्या, सुरदापुर, केरीनेरी मुरकीनोनकी, देवापुर, छिन्ताकारा, इहेरी, आरा दासनपुर, कापरी, बेलगांव, सिरसगांव, मोआर, बादाम, द्यामिरीगुडा, दाल्लनपुर, छालवारडी, इहोरघाट, वाली झारी, साकमगुंडी, आरा, उप्पाल, नवगांव, अंकसोरपुर चिराकुन्ता, इल्लिपिट्टा, डोरली, मन्डरन्मेरा, दन्तान्पल्ली, देवदुर्ग, तुनपाली धांगलेश्वर, पादिबान्दा, तामरिन, मलगुण्डी, कन्दन मोओआर, जिओनेना, कुटेदा तिलानी, कानेपेल्लि, बोरवांउम, गरदेपाली, तेलुन्ड़ी, मौगीलोड़ीगुड़ा, मोइड़ा गुड़ी पेट, चीन्नेदारी, कोइटेलुण ड़ी, मदुरा, देवैगुड़ा, आरे गुडा, तकेपाली, चोउतेपाली, राने कन्नेपाली, सुंगापुरा, राला सामकेपाल्लि, छोपरी, दोदा, अर्जुनी, सेरवाई, रापाल्लि, टेकमाडवा और मीता अर्जुनी गांव।

(7) **आदिलाबाद जिले के लक्षेतिपेत तालुका के** गुदाम, कासीपेत, दांडे पाल्लि, छेलमपेटा राजमपेट, मुत्तीमपेट, वेंकटपुर, राली, कौवाल, तारापेत, देवपुर, गधापाल्लि, रोतपाल्लि, माझडामारी, द्यर्मारोपेत, वेंकटपुर, चिंतागुडा और मुत्तेमपाली गांव।

(8) **आदिलाबाद जिले के राजूरा, तालुका के** बेंडवी, छिनछोली, गोइगांव, हीरापुर, साकरी, बालापुर, मनोली, अन्तारगांव, विरूर, डोगरगांव, टिमबेरवाई, सेरसी, बडोरा, व्मरजीरी, लाकारकोट, डरगांव, किरदी, सोंदो, देवरा, खोरुना, कानारगांव, छेनाई, कैरगांव, सामलहीरा, घनोली, मारनगांडी, येल्लापुर, काटलबोरी इसपुर, देवती, पाण्डेरवानी, वानसारी, पेरदा, वारगांव, नोकारी, मीरापुर, पारद्यी, कुतोडा, परसेवारा, मंगलरा, कारकी, नोकारी, मनोली, सोनपुर, इनापुर, मानगी, उपारवाई, तुत्ता, लकमापुर, किरदी, इनजापुर, जामीनी, हरगांव, छिकली, पाटन, कोसुंडी, कोतारा और सोनोरली गांव।

(9) **आदिलबाद जिले के सिरपुर तालुका के** रालपेट, किस्तामपेट, तकलपात्ले छाकलपल्लि, अनाराम, येपाल्लि, कोरसनी, इसगांव, छिन्तागुडा, अंकोरा, उसू रामपल्लि अरपाल्लि बोपालपट्टम, बालासागा, पारघी, तुमरीहाती, छिन्तालमानोपाल्लि, छिन्ताम, गुल्लातालोदी, दामदास, ढ़ोरपल्लि, कानकी, गारलापेट, गुदलाबोरी, गुरूमपेट, लोमवेली, मोगुरदागर, विरदान्डी, और छिलपुरदुबोर गांव।

(10) **वारंगल जिले के मुलुग तालुका के** कन्नइगुडा, अंकनगुड्डा, राघवापट्टनम, मेडारमोला, कोएटला, पारसा, नागाराम, मुथापुर, मोटलागुड्डा, वेंगलपुर, येलपाक काने बोएनपल्लि, मेदाराम, कोंडरेड, छिन्तागुडा, कोंडापारथी, येलसेथिपाल्लि, अल्लामरि घुन पुर, रामपुर, माल्कपल्लि, छेत्ताल भूपतिपुर, गंगाराम, कन्नइगुडा राजन्नापेट, भूताराम, अक्केला, सिरवारपुर, गंगाराम भूपतिपुर, पुम्बापुर, रामपुर, अकामपाली, कामााराम, कामसेलिगुण्डम, आशनागुडा, येल्लापुर, अल्लागुड़ा, नरसापुर, पुस्छापुर, भातुपाल्लि, लावनाल, वाड्डगुडा, कोथूर, पेगदापाल्लि, सारवापुर, भुस्सापुर, चेलवाई, रगपुर, गोविन्दराओपेट, बालपाली, धुमपालागुड़ा, केलापाली, लखनवरम, परसा, गोनेपाली, पड़गापुर, नरलापुर, कलवापाली, डरताम, कोंडिया, मलयत, अक्लापुर, ड़ोल्ड़ा, कमाराम, तादवी, बुदीगुड़ा, बन्नजी, बन्दाम, सेलपाक कन्तलपाली, सरवाई गंगागुदा, तुपालकालगुदा, अकुलवारी, धानपुर, शाहपलि, गागपेल्लि, छिन्ना–विओपल्लि, वेकरपुर, नरसापुर, अनवाराम, लिंगाल, बालेपाल्लि बंडल और धुनमापुर गांव।

(11) **वारंगल जिले के नरसामपेत तालुका के** वेवेल्लि, पोलारा, बाकाछिन्ताफाद, गांजाद, गोपालपुर, खिस्तापुर, तातीनारी, वेनपाल्लि, पत्तल, भूपति, चन्देलपुर, बत्तालपल्लि अदवारमपेट, सात्यानगर, दुत्ल, मोथवाडा, मंगाला वारपेत, कारलाई, अरकालकुंता, कोदसापेत, गुडेरपाल्लि मसामी, बत्तवारतीगुदेम, ममीदीगुदम, पंगोन्डा, रोतुराई, सतरेद्दीपाल्लि, कोनापूर, कोंदापुरम, पोगुलापाल्लि, गोविन्दपुरम, माकदापल्लि, पागुलापल्लि, मुराइगुडेम, येलछागुडेम, तुम्मापुरम, जगांमवारतीगुडेम, रंगामुड़ेम, पेड़ा पल्ली, पेरावरम, कुन्दापाल्लि, नीलापाल्ली, दारावारिनापाल्लि, कारनेगुंड, महादेवागुडेम, मारिगुडेम, जंगनपाल्लि, बवारगुडा ओआरवाक, गंगारामम, मुछेरला अमरोन्छा कामाराम छिन्टागुंडम, निलावाच्छा, कांगारगिड्डा, मडागुड्डेम

दालुरपेट, कोठागुडेम, कोटापाल्लि, दुर्गाराम, दूबागुडेम, रून्दावाराम नरसूगुडाम, कोमातलागुडेम, कोटेरवम, सेमर राजपेट, मारेपल्लि, गोआरन्ट, राधियापुर गजल गुड़ेम, राजवे पल्लि, और वोल्लिपाल्लि गांव।

(12) वारंगल जिले के येल्लांडु तालुका के सभी गांव (येलान्डू, सिगारेनी, और सिरपुर गांव और कोठागुडा कस्बे के अतिरिक्त)

(13) (i)वारंगल जिले के पालोचा तालुका के सभी गांव, पलोंधा, वोरगामपद, अश्वाराओपेट, दाम्मापेट, कुकनूर और नेलीपाक गांव को छोड़ कर और (ii) पलोन्छा का समस्थान

(14) विशाखापट्टनम एजेन्सी क्षेत्र 1 एजेन्सी लक्ष्मीपुरम, छिद्दीकाडा, कोनसासिगि, कुमारापुरम, कृष्णादेवीपेता, पिछी गान्थिकोथागुडेम गोलूगोण्डापेटा, मुनुपुडी, गुम्मुडूकोन्डा, सराभूपालपटनाम, वादुरपालि पेदाजेग्गामपेटा गांवों के क्षेत्र के अलावा, 2 विशाखापट्टनम जिले के, सारामूपति, अगराहरम, रामचन्द्रनराजा पेटा, अगराहरम और कोंडावातिपुड़ी अगाहराम,

(15) पूर्वी गोदावरी क्षेत्र 2 रामचन्द्र पुरम, गांव और इसके पुरवा पुरूषोथापट्टनम के क्षेत्र को छोड़ कर पूर्वी गोदावरी जिले में इसके पुरूषोथपट्टनम कस्बे सहित

(16) पश्चिम गोदावरी जिले में पश्चिम गोदावरी एजेन्सी क्षेत्र।

---

* आंध्र प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी. ओ. संख्या 9) दिनांक 26.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ. संख्या 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश 1951 (सी.ओ. संख्या 30) और आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश 1955 (सी. ओ. 50) के तहत संशोधित किया गया।

1. मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1951 द्वारा शामिल।

2. आंध्र अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1955 द्वारा शामिल।

II. गुजरात **

1. सूरत जिले के और बारदोली उयेच्छाल, व्यारा, महुवा, माण्डवी, निजार, सोनगाधा वालोद, मांगरोल तालुका

2. भडौच जिले के देदिया पाड़ा, सागवारा, वालिया, नन्दोद, और झगाडिया तालुका।

3. डांग जिला व तालुका

4. वलसाड जिले के बांदसा, धर्मपुर चिखाली, पारदी और उम्वेरगांव तालुका।

5. पंचमहल जिले के झालोड, दोहाद, संतरामपुर, लिमखेडा और देवगढ़ बारिया तालुका

6. बडोदरा जिले के छोटा उदयपुर, और निसवाडी तालुका और तिलकवाडा महल

7. साबरकांठा जिले के खेडब्रहमा, भिलोडा और मेघराज तालुका और विजयनगर महल।

- ** गुजरात राज्य के अनुसूचितक्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ. 9) दिनांक 26.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और गुजरात राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश का रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सी.ओ. 109) दिनांक 13.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया ।

III. हिमाचल प्रदेश***

1. लाहोल और स्पीति जिले

2. किन्नौर जिला

3. चम्बा जिले के पांगी तहसील और भारमोर सब-तहसील

*** अनुसूचित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश आदेश, 1975 (सी.ओ. 102) दिनांक 21.11.1975 के तहत विनिर्दिष्ट।

IV. महाराष्ट्र#

1. थाणे जिले में निम्नलिखित

(क) धाहानु, **तलसारी, मोखांदो, जवाहर, वडा और शहपुर तहसील**

(ख) (i) पालघर तहसील के एक सौ चवालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

पालघर तहसील

(1)	तारापुर	(37)	बेतेगांव	(73)	कताले
(2)	कुन्दन	(38)	वारंगदे	(74)	अम्भान
(3)	दहीसर टर्फ तारापुर	(39)	लालोंडे	(75)	वासरोली
(4)	घिवाली	(40)	घनेडे	(76)	खारशेट
(5)	वावे	(41)	काम्पालगांव	(77)	मानोर
(6)	अक्कारपत्ती	(42)	मान	(78)	ताकवाल
(7)	कुरगांव	(43)	घानेघर	(79)	सवारखण्ड
(8)	पारनाली	(44)	वाढ़े	(80)	नालशेट
(9)	वेनगानी	(45)	छारी बुदर्ग	(81)	केव
(10)	पठारवाली	(46)	बिरवाडी	(82)	वाकाडी
(11)	नेवले	(47)	काल्लाले	(83)	मासवान
(12)	शिगांव	(48)	पादघे	(84)	वान्डीवाली
(13)	गारगांव	(49)	पोले	(85)	नेताली
(14)	चिंचारे	(50)	नानडोरे	(86)	साये
(15)	अकेगावान	(51)	गिरनोली	(87)	तेन
(16)	नानीवाली	(52)	बोरान्डे	(88)	कारालगांव
(17)	अंबेढे	(53)	देवखोपे	(89)	गोवादे
(18)	बरहानपुर	(54)	सागवे	(90)	तामसाइ
(19)	सलगांव	(55)	कोसबाद	(91)	दुरवेस
(20)	खुताद	(56)	कोकानेर	(92)	धुकतान
(21)	खानीवाड़े	(57)	नागणारी	(93)	पोछादे
(22)	रावते	(58)	छारी खुर्द	(94)	होलाले
(23)	अकोली	(59)	बेलगांव	(95)	खामलोली
(24)	असेरी	(60)	खुताल	(96)	वाहदोली
(25)	सोमते	(61)	छिलहर	(97)	बोत
(26)	पस्थाल	(62)	भोपोली	(98)	इम्बूर इराम्बी
(27)	बोइसार	(63)	नीहे	(99)	दानिसारी टर्फ मानोनर
(28)	बोरसेती	(64)	दामखाण्ड	(100)	कुडे
(29)	महागांव	(65)	कोंधान	(101)	गुण्डावे
(30)	किराते	(66)	आवनधान	(102)	सीतावली
(31)	वाडे	(67)	बेगारचीले	(103)	वेहालोली
(32)	खाडवाने	(68)	शील	(104)	सवारे
(33)	माडवान	(69)	लोवारे	(105)	वराई
(34)	विस्थले	(70)	बंधान	(106)	जानसाई
(35)	कोडगांव	(71)	नन्द गांव टर्फ मानोर	(107)	खाइरे
(36)	कारसूद	(72)	शील शेट	(108)	ढेकाले

(109) गांजे	(121) छाडे	(133) उचावाली
(110) जायेशेते	(122) वसारे	(134) सफाले
(111) शेलवाडे	(123) खादकोली	(135) सोनावे
(112) वेमूर	(124) सखारे	(136) माकने कापसे
(113) अम्बादी	(125) रोथे	(137) कारवाले
(114) नवाली	(126) लालथाने	(138) वाधिव सरावली
(115) मोरावाली	(127) नवाजे	(139) पेनान्ड
(116) वारखुन्ती	(128) तान्डुलवाडी	(140) कान्डारवान
(117) कामार	(129) गिराले	(141) दाहीवाले
(118) टोकराले	(130) पारगाव	(142) दारशेट
(119) बन्डाते	(131) नागवे टर्फ-मानोर	(143) नवगढ़ (घाटीम)
(120) जांजरोली	(132) उम्बारपदा नानड़ाडे	(144) उम्बारपादा-टर्फ-मानोर।

(ii) **वसाई (बसीन) तहसील के पैंतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

वसाई (बसीन) तहसील :

(1) दाहीसार	(16) उसगांव	(31) अहोले
(2) कोशिम्बे	(17) मेघे	(32) वालिव
(3) तुलिंज	(18) वादघर	(33) सतिवाली
(4) सकवार	(19) भीनार	(34) राजवली
(5) छिमान	(20) एम्बोडे	(35) कोल्ही
(6) हेडवडे	(21) कालभोन	(36) छिनछोती
(7) काशिदकोपर	(22) अनदने	(37) जुचंद्र,
(8) खानीवाडे	(23) सायावान	(38) बापने,
(9) भालीवाली	(24) पारोल	(39) देवदल,
(10) कावहेर	(25) शिरवाल	(40) कामम,
(11) शिरसाद	(26) माझीवाली	(41) सरजामोरी
(12) मान्धावी	(27) कारांजोन	(42) पोमन
(13) छानदीप	(28) तिलहर	(43) शिलोत्तर
(14) भातने	(29) धाविव	(44) ससुनवघर
(15) शिवनसाई	(30) पेल्हार	(45) नागले

((iii) भिवांडी तहसील के बहत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

भिवांडी तहसील :

(1)	भिवाली	(25)	वाघीवाले	(49)	बासे
(2)	गनेशपुरी	(26)	देवहोल	(50)	गोंडाडे
(3)	वाडावाली वाजरेश्वरी	(27)	सागोआं	(51)	पहारे
(4)	अकोली	(28)	इकसाल	(52)	सेदगांव
(5)	सवारोली	(29)	चिन्चावाली-टर्फ-कुंडे	(53)	पच्छापुर
(6)	खतराली	(30)	डूधानी	(54)	गोंड्रवली
(7)	उसगांव	(31)	वापे	(55)	जाम्भीवाली-टर्फ-कुंडे
(8)	घोटगांव	(32)	घदाने	(56)	असनोली-टर्फ-कुडे
(9)	वाढ़े	(33)	कुंडे	(57)	शिरोले
(10)	वारेथ	(34)	घोतावाडे	(58)	दाभाद
(11)	चाने	(35)	माइडें	(59)	महानडुल
(12)	असनोली-टर्फ-दुगद	(36)	करमाले	(60)	शिरगांव
(13)	दुगद	(37)	कांडली बुदर्क	(61)	पिंपल सेठ भुसेठ
(14)	मनीवाली	(38)	कोल्हे	(62)	खादकी खुर्द
(15)	वादवाली टर्फ दुगद	(39)	कांडली खुर्द	(63)	खादकी बुदरूक
(16)	मालबीडी	(40)	दीघाशी	(64)	चिम्बीपाडे
(17)	मोहिली	(41)	नेवादे	(65)	कूहे
(18)	नन्दीथान	(42)	अम्बादी	(66)	घामने
(19)	देपोली	(43)	दालोंड	(67)	लाखीवाली
(20)	सखरोली	(44)	जाम्भीवाली टर्फ-खाम्बाले	(68)	पालीवाली
(21)	सूपेगांव	(45)	उम्बारखण्ड	(69)	पाये
(22)	पिलांजे खुर्द	(46)	अशिवाली	(70)	गाने
(23)	पिलांज बुदुर्क	(47)	जिदके	(71)	दाहयाले
(24)	अलखीवाली	(48)	खारीवाली	(72)	फिरंगपाडा

(iv) **मुरबाद तहसील के सतत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

मुरबाद तहसील :

(1)	कासगांव	(6)	अम्बेल खुर्द	(11)	इकलाहारे
(2)	किसाल	(7)	सयाले	(12)	छफे-टर्फ-खेडुल
(3)	वाडावाली	(8)	इंदे	(13)	पिम्पालघर
(4)	सखारे	(9)	खेडाले	(14)	देहगांव
(5)	खटालबोर गांव	(10)	तलवाली-टर्फ-घोराट	(15)	पारहे

(16)	कांडली	(37)	जडाई	(58)	टोकवडे
(17)	धासाई	(38)	अम्बीवाली	(59)	बालेगांव
(18)	अल्यानी	(39)	डिंघेपाल	(60)	तलवानी (बडागांव)
(19)	पालू	(40)	दीवान पाद	(61)	वैशाखरे
(20)	देवघर	(41)	कोचरे खुर्द	(62)	मनवाली-टर्फ-खेडुल
(21)	माढ	(32)	कोचने बुदर्ग	(63)	पेनढारी
(22)	सोनावाले	(43)	छोसाले	(64)	उमरोली बुदर्क
(23)	वेलुक	(44)	खूरल बंगला	(65)	ओजीवाल
(24)	अलावे	(45)	नयाहांडी	(66)	मंदावत
(25)	बरसुंगे	(46)	मोराशी	(67)	महाज
(26)	मांडुस	(47)	फंगुल गांवाहन	(68)	पडाले
(27)	खेड	(48)	सवरने	(69)	कोलोशी
(28)	वनोटे	(49)	थिताबी-टर्फ-वैशाकहरे	(70)	जयगांव
(29)	साई	(50)	कुदशेट	(71)	कलामबाद (भोंडीवाले)
(30)	शेलगांव	(51)	फंगाने	(72)	खेवारे
(31)	शिरोशी	(52)	खपारी	(73)	दुधानोली
(32)	तालेगांव	(53)	हेडावाली	(74)	उमारोली खुर्द
(33)	फंगालकोशी	(54)	कारचोंड	(75)	खोपीवाली
(34)	मेरडी	(55)	जडघर	(76)	मील्हे
(35)	वाल्हीवार	(56)	उडालदोहा	(77)	गोरखगाद
(36)	माल	(57)	महोरांडे		

2. नासिक जिले में निम्न :

(क) **पेंट, सुरगाना और कलवान** तहसील

(ख) (i) डिंडोरी तहसील के एक सौ छः गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

डिन्डोरी तहसील :

(1)	मोखनाल	(9)	अम्बाद	(16)	कउदासर
(2)	मानवाड	(10)	वनारे	(17)	वनीखुर्द
(3)	डेहारे	(11)	तितवे	(18)	पिंपलगांवधाम
(4)	कारंजली	(12)	देवधान	(19)	जोरान
(5)	गंडोले	(13)	नानाशी	(20)	महाजे
(6)	पलासविहिर	(14)	छारोसे	(21)	सदराले
(7)	वारे	(15)	देवघर	(22)	नालवाडी
(8)	वनजोले			(23)	ओजे,

(24) गोलसी
(25) जलखंड
(26) निगडोल
(27) कोकोगांवबुर्दक
(28) उम्बारलेखुर्द
(29) अम्बेगांव
(30) छाछदगांव
(31) वाघाद
(32) पोपलवाडे
(33) धाउर
(34) उम्बालेबुदुर्क
(35) जम्बूतके
(36) पिम्पराज
(37) नालेगांव
(38) विलवांडी
(39) रासेगांव
(40) कोछारगांव
(41) तिलहोली
(42) रावलगांव
(43) डेहरेवाडी
(44) ढागुर
(45) देवसाने
(46) सरसाले
(47) करांजखेड
(48) पंगलवाडी
(49) इकलाहारे
(50) चउसाले
(51) पिम्परीअंचला
(52) अहिवंतवाडी
(53) गोलडारी
(54) हास्ते
(55) कोलहेर
(56) जिरवाडे
(57) छामदारी
(58) मालदुमाला
(59) मंडाने
(60) कोशिम्बे
(61) पुनेगांव
(62) पंडाने,
(63) अंबानेर
(64) चंदीकपुर
(65) भाटोडे
(66) दाहिवी
(67) मुलाने
(68) कोकनागांवखुर्द,
(69) मालेगांव
(70) पिम्पराखेड
(71) फोपासी
(72) वानीकास्बे
(73) संगमनेर
(74) खेडले
(75) मवाडी
(76) करंजवान,
(77) डाहेगांव
(78) वागलूड
(79) कृष्णगांव
(80) वारखेड
(81) कदवामहालुंगी,
(82) गांओंडेगांव
(83) हतनोर
(84) नीलवांडी
(85) पिंपलगांवकेतकी
(86) राजपुर
(87) डिंडोरी
(88) जोपुल
(89) माडकीजाम्ब
(90) पालखेड
(91) इन्दोर
(92) कोरहते,
(93) छिंचखेड
(94) टालेगांवडिंडोरी
(95) अकराले,
(96) मोहाड़ी,
(97) पिम्पसालानारे
(98) खाटवाड
(99) रामसेज
(100) अम्बेडिंडोरे
(101) ढाकम्बे
(102) जानोरी
(103) मानोरी
(104) शिवनाई
(105) वारवांडी
(106) जउलकेडिंडोरी,

(ii) **इगत पुरी शहर तथा इगतपुरी तहसील के तिरानवे गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

इगातपुरी तहसील :

(1)	ढाडोशी,	(32)	मेटेलयाच्ची	(63)	भवाली खुर्द
(2)	भीलमाल,	(33)	बितुरली,	(64)	कालूस्ते,
(3)	पाहिने,	(34)	वालविहार,	(65)	जामुन्डे,
(4)	जारवाड खुर्द,	(35)	भलवी बुदुर्क	(66)	गाहुन्डे,
(5)	टाक-हर्षा,	(36)	पिंपलगांव भाराटा	(67)	भारवाज,
(6)	असावली हर्षा,	(37)	कोपरागांव	(68)	कारूंगवादी,
(7)	समुन्दी	(38)	कुरनोली	(69)	निरपन,
(8)	खारोली	(39)	ढ़ामोली	(70)	मनिआरगांव,
(9)	कोजोली	(40)	वाकी	(71)	अम्बेवाडी,
(10)	अवहाते	(41)	छिनंछाले (खाइरे)	(72)	खाडखेड,
(11)	खुशगांव	(42)	ट्रिंगलवाडी,	(73)	इन्दोर,
(12)	मेतचन्द्रायची	(43)	अदवान,	(74)	उम्बारकोन,
(13)	अलवांड	(44)	अवालखेडे ,	(75)	सोमाज घादगा ,
(14)	दापुरे	(45)	पारदेरी,	(76)	उभाडे (वंजुलवाडी)
(15)	मेत हुम्बाची	(46)	बलायदूरी,	(77)	मेगारे,
(16)	जारवाड बुदुर्क	(47)	खम्बाला,	(78)	बेलगांव ताराहले ,
(17)	महासुरली	(48)	टेक घोटी,	(79)	धामनगांव,
(18)	शेवगेड़ाग	(49)	घोटी बुदुर्क	(80)	देओले,
(19)	वानजोले	(50)	तालगांव,	(81)	खैरगांव,
(20)	देवगांव	(51)	गिरनार,	(82)	पिम्पलगांव मोर,
(21)	अहुरली	(52)	तितोली,	(83)	धामिनी,
(22)	नन्द गांव	(53)	बोरटम्भे ,	(84)	अदसारे खुर्द,
(23)	वावी हर्षा	(54)	तालोशी,	(85)	अदसारे बुदुर्क,
(24)	नागोसली	(55)	नन्दगांव साडे,	(86)	आछरवाड,
(25)	ढ़ारगांव	(56)	पिंपरी सेर्दोदीन,	(87)	ताकेट खुर्द,
(26)	ओडंली	(57)	तेलघा,	(88)	ताकेट बुदुर्क,
(27)	सातुरली	(58)	कंचनगांव,	(89)	खेड,
(28)	अवाली डुमला	(59)	शेनवार्ड बुदुर्क,	(90)	वारसिंगवे,
(29)	कारहाले,	(60)	फंगुलगांवन,	(91)	सोनोशी,
(30)	रायाम्बे	(61)	बोरली,	(92)	मइदारा धानोशी
(31)	टाकेड गांव	(62)	मानवेदे,	(93)	वासाली,

(iii) **त्रिम्बक शहर तथा नासिक तहसील के सत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

नासिक तहसील :

(1)	साप्टे,	(24)	पिम्पलाडत्रिम्बाक,	(47)	दुगांव
(2)	कोने,	(25)	खामबाले	(48)	देवरगांव
(3)	खारवाल	(26)	सापगांव,	(49)	नागलवाडी
(4)	वरासविहिर	(27)	काचुरली,	(50)	ओजारखेडा
(5)	वघेरा	(28)	अरियानेरी,	(51)	चांदसी
(6)	रोहिले,	(29)	तालेगांवत्रिम्बाक,	(52)	गंगामहलुंगी
(7)	नन्दगांव	(30)	पोगलवाडीत्रिम्बाक,	(53)	जलालपुर
(8)	गोरथान,	(31)	वाछोली,	(54)	सवारगांव
(9)	हिरदी	(32)	उब्बारांडे,	(55)	गोवरधान
(10)	मालेगांव	(33)	कालमुस्ते	(56)	शिवगांव
(11)	वेलुन्जे	(34)	तिम्बार्क(देहात),	(57)	पिंपलगांवगरूडेश्वर
(12)	गणेशगांववघेरा,	(35)	हर्षावाडी	(58)	राजवाडी
(13)	पिम्परीत्रिम्बाक	(36)	मेटंघेराकिलात्रिम्बाक	(59)	गंगावारहे,
(14)	मेटकवारा,	(37)	मुलेगांव	(60)	गणेशगांवत्रिम्बाक
(15)	ब्रहम्णवाडेत्रिम्बाक,	(38)	लादाची	(61)	गणेशगांवनाशिक
(16)	तोआनगान,	(39)	नायकवाडी,	(62)	वसाली
(17)	धुंबदी	(40)	वेले,	(63)	दूदगांव,
(18)	बेसे	(41)	सादगांव,	(64)	महिरावनी
(19)	चकोर	(42)	वादगांव,	(65)	तालेगांवअंजानेरी,
(20)	अम्बोली	(43)	मनोली,	(66)	जाटगांव,
(21)	अम्बाई	(44)	ढोडेगांव	(67)	सारूल
(22)	श्रीरासगांव	(45)	दारी	(68)	पिंपलाडनासिक
(23)	तालवाडेत्रिम्बाक,	(46)	गिमाते	(69)	राजोरबहुला,
				(70)	दहीगांव,

(iv) **बगलान तहसील के सत्तावन गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

बागलान तहसील :

(1)	बोरहाते	(8)	जाड,	(15)	अंतापुर
(2)	मोहलांगी	(9)	वीसापुर,	(16)	रावर
(3)	जैतपुर	(10)	सहेवार	(17)	जामोती
(4)	गोलवाड	(11)	खाराड़	(18)	अलिआबाद,
(5)	हतनूर	(12)	वाड डिगार	(19)	अजांडे
(6)	मालीवाड	(13)	देवथान	(20)	मुलहर
(7)	अम्बापुर	(14)	कोंधाराबाद	(21)	बाबुलने,

(22)	मोरने-दिगर	(34)	भावाडे	(46)	ततानी
(23)	बोरदइवत	(35)	दसाने,	(47)	भीलडार
(24)	भीमखेत,	(36)	मालगांव खुर्द	(48)	किकवारी बुर्दक,
(25)	वाघम्बे	(37)	सालवान	(49)	जोरान
(26)	मनूर	(38)	पिसोर	(50)	साकोड़े
(27)	सालहेर	(39)	करसाने	(51)	करांजखेड
(28)	कटारवेल	(40)	विथोड	(52)	डांग सुनडाने
(29)	भीलवाड	(41)	पाठवेडीगर	(53)	निकबेल
(30)	तुनगांव	(42)	तालवेडीगर	(54)	बन्धाते
(31)	दसवेल,	(43)	मोरकुरे	(55)	दाहिन्डुले
(32)	जाखोड	(44)	किकवारी खुर्द	(56)	सरवार
(33)	मुनगासे	(45)	केलजार	(57)	वाडीचौलहेर

3. **धूले जिले में निम्न :-**

(क) नवापुर, तालोडा, अक्काल कुआ और अकरानी तहसील

(ख) (i) सकरी तहसील के अस्सी गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

सकरी तहसील

(1)	छोपाले	(21)	वसखेडी	(41)	पेटाले
(2)	रोथोड	(22)	डामकानी	(42)	पिंपलगांव
(3)	जामखेल	(23)	सालटेक	(43)	मोहनी
(4)	खरसूवाडे	(24)	दाहीवेल	(44)	तेम्भे,परगानवारसे
(5)	सुतारे	(25)	भोनगांव	(45)	शिरसोले
(6)	धानेर	(26)	बादगांव	(46)	उमारपेटा
(7)	अमाले	(27)	मेनडान	(47)	मालगांव,परगानवारसे
(8)	माछमाल	(28)	दापुर	(48)	खारगांव
(9)	खांडवारे	(29)	रोहन	(49)	कालाम्बे
(10)	रायकोट	(30)	जेबापुर	(50)	छोरवाड
(11)	बुरन्दखे	(31)	अमोड	(51)	लखाल
(12)	पानगांव	(32)	किरवाड़े	(52)	वारसे
(13)	लागडवाल	(33)	घोडाडे	(53)	सेनवाड
(14)	रायतेल	(34)	सुरपान	(54)	कुदासी
(15)	ब्रहमणवेल	(35)	कोरडे	(55)	मनजारी
(16)	आमखेल	(36)	वालव्हे	(56)	मापालगांव
(17)	जाम्बोरे	(37)	विटावे	(57)	डांगासेर वाडे
(18)	वारसस	(38)	कासबे चहेडवैल	(58)	बोपखेल
(19)	जामकी	(39)	बसार	(59)	शिव
(20)	रूनमाली	(40)	इसराडे	(60)	खात्याल

(61)	वारदोली	(68)	जीरापुर	(75)	बालहाने
(62)	काकसाद	(69)	कोकनागांव	(76)	देशिरवाडे
(63)	पानखडे	(70)	शेवागे	(77)	काडयाल
(64)	सामोडे	(71)	धामानधार	(78)	ढ़ोगाड्डिगार
(65)	महासदी,परगने पिम्पलनेर	(72)	विरखेल	(79)	शेलबारी
(66)	पिंपलनेर	(73)	पारगांव	(80)	डेगांव
(67)	चिकासे	(74)	मंडाने		

(ii) **नंदुरबार शहर और नंदुरबार तहसील के बयासी गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

नंदुरबार तहसील :

1.	भंगडे	28.	नारायणपुर	55.	ववाद
2.	मंगलूर	29.	धिरासागांव	56.	चाकले
3.	वसलाई	30.	धोकवाड	57.	दहींडुले बुदुर्क
4.	अर्दितारा	31.	बिलाडी	58.	दहींडुले खुर्द
5.	धानोरा	32.	खौराले	59.	अथोरे दिगर
6.	पावले	33.	खामगांव	60.	उमारदे खुर्द
7.	कोठडे	34.	नागासार	61.	चंपाले
8.	उमज	35.	विरचक	62.	अकराले
9.	कोथाली खुर्द	36.	टोकारटेल	63.	वादबारे
10.	वदाजकान	37.	वाघले	64.	अखातवाड़े
11.	निंबोन बुदुर्क	38.	ओजारदे	65.	हटी उर्फ इंडि
12.	जालखे	39.	आस्थे	66.	पलाशी
13.	शिरवादे	40.	थानेपाडा	67.	घुली
14.	रनाले खुर्द	41.	अमरावे	68.	राकसवाडे
15.	नटवाड	42.	पथराई	69.	वाघोडे
16.	करांजवे	43.	धामदाई	70.	पाटोंडे
17.	शेजवे	44.	वारुल	71.	हाल-टर्फ-हवेली
18.	पिंपलोड-टर्फ-धानोर	45.	अदाच्छी	72.	खोडासगांव
19.	लोया	46.	लोंखेडे	73.	शाहदे
20.	वेलावेद	47.	कराजकुपे	74.	शिंडे
21.	वयाहुर	48.	नालवे खुर्द	75.	कोल्डे
22.	धुलवाड	49.	सुंदारदे	76.	भगसारी
23.	गुजर भवाली	50.	नालवे बुदुर्क	77.	धामदोड
24.	गुजर जम्बोली	51.	दुधाले	78.	सवाल्दे
25.	कर्णखेडे	52.	नंदारखे	79.	कोरित
26.	फुलसारे	53.	घने	80.	सुजातपुर
27.	उमरदे बुदुर्क	54.	वसादरे	81.	तिशि
				82.	धंधाने

(iii) **शाहदा तहसील के एक सौ इकतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

शाहदा तहसील :

(1) आकासपुर
(2) नवगांव (वन ग्राम)
(3) वीरपुर
(4) दारा
(5) भूटा
(6) कनसाइ (वनग्राम)
(7) नन्दया कुसुमवाडे (वनग्राम)
(8) छिराडे
(9) नागजिरि (वनग्राम)
(10) कुसुमवाडे
(11) नन्दया (वनग्राम)
(12) पिम्परानी
(13) रानीपुर (वनग्राम)
(14) फात्तेपुर
(15) लक्काडोत (वनग्राम)
(16) कोटबन्धानी (वनग्राम)
(17) पिंम्पलोड
(18) कुड्डावाड
(19) लाच्छोर
(20) कन्नाडी-टर्फ-हवेली
(21) शीरूद-टर्फ-हवेली
(22) अमोडे
(23) अलखेड
(24) पाडाले बुदुर्क
(25) बुदिगांवन
(26) उमारती
(27) पिम्पारी
(28) महासवाद
(29) अनकवाडे
(30) सुलवाडे
(31) तवलाई
(32) मुबारकपुर
(33) वेलवाड
(34) कलमाडी-टर्फ-बेआरदी
(35) वाडी
(36) सोनावद-टर्फ-बोआरदी
(37) थेंगचे
(38) जावाडे-टर्फ-बोआरदी
(39) तारहाडी-टर्फ-बोआरदी
(40) बारघे
(41) पारी
(42) कोठाली-टर्फ-हवेली
(43) औरंगपुर
(44) चिखाली बुदुर्क
(45) करनखेड
(46) नन्दारडे
(47) वइजाली
(48) वाघोडे
(49) परकाशे
(50) धामलाड
(51) काथारेडे बुदुर्क
(52) काथारडे खुर्द
(53) कलसाडी
(54) धुरखेडे
(55) भाडे
(56) पिगाने
(57) गानोर
(58) आदगांव
(59) खारागांव
(60) कोछारे
(61) बिलाडी-टर्फ-हवेली
(62) बहिरपुर
(63) ब्रहमणपुर
(64) सुल्लातनपुर
(65) रायखंड
(66) खेड दिगर
(67) नावलपुर
(68) चांदसाइली
(69) गोदीपुर
(70) पडालडे खुर्द
(71) भागपुर
(72) जावखेड
(73) सोनवाई-टर्फ-हवेली
(74) कवालीथ
(75) तुकी
(76) सावरखेडे
(77) कारजोत
(78) लाहोर
(79) गोगापुर
(80) कुरांगी
(81) तिधारे
(82) दामालेड
(83) कालामांड-टर्फ-हवेली
(84) चिखाली खुर्द
(85) भारेटेक
(86) श्रीखेडे
(87) ओजारटे
(88) उखालसेम
(89) वघारदे
(90) जाम
(91) जवादे-टर्फ-हवेली
(92) तितारी
(93) होल मुबारकपुर (वनग्राम)
(94) वेदगांव
(95) पिम्पारदे
(96) आशालोड
(97) मंडाने
(98) अवागे
(99) तिखोरे
(100) उन्तावाद

(101) होल
(102) मोहिडे-टर्फ-हवेली
(103) जुनवाने
(104) लोनखेडे
(105) तेम्भाली
(106) होलगुजारी
(107) आसुस
(108) बुपकारी
(109) मलोनी
(110) डोगरागांव
(111) कोथाल-टर्फ-शहादा
(112) मटकुट
(113) बोराले
(114) कामरावेद
(115) कहतुल
(116) वादछित
(117) लोंनढोर
(118) उधालोड
(119) निम्बोरे
(120) धाड़रे बुदर्क
(121) चिरकान (वनग्राम)
(122) असलोड (नया)(वनग्राम)
(123) जैनघर
(124) दांडेरे खुर्द (वनग्राम)
(125) मनमोडया वनग्राम
(126) दुतरवेडे (वनग्राम)
(127) भोगारा (वनग्राम)
(128) वदाली
(129) कोठावाल
(130) भुलाने (वनग्राम)
(131) चांद साइली (वन ग्रम)
(132) उभादगाद (वनग्राम)
(133) काकराड खुर्द
(134) खापरखेडे (वनग्राम)
(135) मालगांव (वनग्राम)
(136) लंगादी भवनी (वनग्राम)
(137) शहना (वनग्राम)
(138) काकरदे बुदुर्क
(139) अम्भानपुरा बुदुर्क
(140) काटघर
(141) निम्बारडी (वनग्राम)

(iv) **शिरपुर तहसील के बासठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

शिरपुर तहसील :

(1) बोरपानी (वनग्राम)
(2) मलकाटार (वनग्राम)
(3) फत्तेपुर (वनग्राम)
(4) गादहाडदेव (वन ग्राम)
(5) कोडिड (वनग्राम)
(6) गुरहाडपानी (वनग्राम)
(7) भुदाकी बनग्राम (वनग्राम)
(8) वाघपदे (वनग्राम)
(9) सइगारपद (वनग्राम)
(10) मंजरी बुरदी (वनग्राम)
(11) छोन्दी (वनग्राम)
(12) भुदकी (वनग्राम)
(13) छंदसुरया (वनग्राम)
(14) बरोदी (नया) (वनग्राम)
(15) काकडामल(वनग्राम)
(16) वाकवाड (वनग्राम)
(17) उमरदा (वनग्राम)
(18) डुराबड्या (वनग्राम)
(19) मोहिड़ (वनग्राम)
(20) डोडवाडा (वनग्राम)
(21) तेम्भा (वनग्राम)
(22) खैरखान (वनग्राम)
(23) बोआरदी
(24) वसारदी
(25) नन्दारदे
(26) चान्दसे
(27) वाडी बुदुर्क
(28) वाडी खुर्द
(29) जालोड
(30) अभनापुर खुर्द
(31) तारहाड
(32) उखालवाडी
(33) मुखेड
(34) नीमजारी
(35) वरजाडी
(36) वाघबारदा
(37) समरमापद
(38) लउकी
(39) सूले
(40) फत्तेपुर

(41) हेदाखेड़	(49) खरकुटी (वनग्राम)	(57) अम्बे
(42) अरूनपुरी बांधा	(50) जोयादा (वनग्राम)	(58) खामखेडे परगने अम्बे
(43) संगवी	(51) छिलारे (वनग्राम)	(59) हिवारखेडे (वनग्राम)
(44) हाटेड	(52) लकड्या हनुमान (वनग्राम)	(60) हिगांव
(45) जेन्दया अन्जान	(53) महादेव डोन वाड (वनग्राम)	(61) वाडेल खुर्द
(46) पलासनेर	(54) मालापुर (वनग्राम)	(62) कालापानी (वनग्राम)
(47) खाम्बले	(55) रोहिजी	
(48) पानाखेड (वनग्राम)	(56) भोइती	

4. **जलगांव जिले में निम्नलिखित :-**

(क) (i) छोपड़ा तहसील के पच्चीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

छोपडा तहसील :

(1) मराठा (वनग्राम)	(10) वइजापुर (वनग्राम)(54)	(19) कुंडयापानी (वनग्राम)
(2) मूरढिडा (वनग्राम)	(11) बोराजन्ती (वनग्राम)	(20) इच्चापुर परगने अड़वाड़
(3) उमारती (वनग्राम)	(12) मालापुर (वनग्राम)	(21) बधावनी
(4) सत्रसेन (वनग्राम)	(13) बोरामाली (वनग्राम)	(22) बधाई
(5) कृष्णपुर (वनग्राम)	(14) करजाने (वनग्राम)	(23) अनदाने
(6) अंगुरने	(15) मेलान (वनग्राम)	(24) मोहराद
(7) खारया पडव (वनग्राम)	(16) विशनपुर (वनग्राम)	(25) असालवाडी (वनग्राम)
(8) वइजापुर (रेवन्यू)	(17) देवहारी (वनग्राम)	
(9) मुलुयाउत्तर (वनग्राम)	(18) देवजिरि (वनग्राम)	

(ii) **यावल तहसील के तेरह गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

यावल तहसील :

1. मानापुरी	6. हरिपुरा (वन ग्राम)	11. जामन्या (वन ग्राम)
2. टोलाने	7. वाघाजीरा (वन ग्राम)	12. गदरया (वन ग्राम)
3. खालकोट	8. प्रसादे बुदुर्क	13. उसमाली (वन ग्राम)
4. इचकहेडे	9. बोरखेड़े खुर्द	
5. मलोद	10. लांगदा अम्बा	

(iii) **रावेर तहसील के इक्कीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

रावेर तहसील

(1)	महुमांडली (वनग्राम)	(8)	छिनछाती	(15)	लाहोर
(2)	पिम्परकुंड (वनग्राम)	(9)	पाल	(16)	कुसम्भे बुदुर्क
(3)	अन्धारमालि (वनग्राम)	(10)	मारवाल	(17)	कुसम्बे खुर्द
(4)	तड्या (वनग्राम)	(11)	जिनसी	(18)	पिम्परी
(5)	निम्नद्या (वनग्राम)	(12)	सहसरालिंग (वनग्राम)	(19)	मोहगांन बुदुर्क
(6)	गारबारदी (वनग्राम)	(13)	लालमाटी (वनग्राम)	(20)	पडाले बुदुर्क
(7)	जानोरी	(14)	अवहोडे बुदुर्क	(21)	महुमांडली (पुराना) (विरान)

5. **अहमदनगर जिले में निम्नलिखित :-**

(क) अकोली तहसील के चौरानवे गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

अकोली तहसील :

(1)	तिरधो	(21)	देवगांव	(41)	कोहीन्डी
(2)	पडोसी	(22)	पेंडशेट	(42)	दिगम्बर
(3)	महाजुंगी	(23)	मानहेर	(43)	गुहिरे
(4)	एकडारे	(24)	शेलविहीरे	(44)	कतालपुर
(5)	संगावी	(25)	पंजारे	(45)	रतनवाडी
(6)	केली रूमहानवाडी	(26)	छिनचोंद	(46)	मुतखेल
(7)	बिताका	(27)	वाकी	(47)	तेरूनगांव
(8)	खिरवीरे	(28)	तितावी	(48)	राजोर
(9)	कोम्भालने	(29)	पिंपरकाने	(49)	विथे
(10)	तहकारी	(30)	उदादावाने	(50)	कोटलेम्भे
(11)	सम्सेरपुर	(31)	कोदानी	(51)	कालूगांव
(12)	सावरगांव पाट	(32)	घाटघर	(52)	जामगांव
(13)	मुथालने	(33)	सिगनवाडी राजौर	(53)	शिरपुंजे बुदुर्क
(14)	बारी	(34)	मुरशेट	(54)	सवारकुटे
(15)	वारंधुसी	(35)	शेंडी	(55)	कुमशेट
(16)	लाडागांव	(36)	समराड	(56)	शिरपुंजे खुर्द
(17)	शेनित	(37)	भंडारडारा	(57)	घामनवन
(18)	पाभुलवांडी	(38)	रानाड बुदुर्क	(58)	अम्बित
(19)	बाभुलवांडी	(39)	रानाड खुर्द	(59)	बालधान
(20)	अंबेवांगन	(40)	मालेगांव	(60)	मानिक ओजार

(61)	पुरूचवाडी	(72)	पिंपरे	(84)	शिंडा
(62)	मवेशी	(73)	घोटी	(85)	अम्बित खिंड
(63)	शिसवाद	(74)	पैथान	(86)	पालसुंडे
(64)	वापजुलसेत	(75)	लवाली कोतुल	(87)	पिसेवाडी
(65)	गोंडोशी	(76)	वाघदारी	(88)	फोपसांडी
(66)	खादकी	(77)	शिलवांडी	(89)	सातवाडी
(67)	साकिर वाडी	(78)	कोहोने	(90)	केली ओतुर
(68)	पचनानी	(79)	लिवाली ओतुर	(91)	केली कोतुल
(69)	छिछावने	(80)	तेले	(92)	खेतवाडी
(70)	पदालने (80)	981)	कोथाले	(93)	इसारथाव
(71)	शेलाद	(82)	सोमलवाडी	(94)	करांडी
		(83)	विहिर		

6. **पुणे जिले में निम्नलिखित :-**

(क) (i) अम्बेगांव तहसील के छप्पन गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

अम्बेगांव तहसील :

(1)	डोन	(20)	पंचाल खुर्द	(39)	राजेवाडी
(2)	पिम्परागान	(21)	महिलुंगे-टर्फ-अम्बेगांव	(40)	सूपेघर
(3)	अघाने	(22)	सवारली	(41)	तालघर
(4)	अहूपे	(23)	मेघोली	(42)	मापोली
(5)	तिरपाड	(24)	वाछापे	(43)	डिम्भे खुर्द
(6)	नहावेद	(25)	साकेरी	(44)	पोखारी
(7)	असाने	(26)	पिमपारी	(45)	गोहे बुदुर्क
(8)	मलीन	(27)	अम्बेगांव	(46)	निगाडाल
(9)	नानावाडे	(28)	जाम्बोरी	(47)	गोह खुर्द
(10)	अमाडे	(29)	कालाम्बाई	(48)	अपाती
(11)	वरसावने	(30)	कोन्ढावाल	(49)	गंगापुर खुर्द
(12)	कोंढारे	(31)	फूलवाडे	(50)	अमोंडी
(13)	आदेवारे	(32)	फलोडे	(51)	कनासे
(14)	बोरघर	(33)	कोलटावाडे	(52)	गंगापुर बुदुर्क
(15)	पाटन	(34)	तेरूनगांव	(53)	सिनोली
(16)	कुसीरे खुर्द	(35)	दिम्भे बुदुर्क	(54)	पिम्पालगांव-टर्फ-घोडा
(17)	पंचाल बुदुर्क	(36)	महालुंगे-टर्फ-घोडा	(55)	साल
(18)	कुसीरे बुदुर्क	(37)	राजपुर	(56)	ढाकले
(19)	दिगाद	(38)	छिक्काली		

(ii) **जुन्नार तहसील के पैंसठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

जुन्नार तहसील :

(1)	छिल्लेवाडी	(24)	देवाले	(47)	कोली
(2)	अम्बेहवाइन	(25)	खाइरे	(48)	शिवाली
(3)	जामभूलसी	(26)	घाटघर	(49)	उतचिल
(4)	खिरेश्वर	(27)	जलवांडी	(50)	बोतारडे
(5)	माथालाने	(28)	हिरदी	(51)	धालेवाडी-टर्फ-मिनहर
(6)	कोल्हेवाडी	(29)	उनदेखादेक	(52)	भिवांडे बुदुर्क
(7)	कोपारे	(30)	राजपुर	(53)	इंगालून
(8)	मंडावे	(31)	खाटकाले	(54)	भिवाडे खुर्द
(9)	सिंगनोर	(32)	मणिकोधा	(55)	घंगालडारे
(10)	आलू	(33)	खाड कुम्बे	(56)	सोनावाले
(11)	खूबी	(34)	उरसान	(57)	ताम्बे
(12)	पिम्पालगांव	(35)	वेवादी	(58)	हिवारे-टर्फ-मिनहर
(13)	कारंजाले	(36)	तेजपुर	(59)	हतविज
(14)	माछ	(37)	फंगलघावन	(60)	अम्बे
(15)	पांगरी-टर्फ-माधा	(38)	छावान्ड	(61)	पिंपलवाडी
(16)	कोलवाडी	(39)	पुर	(62)	सुकालेवाडे
(17)	परगाव-टर्फ-मोद	(40)	खानगांव	(63)	गोदरे
(18)	तालेरान	(41)	मानकेश्वार	(64)	खामगांव
(19)	सीतेवाडी	(42)	सुरले	(65)	सोमतवाडी
(20)	वाथाले	(43)	अम्बोली		
(21)	निमगिर	(44)	शिरोली-उर्फ-कुकादनेर		
(22)	अनजानवाले	(45)	वानेवाडी		
(23)	हदसर	(46)	अपटाले		

7. **नान्देड़ जिले में निम्नलिखित :-**

(क) किनवत तहसील के निम्नलिखित एक सौ बावन गांव व किनवत कस्बा, जो नीचे उल्लिखित हैं :

किनवत तहसील :

(1)	तकली	(11)	उमरा	(21)	तुलसी
(2)	पदसा	(12)	मछन्द्रा पारद	(22)	गोंडवासा
(3)	सायपाल	(13)	करालगांव	(23)	अंजानखेड
(4)	मुरली	(14)	स्वरखेड	(24)	भोराड़
(5)	वादसा	(15)	डिगडी (कुटेमार)	(25)	छोराड़
(6)	कोली	(16)	वाई	(26)	धनोरा (सिंदखेड)
(7)	अता	(17)	हरदाप	(27)	रामपुर
(8)	गोण्डेगांव	(18)	नाइकवाडी	(28)	पाथरी
(9)	मदनपुर (महोर)	(19)	हिनगानी	(29)	खाम्बला
(10)	बोण्डगांव	(20)	वाजरा	(30)	पारदी

(31) सिन्दखेड
(32) चिंचखेड
(33) होटाला
(34) वाइफानी
(35) धुंद्रा
(36) गउरी
(37) बोथ
(38) सइलू
(39) करनजी (सिन्दखेड़)
(40) भगवती
(41) वाराज बुदुर्क
(42) उमरी
(43) उनकदेव
(44) चाइस
(45) पिंपलसेंडा
(46) सरखानी
(47) देलही
(48) निराला
(49) नूरगांव
(50) टिट्वी
(51) लिंगी
(52) नागपुर
(53) जुनुनी
(54) दिगदवजारा
(55) डारसांगवी (सिंदखेड)
(56) सिंगोडा
(57) सिरपुर
(58) ताम्भी
(59) पटोड़ा बुदुर्क मिनको
(60) मांडवी
(61) जवारला
(62) पालसी
(63) वेलागांव
(64) कनकी
(65) कोठारी (सिन्दखेड़)
(66) पिपलगांव (सिंदखेड)
(67) डोगरगांव (सिंदखेड़)
(68) जरूर
(69) मिनकी
(70) पचुण्डा
(71) वनोला
(72) साकुर
(73) मैंडकी
(74) डिगडी
(75) धानोरा (ड़िगड़ी)
(76) मोहनपुर
(77) मुनगस
(78) सिंगदी (किनबत)
(79) मालबोरगांव
(80) नेजपुर
(81) राजगाड
(82) वडोली
(83) अनजी
(84) कनकवाडी
(85) लोनी
(86) धामनधारी
(87) पंधारा
(88) बेल्लोरी
(89) मारेगांव
(90) कमथाला
(91) अम्बादी
(92) खेरदा
(93) मलकापुर
(94) घोती
(95) सिरमेत्ती
(96) भीमपुर
(97) पिपलगांव (किनवार)
(98) छोगारवाडी
(99) गोकुंडा
(100) माण्डवा
(101) डिग्डी (मगावोड़ी)
(102) नागजरी
(103) कोठारी (चिखली)
(104) परधान संगवी
(105) बेन्डी
(106) अमाडी
(107) मदनापुर (चिखली)
(108) शानीवार पेठ
(109) दभादी
(110) चिखाली
(111) हुदी (चिखली)
(112) एन्धा
(113) भूलजा
(114) डारसंगवी
(115) मालकवाडी
(116) पेन्डा
(117) परधी खुर्द
(118) केरल
(119) डेगांव
(120) लिंगधारी
(121) परदी बुदुर्क
(122) बोधादी खुर्द
(123) बोधादी बुदुर्क
(124) सिंदगी (चिखली)
(125) अंधाबोरी (चिखली)
(126) कोपारा
(127) पीपर फोडी
(128) पटोडा (छिकली)
(129) पिपरी
(130) धानोरा, चिखली
(131) सवारी
(132) धारा
(133) पोथ रेड्डी
(134) सिगारवाडी
(135) अन्जेगांव
(136) भंडारवाडी
(137) जलधारा (चद्रपुर)
(138) बेलोरी (छिखली)
(139) मालकोलारी
(140) डिगरास
(141) डोंगरगांव (चिखली)
(142) शिवोनी (चिखली)
(143) परोटी
(144) स्वरगांव
(145) जलधारा (इस्लापुर)
(146) कोठारी
(147) हुड्डी (इस्लापुर)
(148) करांजी (इस्लापुर)
(149) कुपटीखुर्द
(150) कुपटी बुदुर्क
(151) वागधारी
(152) तलारी

8. **अमरावती जिले में निम्नलिखित :-**

(क) चिखलाधारा और धरनी तहसील

9. **यवतमाल जिले में निम्नलिखित :-**

(क) (i) मारेगांव तहसील के एक सौ तीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

मारेगांव तहसील :

1. घोगुलदारा	30. अवलगांव (वन ग्राम)	59. बोरगांव (वन ग्राम)
2. शिओनाला	31. कन्हलगांव	60. पेंधारी
3. बुरांडा	32. खारीगांव	61. अर्जुनी
4. फापल	33. सराती	62. कागांव
5. कन्हलगांव	34. बुरांडा	63. रजनी
6. खेपाडवाई	35. दुर्गादा	64. माजरा
7. घोदाधारा	36. वागधारा	65. गंगापुर (वन ग्राम)
8. नरसाला	37. मेंधानी	66. भोइकुंड (वन ग्राम)
9. धामानी	38. घानपुर	67. वाधोना
10. मदनापुर	39. खंडानी	68. सुसारी
11. बोरी खुर्द	40. खापरी	69. सुरला
12. पिसगांव	41. उचातदेवी (वन ग्राम)	70. गोदानी
13. वडगांव	42. मारेगांव (वन ग्राम)	71. निमानी
14. फिसकी (वन ग्राम)	43. खंडानी	72. दरारा
15. भालेवाड़ी	44. महासदोदका	73. आसन
16. पथारी	45. पालगांव	74. जगलोन
17. चिंचाला	46. बोटोनी	75. जामकोला
18. पान हरकावाला	47. गिर्जापुर (वन ग्राम)	76. इसापुर
19. खर्दा (वन ग्राम)	48. पछपोहर	77. किलोना
20. पिम्परद (वन ग्राम)	49. अम्बेजारी	78. उमरघाट
21. फपरवाड़ा	50. रोहपात	79. वल्लासा
22. सलाभटी (वन ग्राम)	51. रैनपुर	80. जुनोनी (वन ग्राम)
23. दोलदोंगरगांव	52. सगनपुर	81. लेंचोरी
24. माचिन्द्रा	53. हिवारा बरसा	82. चिंचघर
25. पंडविहार	54. रामपुर	83. अम्बिजारी, खुर्द
26. जाल्का	55. कतली बोरगांव	84. अम्बेजारी बुदुर्क
27. पंधारदेवी (वन ग्राम)	56. पारदी	85. करगांव खुर्द
28. अम्बोरा (वन ग्राम)	57. शिबला	86. निम्बादेवी
29. चिंचोनी बोटोनी	58. चियाली (वन ग्राम)	87. टेम्फी

88. कुंडी	102. महदापुर	116. चालबरडी
89. मांडिव	103. पंधारवानी	117. जामनी
90. जुनोनी	104. देमाद देवी	118. शिरोला
91. पाराम्भा	105. मंडवा	119.अदकोली
92. पोखरनी (वन ग्राम)	106. डोंगारगांव	120. खालकलोह
93. पिवारदोल	107. दभाड़ी	121. बिरसापेठ
94. भोराद (वन ग्राम)	108. उमरी	122. मुछी
95. चिखालदोह	109. मुधाती	123. मारकी बुदुर्क
96. मुलगवान	110. द्यसोदी	124. मरकी खुर्द
97. भीमनाला	111. कोडपखिंडी	125. गणेशपुर
98. चटवान	112. मंगरूल खुर्द	126. पवांर (वन ग्राम)
99. अराइकवाड़	113. मंगरूल बुदुर्क	127. कृष्णपुर (वन ग्राम)
100. गवारा	114. गोपालपुर	128.खेकाड़ी (वन ग्राम)
101. माथार्जुन	115. रामपेठ	129.शेकापुर
		130. यिओती

(ii) **रालेगांव तहसील के तैंतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

रालेगांव तहसील :

1.	लोहारा	15.	डोंगर गांव	29.	खेमकुन्ड
2.	एकलारा	16.	तेजानी	30.	पार्डी (वन गांव)
3.	सोनेर्डी	17.	अंजी	31.	उमरविहिर
4.	वाटक हेर	18.	लोनी	32.	अदनी
5.	जलका	19.	बोराती (वन गांव)	33.	खटारा
6.	वामा	20.	सराती	34.	मुन्जाला
7.	पिंपारी दुर्ग	21.	खैरगांव कसार	35.	पलासकुन्ड
8.	मांडवा	22.	वारधा	36.	वीर गांव
9.	कोलवान	23.	भुलगद	37.	खैर गांव
10.	शोइत	24.	पिंपलशेंडा, (75)	38.	देवधारी
11.	वरूद	25.	अतमुर्डी	39.	सिंगल दीप
12.	बुकाई	26.	सावरखेड	40.	सोनुर्ली
13.	जरगद	27.	चोंधी	41.	सिन्दुला
14.	खादकी सुकली	28.	वधोडा	42.	जोतिंगदारा
				43.	साखी खुर्द

(iii) **केलापुर तहसील में निम्नलिखित 103 गांव और पन्धार्कवारा शहर शामिल किया गया :-**

केलापुर तहसील :

1.	मोदारी	36.	नईकसुकली (वन गांव)	71.	पन्धारवानी बुदुर्क (वन गांव)
2.	जोगीन कोहला	37.	पेधारी	72.	कोंधी
3.	मीरा	38.	पिल्पाली	73.	वेदाद
4.	जीरा	39.	डोंगारागांव	74.	बागी
5.	घोद्दारा (वन गांव)	40.	बेथ	75.	घनमोडे
6.	साखी बुदुर्क	41.	माले गांव खुर्द (वन गांव)	76.	नन्दगांव
7.	वधोना खुर्द	42.	हिवारदारी (वन गांव)	77.	गणेशपुर
8.	जोलापुर (वन गांव)	43.	मालागांव बुदुर्क (वन गांव)	78.	टाटापुर
9.	करानी	44.	दरियापुर	79.	जुन्जापुर
10.	वधोना बुदुर्क	45.	पिल्वाहरी	80.	गेंडवाकाडी
11.	तिवसाला (वन गांव)	46.	अर्ली	81.	चलबर्दी
12.	कोथाड़ा	47.	हिवारी	82.	बेलुरी
13.	सुरदेवी	48.	पिंपालशेंडा	83.	टादुमारी
14.	चनई	49.	कारागांव,	84.	बरगांव
15.	असोली	50.	वाडवत	85.	अकोली बुदुर्क
16.	मुहादा	51.	खैरी	86.	महानदोली
17.	कारेगांव	52.	घुवाडी	87.	सखारा
18.	चिखालदारा	53.	कोंघारा	88.	मराठवाकाडी
19.	कृष्णापुर	54.	सखारा बुदुर्क	89.	ढोकी
20.	दाभा	55.	धारना	90.	वल्लारपुर
21.	मारवा	56.	मांगी	91.	टोकवनजारी
22.	खैरगांव	57.	ढाकी	92.	वानजारी
23.	वघोली	58.	वायी	93.	खारीगांव बुदुर्क
24.	कुसलगांव	59.	पिंपालपुर	94.	टिमभी
25.	चोपन	60.	गणेशपुर	95.	राधापुर (वन गांव)
26.	मल्कापुर (वन गांव)	61.	खैरगांव,	96.	पिखाना (वन गांव)
27.	केगांव	62.	पाह	97.	वासएरी
28.	वादनेर	63.	निलजई	98.	अन्धारवाडी,
29.	जुली	64.	मारगांव	99.	यलापुर (वन गांव)
30.	भाद उमारी	65.	अभोरा	100.	चनाखा
31.	पटोडा	66.	डोंगरगांव,	101.	निमधोली
32.	पहापल	67.	पिंपारी	102.	रूधा
33.	नगजारी खुर्द	68.	खैरगांव	103.	सुकली
34.	बहत्तार	69.	मुची		
35.	सुसारी	70.	मंगुर्दा		

(iv) **घतांजी तहसील के पचपन गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

घतांजी तहसील :

1.	मरवेली	20.	अयाते	39.	चिखालवार्धा
2.	रजुरवाडी	21.	काप	40.	तड-सवाली
3.	लिंगी	22.	कवाथा बुदुर्क	41.	सफैाल
4.	कोली खुर्द	23.	बिलायत	42.	नागेजरी बुदुर्क
5.	कोली बुदुर्क	24.	खादकी	43.	कवाथा (वन गांव)
6.	रामपुर उन्धार्नी	25.	चिमटा	44.	पारवा
7.	कपाशी	26.	कोपरी खुर्द	45.	मझाडा
8.	डेटोडी	27.	चिंचोली (268)	46.	पार्दी
9.	गुधा	28.	किंधी (वन गांव)	47.	जम्ब
10.	वारूड, (240),	29.	गवारा (वन गांव)	48.	कालेश्वर
11.	जपारवाडी	30.	टिटवी	49.	शेराद
12.	उमरी (242)	31.	मुरादगवन (वन गांव)	50.	धूंकी (वन गांव)
13.	पलोडी	32.	पिंपाल खुटी (वन गांव)	51.	मथानी (वन गांव)
14.	कापरी (244)	33.	खरोनी (वन गांव)	52.	राजागांव (वन गांव)
15.	घोटी	34.	वधोना	53.	खापरी (वन गांव)
16.	बुडाडी	35.	डोर्ली	54.	होनेगांव
17.	मुधाटी (वन गांव)	36.	राहती	55.	गनेडी
18.	जलान्द्री	37.	रासा (वन गांव)		
19.	मनुसधारी	38.	जताला		

10. **गदचिरोली जिले में निम्नलिखित :-**

(क) इत्तापल्ली, सिरोंचा, अहेरी, धानोरा, गुरखेड़ा तहसील ।

(ख) (ii) गदचिरोली तहसील के बासठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

गदचिरोली तहसील :

1.	नवगांव	5.	मरमेडी	9.	चाक खारपुर्डी,
2.	चाक चुरचुरा	6.	बोथेडी	10.	जपरा,
3.	कुराधी	7.	पेलनदुर,	11.	चाक धिबाना
4.	चाक मउसी	8.	गिलगांव	12.	मेरउमबोडी

13.	कुरकेडी	30.	मादे मुल	47.	विटानटोटा
14.	खुरसा	31.	मारोदा	48.	पोटेगांव
15.	वीजापुर	32.	कोसाम घाट	49.	रजोली
16.	सोनापुर	33.	रायपुर	50.	मद्रास
17.	मोंधा	34.	रवानजोरा	51.	जालेर
18.	सावरगांव	35.	पेकिनकासा	52.	दैवापुर
19.	कनरी	36.	सवेला	53.	रामगाड,
20.	पुलखाल	37.	सुईमारा	54.	गावलहेटी
21.	मुदजा बुदुर्क	38.	सखेरा	55.	डेउडा
22.	मुदजा तुकुम	39.	कर्कजारा	56.	खरादगुडा
23.	करूपाला	40.	कन्हलगांव	57.	तालकुडा
24.	मसली	41.	केलीगाटा	58.	जामगांव
25.	रणभूमि	42.	तोहागांव	59.	खाडसी
26.	चन्दाला	43.	गजनगुद्दा	60.	कोरकुटी
27.	रणमोल	44.	बनोली	61.	नागवेली
28.	कुम्भी पत्च	45.	सूर्यडोंगरी	62.	जालेगांव
29.	कुम्भी मोकासा	46.	सलाईटोला		

(ii) **अरमोली तहसील के चौहत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

अरमोली तहसील :

1.	कोरागांव	18.	अर मोरी	35.	डोंगारतमसी
2.	कालमगांव	19.	सलमारा	36.	नगरवाडी
3.	कुरल	20.	थानेगांव	37.	चाक नरोती
4.	सलेडा तुकाम	21.	पटानवेडा	38.	चाक कुरोंडी
5.	सलेडा लाम्बा	22.	पुरानवैरागड	39.	वाडेगांव
6.	कसारी तुकाम	23.	देउलगांव	40.	थोटीबोडी
7.	कसारीगांव	24.	सुकला	41.	देलवांडी
8.	शिवराजपुर	25.	मोहाजारी ऊर्फ सखारबोडी	42.	मेनापुर
9.	पोटेगांव	26.	चाक केरनाडा	43.	कोसारी
10.	विहिरगांव	27.	लोहारा	44.	मनगोडा
11.	पिंपालगांव	28.	चाक सोनपुर	45.	तुलतुली
12.	अरात-तोन्डी	29.	हीरापुर	46.	चकनागारवाही
13.	डोंगारगांव (हलाबी	30.	डोंगर तमसी	47.	विहिरगांव
14.	प्लासगांव	31.	सियानी खुर्द	48.	कुरांडी
15.	नवारगांव	32.	चावहेला	49.	उमारी
16.	पनथारगोटा	33.	मोहाताला चाक कुकोडी	50.	यंगाडा
17.	मगेवेड़ा	34.	मेंधा	51.	पिसेवाडढ़ा

52.	परासवाडी	60.	भंशी	68.	मारगांव
53.	डवाडी	61.	डोर्ली	69.	चाक मारगांव
54.	खादकी	62.	वनारचुवा	70.	चाक चिचोली
55.	भाकरांडी	63.	जमभाली	71.	मुसी खुम्ब
56.	नरोती मालगुजार	64.	मिंधा	72.	वेलागांव
57.	कोरेगांव	65.	नारचोली	73.	चिचोली
58.	वारखेडा	66.	खेहारी	74.	वानखेडा
59.	खराडी	67.	मारगांव पेच		

(iii) **चामोरसी तहसील के एक सौ बत्तीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

चामोरसी तहसील :

(1)	सगानपुर	(24)	राजनगेट्टा	(46)	छिचपाल्ली
(2)	वनढोना	(25)	चाक अमरगांव न. 1	(47)	वानारछुवा
(3)	गिलगांव	(26)	मुतनूर	(48)	जयरामपुर
(4)	भिंडी कनाल	(27)	अबापुर	(49)	वाइगांव
(5)	देटारी	(28)	मुरानदेपी	(50)	नारायणपुर
(6)	चाइट कनवर	(29)	लिनगुडा	(51)	राजौर खुर्द
(7)	कलामगांव	(30)	अदयल	(52)	हलदवाही
(8)	कुरूड	(31)	कर्कापल्ली	(53)	मुधोली
(9)	मेलर	(32)	चाक कर्कापल्ली	(54)	कोठारी
(10)	कुलीगांव	(33)	जंगामकुरल	(55)	बम्हनी देव
(11)	नाचागांव	(34)	फियूजर	(56)	सोमनापल्लि
(12)	बहेडविहिड	(35)	दिकानी	(57)	कान्हलगांव
(13)	वालसारा	(36)	चाक मुदोली न. 2	(58)	सिंगेला
(14)	चाक विजापुर	(37)	लक्षमणपुर	(59)	बेलगाट्टा
(15)	जोगाना	(38)	सगानपुर	(60)	पेठाताला
(16)	मुरमुरी	(39)	अम्बोली	(61)	छाक पेठाताला सं. 1
(17)	रावनपाली	(40)	गहुबोदी	(62)	परादीदेव
(18)	सोनापुर	(41)	छाक नारायनपुर संख्या 1	(63)	यादापाल्ली
(19)	डरर्ली	(42)	छाक नारायनपुर संख्या 2	(64)	राजपुर
(20)	रेखागांव	(43)	राजुर वुदर्क	(65)	जाम्भाली रिथ
(21)	यदनूर	(44)	भादविड	(66)	मेटे गुडा
(22)	पेलसानपेथ	(45)	मांगनेर		
(23)	पन्धारी भटाल				

(67)	छाक बेलगत्ता	(89)	अम्बेला (वनग्राम)	(111)	मुकाडी (वनग्राम)
(68)	मांजी गांव	(90)	गोट्टा (वनग्राम)	(112)	सिगनपाल्लि
(69)	मच्छाली गोट	(91)	अडगेपाल्लि	(113)	धामनपुर
(70)	छाक माक्केपल्लि सं. 4	(92)	सुरगांव (वनग्राम)	(114)	कोठारी (930)
(71)	दर्पन गुडा	(93)	येल्लूर	(115)	अम्बाटपाल्लि
(72)	छाक माके पल्लि सं. 2	(94)	थाकरी	(116)	गोमानी
(73)	छाक माकेपल्लि सं. 3	(95)	राजगट्टा	(117)	लागमहेट्टी
(74)	गारांजी	(96)	लोहरा	(118)	दामनपुर
(75)	छाक मेड आमगांव	(97)	मुकारीटोला	(119)	बन्दुकपाल्लि
(76)	छाक मेड आमगांव संख्या 1	(98)	भोलखांडी (वनग्राम)	(120)	कोडीगांव
(77)	छाक मेड आमगांव संख्या 2	(99)	हेतलकासा	(121)	छिछेला
(78)	तुमडी	(100)	बोलपाल्लि	(122)	नागुलवाही
(79)	रिगाडी	(101)	पुलीगुड्म	(123)	छितुगुंहा
(80)	माकेपाल्लि मालगुजारी	(102)	कुनगादा	(124)	तुमुगुडा
(81)	बोरघाट	(103)	कुनगाड़ा	(125)	माछिनगट्टा
(82)	अस्टी नोकेवाडा	(104)	कालपुर	(126)	येल्ला
(83)	ब्राहमणपेठ	(105)	गंगापुर	(127)	टिकपाल्लि
(84)	वेंगानूर	(106)	चंदन खेड़ी	(128)	मरपाल्लि
(85)	नोकेवाडा	(107)	मालेरा	(129)	जामगांव
(86)	अल्ला पाल्लि	(108)	बसारवाडा	(130)	कुलथा
(87)	रेगेवाही	(109)	छपराला	(131)	रामपुर
(88)	कोलपाल्लि	(110)	छइदामपेट्टी	(132)	लागम छाक

11. **चंद्रपुर जिले में निम्नलिखित :-**

राजुरा तहसील के एक सौ बयासी गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

राजुरा तहसील :

(1)	परसौदा	(9)	चनाई खुर्द	(17)	कथलावौडी
(2)	रायपुर	(10)	अकोला	(18)	शिवपुर
(3)	खतौडा खुर्द	(11)	कोरपाना	(19)	चौपान
(4)	गोविंदपुर	(12)	दुर्गादी	(20)	करमवौडी
(5)	खतौडा बुदुर्क	(13)	रूपापेठ	(21)	कुकुलवौडी
(6)	मेंहदी	(14)	चनाई बुदुर्क	(22)	टीपा
(7)	परदी	(15)	मांडवा	(23)	मंगुलहीरा
(8)	जैवरा	(16)	कनेरगांव बुदुर्क	(24)	खोदकी

(25) जमुलधारा
(26) वोरगांव बुदुर्क
(27) वोरगांव खुर्द
(28) आशापुर
(29) तानगोला
(30) खेरगांव
(31) हतलौनी
(32) एरगांव
(33) उमारजारा
(34) एलापौर
(35) शिंगार पैथौर
(36) लंवौरी
(37) सेदवाई
(38) नरपाथर
(39) कोदापुर
(40) घरपाना
(41) नोकवाडा
(42) गुडसेला
(43) वानी
(44) कोकाजारी
(45) मोहदा
(46) पुदियाल मोहदा
(47) कमलापुर
(48) चिचखोंड
(49) वनसाडी
(50) पराम्बा
(51) देवघाट
(52) कुसाल
(53) दाहेगांव
(54) सोनुरलो
(55) करगांव खुर्द
(56) धानोली
(57) पिपराडा
(58) छिनछोली
(59) करगांव बुदुर्क
(60) मारकागोंडी
(61) बेलगांव
(62) जुलबारदी
(63) सवालहीरा
(64) खीरागांव
(65) पांढरवानी
(66) जांम्बुलढ़ारा
(67) धानकदेवी
(68) येरमी इसपुर
(69) सारंगपुर
(70) जिवाती
(71) नागपुर
(72) मारकोलमोट्टा
(73) धोंदा अरगुनी
(74) धोंधा मांडवा मांब्वा
(75) टेका अर्जुनी बुदुर्क
(76) टेका
(77) राहपल्लि
(78) छिखिली
(79) पाटन
(80) हीरापुर
(81) इसपुर
(82) आसन खुर्द
(83) आसन बुदुर्क
(84) पीपलगांव
(85) पालजारी
(86) बोरिनवे गांव
(87) नन्दा
(88) बीबी
(89) धुनकी
(90) धामनगांव
(91) काखमपुर
(92) बाडगांव
(93) इंजापुर
(94) चंदूर
(95) कुकादसात
(96) खिरदी
(97) थुतरा
(98) बहलामपुर
(99) मनोली खुर्द
(100) जमानी
(101) नोकरी बुदुर्क
(102) सोनापुर
(103) उप्पार वाई
(104) भुरखुंडा खुर्द
(105) कदकी
(106) नोकारी खुर्द
(107) नागराला
(108) पालेजारी
(109) काकबान
(110) डोगरागांव
(111) छिखाली
(112) भुरखुंडा बुदुर्क
(113) पाछगांव
(114) सेनगांव
(115) ताताखोंडी
(116) भेंडवी
(117) सुकादपालि
(118) मारकागोंडी
(119) तित्वी
(120) नादपा
(121) येरगांवन
(122) कावादगोंडी
(123) सोरकसारा
(124) कुसम्बी
(125) जनकपुर
(126) पुनागुडा (नावेगांव)
(127) देवाडा
(128) कदकी रायपुर
(129) गोवेन्दपुर
(130) मारियापाटन
(131) उमराजारा
(132) राहपल्लि खुर्द
(133) धार्मराम
(134) भोकसापुर
(135) बाम्बेजारी
(136) भारी
(137) पांडरवानी
(138) सिंडोलाटा
(139) सोंडो
(140) बेलगांव
(141) काकडघाट

(142) गनेरी	(156) अहेरी	(170) केलजारी
(143) खिरदी	(157) कोच्छी	(171) नवेगांव
(144) सेदवाई	(158) गोराज	(172) छिंछाला
(145) बाबापुर	(159) बारुर	(173) वीरूर
(146) हीरापुर	(160) रानीवेली	(174) सिद्घेश्वर
(147) सखारी	(161) भेडोडा	(175) घोट्टा
(148) मनोली बुदुर्क	(162) ताम्भुरवाही	(176) डोगरागांव
(149) गोयेगांव	(163) चिरूड	(177) सुबाई
(150) हरडोनाखुर्द	(164) छिंछवोडी	(178) कोस्ताला
(151) हरडोना बुदुर्क	(165) कवथाला	(179) लाक्कदकोट
(152) विनिरगांव	(166) सोनुरली	(180) अम्बेजारी
(153) मागी	(167) सिरसी	(181) अन्तारगांव
(154) वांगी	(168) बेरडी	(182) अन्नूर
(155) पांढरपुनी	(169) भेंडाला	

\# महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित क्षेत्र को, मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ. 9) दिनांक 26.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सां.आ. 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और अपर संदर्भित आदेशों को, जहां तक उनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985 (सां.आ. 123) दिनांक 2.12.1985 के तहत पुन: विनिर्दिष्ट किया गया है।

V. ओडिशा##

1. मयूरभंज जिला

2. सुंदरगढ़ जिला

3. कोरापुट जिला

4. सम्बलपुर जिले में कुचिंडा तहसील

5. क्योंझर जिले में, क्योंझर सबडिविजन की क्योंझर और तेलकोइहसीले और बाल्लिगुडा सब डिवीजन की चम्पुआ और बारबल तहसीलें।

6. बोधा-खोंडमल जिले की खोण्डमाल सब डिवीजन की खोण्डमाल तहसील और वालीगुडा सब डिवीजन की वालीगुडा और जी उदयगिरी तहसीलें।

7. गंजाम जिले में आर. उदयगिरी तहसील और पारलखेमुण्डी तहसील के गूमा और रायगढा खंड और सुरदा तहसील, धुमसुर सब डिवीजन के गजलबाडी और गोचा ग्राम पंचायत के अतिरिक्त ग्राम।

8. कालाहांडी जिले में, कालाहांडी तहसील के रामपुर खंड और लांजिगढ खंड।

9. बालासोर जिले में नीलगिरी सब-डिवीजन के नीलगिरी तहसील का नीलगिरी सामुदायिक विकास खंड।

\#\# ओडिशा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क) राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ. संख्या 9) दिनांक 26.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग (ख) राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ. 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और ऊपर संदर्भित आदेशों को जहां तक उनका संबंध उड़ीसा राज्य से है आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977 (सी.ओ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुन: विनिर्दिष्ट किया गया।

VI. राजस्थान[$]

1. बांसवाड़ा जिला

2. डुंगरपुर जिला

3. उदयपुर जिले में निम्नलिखित :-

(क) फालसिया, खेरवारा, कोटरा, सारदा, सालुमबार और सासादिया तहसीलें

(ख) गिरवा तहसील के निम्न 81 गांव,

(1) सिसरमा पंचायत के सीसरमा देवली, बलेचा, सेठजी की कुण्डल, रायता, कोडियात और पीपलिया गांव

(2) बुजरा पंचायत के बुजरा, नया गुरहा, पोपालती और नया खेड़ा गांव

(3) नाई पंचायत का नाई गांव

(4) दोदावाली पंचायत का, दोदावाली कालीवास, कार नाली सुरना, बोरावारा का खेरा मादरी, बच्छर और केली गांव

(5) बड़ी उन्दरी, छोटी उन्दरी, पीपलवास और कुमारिया खेरवा गांव

(6) आलसीगढ़ पंचायत के आलसीगढ़, पाई और गांव

(7) पदूना पंचायत के पदूना, अमर पूरा और ज्वाला गांव

(8) चंदवाडा पंचायत का चंदवाडा गांव

(9) सारू पंचायत के सारू और बान गांव

(10) तीरी पंचायत के तीरी बोरीखुआ और गोजिया गांव

(11) जवार पंचायत के जवार, रेवान, थावरी टलाई, नसेरा, कनूर और उदिया खेरा गाँव

(12) बारपाल पंचायत केनारपाल तोराना तलब और कदिया खेत गांव

(13) जवार पंचायत के काया और चांदनी गांव

(14) तरीदी पंचायत के तीरादी, फांडा, बिलिया, दाकन कोढा, धुलिया की पटी और सावीना खेरा गांव

(15) कानपुर पंचायत का कानपुर गांव

(16) वाली पंचायत के वाली बूदेल, लालपुरा पारवल, खेरी और जसपुर गांव

(17) चंदसा पंचायत के चंदसा दामोरोब का गुडा, मामादेव, झामर कोटरा, सथपुरा गुंजारन, सतपुरामीना, जया घूरा, खारवा, मानपुरा और जोधपुरिया गांव

(18) जगत पंचायत का जगत गांव

(19) दातीसार पंचायत के दातीसार, सीजा, बासू और परोला गांव

(20) लोकारवास पंचायत के लोकार वास और परोला गांव

(21) भला का गुरहा पंचायत के, भला का गुरहा, कारगेत, भेसधा और बिछड़ी गांव

4. चितौड़गढ जिले में प्रतापगढ़ तहसील

5. सिरोही जिले की आबुरोड तहसील में आबूरोड खंड

[$] राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सीओ 26) दिनांक 7.12.1950 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया था और रद्द करने के बाद, अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश 1981 (सी ओ 114) दिनांक 12.2.1981 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट कर दिया गया है ।

VII. झारखंड$$

1. रांची जिला
2. लोहरदगा जिला
3. गुमला जिला
4. सिमडेगा जिला
5. लातेहर जिला
6. पूर्वी-सिंहभूम जिला
7. पश्चिमी-सिंहभूम जिला
8. सरायकेला-खरसावां जिला
9. साहेबगंज जिला
10. दुमका जिला
11. पाकुर जिला
12. जामतारा जिला
13. पलामू जिला-सतबरवा ब्लॉक की राबदा और बकोरिया पंचायतें
14. गढ़वा जिला-भंडारिया ब्लॉक
15. गोडा जिला-सुंदर पहाड़ी और बौरीजोर ब्लॉक

$$ संयुक्त राज्य बिहार के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ. 9) दिनांक 26.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और बिहार राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सी.ओ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत नए राज्य झारखंड के निर्माण के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य बिहार के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित झारखंड राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक बिहार राज्य का संबंध है, 31.12. 1977 के आदेश को रद्द करके, झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सी.ओ. 192) दिनांक 20.2.2003 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सी.ओ. 192) में विनिर्दिष्ट झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र को दिनांक 11.04.2007 के अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य), आदेश, 2007 (सी.ओ. 229) द्वारा रद्द कर दिया गया है।

VIII. मध्य प्रदेश$$$

1 झाबुआ जिला

2 मंडला जिला

3 सरगुजा जिला

4 बरवानी जिला

5 धार जिले के सारदापुर, धार, कुक्शी और मानवार तहसील

6. खारगोने (पश्चिम निमार) जिले के बारवानी, राजपुर, सेन्दवा, भीकनगांव, खारगोने और महेश्वर तहसील

7. खण्डवा (पूर्व निमार) जिले के बुरहानपुर तहसील के खाकनार जनजाति विकास खण्ड और हरदा तहसील के खालवा जनजाति विकास खण्ड।

8. रतलाम जिले का सैलाना तहसील

9. बेतुल जिले के बेतूल तहसील (बेतूल सामूदायिक विकास खण्ड के अलावा) और मिनसेदी तहसील।

10. सोनी जिले के लाखनडोन तहसील और कुराई जनजाति विकास खण्ड।

11. बालाघाट जिले का मैहर तहसील

12. होशंगाबाद जिले में इटारसी तहसील का केसला जनजाति विकास खंड

13. शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, जैथारी, कोतमा, जैतपुर, सोहागपुर और जयसिंहनगर तहसील

14. उमरिया जिले की पाली तहसील में पाली जनजाति विकास खंड

15. सीधी जिले की कुसमी तहसील में कुसमी जनजाति विकास खंड

16. शियोपुर जिले की कराहल तहसील में कराहल जनजाति विकास प्रखंड

17. तामिया और जमई तहसील, पटवारी सर्किल सं. 10 से 12 और 16 से 19 तक, पटवारी सर्किल सं. 09 में सिरीगांव खुर्द और किरवारी गांव, परसिया तहसील में पटवारी सर्किल खंड 13 के मैनावरी और गौली परसिया गांव, छिन्दवाड़ा तहसील में पटवारी सर्किल सं0 25 का बहमानी गांव। हरई जनजाति विकास खंड और अमरवाड़ा तहसील में पटावारी सर्किल सं0 28 से 36, 41, 43, 44 और 45 बी तक।

बिछुआ तहसील और सौंसर तहसील में पटवारी सर्किल सं0 05, 08, 09, 10, 11 और 14, पटवारी सर्किल सं0 01 से 11 और 13 से 26 और पटवारी सर्किल सं0 12 (ग्राम भूली को छोड़कर) पटवारी सर्किल सं0 27 का ग्राम नंदपुर, छिंदवाड़ा जिले की पांदुर्णा तहसील में पटवारी सर्किल सं0 28 के नीलकंठ और धावादिखाना गांव।

IX. छत्तीसगढ़ $$$

1. सरगुजा जिला

2. कोरिया जिला

3. बस्तर जिला

4. दांतेवाड़ा जिला

5. कांकेर जिला

6. बिलासपुर जिले में मारवाही, गौरेला- 1, गौरेला-2 आदिवासी विकास खंड और कोटा राजस्व निरीक्षक सर्किल

7. कोरबा जिला

8. जशपुर जिला

9. रायगढ़ जिले में धार्म जयगढ़, घरघोडा, तामनर, लायलुंगा और खरसिया जनजाति विकास खंड

10. दुर्ग जिले में डोंडी जनजाति विकास खंड

11. राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला जनजाति विकास खंड

12. रायपुर जिले में गरियाबंद, मैनपुर और छूरा जनजाति विकास खंड

13. धामतरी जिले में नागरी (सिहावा) जनजाति विकास खंड

$$$ मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सां.आ. 9) दिनांक 26.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सां.आ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत नए राज्य छत्तीसगढ़ के निर्माण के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश के संबंध में कुछ अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक मध्य प्रदेश राज्य का संबंध है, 31.12.1977 के आदेश को रद्द करके, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सां.आ. 192) दिनांक 20.2.2003 के तहत पुनः निर्दिष्ट किया गया है।

नोट: यदि सूची में कोई विसंगति पाई जाति है। तो संबंधित मूल अधिसूचना अंतिम और प्राधिकृत होगी।

अनुलग्नक 6घ :

अनुसुचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल की रिपोर्टों की स्थिति (15.01.2015 तक)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	जिन वर्षों के लिए राज्यपाल की रिपोर्टों प्राप्त हुई					
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	आंध्र प्रदेश	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित
2.	छत्तीसगढ़	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित
3.	गुजरात	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित
4.	झारखंड	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित
5.	हिमाचल प्रदेश	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी
6.	मध्ध प्रदेश	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्रतीक्षित
7.	महाराष्ट्र	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित
8.	ओडिशा	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित
9.	राजस्थान	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी
10.	तेलंगाना	नव निर्मित राज्य, 2014.15 के लिए राज्यपाल की रिपोर्ट 13.09.2015 के बाद भी आयेगी					

अनुलग्नक 6ड.

वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 से राज्यों द्वारा आयोजित की गई जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) की बैठकों को दर्शाने वाला विवरण (15.01.2015 तक)

राज्यों के नाम	आयोजित टीएसी बैठकों की तिथियां	
	2013-2014	**2014-15**
आंध्र प्रदेश	15.10.2013	रिपोर्ट नहीं की गयी
छत्तीसगढ़	17.07.2013	22.7.2014
गुजरात	रिपोर्ट नहीं की गयी	रिपोर्ट नहीं की गयी
हिमाचल प्रदेश	रिपोर्ट नहीं की गयी	रिपोर्ट नहीं की गयी
झारखंड	रिपोर्ट नहीं की गयी	रिपोर्ट नहीं की गयी
मध्य प्रदेश	रिपोर्ट नहीं की गयी	रिपोर्ट नहीं की गयी
महाराष्ट्र	रिपोर्ट नहीं की गयी	रिपोर्ट नहीं की गयी
उड़ीसा	27.07.2013	रिपोर्ट नहीं की गयी
राजस्थान	रिपोर्ट नहीं की गयी	रिपोर्ट नहीं की गयी
तमिलनाडु*	रिपोर्ट नहीं की गयी	रिपोर्ट नहीं की गयी
पश्चिम बंगाल*	रिपोर्ट नहीं की गयी	रिपोर्ट नहीं की गयी
तेलंगाना	रिपोर्ट नहीं की गयी	रिपोर्ट नहीं की गयी

(टिप्पणी: * दर्शाया गया है कि राज्यों का अनुसूचित क्षेत्र नहीं है)
(एन.आर.: रिपोर्ट नहीं की गयी)

अध्याय 7

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम

7.1 **संगठन : राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएपफडीसी)** अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए स्थापित की गई एक शीर्ष संस्था है। यह निगम जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत सरकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया था तथा इसे कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया था। इसका प्रबंधन केन्द्रीय सरकार, राज्य चौनेलाइजिंग एजेंसियों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ लि. (ट्राइफेड) के प्रतिनिधियों तथा अनुसूचति जनजातियों इत्यादि के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के साथ निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। निगम ब्याज की रियायती दर की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा कर अनुसूचित जनजाति के आर्थिक उन्नयन में सहायता करता है।

7.2 मिशन, उद्देश्य तथा कार्य

क **मिशन:** सतत आधार पर अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास।

ख **उद्देश्य:** एनएसटीएपफडीसी अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- अनुसूचित जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यकलापों की पहचान करना ताकिस्व-रोजगार का सृजन किया जा सके तथाउनकी आय को बढ़ाया जा सके।
- संस्थागत और नौकरी के समय जारी प्रशिक्षणदोनों उपलब्ध कराकर के अनुसूचित जनजातियों द्वारा उनके कौशल और प्रक्रियाओं विकास काउन्नयन करना।
- मौजूदा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों और जनजातियों के आर्थिक विकास में लगे अन्य विकास अभिकरणों को और अधिक प्रभावी बनाना।
- राज्य चौनेलाइजिंग एजेन्सियों (एससीए) कीपरियोजना निमार्ण, एनएसटीएफडीसी समर्थित योजनाओं के कार्यान्वयन तथा उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता करना।
- इसके प्रभाव का आकलन करने के लिएएनएसटीएफडीसी सहायतित योजनाओं केकार्यान्वयन की निगरानी करना।

ग-कार्य

- अनुसूचित जनजातियों में एनएसटीएफडीसी कीरियायती योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- कौशल विकास और लाभार्थियों तथा एससीए के अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए सहायता करना।
- एससीए के माध्यम से व्यवहार्य आय सृजनकारी योजनाओं तथा पात्र अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु अन्य चौनेलाइजिंग एजेंसियों के लिए रियायती वित्त प्रदान करना।

7.3 अंश पूंजी: निगम की अधिकृत अंश पूंजी 500 करोड़ रुपये है तथा 31-12-2014 तक प्रदत्त पूंजी 445.99 करोड़ रुपये है।

7.4 पात्रता मानदण्ड: एनएसटीएफडीसी से वित्तीयसहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता है:-

क व्यक्ति/स्वयं सहायता समूह

- सभी आवेदकों को अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होना चाहिए।
- आवेदन कर्ताओ की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा की आय सीमा के दोगुना(डीपीएल) से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में यह सीमा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 81,000 रुपये प्रति वर्ष और शहरी क्षेत्रों के लिए 1,04,000 रुपये प्रति वर्ष है, जो योजना आयोग के मानदण्डों पर आधारित है।
- **सहकारी समितियाँः** कम से कम 80 प्रतिशत या उससे अधिक सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होने चाहिए तथा आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा की सीमा के दोगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। सदस्यता के बदलाव के मामले में, उक्त सहकारी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि एनएसटीएफडीसी के ऋण की अवधि के दौरान अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का प्रतिशत 80 से कम न हो।

7.5 योजनाएं: निगम आय सृजन कार्यकलापों तथा विपण ान सहायता के तहत केवल मियादी ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी के कार्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार हैः-

क- आय सृजनकारी गतिविधियों के तहत योजनाए :

- मियादी ऋण योजनाः एनएसटीएफडीसीप्रति इकाई 10.00 लाख रुपए तक की लागतवाली व्यवहार्य योजनाओं के लिए मियादी ऋण प्रदान करता है। एनएसटीएफ डीसी की वित्तीय सहायता योजना की लागत को 90 प्रतिशत तक दी जाती है तथा शेष राशि सब्सिडी/प्रवर्तक के अंशदान/सीमान्त धनराशि के रुप में पूरी की जाती है।
- **आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना(एएमएसवाई):** यह योजना केवल अनुसूचितजनजाति की महिलाओ के आर्थिक विकास केलिए है। इस योजना के तहत एनएसटीएफडीसी 1,00,000 रुपए तक की लागत वाली स्कीम केलिए 90 प्रतिशत तक ऋण प्रदान करता है। यह वित्तीय सहायता 4 प्रतिशत वार्षिक की उच्च रियायती ब्याज दर पर दी जाती है।
- **लघु ऋण योजनाः** यह योजना अनुसूचितजनजाति के सदस्यों की छोटी ऋण आवश्यकताको पूरा करने के लिए केवल स्वयं सहायता समूहों हेतु एक खास योजना है। इस योजनाके तहत निगम प्रति सदस्य को 50,000/-रु. और प्रति स्व-सहायता समूह को 5.00 लाख रु. प्रदान करता है।
- **आदिवासी शिक्षा ऋण योजनाः** यह शिक्षा ऋण योजना है जो भारत में पीएचडी सहित प्रौद्योगिकी और पेशेवर शिक्षा के व्यय को पूरा करने के लिए अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को सक्षम बनाती है। इस योजना के तहत निगम 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर पर 5.00 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **जनजातीय वन निवासी सशक्तिकरण योजनाः** इस योजना का उद्देश्य वन निवासी अनुसूचित जनजातियों जिन्हें वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत भूमि के अधिकार दिए गए हैं, के लिए जागरुकता पैदा करने,लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने, एनएसटीएफडीसी की रियायती वित्तीय सहायता देने, बाजार के साथ संपर्क इत्यादि में सहायता देना है। इसयोजना के तहत एनएसटीएफडीसी लाभार्थियों द्वारा देय 6 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रु. तक की लागत वाली योजनाओं के लिए 90 प्रतिशत तक का ऋण प्रदान करता है।
- **ट्राइफेड के पैनलबद्ध कारीगरों को सहायताः** इस योजना के तहत एनएसटीएफडीसी परियोजना से संबंधित परिसंपत्तियों तथा कार्यकारी पूंजी की खरीद के लिए ट्राइफेड के साथ पैनलबद्ध जनजातीय कारीगरों को रियायती वित्त प्रदान करता है। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं हेतु 4 प्रतिशत वार्षिक तथा अन्य के लिए 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर व्यक्तियों हेतु 50,000 रु- तथा एसएचजी/सहकारी सोसाइटी के 5 लाख रु. तक वित्तीय सहायता प्रदान कीजाती है।

ख. विपणन समर्थन सहायताः निगम लघु वन उत्पाद और अन्य जनजातीय उत्पादों (एमएफपी) की खरीद तथा विपणन में लगी एजेंसियों की कार्यकारी पूंजी संबंधित आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

एनएसटीएफडीसी की उपरोक्त योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने के संक्षिप्त मानदण्ड निम्नानुसार हैं:

एनएसटीएफडीसी की उपरोक्त योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने के संक्षिप्त मानदण्ड निम्नानुसार हैं :					
				एससीए द्वारा	लाभार्थियों द्वारा
1.	सावधिक ऋण योजना	10.00 लाख रुपए	इकाई लागत का 90%	3%	6%
				(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 5.00 लाख रुपए तक)	
				5%	8%
				(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 5.00 लाख रुपए से अधिक)	
2.	आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई)	1 लाख रुपए	इकाई लागत का 90%	2%	4%
3.	लघु ऋण योजना	प्रति सदस्य 50,000 रू. तथा प्रति एसएचजी 5 लाख रुपए	100%	3%	6% (एसएचजी द्वारा देय)
4.	आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई)	5 लाख रुपए	ऋण राशि का 90%	3%	6%
5.	जनजातीय वन निवासी सशक्तिकरण योजना	1 लाख रू	ऋण राशि का 90%	3%	6%
6.	स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए योजना	25 लाख रू.	इकाई लागत का 90%	सावधिक ऋण योजना के लिए लागू ब्याज दर के अनुसार	
7.	ट्राइफेड के सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता/कारीगरों के लिए योजना	व्यक्तिगत सदस्यों के लिए 50000 रू तथा प्रति सदस्य 50,000 रू. की सीमा के साथ 5 लाख रू. प्रति एसएचजी	इकाई लागत का 90%	3%	6%
				अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति, एसएचजी तथा सहकारी संस्था के लिए	
				2%	4%
				अनुसूचित जनजाति की व्यक्तिगत महिलाओं के लिए	

ग. अनुदान के रूप में एनएसटीएफडीसी द्वारा दी गईवित्तीय सहायताकौशल एवं

- **उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम:** स्वरोजगार/रोजगार हेतु अवसर पैदा करने केलिए पात्र अनुसूचित जनजातियों के कौशल तथा उद्यमशीलता के विकास हेतु अनुदान के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

7.6 मुख्य उपलब्धियां/पहलें:

क. सांगवान के पेड़ (टीक) उगाने वाली अनुसूचित जातियों के लिए योजना: वर्ष के दौरान एनएसटीएफडीसी ने गुजरात के डांग जिले में सांगवान के पेड़ उगाने वाली अनुसूचित जनजाति के लाभ के लिए एक नई योजना निरुपित की है। यह योजना सांगवान के पेड़ उगाने वाली अनुसूचित जनजातियों के लिए पांच लाख रूपए तक प्रति सदस्य अथवा वन विभाग द्वारा यथा सत्यापित सांगवान की लकड़ी के 50 प्रतिशत मूल्यांकन तक का लाभ उठाने के लिए होगी जो वन विभाग, गुजरात सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही ग्रीन किसान क्रेडिट के तहत बैंकों द्वारा वर्तमान में लिए जा रहे 10.25 प्रतिशत ब्याज की तुलना में 6 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण देती है।

ख. कृषि मंत्रलय के संयोजन में पोली हाउस: बागवानी

विभाग, कृषि मंत्रलय, भारत सरकार बागवानी के एकीकृत विकास के लिए अपने मिशन के तहत बांस आधारित पाली हाउस योजना कार्यान्वित कर रहा है। कृषि मंत्रालय के संयोजन में एनएसटीएफडीसी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा राज्यों में पायलेट आधार पर क्लस्टरों में अनुसूचित जनजातियों के लिए योजना को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है।

ग. **नई चैनेलाइजिंग एजेंसियां:** तेलंगाना राज्य में अनुसूचित जनजातियों को वित्तीय सहायता देने के लिए एनएसटीएफडीसी ने चौनेलाइजिंग एजेंसी के रुप में श्री निधि क्रेडिट को-ओपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड तेलंगाना राज्य के लिए नियुक्त की है। अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए अरुणाचल प्रदेश स्टेट कोओपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड (एपीएससीएबीएल) नाहारलागुन को अतिरिक्त चौनेलाइजिंग एजेंसी के रुप में नियुक्त किया गया है।

घ. **इकाई लागत सीमा की बढ़ोत्तरी:** आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एकमात्र योजना है। वर्ष के दौरान निगम ने इस योजना के तहत इकाई लागत सीमा को 50000 रुपये से 100000 रुपये तक बढ़ाया है। अनुसूचित जनजाति के स्वयं सहायता समूहों के लाभ के लिए लघु ऋण सीमा को भी प्रति सदस्य 35000 रुपये से 50000 रुपये तक बढ़ाया गया है।

ड. एनएसटीएफडीसी के अधिकारी योजनाओं की स्थिति के कार्यान्वयन के साथ साथ प्रभावका अनुमान करने के लिए एनएसटीएफडीसी द्वारा सहायित इकाईयों की जांच करने हेतु आवधिक रुप से क्षेत्र दौरा करते हैं। वर्ष के दौरान गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में 537 इकाईयों की जांच की गई थी।

च. अनुसूचित जनजातियों के लिए रियायती योजनाओं के बारे में सूचना के प्रसार के लिए एनएसटीएफडीसी जनजातीय बहुल क्षेत्रें में आवधिक रुप से जागरुकता कैम्प चलाता है। वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए छत्तीसगढ, गुजरात, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में 10 जागरुकता कैम्प संचालित किए गए हैं।

7.7 निगम का कार्य निष्पादन:

क **संस्वीकृतियाँ:** एनएसटीएफडीसी ने योजनाओंकी संस्वीकृति हेतु सांकेतिक रुप से 190-00करोड़ रुपए आबंटित किए। वर्ष के दौरान30-11-2014 तक निगम ने आय सृजनकारी क्रियाकलापों के लिए 145.13 करोड़ रुपए के अपने भाग को 26211 लाभार्थियों के आर्थिक विकास के लिए आय सृजनकारी गतिविधियों के तहत 87 योजनाओं को स्वीकृत किया। उपर्युक्त में, महिला लाभार्थियों के लिए विशिष्ट योजना एएमएसवाई के तहत 687 महिला लाभार्थियों के आर्थिक उत्थान हेतु 2.78 करोड़ रुपए तथा लघु ऋण योजना के तहत 12253 लाभार्थियों के लिए 53.45 करोड़ रुपये तथा आदिवासी शिक्षा ऋण योजना के तहत 12 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 0.26 करोड़ रुपये की संस्वीकृति भी शामिल है।

ख **संवितरण:** वर्ष के दौरान 31.11.2014 तक निगम ने 14767 लाभार्थियों का लाभान्वित करने वाली स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 40.75 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए हैं। उपर्युक्त में एएमएसवाई के तहत 9710 महिला लाभार्थियों के लिए 19.50 करोड़ रुपए, लघु ऋण योजना के तहत 2740 लाभार्थियों के लिए 3.94 करोड़ रुपए तथा आदिवासी शिक्षा ऋण योजना के तहत 15 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 0.82 करोड़ रुपए का संवितरण शामिल है।

ग **वसूली:** 30-11-2014 तक संचयी वसूलीप्रतिशतता 88.08 प्रतिशत है।

7.8 **वर्ष 2014-15 के लिए समझौता ज्ञापन(एमओयू):** निगम ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए तथा विभिन्न क्रियाकलापों के लिए लक्ष्यों/मानदण्डों का निर्धारण किया। इससे निगम के कार्य-निष्पादन में सुधार होने की संभावना है तथा इससे लक्षित अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार मंत्रालय ने भी समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों/मानदण्डों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की।

अनुलग्नक 7

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) ने बीस सूत्री कार्यक्रम 2006 की पुनः संरचना की है जो वर्ष 2014-15 के दौरान लाभार्थियों की कवरेज हेतु लक्षित है

क्र.सं.	राज्यों के नाम	आय सृजनकारी योजनाओं के लाभार्थियों का लक्ष्य
1	आंध्र प्रदेश अनुसूचित जनजाति सहकारी वित्त निगम लि., **आन्ध्र प्रदेश**	2985
2	**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**	139
3	अरूणाचल प्रदेश औद्योगिक एवं वित्त विकास निगम, **अरूणाचल प्रदेश**	480
4	असम मैदानी जनजाति विकास निगम लिमिटेड, **असम**	1958
5	बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, **बिहार**	675
6	छत्तीसगढ़ राज्य अंतव्यसाई सहकारी वित्त एवं विकास निगम, **छत्तीसगढ़**	3947
7	दादरा और नागर हवेली, दमन और द्वीप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्प संख्यक वित्त और विकास निगम लिमिटेड, **दादरा और नगर हवेली**	139
8	गोवा राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड, **गोवा**	139
9	गुजरात जनजातीय विकास निगम **गुजरात**	4497
10	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियां विकास निगम, **हिमाचल प्रदेश**	198
11	जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और पिछड़ो वर्ग विकास निमग, **जम्मू और कश्मीर**	753
12	झारखंड राज्य जनजातीय सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, **झारखंड**	4360
13	कर्नाटक अनुसूचित जनजाति विकास निगम, **कर्नाटक**	2142
14	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु केरल राज्य विकास निगम लिमिटेड, **केरल**	140
15	केरल राज्य महिला विकास निगम लिमिटेड, **केरल**	140
16	लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड, **लक्षद्वीप**	139
17	मणिपुर जनजातिय विकास निगम लिमिटेड, **मणिपुर**	455

18	सबरी आदिवासी वित्त व विकास निगम, नासिक, **महाराष्ट्र**	5300
19	मेघालय सहकारिता एपैक्स बैंक लिमिटेड, **मेघालय**	1289
20	मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, **मध्य प्रदेश**	7724
21	मिजोरम खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, **मिजोरम**	261
22	मिजोरम शहरी सहकारिता विकास बैंक लिमिटेड, **मिजोरम**	261
23	नागालैंड औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, **नागालैंड**	431
24	नागालैंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, **नागालैंड**	431
25	उड़ीसा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास एवं वित्त सहकारी निगम लिमिडेट, ओड़िशा, **उड़ीसा**	4837
26	राजस्थान अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारिता निगम, **राजस्थान**	4658
27	सिक्किम अनुसूचित जनजाति, जनजातियां तथा पिछड़े वर्ग विकास निगम लिमिटेड, **सिक्किम**	139
28	तमिलनाडु आदि द्राविडर परिवार एवं विकास निगम लिमिटेड, **तमिलनाडु**	402
29	त्रिपुरा अनुसूचित जनजाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, **त्रिपुरा**	589
30	उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, **उत्तरांचल**	148
31	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, **उत्तर प्रदेश**	572
32	पश्चिम बंगाल अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां विकास वित्त निगम, **पश्चिम बंगाल**	1336
33	पश्चिम बंगाल जनजातीय विकास सहकारिता निगम, **पश्चिम बंगाल**	1336
	कुल	**53000**

नोट : वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजातियों को कवर करने के लिए कुल लक्ष्य, समझौता ज्ञापन 2014-14 के अनुसार 53000 है तथा यही राष्ट्रीय आवंटित निधियों के आधार पर प्रत्येक एससीए/राज्य को दी गई है।

अध्याय 8
शिक्षा के संवर्धन के लिए कार्यक्रम

अनुसूचित जनजाति के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु योजना

8.1 उद्देश्य : योजना का उद्देश्य ऐसे जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रावास आवास देकर जनजातीय विद्यार्थियों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देना है, जो अपनी खराब आर्थिक स्थिति और अपने गांवों में दूर-दराज की अवस्थिति के कारण अपनी शिक्षा को अन्यथा जारी रखने में असमर्थ होते हैं। इस योजना को दिनांक 01-04-2008 से संशोधित कर दिया गया था।

8.2 कवरेज : योजना देश में संपूर्ण अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या को कवर करती है न कि क्षेत्र विशिष्ट को। तथापि, योजना के तहत छात्रावासों की संस्वीकृति जहाँ तक संभव हो स्थापित शैक्षिक संस्थानों के एक भाग के रूप में या ऐसे संस्थानों/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के बिल्कुल नजदीक दी जाएगी।

8.3 निधियन प्रतिमान : यह केन्द्र और राज्यों के बीच लागत विभाजन के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। संशोधित योजना के तहत, राज्य सरकारें सभी लड़कियों के छात्रावासों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों (समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए) में लड़कों के छात्रावासों के निर्माण हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सा प्राप्त करने की पात्र हैं। अन्य लड़कों के छात्रावासों के लिए राज्य सरकारों हेतु वित्तपोषण 50:50 के अनुपात में है। संघ शासित प्रदेशों के मामले में केन्द्र सरकार लड़कों तथा लड़कियों दोनों के छात्रावासों हेतु निर्माण की पूरी लागत वहन करती है। अनुसूचित जनजाति की छात्राओं एवं छात्रों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में छात्रावासों हेतु भी अन्य छात्रावासों के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही निधियां प्रदान की जाती हैं। इस उद्देश्यार्थ संसद सदस्य राज्य हिस्से के स्थान पर अपने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से भी निधियाँ प्रदान कर सकते हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालय 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे जबकि अन्य विश्वविद्यालय 45 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सेदारी, 45 प्रतिशत राज्य हिस्सेदारी के लिए पात्र होंगे तथा शेष 10 प्रतिशत हिस्सा संबंधित विश्वविद्यालय को स्वयं वहन करना होगा। यदि संबंधित राज्य सरकारें उपर्युक्त निर्धारण के अनुसार विश्वविद्यालयों को 45 प्रतिशत हिस्सा प्रदान नहीं करती हैं तो राज्य सरकार का हिस्सा भी संबंधित विश्वविद्यालय को ही वहन करना होगा तथा इस प्रकार से उनका योगदान 55 प्रतिशत तक हो जाएगा।

8.4 मुख्य विशेषताएं :

(i) इस योजना में मिडिल, माध्यमिक, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए मौजूदा छात्रावास भवनों के विस्तार और नए छात्रावासों के निर्माण और मौजूदा छात्रावास भवनों के विस्तार का प्रावधान है।

(ii) राज्य सरकार भवन के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था निःशुल्क करती है।

(iii) यह योजना छात्रावास चलाने के लिए आवर्ती व्यय प्रदान नहीं करती।

(iv) छात्रावासों का रख-रखाव और उनके प्रयोग के लिए विनियमन राज्य सरकार क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

8.5 आवंटन : वर्ष 2014-15 के दौरान 65.66 करोड़ रुपये के ब.अ. के ब.आ. की तुलना में 31 दिसम्बर, 2014 तक 47.86 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी।

8.6 कार्य निष्पादन : वर्ष 2014-15 के दौरान, अनुसूचित जनजातियों के लड़कों तथा लड़कियों के छात्रावासों के लिए केरल मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र को 47.86 करोड़ रू. जारी किए गए हैं। इसके साथ ही, संविधान के अनुच्छेद 275(1) की योजना के तहत 150 अनुसूचित जनजाति के छात्राओं को लाभ पहुंचाने के लिए तीन अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावासों के निर्माण के लिए मिज़ोरम को 5.75 करोड़ रु. की

राशि जारी की गई है। वर्ष 2012-13 से 2014-15 (31.12.2014 तक) के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों तथा विश्वविद्यालयों को जारी अनुदान सहायता एवं स्वीकृत छात्रावासों का विवरण **अनुलग्नक: 8 क** में दिया गया है।

8.7 छात्रावासों के संचालन तथा रख रखाव की जिम्मेदारी केवल सम्बंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/विश्व विद्यालय की है। यदि छात्रावासों के खराब रखरखाव के सम्बन्ध में कोई शिकायत मंत्रालय के नोटिस में लाई जाती है तो इसे राज्य सरकार के पास भेजा जाता है। मंत्रालय ने इस पर गंभीर विचार किया है तथा राज्य सरकारों से शौचालयों, स्नान घरों, पेय जल, बिस्तर, पोषक, आहार जैसी पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं सृजित करने तथा छात्रवासों में बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने एवं पर्याप्त सपोर्टिंग स्टाफ की व्यवस्था करने और इस उद्देश्य के लिए अपने राज्य बजट में निधियां देने के लिए कहा गया है।

जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना हेतु योजना

8.8 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य, पीटीजी सहित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ावा देना और उनका विस्तार करना है। आश्रम स्कूलों में आवासीय सुविधाओं सहित सीखने के लिए अनुकूल माहौल में शिक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 (01.04.2008 से) से संशोधित कर दिया गया है।

8.9 कवरेज : यह योजना 22 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में फैले हुए देश के सभी जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों को कवर करती है।

8.10 निधियन पद्धति : यह केन्द्र एवं राज्यों के बीच लागत भागीदारी आधारित केन्द्र प्रायोजित योजना है। तथापि, केन्द्रीय सरकार लड़कियों के सभी आश्रम स्कूलों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में (समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए क्षेत्र) लड़कों के आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सा प्रदान करती है। उपर्युक्त स्कूलों से भिन्न, लड़कों के आश्रम स्कूलों हेतु राज्य सरकारों के साथ हिस्सेदारी 50:50 के अनुपात पर आधारित है। संघ शासित राज्यों के मामलों में, केन्द्र सरकार लड़कों के एवं लड़कियों के आश्रम स्कूलों के निर्माण की पूरी लागत वहन करती है। संसद सदस्य इस उद्देश्यार्थ 'सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' से राज्यों के हिस्से के स्थान पर निधियाँ प्रदान कर सकते हैं।

8.11 मुख्य विशेषताएं :

(i) इस योजना में शिक्षा के प्राथमिक स्तर से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक स्कूल भवनों के निर्माण के लिए धनराशि का प्रावधान है तथा पीटीजी सहित जनजातीय लड़के-लड़कियों हेतु मौजूदा आश्रम स्कूलों के स्तरोन्नयन हेतु भी निधियाँ प्रदान की जाती हैं।

(ii) इस योजना के अंतर्गत, स्कूल भवनों के अतिरिक्त छात्रों के लिए छात्रावास तथा स्टॉफ क्वार्टरों का निर्माण भी किया जाता है। राज्य सरकार/संघराज्य क्षेत्र आश्रम स्कूलों के लिए नि:शुल्क भूमि देती है।

(iii) स्कूल और छात्रावास के पुस्तकालय के लिए फर्नीचर, उपस्करों, स्कूल पुस्तकालय के लिए पुस्तकों आदि की खरीद जैसी व्यय की अन्य अनावर्ती मदों के लिए भी 50:50 के अनुपात के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iv) इस योजना के अंतर्गत केवल पूंजी लागत की व्यवस्था की जाती है। आवर्ती खर्चों को राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।

(v) नए स्कूलों के लिए स्थान तथा दाखिला नीति का निर्धारण संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाना चाहिए।

(vi) आश्रम स्कूल का निर्माण कार्य केन्द्रीय सहायता जारी होने के दो वर्षों के भीतर किया जाएगा। तथापि, वर्तमान आश्रम स्कूलों के विस्तार हेतु निर्माण की अवधि 12 महीने है।

8.12 आवंटन : 2014-15 के दौरान 31.12.2014 तक 47.82 करोड़ रुपये के बजट आवंटन की तुलना में 35.69 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी।

8.13 कार्य निष्पादन: गुजरात, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्य सरकार को 35.69 करोड़ रु. जारी किए गए है। वर्ष 2012-13 से 2014-15 (31.12.2014 तक) के दौरान स्वीकृत आश्रम विद्यालयों और निर्मुक्त किए अनुदानों के ब्यौरे **अनुलग्नक 8ख** में दिए गए है।

8.14 आश्रम विद्यालयों के संचालन तथा रख रखाव की जिम्मेदारी केवल सम्बंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/विश्व विद्यालय की होती है। यदि आश्रम विद्यालय के खराब रखरखाव के सम्बन्ध में कोई शिकायत मंत्रालय के नोटिस में लाई जाती है तो इसे राज्य सरकार के पास भेजा जाता है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा-योजनाएं एक नजर में :

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		पी.जी (2)	एम.फिल	पीएच.डी (1तथा ½)
आश्रम विद्यालयों की स्थापना लड़कियों और लड़कों के आश्रम स्कूलों तथा समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गए नक्सल प्रभावित जिलों के केवल टीएस पी क्षेत्रों में राज्यों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है तथा लड़कों के लिए अन्य सभी आश्रम स्कूलों एवं टीएसपी राज्यो वित्त पोषण 50:50 अनुपात के आधार पर जारी रहेगा। संघ शासित प्रदेशों को आश्रम स्कूलों के निर्माण हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। अनावर्ती मदों जैसे फर्नीचर, उपस्करों, पुस्तकालय पुस्तकों इत्यादि के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।															
										मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ छात्रावासियों के लिए 380 रुपए से 1200 रु. तक प्रतिमाह और दिवा छात्रों के लिए 230 रु. से 550 रु. प्रतिमाह अनुरक्षण भत्ता+अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क की प्रतिपूर्ति (1-4-2013 से अधिकतम आय 2.50 लाख रू प्रतिवर्ष)					
									प्रतिभा उन्नयन प्रति विद्यार्थी प्रति माह 19500/- रु. तक						
												उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति योजना सरकारी संस्थानों के लिए-पूरी ट्यूशन फीस और अप्रतिदेय देय राशियो। निजी संस्थाओं के लिए प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष 4.50 लाख रुपए तक+अन्य भत्ते, यदि लागू हों।			

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	स्नातक (3)	पी.जी (2)	एम.फिल	पीएच.डी (1तथा ½)
													राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना अनुरक्षण भत्ता प्रतिवर्ष 15400/- अमरीकी डालर और प्रतिवर्ष 9900/- यू.के. पौंड+ अन्य भत्ते, यदि लागू हों।		
														राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति- 2 वर्षों के लिए 16000/- रुपए प्रति माह की दर से; वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति - 18000/- रुपए प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए।	
छात्रावासों का निर्माण समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गए लड़कियों एवं लड़कों के छात्रावासों नक्सल प्रभावित जिलों में लड़कों के छात्रावासों हेतु राज्यों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है तथा लड़कों के लिए अन्य छात्रावासों में निधियन 50:50 अनुपात के आधार पर जारी रहेगा। संघ शासित प्रदेशों को छात्रावासों के निर्माण हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। अनावर्ती मदों जैसे उपस्करों, फर्नीचर, पुस्तकालय पुस्तकों इत्यादि जैसी मदों के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। छात्रावासों के निर्माण के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 90 प्रतिशत तथा अन्य विश्वविद्यालयों को 45 प्रतिशत तक सहायता प्रदान की जाती है।															
								मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति छात्रवासियों तथा दिवा छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ क्रमश: 350रु. तथा 150 रु. मासिक की दर से हैं तथा पुस्तकें एवं तदर्थ अनुदान क्रमश: 1000रु. तथा 750रु. वार्षिक की दर से है।							

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्षों की संख्या दर्शाते हैं।

मंत्रालय ने इस पर गंभीर विचार किया है तथा राज्य सरकारों से अनुसूचित जनजाति के अग्रम स्कूलों में शौचालयों, स्नान घरों, जैसी पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं सृजित करने और इस उद्देश्य के लिए अपने राज्य बजट में निधियां देने के लिए कहा गया है तथा इस उद्देश्य के लिए निर्माण लागत राज्य लो.नि.वि की अनुसूचित दरों के अनुसार होती है।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक और प्रतिभा उन्नयन योजना

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस)

8.15 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में समर्थ बनाया जा सके। यह योजना कुछ संशोधनों के साथ 1.7.2010 से संशोधित की गई है।

8.16 कार्य क्षेत्र : यह योजना सभी अनुसूचित जनजातीय छात्रों, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 1.4.2013 से 2.50 लाख रुपये अथवा उससे कम है, के लिए खुली है तथा छात्रवृत्तियां उन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम

से प्रदान की जाती हैं, जहां के वे निवासी हैं। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल) कोर्स भी मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष पात्र अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 10 छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं। सीपीएल पाठ्यक्रम के लिए 10 प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का चयन नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। सीपीएल पाठ्यक्रम के लिए आवेदन विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं।

8.17 मुख्य विशेषताएं :

(i)छात्रों को जो पाठ्यक्रमों पर निर्भर करता है। अलग दरों से छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं पाठ्यक्रमों को चार श्रेणियों में बांटा गया है और दरें 230/- रुपये प्रति मास से लेकर 1200/- रुपये प्रति मास हैं। इसके अलावा, अनिवार्य शुल्क की भी प्रतिपूर्ति की जा रही है।

(ii) दृष्टिहीन छात्रों के लिए रीडर्स भत्ते का प्रावधान है।विकलांगों के लिए सहायक और परिवहन भत्ते का प्रावधान है।

(iii) छात्रवृत्ति वार्षिक आधार पर पाठयक्रम की पूरी अवधि के लिए प्रदान की जाती है और यह छात्र के संतोषजनक निष्पादन और अच्छे आचरण पर निर्भर करती है।

(iv) कमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स (सीपीएल) को समूह-1 के तहत शामिल किया गया है।

8.18 निधियन प्रतिमान :

इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन संबंधित राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की प्रतिबद्ध देयता के अलावा 100% सहायता मंत्रालय से प्राप्त करते हैं। प्रतिबद्ध देयता पिछली पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत उनके द्वारा किया गया वास्तविक व्यय है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रतिबद्ध देयताएं वहन की जाती हैं। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों को 1997-98 से अपनी प्रतिबद्ध देयता के लिए स्वयं के बजटीय प्रावधान करने से छूट दी गई है तथा सिक्किम राज्य सरकार को भी 2007-08 से छूट दी गई है। इस योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में सम्पूर्ण व्यय मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है।

8.19 निष्पादन :

2014-15 के दौरान 748.50 करोड़ रुपये के बजट आबंटन की तुलना में 31.12.2014 तक 1748.39 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी। वर्ष 2012-13 से 2014-15 (31.12.2014 तक) के दौरान लाभार्थियों की राज्य वार कवरेज तथा निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता **अनुलग्नक-8ग** में दी गई है।

पुस्तक बैंक

8.20 उद्देश्य : व्यावसायिक पाठयक्रमों में चुने गए अनुसूचित जनजाति के अनेक छात्रों के लिए अपने विषयों की पुस्तकें उपलब्ध न होने के कारण शिक्षा जारी रखना कठिन होता है क्योंकि ये अधिकांशतः महंगी होती हैं। व्यावसायिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों से अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा पढ़ाई छोड़ कर जाने की दर कम करने के लिए इस योजना के अंतर्गत पुस्तकें खरीदने के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

8.21 मुख्य विशेषताएं : यह योजना अनुसूचित जनजाति के उन सभी छात्रों के लिए खुली है जो मेडिकल (मेडिसिन और होमियोपैथी की भारतीय प्रणालियों सहित), इंजीनियरी, कृषि, पशुचिकित्सा, पॉलीटेक्नीक, कानून, चार्टर्ड एकाउंटेंसी, व्यापार प्रबंधन, जैव विज्ञान विषय में पढ़ते हैं, और जो मैट्रिकोत्तर छात्रवृति प्राप्त कर रहे हैं।

(i) पुस्तक बैंक योजना के लिए पुस्तकें पाठ्य पुस्तकों तक सीमित हैं।

(ii) स्नातकोत्तर पाठयक्रमों और चार्टड एकाउंटेंसी को छोड़कर अन्य सभी व्यावसायिक पाठयक्रमों के दो छात्रों के लिए पुस्तकों का एक सैट खरीदा जाता है, जबकि इन दोनों पाठ्यक्रमों के प्रत्येक छात्र के लिए एक सैट खरीदा जाता है।

(iii) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकों के एक सैट का निर्णय लिया जाता है।

(iv) पुस्तकों के प्रत्येक सैट की कलावधि 3 वर्ष नियत की जाती है।

(v) पुस्तक बैंकों की स्थापना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित उच्चतम

सीमा अथवा सैट की वास्तविक लागत, जो भी कम है, तक सीमित होती है।

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	एक सैट की लागत (2 विद्यार्थियों के लिए एक सेट)
I	**डिग्री पाठ्यक्रम**	
1	मेडिकल	7,500/- रुपये
2	इंजीनियरिंग	7,500/-रुपये
3	पशुचिकित्सा	5,000/-रुपये
4	कृषि	4,500/-रुपये
5	पोलिटेक्निक	2,400/-रुपये
II	**स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम**	
1	मेडिकल, इंजीनियरिंग	5,000/-रुपये (प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 1 सेट)
2	व्यवसाय प्रबंधन,	
3	कानून	
4	जैव-विज्ञान	

इस योजना में स्टील की अलमारी की खरीद, परिवहन लागत आदि के लिए 2000/- रुपये अथवा वास्तविक लागत, जो भी कम हो, की व्यवस्था है। पुस्तकें संबंधित विश्वविद्यालय/कॉलेज को प्रदान की जाती हैं और शैक्षिक वर्ष के लिए विद्यार्थियों को जारी की जाती हैं।

8.22 निधियन प्रतिमान : यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है और खर्चे केन्द्र और राज्य के बीच 50:50 के आधार पर बांटे जाते हैं। तथापि, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संबंध में मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत अनुदान दिए जाते हैं।

प्रतिभा उन्नयन

8.23 इस योजना का पीटीजी विद्यार्थियों सहित अनुसूचित जनजाति के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को आवासीय विद्यालयों में शिक्षा सहित चहुमुखी विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रतिभा का उन्नयन करना है ताकि वे अन्य उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में दाखिले तथा वरिष्ठ प्रशासनिक एवं तकनीकी व्यवसायों में अन्य विद्यार्थियों के साथ मुकाबला कर सकें। यह योजना पीएमएस की उस योजना के रूप में कार्य कर रही है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 से संशोधित कर दिया गया था।

8.24 मुख्य विशेषताएं

(i) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन छात्रावास की सुविधाओं वाले तथा कक्षा 9 से 12 की परीक्षाओं में छात्रों के कार्य निष्पादन में उत्कृष्टता दिखाने वाले विभिन्न जिलों/शहरों में कुछ स्कूलों को चुनते हैं। मंत्रालय वार्षिक रूप से प्रत्येक राज्य के लिए पुरस्कारों (अवार्डों) की कुल संख्या निर्धारित करता है।

(ii) पहचान किए गए स्कूलों में कोचिंग 9वीं कक्षा से आरंभ हो जाती है और जब तक उम्मीदवार 12वीं कक्षा पूर्ण नहीं कर लेते हैं तब तक जारी रहती है।

(iii) कोचिंग भाषा, विज्ञान, गणित में दी जाती है और इसके साथ-साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे इंजीनियरिंग एवं मेडिकल में प्रवेश के लिए विशेष कोचिंग दी जाती है।

(iv) जनजातीय छात्रों को चुनते समय उद्देश्य कम से कम 30% लड़कियों तथा 3% विकलांग छात्रों को शामिल करने का रहता है।

(v) वर्ष 2008-09 से 19,500 रु. का एक संशोधित पैकेज अनुदान प्रति छात्र प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है जिसमें प्रधानाचार्य या कोचिंग प्रदान करने वाले विशेषज्ञों को भुगतान किया जाने वाला मानदेय और साथ ही आकस्मिक व्यय को पूरा करना शामिल है।

(vi) विकलांग छात्रों को अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है।

(vii) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के कार्यान्वयन के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

8.25 आवंटन : 2014-15 के चालू वर्ष में निधियां जारी नहीं की गई हैं और यह प्रगति पर है तथा वर्ष 2014-15 के दौरान बजट आवंटन 1.50 करोड़ रु. है।

8.26 निष्पादन : वर्ष 2012-13 से 2014-15 (31.12.2014

तक) के दौरान लाभार्थियों की संख्या तथा निर्मुक्त की राशि का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-8घ** में दी गई है।

विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजनाः

8.27 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य स्नातकोत्तर, पी.एच.डी. तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसधान कार्यक्रमों के लिए विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु चयनित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मंत्रालय ने इनके रोजगार क्षमता बढ़ाने तथा इनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए इसे अधिक लाभप्रद बनाने के लिए इसके प्रावधानों में संशोधन किया है। मंत्रालय ने हाल ही में 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2013-14 से 2016-17) के दौरान क्रियान्वयन हेतू सक्षम अधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तियों (एनओएस) के संशोधित योजनाओं को अनुमोदित किया है।

8.28 कार्य क्षेत्र : मैट्रिकोत्तर, डाक्टोरल तथा पोस्ट डाक्टोरल स्तर के पाठ्यक्रमों में पढ़ने के लिए अधिकतम 17 अनुसूचित जनजातीय उम्मीदवारों तथा 3 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के उम्मीदवारों को वार्षिक रूप से छात्रवृत्ति दी जाती है। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाती है।

8.29 मुख्य विशेषताएं

(i) यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजातीय उम्मीदवार (प्रत्येक परिवार से एक सदस्य) को दी जाती है जिसकी आयु विज्ञापन की तारीख को 35 वर्ष से कम है, बशर्ते कि उम्मीदवार या उसके माता-पिता/ अभिभावकों की कुल आय 6 लाख रु. प्रतिवर्ष से अधिक न हो।

(ii) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए, एम.फिल अथवा पीएच. डी. पाठ्यक्रम के लिए प्रथम श्रेणी के साथ 55% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातक डिग्री हो तथा कम से कम दो वर्षो का कार्य अनुभव हो। अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। एम फिल या पीएचडी पाठयक्रम के लिए प्रथम श्रेणी के साथ 55% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातकोत्तर डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र में दो वर्षो का अनुसंधान/शिक्षण/ एम.फिल डिग्री कार्य में वांछनीय अनुभव हो। अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। पोस्ट डाक्टोरल अध्ययन के लिए उम्मीदवार के साथ डाक्टोरल डिग्री सहित 55% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातकोत्तर डिग्री सहित संगत क्षेत्र में 5 वर्षों का वांछनीय अध्यापन/अनुसंधान/ व्यावसायिक अनुभव हो।

(iii) उम्मीदवारों से विदेश में किसी विश्वविद्यालय/ संस्थान से चयन की तारीख से 3 वर्षों के अंदर अपने द्वारा स्वयं दाखिले की व्यवस्था करना अपेक्षित है।

(iv) छात्रवृत्ति प्राप्तकर्त्ताओं को 15,400 अमेरिकी डॉलर या 9900 पौंड प्रति वर्ष का अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाता है जिसे वे 2400 अमेरिकी डॉलर या 1560 पौंड प्रतिवर्ष अनुसंधान/अध्यापन असिस्टेंटशिप कार्य आरंभ करके सम्पूरित कर सकते हैं। इस सीमा से अधिक कमाई के मामले में, भारतीय मिशन तदनुरूप मंजूर किए गए अनुरक्षण भत्ते को कम कर सकता है। ?

(v) छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं को भारत लौटने के बाद कम से कम 5 वर्ष तक भारत में रहना आवश्यक है।

8.30 इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति तथा आदिम जनजातीय समूह के उम्मीदवारों को चार वार्षिक ''यात्रा अनुदान'' भी प्रदान किए जाते हैं। यात्रा अनुदान ऐसे उम्मीदवारों के लिए पूरे वर्ष भर खुले हैं जो विदेश में स्नातकोत्तर अध्ययनों, अनुसंधान या प्रशिक्षण के लिए किसी विदेशी विश्वविद्यालय/सरकार या किसी अन्य योजना के अंतर्गत, जहां यात्रा की लागत नहीं दी जाती, प्रतिभा छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। इस योजना इकानॉमी क्लास द्वारा भारत से आने-जाने की यात्रा के लिए अनुदान उपलब्ध है।

8.31 निधियन प्रतिमान : चुने हुए उम्मीदवारों को भारतीय मिशन के माध्यम से मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत आधार पर अनुदान दिए जाते हैं।

8.32 आबंटन : 2014-15 के दौरान 1 करोड़ रू. ब.अ. के बजट आवंटन की तुलना में 0.99 करोड़ रुपये की राशि 31. 12.2014 तक खर्च की गई थी।

8.33 कार्य निष्पादन : चयन वर्ष 2012-13 की तुलना में 2013-14 के दौरान 13 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए चयन प्रक्रियाधीन है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (आरजीएनएफ)

8.34 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को एम.फिल और पीएच.डी. जैसे उच्चतर अध्ययनों हेतु फेलोशिप के रूप में वित्तीय सहायता देना है। यह योजना 2005-06 से शुरू की गई है।

8.35 कवरेज : इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त सभी विश्वविद्यालय / संस्थान कवर किए गए हैं। अध्येतावृत्ति की अवधि निम्नानुसार है:–

पाठ्यक्रम का नाम	अधिकतम अवधि	जेआरएफ और एसआरएफ की स्वीकार्यता	
		जेआरएफ	एसआरएफ
एम. फिल	2 साल	2 साल	शून्य
पीएच. डी	5 साल	2 साल	शेष 3 साल
एम. फिल + पीएचडी	5 साल	2 साल	शेष 3 साल

8.36 वित्तपोषण पद्धति : जेआरएफ एवं एसआरएफ के लिए अध्येतावृत्ति दर, समय-समय पर यथा संशोधित यूजीसी अध्येतावृत्ति के समान होगी। ये मौजूदा दरें नीचे दी गई हैं।

विज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए अध्येतावृत्ति	25000/- रुपये प्रतिमाह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए (जेआरएफ) 28000/- रुपये प्रतिमाह शेष अवधि के लिए (एसआरएफ)
इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी में अध्येतावृत्ति	25000/- रुपये प्रतिमाह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए (जेआरएफ) 28000/- रुपये प्रतिमाह शेष अवधि के लिए (एसआरएफ)
मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए आकस्मिक व्यय	10000/- रुपये प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 20500/- रुपये प्रतिवर्ष शेष अवधि के लिए
विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी के लिए आकस्मिक व्यय	12000/- रुपये प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 25000/- रुपये प्रतिवर्ष शेष अवधि के लिए
विभागीय सहायता (सभी विषय)	अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए मेजबान संस्थान को 3000/-रुपये प्रतिवर्ष प्रति छात्र
अंगरक्षण/वाचक सहायता (सभी विषय)	शारीरिक एवं दृष्टि विकलांग अभ्यर्थियों के मामले में 2000/-रुपये प्रतिमाह की दर से

8.37 मुख्य विशेषताएं :

- इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को 667 अध्येतावृत्तियाँ दी जाएंगी
- अध्येतावृत्ति की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है।
- इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को एम.फिल और पीएच.डी. जैसे उच्चतर अध्ययनों हेतु अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती हैं।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस योजना को कार्यान्वित करता है।
- इसकी स्नातकोत्तर परीक्षा में अथवा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण करने में न्यूनतम अंकों का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

8.38 आवंटन : चूंकि यूजीसी के पास बची हुई शेष राशि के रूप में पर्याप्त राशि उपलब्ध थी, वर्ष 2014-15 के दौरान 90 करोड़ ब.अ. के बजट आवंटन की तुलना में 31.12.2014 तक कोई राशि निर्मुक्त नहीं की गई।

8.39 कार्य निष्पादन : अपनी शुरूआत से 31.12.2014 तक 3335 विद्यार्थियों को आरजीएनएफ प्रदान की गई है।

अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा की योजना

8.40 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजातीय छात्रों को संस्थानों की चुनिंदा सूची में से किसी एक में, जिसमें छात्रवृत्ति योजना संचालित होगी, डिग्री और पोस्ट-डिग्री स्तर पर अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना 2007-08 से शुरू की गई है।

8.41 कवरेज : इस योजना के अंतर्गत सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में अनुमोदित 213 संस्थाएं हैं, जिनमें प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, विधि तथा वाणिज्यिक पाठ्यक्रमों के क्षेत्र को कवर किया गया है। प्रत्येक संस्थान को पांच अवार्ड आबंटित किए गए हैं, जिनमें प्रतिवर्ष कुल अधिकतम 625 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

8.42 मुख्य विशेषताएं

(i) 1.4.2013 से अनुसूचित जनजाति के छात्रों की पारिवारिक आय सभी स्रोतों से 4.50 लाख रु. प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकारी/सरकार

द्वारा वित्त पोषित संस्थानों के संबंध में पूरा ट्यूशन शुल्क और अन्य अप्रतिदेय राशियों को शामिल करते हुए छात्रवृत्ति दी जाएगी। तथापि, निजी क्षेत्र के संस्थानों में प्रति छात्र 2 लाख रु. प्रति वर्ष की सीमा होगी और वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण के लिए निजी क्षेत्र के उड़ान क्लबों के लिए प्रति छात्र 3.72 लाख रु. प्रति वर्ष की सीमा होगी।

(iii) इस छात्रवृत्ति में (क) आजीविका व्यय प्रति माह 2200 रु. प्रति छात्र, वास्तविक व्यय के अधीन, (ख) पुस्तकें और स्टेशनरी प्रति वर्ष प्रति छात्र 3000 रु. और (ग) सहायक वस्तुओं सहित नवीनतम कम्प्यूटर प्रणाली की लागत के रूप में पूरे पाठ्यक्रम के दौरान एक बार 45000 रुपये की सीमा तक सहायता प्रदान की जाएगी ।

(iv) योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत आधार पर वित्तपोषित होगी तथा निधि संबंधित संस्था को सीधे निर्मुक्त की जाएगी।

8.43 आबंटन : वर्ष 2014-15 के दौरान योजना के तहत 12.74 करोड़ रु. के बजट आबंटन की तुलना में 7.09 करोड़ रुपये खर्च की गई।

8.44 कार्य निष्पादन : 31.12.2014 तक 53 संस्थानों में 343 विद्यार्थियों को उच्च श्रेणी शिक्षा अध्येतावृति प्रदान की गई।

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण (वीटीसी)

8.45 उद्देश्य : इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न परम्परागत/आधुनिक व्यवसायों में लगे जनजातीय युवाओं की प्रतिभा का उन्नयन करना है जो उनकी शैक्षिक योग्यता, मौजूदा आर्थिक प्रवृति और बाजार संभाव्यता पर निर्भर है, और जो उन्हें उपयुक्त रोजगार दिलाने अथवा उन्हें स्व-नियोजित बनने में समर्थ बनाएगा। इस योजना को 1.4. 2009 से संशोधित किया गया है और यह राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, सरकार द्वारा स्वायत निकायों के रूप में स्थापित संस्थाओं अथवा संगठनों, स्थानीय निकायों और सहकारी समितियों जैसे शैक्षिक और अन्य संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों आदि के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

8.46 कवरेज : योजना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कवर करती है। योजना केवल अनुसूचित जनजातियों और पीटीजी के लाभ के लिए है। यथासंभव न्यूनतम 33 प्रतिशत सीटें जनजातीय छात्राओं के लिए आरक्षित होंगी।

योजना के अन्तर्गत स्थापित प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसी) को अधिकतम पांच ट्रेड प्रदान किए जा सकते हैं और यह 100 अथवा इससे अधिक प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा अर्थात एक ट्रेड के लिए कम से कम 20 उम्मीदवार होने चाहिंए। इसमें मासिक वजीफे और प्रशिक्षणार्थी के लिए कच्चे माल का प्रावधान है। निधियन दो तरीकों से किया जाएगा:

(i) मुख्यत: दूरस्थ क्षेत्रों/क्रम सुविधा पाले ग्रामीण क्षेत्रों में वीटीसी स्थापित करके तथा उनका संचालन करके;

(ii) नगरों/जिलों आदि में पहले से ही मौजूद संस्थानों जैसे आईटीआई, पोलीटैक्नीक, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र और अन्य निजी मान्यता प्राप्त संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों और पीटीजी उम्मीदवारों के लिए भी व्यावसायिक प्रशिक्षण का समर्थन करके। दोनों मामलों में दिए गए मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षणार्थी को प्रतिवर्ष अधिकतम 30,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।

8.47 निधियन प्रतिमान : इस योजना के अंतर्गत 100% अनुदान उन राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान किया जाएगा जो इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं।

8.48 मुख्य विशेषताएं :

(क) योजना पीटीजी के साथ-साथ अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए कार्यान्वित की जाएगी तथा देश में कहीं भी शुरू की जा सकती है परन्तु प्राथमिकता विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह द्वारा आबाद सुदूर जनजातीय क्षेत्रों और उग्रवादी गतिविधियों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों को दी जाएगी।

(ख) योजना के अंतर्गत, आधुनिक ट्रेडों, जिनमें क्षेत्र में रोजगार संभाव्यता हो, ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(ग) यह योजना केवल अनुसूचित जनजातियों और पीटीजी के लाभ के लिए है। वीटीसी चलाने वाले संगठन अनुसूचित जनजातियों के युवाओं को, उस क्षेत्र/राज्य जिससे वे संबंधित हैं, को ध्यान में रखे बिना, प्रवेश देंगे;

(घ) संबंधित संगठन (अर्थात राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/

गैर–सरकारी संगठन/अन्य संगठन आदि) की ओर से, तत्संबंधी क्षेत्र/राज्य में उपलब्ध उद्योगों के प्रकार मौजूदा आर्थिक प्रवृति, बाजार संभाव्यता, लक्षित आबादी की शैक्षिक योग्यता आदि पर निर्भर करते हुए, ट्रेडों को प्रस्तावित करने से पूर्व, अग्रिम रूप से रोजगार संभाव्यता का निर्धारण करना अनिवार्य होगा।

(ङ) संगठन उन मान्यता प्राप्त संस्थानों के साथ सम्पर्क स्थापित करेंगे, जो उम्मीदवारों को उन ट्रेडों में प्रमाण पत्र/डिप्लोमा प्रदान कर सकते हैं, जिनमें उन्हें प्रशिक्षित किया गया है ।

(च) संस्थान/संगठन (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा चलाए जाने वाले संस्थान और गैर–सरकारी संगठन) जो पहले से ही इस मंत्रालय की सहायता से परियोजना चला रहे हैं और नए आवेदक संस्थान/संगठन भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय से "मोड्यूलर एम्प्लोयेबल स्किल्स (एमईसी)" के अन्तर्गत अथवा रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय (श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) के अन्तर्गत जो भी लागू हो, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिसर से "क्राफ्टसमैन ट्रेनिंग स्कीम (सीटीएस)" जो भी लागू हो, के अन्तर्गत मान्यता/संबंधन/प्रत्यायन प्राप्त करेंगे/रखेंगे।

(छ) संगठन को स्थापना सेवाओं के साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहिए और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद स्व–रोजगार में रूचि रखने वाले उम्मीदवारों के लिए, संगठन वितीय संस्थाओं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), बैंकों आदि के माध्यम से उनके लिए आसान माइक्रो फाइनेंस/ऋण का प्रबंध करेगा। प्राथमिकता उन संस्थानों को दी जाएगी, जो प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्लेसमेंट/रोजगार की गारंटी देंगे।

(ज) यथासंभव, न्यूनतम 33 प्रतिशत सीटें जनजातीय छात्राओं के लिए आरक्षित होंगी;

(झ) योजना के पैरा 2 में यथा विनिर्दिष्ट सहायता के लिए पात्र, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/राज्य स्वामित्व प्राप्त संस्थानों/स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों/अन्य निजी संगठनों को 100 प्रतिशत सहायता–अनुदान दिया जाएगा;

(ञ) सहायता–अनुदान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/राज्य स्वामित्व प्राप्त संस्थानों को एक वर्ष में एक किस्त में दिया जाएगा और सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार गैर सरकारी संगठनों/निजी संस्थानों को दो किस्तों में दिया जाएगा;

(ट) इस योजना के अन्तर्गत निधियन दो तरीकों से किया जाएगा:

(i) मुख्यत: दूरस्थ क्षेत्रों क्रम/सुविधा वाले ग्रामीण क्षेत्रों में वीटीसी स्थापित करके तथा उनका संचालन करके

(ii) नगरों/जिलों आदि में पहले से ही मौजूद संस्थानों जैसे आईटीआई, पोलीटैक्नीक, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र और अन्य निजी मान्यता प्राप्त संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों और पीटीजी उम्मीदवारों के लिए भी व्यावसायिक प्रशिक्षण का समर्थन करके। परिशिष्ट–I में दिए गए मानदण्डों के अनुसार दोनों मामलों में दिए गए मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षणार्थी को प्रतिवर्ष अधिकतम 30,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।

आवर्ती

(क) प्रतिवर्ष प्रति प्रशिक्षार्थी 30,000/– रुपये में निम्निलिखित शामिल है :–

- (i) प्रशिक्षार्थी को प्रतिमास 700/– रुपये वजीफा।
- (ii) उपकरणों को प्राप्त करने, कच्चे माल आदि के लिए प्रति प्रशिक्षार्थी को प्रतिवर्ष 1600/– रुपये।
- (iii) प्राध्यापक वर्ग/सहायक स्टाफ आदि को मासिक मानदेय।
- (iv) प्रशिक्षार्थियों के छात्रावास/आवास, बिजली तथा जल प्रभार आदि।

(ख) किराए के मकान के संबंध में, वास्तविक के अनुसार उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त वार्षिक किराया स्वीकार्य होगा और उच्चतम सीमा प्रति माह 10,000/– रुपये होगी। यह राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा **किराया आकलन प्रमाणपत्र** के प्रस्तुतीकरण के अधीन होगा। यदि मकान का स्वामित्व/संगठन द्वारा रखा जाता है तो मात्र 10% किराया मूल्य (राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाणित) स्वीकार्य होगा, प्रति वर्ष रखरखाव प्रभार प्रदान किया जायेगा।

अनावर्ती

पांच वर्ष में एक बार प्रति ट्रेड 0.48 लाख रुपये की दर से पांच

ट्रेडों के लिए 2.40 लाख रुपये।

8.49 आवंटन : 2014-15 के दौरान राज्यों के लिए 4.90 करोड़ रुपये ब.अ. के बजट आवंटन की तुलना में 31 दिसम्बर, 2014 तक 4.86 करोड़ रू. की राशि खर्च की गई थी। (राज्यों के लिए 4.90 करोड़ रु. तथा एनजीओ के लिए 3.00 करोड़ रु.)। इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 275(1) की योजना के तहत 500 अ.ज.जा. के प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित करने के लिए मिज़ोरम को 5 वीटीसी के लिए 0.53 करोड़ रु. भी निर्मुक्त किए गए हैं।

8.50 कार्य निष्पादन : वर्ष 2012-13 से 2013-14 (31.12. 2014 तक) के दौरान राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त किए गए अनुदानों का ब्यौरे **अनुलग्नक-8 (ङ)** में दिये गये हैं।

कक्षा 9वीं तथा 10वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति

8.51 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य :- (i) कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के माता-पिता का समर्थन करना ताकि स्कूल छोड़ने की दर (ड्रोप आउट) की घटना, विशेष रूप से शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, को कम से कम किया जा सके, तथा (ii) कक्षा 9 तथा 10 के पूर्व मैट्रिक स्तर पर अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की सहभागिता में सुधार हो ताकि वे बेहतर निष्पादन करे और शिक्षा के मैट्रिकोत्तर स्तर पर उन्हें वेहतर प्रगति करने के मौके प्राप्त हो सकें।

8.52 कवरेज : अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना राज्य सरकारों तथा संध राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यमों से कार्यान्वित की जाती है जिन्हें इस योजना के तहत उनकी प्रतिबद्ध देयता के अलावा व्यय के लिए भारत सरकार से 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

8.53 मुख्य विशेषताएं :

- यह एक केन्द्रिय प्रायोजित योजना है जो राज्य सरकारों तथा संध राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
- राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की प्रतिबद्ध देयता के अलावा भारत सरकार से 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है।
- छात्रवृत्तियाँ केवल भारत में अध्ययनों के लिए ही उपलब्ध हैं।
- राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जहाँ से आवेदक वास्तव में सम्बधित है, छात्रवृत्ति प्रदान करता है।
- इस योजना का उद्देश्य मैट्रिक पूर्व की कक्षा 9 तथा 10 में अनुसूचित जनजाति के बच्चों की सहभागिता में सुधार करना है ताकि वे बेहतर निष्पादन करे और उन्हें शिक्षा के मैट्रिकोत्तर स्तर पर प्रगति के बेहतर मौके प्राप्त हो सेकें।

8.54 पात्रता :

- विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए।
- उसके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वह केन्द्रीय सरकार द्वारा निधि पोषित किसी अन्य मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति को प्राप्त कर रहा हो।
- वह सरकारी स्कूल या सरकार या केन्द्रीय/ राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में नियमित, पूर्ण कालिक विद्यार्थी होना चाहिए।
- किसी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी। यदि कोई विद्यार्थी किसी कक्षा में दोबारा पढ़ता है तो उसे दूसरे (उत्तरवर्ती) वर्ष के लिए उस कक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होगी।

8.55 लाभ :

- छात्रवृत्तियों का भुगतान वर्ष में 10 माह की अवधि हेतु दिवा छात्र के लिए 150 रु. प्रतिमाह की दर से तथा छात्रावासी के लिए 350रु. प्रतिमाह की दर से किया जाता है।
- पुस्तकों तथा तदर्थ अनुदान का भुगतान दिवा छात्र के लिए 750रु. वार्षिक की दर से तथा छात्रावासी के लिए 1000रु. वार्षिक की दर से किया जाता है।
- अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थी जो मान्यता प्राप्त निजी असहायित विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, अपनी विकलांगता के आयामों के आधार पर 160 रु. से 240 रु. के बीच की दर पर मासिक भत्तों के लिए पात्र हैं।
- छात्रवृत्तियों का भुगतान अकादमिक वर्ष में 10 माह की अवधि के लिए किया जाता है।

- प्रदत्त छात्रवृत्ति अच्छे आचरण तथा उपस्थिति में नियमितता के अधीन जारी रहेगी। कक्षा 9 में उत्तीर्ण होने के उपरांत कक्षा 10 के लिए इनका नवीनीकरण किया जायेगा।

8.56 आवंटन : वर्ष 2014-15 के दौरान 258.82 करोड़ रु. के बजट आबंटन की तुलना में 31.12.2014 तक 193.06 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई थी।

8.57 कार्य निष्पादन : 31.12.2014 तक राज्यवार निर्मुक्त निधियां तथा लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक 8-च** में दी गई है।

8.58 जनजातीय बच्चों की शिक्षा के लिए अंब्रैला योजना

शिक्षा को व्यक्तिगत परिवारों और सामाजिक स्तर दोनों पर विकास की रीढ़ समझा जाता है। किन्तु जनजातीय बच्चों को शिक्षित करना सरकार के लिए विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक, पारिस्थितिक और प्रशासनिक कारणों से एक चुनौती रहा है। अनुसूचित जनजातियों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करने के सरकार की पहलों और प्रयासों के बावजूद राष्ट्रीय औसत की तुलना में अनुसूचित जनजातियों के बीच साक्षरता हमेशा कम रही है और महिला साक्षरता दर अभी भी राष्ट्रीय साक्षरता दर की तुलना में कम है। जनजातीय कार्य मंत्रालय महत्वपूर्ण अंतरालों को भरने के अधिदेश के साथ शिक्षा योजनाओं को पुनः तैयार कर रहा है, जिसमें विद्यमान स्कीमों को अंब्रैला योजना के तहत विलयित और जोड़ा जा रहा है। विद्यमान स्कीमों का विलय और पुनर्गठन हस्तक्षेपों के दायरे और लचीलेपन को बढाएगा यह अपेक्षित है जो अभी प्रत्येक एकाकी स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध है। यह राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार उन्नयन के प्रयास में राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए विकल्पों का कैफेटोरिया पद्धति उपलब्ध कराएगा। शिक्षा को पुनःसंगठित करने का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के लिए पर्याप्त शैक्षिक अवसंरचना उपलब्ध कराना है और छात्रवृत्ति के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराना है। इसे छात्रवृत्तियां प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया के साथ लाइन मंत्रालय की स्कीमों के सम्मिलन के माध्यम से और सीखने की गतिविधियों में सुधार लाने के लिए तकनीकी उपकरणों के माध्यम से भी प्राप्त किया जाना है। अंब्रैला योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय के शिक्षा प्रभाग की निम्नलिखित विद्यमान स्कीमों को समाहित करेगी:

(i) आश्रम विद्यालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण ।

(ii) छात्रवासों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण।

(iii) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।

(iv) दसवीं पूर्व छात्रवृत्तियां।

(v) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां।

8.59 उच्चत्तर अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियों हेतु आम पोर्टल: उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति और राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए एक स्कालरशिप पोर्टल विकसित किया गया है जो आवेदन करने अधिकारियों द्वारा मामलों की जांच व अंतिम चयन तथा पात्र अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे संवितरण के लिए एकल खिड़की उपलब्ध कराता है। ये दोनों स्कीमें एक ही स्कीम में विलय कर दी गई हैं और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए है व इसका नाम बिरसा मुंडा छात्रवृत्ति स्कीम कर दिया गया है और इसके फरवरी, 2015 के दौरान प्रारंभ होने की संभावना है। जनजातीय संस्कृति, कला, चित्रकारी, नृत्य, संगीत, औषधि, खेलकूद इत्यादि को शामिल करने के लिए छात्रवृत्ति के लिए शिक्षा का दायरा बढ़ाया गया है।

8.60 अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दायरे को बढ़ाना: 5-16 वर्ष आयु समूह के अनुसूचित जनजाति बच्चों की शिक्षा को संदर्भगत संगत व सांस्कृतिक रूप से समुचित बनाया गया है। पाठ्यक्रम को जबकि सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील बनाया गया है वहीं अनुसूचित जनजाति बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि वे जीवन और आजीविका के लिए आर्थिक रूप से संभाव्य विकल्पों को सीख सकें। जनजातीय क्षेत्रों में स्कूलों में शिक्षण व सीखने के लिए क्षेत्रीय लिपि में जनजातीय भाषाओं में प्राइमर का उपयोग करके और विकास करके बहुभाषीय शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। अवकाश के समय को स्थानीय जनजातीय उत्सवों और फसल की ऋतुओं के साथ जोड़ा जा रहा है। जनजातीय खेलकूद, पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनजातीय संस्कृति, कला, चित्रकला, नृत्य, संगीत, मौखिक परंपराओं, लोक कथा, कार्य और व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जा रहा है तथा शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है।

अनुलग्नकः 8-क

2012-13 से 2014-15 (31.12.2014 तक) तक अनुसूचित जनजातियों के लड़कों एवं लड़कियों के लिए छात्रावासों की योजना के तहत स्वीकृत छात्रावासों की संख्या एवं निधियों की राज्यवार निर्मुक्तियाँ

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालय का नाम	2012-13			2013-14			2014-15 (31.12.2014 तक)		
		राशि	छात्रावास	सीट	राशि	छात्रावास	सीट	राशि	छात्रावास	सीट
1	अरूणाचल प्रदेश	279.81	बकाया	0	846.73	बकाया	0	0	0	0
2	गुजरात	187.06	बकाया	0	939.33	बकाया	0	0	0	0
3	केरल	0	0	0	553.45	4	280	1949.63	6	600
4	मध्य प्रदेश	2291.57	30	1680	0	0	0	1305.00	बकाया	0
5	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	1031.00	बकाया	0
6	मिज़ोरम	0	0	0	2289.44	8	440	0	0	0
7	नागालैण्ड	0	0	0	810.95	5	500	0	0	0
8	ओडिशा	1697.50	बकाया	0	0	0	0	0	0	0
9	राजस्थान	1500.00	बकाया	0	2646.87	17	850	0	0	0
10	सिक्किम	460.29	3	425	0	0	0	0	0	0
11	तमिलनाडु	0	0	0	112.73	बकाया	0	0	0	0
12	त्रिपुरा	883.77	बकाया	0	1906.01	10	750	0	0	0
13	वीरनर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत, गुजरात	62.92	बकाया	0	0	0	0	0	0	0
14	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) वाराणसी उ.प्र.	0	0	0	0	0	0	304.99	बकाया	0
15	मिज़ोरम विश्वविद्यालय आइजोल	437.08	1	100	0	0	0	195.01	बकाया	0
	कुल	7800.00	34	2205	10105.50	44	2820	4785.63	6	600

अनुलग्नक:8-ख

2012-13 से 2014-15 (31.12.2014 तक) जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना के तहत स्वीकृत आश्रम विद्यालयों की संख्या एवं निधियों की राज्यवार निर्मुक्तियाँ

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2012-13			2013-14			2014-15 (31.12.2014 तक)		
		राशि	विद्यालय	सीट	राशि	विद्यालय	सीट	राशि	विद्यालय	सीट
1	आंध्र प्रदेश	988.49	27	2700	371.88	बकाया	0	0	0	0
2	असम	0	0	0	749.60	1	640	0	0	0
3	छत्तीसगढ़	530.36	12	600	0	0	0	0	0	0
4	गोवा	300.00	1	500	0	0	0	0	0	0
5	गुजरात	0	0	0	0	0	0	1144.48	बकाया	0
6	केरल	1025.02	बकाया	0	0	0	0	0	0	0
7	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1425.00	बकाया	0
8	महाराष्ट्र	0	0	0	2474.63	8	3700	1000.00	बकाया	0
9	ओडिशा	2458.90	बकाया	0	2091.10	15	4500	0	0	0
10	सिक्किम	0	0	0	575.28	1	420	0	0	0
11	त्रिपुरा	797.23	Arrear	0	954.52	5	1000	0	0	0
	कुल	**6100.00**	**40**	**3800**	**7217.00**	**30**	**10260**	**3569.48**	**0**	**0**

अनुलग्नकः 8-ग

वर्ष 2012-13 से 2014-15 (31.12.2014 तक) तक अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या तथा सहायता अनुदान की राज्यवार निर्मुक्तियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2012-13		2013-14		2014-15 (31.12.2014 तक)	
		राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	19438.70	229360	4895.17	229360	5070.01	82091
2	अरुणाचल प्रदेश	633.00	5800	1366.85	630	2.29	630
3	असम	4537.69	96755	4756.81	102800	1114.00	102800
4	बिहार	90.00	3270	23.00	6463	23.00	6463
5	छत्तीसगढ़	3150.31	122597	1341.47	106231	4066.75	139447
6	गोवा	8.00	0	2.00	1332	2.00	1332
7	गुजरात	2460.71	173877	7138.58	218570	3929.23	218000
8	हिमाचल प्रदेश	948.52	7072	282.83	5189	237.00	5189
9	जम्मू और कश्मीर	710.06	10322	177.00	18700	2494.17	21000
10	झारखंड	1344.21	53032	3267.40	72878	4927.23	81768
11	कर्नाटक	2522.75	109397	3340.76	132376	3691.00	134988
12	केरल	329.45	12488	625.53	12705	647.00	13225
13	मध्य प्रदेश	9542.45	178581	5276.71	192437	2385.00	188145
14	महाराष्ट्र	4604.38	192961	11996.04	178146	7451.83	175000
15	मणिपुर	4243.64	57096	6111.01	53965	3615.48	57828
16	मेघालय	1753.42	77569	3438.00	79011	438.00	79011
17	मिजोरम	3546.61	54349	5393.89	56873	886.00	62410
18	नगालैंड	2191.09	37861	2626.19	39867	2329.59	40133
19	ओडिशा	5405.95	69605	3459.87	89115	4512.00	130960
20	राजस्थान	2142.99	236565	2216.02	288020	6440.00	246249
21	सिक्किम	414.15	3111	845.49	2643	414.00	2705
22	तमिलनाडु	178.66	3941	1436.02	11092	44.00	11092
23	तेलंगाना	0	0	0	0	2630.94	171329
24	त्रिपुरा	1036.47	15705	1390.99	24270	974.82	22261
25	उत्तर प्रदेश	227.00	7278	56.00	7500	56.00	7500
26	उत्तराखंड	657.98	27566	1086.50	24812	164.00	25269
27	पश्चिम बंगाल	949.16	80881	2277.63	79230	237.00	79230
28	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.00	28	0.75	28	0.75	28
29	दमन और दीव	4.00	0	10.90	320	1.00	320
	कुल	**73074.35**	**1867067**	**74839.41**	**2034563**	**58784.09**	**2106403**

अनुलग्नक: 8-घ

वर्ष 2012-13 से 2014-15 (31.12.2014 तक) तक प्रतिभा के उन्नयन की योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या तथा सहायता अनुदान की राज्यवार निर्मुक्तियाँ

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2012-13		2013-14	
		राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	छत्तीसगढ़	17.70	140	0	0
2	हिमाचल प्रदेश	0.39	2	0	0
3	राजस्थान	7.18	39	0	0
4	सिक्किम	3.12	16	3.12	16
5	त्रिपुरा	3.12	16	3.12	16
	कुल	**31.51**	**213**	**6.24**	**32**

नोट : चालू वर्ष 2014-15 के लिए राशियां निर्मुक्त नहीं की गई है प्रक्रियाधीन है

अनुलग्नक: 8-ड.

2011-12 से 2013-14 (31.12.2014 तक) तक जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण की योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या तथा सहायताअनुदान की राज्यवार निर्मुक्तियाँ

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2012-13			2013-14			2014-15 (31.12.2014 तक)		
		राशि	केन्द्र	लाभार्थियों की संख्या	राशि	केन्द्र	लाभार्थियों की संख्या	राशि	केन्द्र	लाभार्थियों की संख्या
1	असम	89.00	10	1000	390.51	11	2000	485.70	10	1000
2	मध्य प्रदेश	88.00	10	587	150.74	बकाया	0	0	0	0
3	मिज़ोरम	88.00	5	500	69.68	बकाया	0	0	0	0
	कुल	**265.00**	**25**	**2087**	**610.93**	**11**	**2000**	**485.70000**	**10**	**1000**

अनुलग्नकः 8-च

2011-12 से 2013-14 (31.12.2014 तक) तक अनुसूचित जनजातियों के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना के तहतलाभार्थियों की संख्या तथा सहायता अनुदान की राज्यवार निर्मुक्तियाँ

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2012-13		2013-14		2014-15 (31.12.2014 तक)	
		राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	500.00	161608	0.00	0	1386.00	75812
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	218.44	29143	0.00	0
3	असम	90.00	11400	211.88	12255	0.00	0
4	बिहार	0.00	0	0.00	0	688.60	40700
5	छत्तीसगढ़	593.00	267910	0.00	0	3718.00	228626
6	गोवा	0.00	0	14.00	1728	0.00	0
7	गुजरात	500.00	246604	2835.28	265168	3750.00	200000
8	हिमाचल प्रदेश	20.00	9586	45.73	2124	73.00	3996
9	झारखंड	1472.00	119936	0.00	0	1613.00	93533
10	कर्नाटक	260.00	132653	3320.05	84680	0.00	0
11	केरल	57.00	13402	0.00	0	0.00	0
12	मध्य प्रदेश	3400.00	387596	0.00	0	0.00	0
13	महाराष्ट्र	251.00	228894	0.00	0	0.00	0
14	मणिपुर	100.00	27112	729.70	27112	496.05	40126
15	मेघालय	15.00	4380	296.76	10707	0.00	0
16	मिजोरम	70.00	8760	123.19	3283	0.00	0
17	ओडिशा	3128.00	204958	5601.08	221709	4511.00	203301
18	राजस्थान	0.00	0	4792.55	1267802	2383.34	187508
19	सिक्किम	4.00	800	0.00	0	7.80	408
20	तमिलनाडु	26.00	6487	0.00	0	0.00	0
21	त्रिपुरा	340.00	40861	674.33	65690	678.75	44598
22	उत्तर प्रदेश	28.00	7485	0.00	0	0.00	0
23	उत्तराखंड	26.00	13183	460.20	12255	0.00	0
24	पश्चिम बंगाल	260.00	114000	2620	119856	0.00	0
25	दादर एवं नगर हवेली	33.00	4530	0.00	0	0.00	0
	कुल योग	**11173.00**	**2012145**	**21943.19**	**2123512**	**19305.533**	**1118608**

अध्याय 9

जनजातीय उत्पाद के लिए विपणन सहायता

न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उत्पाद के विपणन एवं लघु वन उत्पादों की मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए तंत्र ।

9.1.1 मंत्रालय ने लघु वन उत्पाद एकत्र करने वालों, जोकि अनुसूचित जनजाति के प्राथमिक सदस्य हैं, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय के रुप में वर्ष 2013-14 से एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 'न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उत्पाद के विपणन एवं लघु वन उत्पादों की मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए तंत्र' प्रारम्भ किया है।

9.1.2 यह स्कीम उनके एकत्रकरण, प्राथमिक संसाधन, भण्डारण, पैकेजिंग, परिवहन इत्यादि के प्रयासों के लिए उचित मोद्रिक वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली स्थापित करना चाहती है। यह लागत घटाने के सहित बिक्री आय में से राजस्व का हिस्सा उन्हें दिलाने का भी प्रयास करती है। इसका लक्ष्य प्रक्रिया के स्थायित्व के लिए अन्य मुद्दों का समाधान करना भी है।

9.1.3 यह योजना चयनित लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण और घोषणा करना प्रकल्पित करती है। पूर्व नियत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रापण व विपणन प्रचालन निर्धारित राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसके साथ-साथ ही अन्य मध्यम व दीघ्रकालिक मुद्दों जैसे निरंतरणीय संग्रहण, मूल्य वृद्धि, अवसरंचना विकास, लघु वन उत्पादों का ज्ञान आधारित विस्तार, बाजार आसूचना विकास, ग्राम सभा/पंचायत के मोल भाव की ताकत को सुदृढ़ करने का समाधान भी करेगा।

9.1.4 यह स्कीम प्रारम्भ में भारतीय संविधान के पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्र रखने वाले राज्यों यथा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखण्ड, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश में लागू की गई जो कि गैर राष्ट्रीयकृत और बहुतायत में उपलब्ध 12 लघु वन उत्पादों में से कुछ मदों नामतः (i) तेंदू, (ii) बांस, (iii) महुआ बीज, (iv)साल पत्ते, (v) साल बीज, (vi) लाख, (vii) चिरोंजी, (viii) जंगली शहद, (ix) हरितिका, (x) इमली, (xi) गोंद (गोंद कराया), (xii) करंज के लिए है।

9.1.5 योजना कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालय ने निम्नलिखित कार्रवाई प्रारंभ की गई है:

(क) योजना के तहत चिन्हित लघु वन उत्पादों के प्रापण और बिक्री के लिए प्रचालानात्मक दिशा निर्देश 03. 01.2014 को जारी किए गए हैं। यह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्धा हैं।

(ख) 10 लघु वन उत्पाद नामतः इमली, शहद, गोंद कराया, करंज बीज, साल बीज, महुआ बीज, साल पत्ते, चिरोंजी फली, हरितिका, लाख (रंगीनी और कुसुमी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 (31.12.2014 तक) के दौरान 54.90 लाख करोड़ रुपये विभिन्न कार्यान्वयनकारी एजेंसियों जैसे जनजातीय विकास सहकारी निगम, ओड़िसा लि. (टीडीसीसीओएल) और झारखण्ड राज्य सहकारी लाख विपणन और प्रापण संघ लि.(जेएएससीओएलएएमपीएफ) रांची और भारतीय जनजाति सहकारी विपणन एवं विकास संघ मर्यादित (ट्राईफेड) के लिए जारी किए गए।

9.2 जनजातीय उत्पाद/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहयोग

9.2.1 स्कीमों (i) लघु वन उत्पाद प्रचालनों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान (ii) जनजातीय उत्पाद/उपज के बाजार विकास की समीक्षा की गई है। तदानुसार 'जनजातीय उत्पाद/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहयोग' की पुन: तैयार की गई स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 शुरु किया गया है। इस स्कीम का दायरा इस प्रकार है:-

(i) विभिन्न जनजातियों से संबंधित लोगों को सम्पूर्ण उत्पादन की श्रेणियों, उत्पाद विकास, पारम्परिक विरासत का आरक्षण, जनजातीय लोगों के वन और कृषि उत्पाद दोनों को सहायता, उपर्युत क्रिया कलाप करने के लिए संस्थानों को सहायता, बहतर अवसंरचना की व्यवस्था, डिजाइन के विकास, जो एजेंसियां उत्पाद खरीद रही हैं उनके और मूल्यों के बारे में सूचना का प्रसार, निरंतर विपणन एवं इसके द्वारा औचित्यपूर्ण मूल्य प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एजेंसियों को सहयोग के लिए व्यापक सहयोग देने के लिए।

(ii) ग्रामपंचायत और ग्रामसभा के साथ सूचना की साझेदारी।

(iii) बाजार में मूल्य वृद्धि के लिए कौशल उन्नयन, उपयोगी उत्पादों का विकास।

9.2.2 स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के लिए संस्थान बनाना जिससे उन क्रियाकलापों के विपणन और विकास में सहयोग दिया जा सके जिन पर वे अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। इनको विशिष्ट उपायों द्वारा प्राप्त किया जाना है जैसे (i) बाजार हस्तक्षेप (ii) जनजातीय कारीगरों, शिल्पकारों, लघु वन उत्पाद एकत्र करने वालों आदि का प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन (iii) अनुसंधाान एवं विकास/बौद्धिक संपदा अधिकार क्रियाकलाप एवं (vi) आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना का विकास। स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 के दौरान राज्यवार जारी की गई राशि के ब्यौरे अनुलग्नक 9 पर दिए गए हैं।

9.3 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (ट्राइफेड)

9.3.1 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (टाइफेड) एक बहु राज्य सहकारी समिति है। इसे बहु राज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम 1984 (अब बहु राज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम 2002) के तहत 1987 में गठित किया गया था।

9.3.2 ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों के लिए सेवा प्रदाता और बाजार विकास कर्ता दोनों के रुप में कार्य कर रहा है। आगे यह क्षमता निर्माता की भूमिका में अनुसूचित जनजातीय कलाकारों एवं लघु उत्पाद एकत्र करने वालों को प्रशिक्षण देता है।

9.3.3 ट्राइफेड की प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी 300 करोड़ रुपये है। 31.03.2014 को ट्राइफेड की भुगतान की गई शेयर पूंजी 100.55 करोड़ रुपये थी। 31.03.2014 को ट्राइफेड के 29 सदस्य (शेयर धारक) थे। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इक्विटी शेयर पूंजी में 99.75 करोड़ रुपये निवेश किए हैं और वह ट्राइफेड का सबसे बड़ा शेयर धारक है।

9.3.4 विपणन विकास गतिविधियां

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (ट्राईफेड) ने देश में अपने खुदरा बिक्रय केन्द्र 'ट्राइब्स इण्डिया' के नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय उत्पादों का विपणन जारी रखा है तथा वर्ष 2014-15 के दौरान ट्राइफेड ने 872.14 लाख रुपये (30.11.2014 के अनुसार) मूल्य के उत्पाद बेचे हैं, बाजार विकास गतिविधियों के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

- ट्राइफेड ने 17 राज्यों के 27 शहरों में अपनी उपस्थिति दर्शाते हुए माल आधारित विपणन पर 'ट्राइब्स इंडिया' के अपने 37 केंद्रों और 9 बिक्री केंद्रों की श्रृंखला स्थापित की है।
- ट्राइफेड ने भारत में 55 से अधिक बड़ी प्रदर्शनियों में भाग लिया है।
- ट्राइफेड ने बंगलौर, दिल्ली (2), नागपुर, दार्जलिंग, भूवनेशवर और सूरत में 8 'आदिचित्र' जनजातीय चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित की है।

- ट्राइफेड ने दिल्ली हाट आईएनए, नई दिल्ली में 20–30 नवंबर 2014 तक जनजातीय कला और शिल्प की एक प्रदर्शनी 'आदिशिल्प' आयोजित की है।
- ट्राइफेड ने 31.12.2014 तक 484.56 लाख रुपये मूल्य के जनजातीय उत्पाद खरीदे।
- ट्राइफेड के पास अपने पैनलब आपूर्ति कर्ता के रुप में 1194 व्यक्ति/स्वयं सहायता समुह/गैर सरकारी संगठन/राज्य सरकार के संगठन आदि हैं जो लगभग 59578 जनजातीय लाभार्थी परिवारों से जुड़े हुए हैं।

9.3.5 जनजातीय लघु वन उत्पाद संग्रहकर्ताओं का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माणः

शहद एकत्र करने वालों का प्रशिक्षण कार्यक्रमः मधय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और आन्ध्र प्रदेश में 390 जनजातीय लाभार्थियों के लिए वैज्ञानिक संग्रहण/खेती, संसाधित करने, मूल्य वृद्धि और विपणन आदि पर कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

दोना पत्तल प्रशिक्षण कार्यक्रमः साल और सियाली पत्तियों से ढ़ालने वाली मशीन तथा आवश्यक उपकरण किट का प्रयोग करके दोना पत्तल बनाने का काम करने के लिए आन्ध्र प्रदेश और झारखण्ड राज्यों में 420 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

महुआ फूल प्रशिक्षण कार्यक्रमः महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में 150 लाभार्थियों को महुआ फूल के संग्रहण, सुखाने, ग्रेडिंग, भण्डारण व विपणन के उत्तम तरीकों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

पहाड़ी घास पर प्रशिक्षण कार्यक्रमः कर्नाटक राज्य में 30 लाभार्थियों को पहाड़ी घास के गुणात्मक परिवर्तन, भण्डारण व विपणन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

9.3.6 न्यूनतम समर्थन मूल्य की योजना के तहत ट्राइफेड का प्रशिक्षण क्रियाकलाप

i. **लाख उपज क्रियाकलाप (ओएफटी):** ओडिसा के नबरंगपुर जिले में 300 लाभार्थियों के लिए लाख की वैज्ञानिक खेती के बारे में खेत पर प्रशिक्षण।

ii. **दोना पत्तल प्रशिक्षण कार्यक्रमः** ओडिसा राज्य में 300 लाभार्थियों के लिए बायोमास मोल्डिंग मशीन का प्रयोग कर दोना पत्तल बनाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

iii. **वृक्षों से मिलने वाले तेल बीजों (महुआ, करंज, साल बीज व चिरोंजी) में गुणात्मक परिवर्तन और उत्तम संग्रहण रीतियांः** ओडिसा, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में 2530 लाभार्थियों के लिए इन बीजों के संग्रहण, गुणात्मक परिवर्तन पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

iv. **गैर लकड़ी वन उत्पाद (टीओटी) प्रशिक्षण कार्यक्रमः** छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 3 लाभार्थियों के लिए इमली के लिए गुणात्मक वृद्धि, पैकिजिंग और विपणन पर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रशिक्षार्थी छत्तीसगढ़, ओडिसा और आन्ध्र प्रदेश राज्यों से चुने गए।

v. **इमली प्रशिक्षण कार्यक्रमः** आन्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम (300) जिले और ओडिसा के बोलंगीर (300) जिले में 600 लाभार्थियों के लिए इमली के संग्रहण गुणात्मक वृद्धि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

9.3.7 लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की स्कीम का कार्यान्वयनः

i. **30.11.2014 तक राज्य प्रापण एजिंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत लघु वन उत्पादों का प्रापणः**

1. छत्तीसगढ़ गौंण वन उत्पाद सहकारी संघ रायपुर ने अगस्त 2014 तक 1258.73 लाख रुपये के मूल्य के 125873 क्विंटल साल बीज प्राप्त किए।
2. जनजातीय विकास सहकारी निगम ओडिसा लि., ओडिसा ने 3.95 लाख रुपये मूल्य के महुआ बीज 159 क्विंटल प्राप्त किए थे।
3. राजस्थान जनजातीय क्षेत्र विकास सहकारी संघ लि. उदयपुर (राजस्थान) ने 2.38 लाख रुपये मूल्य का 18 क्विंटल शहद की मात्र खरीदी।

ii. **लघु वन उत्पादों के पोर्टल का प्रचालनः** लघु वन उत्पाद गतिविधियों के लिए ट्राइफेड का वैब पोर्टल जतपमिक पद का भारत के माननीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा 08.07.2014 को उद्घाटन किया गया। 'लघु वन उत्पाद

नेट' पोर्टल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है जिसके अंतर्गत विभिन्न लघु वन उत्पाद मदों के बाजार मूल्य के बारे में सूचना एकत्रित व प्रसारित की जाती है। पोर्टल में भारत में लघु वन उत्पाद के परिकृश्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों, प्रशिक्षण कार्यान्वयनकारी एजेंसियों आदि के बारे में सूचना के ब्यौरे निहित हैं।

iii. 'किसान कॉल केद्रों (केसीसी) की निशुल्क सेवा के माध्यम से लघु वन उत्पादों पर बाजार सूचना प्राप्त करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली' का उद्घाटन-

किसान कक्सल केद्रों (केसीसी) की निशुल्क सेवा के माध्यम से लघु वन उत्पादों पर बाजार सूचना प्राप्त करने के लिए एक नई एकल खिड़की प्रणाली का उद्घाटन माननीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा 02.09.2014 को किया गया। अब निम्नलिखित सूचनाएं 18001801551 (निशुल्क) पर किसान कक्कल केंद्र से कक्कलर द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं।

- विभिन्न मदों का न्यूनतम समर्थन मूल्य,
- लघु वन उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां,
- विभिन्न बाजारों में लघु वन उत्पादों का बाजार मूल्य।

9.3.8 जनजातीय शिल्पकारों का प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण

ट्राइफेड ने वर्ष के दौरान 8 राज्यों जैसे झारखण्ड, बिहार, ओडिसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, मधय प्रदेश और केरल में 220 लाभार्थियों के लिए 9 शिल्पों में 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम किए हैं। प्रशिक्षण में प्रारंभ किए गए शिल्प की श्रेणियां सूती कालीन, हथकरघा बुनाई, वस्त्र शिल्प, लाख शिल्प, ऊनी बुनाई, पेपर मेसी, केला तंतु, हस्तशिल्प, ताड़ पत्ता व नारियल कोष हस्तशिल्प हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त ट्राइफेड ने अब तक 5 राज्यों में 5 जनजातीय शिल्पकार मेले आयोजित किए हैं जिसमें अब तक 140 शिल्पकारों ने प्रतिनिधित्व किया है। उक्त मेलों में ट्राइफेड द्वारा स्रोतीकरण के लिए 26 शिल्प मदों की पहचान की है तथा 0.45 लाख रुपये मूल्य के नमूने बाजार सर्वेक्षण के लिए खरीदे।

9.3.9 अनुसंधान एवं विकास:

श्री राम इंस्टीटयुट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा टमाटर को ज्यादा देर रखने के लिए गम कराया आधारित खाने योग्य परत चढ़ाने को विकसित करने पर एक परियोजना प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए वित्तीय सहयोग के लिए चुना गया है। गम कराया से खाने योग्य परत चढ़ाने को विकसित करने पर केंद्रित प्रस्ताव है जिसे सब्जियों और फलों के बाहर रखे जाने का समय बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान चल रही अनुसंधान परियोजनाओं पर प्रगति इस प्रकार है:

i. 'करंज तेल और इमली के बीजों से न्यूट्रास्यूटिकल और कोस्मास्यूटिकल' पर परियोजना के परिणाम स्वरुप संशोधित करंज तेल से सनस्क्रीन, कोल्ड क्रीम, तरल साबुन और शेविंग क्रीम और इमली के बीजों से खाने योग्य जेली बनाई गई 'पोंगमिया बीज के तेल का व्यक्तिगत देख भाल के लिए संरचना, इसको बनाने के प्रक्रिया तथा प्रयोग करने के तरीके' पर एक आवेदन पेटेन्ट पंजीकरण के लिए दायर किया गया है। यह परियोजना मार्च 2015 तक पूरी होने की संभावना है

ii. महुआ फूलों से कोशक पेय के उत्पादन की परियोजना- इस परियोजना के परिणामस्वरुप महुआ अमरुद मिलाकर बड़े हुए स्वाद के साथ मदिरा बनाना इसके अतिरिक्त प्रक्रिया के वैधीकरण और मानकीकरण के लिए परियोजना को आईआईटी दिल्ली को प्रयोजित किया गया और आईआईटी से 20 लीटर महुआ शराब प्राप्त हुई। महुआ शराब के नमूने को प्रयोगशाला में मानक: 7058 विशिष्टीकरण के अनुसार गुणता जांच के लिए भेजा गया है। प्रयोगशाला विशलेषण के आधार पर इसे सुधारने के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी।

iii. बेल फल से स्वास्थ्य उत्पादों की तैयारी (सीएफटीआरआई मैसूर द्वारा)-इन विट्रो और शक्तिदायक अनुसंधान में यह पाया गया कि बेल में अल्सर रोधी शक्ति है। सीएफटीआरआई द्वारा विकसित उत्पादों के उत्पादन की प्रकिया की तकनीकी को एमपीएमएफपी फेडरेशन भोपाल एव सीजीएमएफपी फेडरेशन रायपुर के साथ साझा किया गया है। दोनों एजेंसियां बेल उत्पादों के विपणन के व्यवसाय में हैं।

अनुलग्नक- 9

'जनजातीय उत्पाद/उपज के विपणन और विकास के लिए संस्थागत सहयोग' की स्कीम जो कि पहले 'लघु वन उत्पाद प्रचालनों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम को सहायता अनुदान' कहलाती थी उसको वर्ष 2012-13,2013-14 और 2014-15 (31.12.2014 तक) के दौरान जारी की गई सहायता अनुदान के विवरण

(लाख रु. में)

क्रम संख्या	राज्य	वर्ष		
		2012-13	**2013-14**	**2014-15**
1	आन्ध्र प्रदेश	264.00	120.00	--
2	छत्तीसगढ़	189.00	--	--
3	गुजरात	160.00	177.00	--
4	हिमाचल प्रदेश	7.00	--	--
5	केरल	--	6.00	--
6	मधया प्रदेश	--	--	--
7	महाराष्ट्र		245.00	67.07
8	मेघालय	--	106.00	--
9	उड़िसा	233.00	193.00	138.30
10	राजस्थान	--	--	--
11	त्रिपुरा	52.00	54.00	119.93
12	पश्चिम बंगाल	126.00	231.93	356.00
13	मिजोरम		24.00	45.00
	योग	**1300.00**	**1000.00**	**614.23**

अध्याय 10

स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम

जनजातीय विकास में स्वैच्छिक संगठनों (वी.ओ.)/ गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) की भूमिका

10.1 यह स्वीकार किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के विकास का काम केवल सरकारी प्रयासों से पूरा नहीं हो सकता। स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनों का आधार स्थानीय होता है और उनमें सेवा की भावना होती है, इसलिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बन गई है। यह सुनिश्चित करने में वे सरकारी प्रयासों के पूरक होते हैं कि उन प्रयासों के लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचे। कुछ मामलों में स्वैच्छिक संगठन सरकारी योजनाओं को ज्यादा कुशलता से क्रियान्वित करने की बेहतर स्थिति में होते हैं।

10.2 बहुत से स्वैच्छिक संगठनों ने जनजातियों के उत्थान में सराहनीय कार्य किया है और अब भी उनके प्रयास जारी हैं। तथापि, कुछ अरसे से वित्तीय सहायता के लिए मंत्रालय के पास पहुंचने वाले गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है और यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि सरकार के भागीदार के रूप में केवल खरे और प्रतिबद्ध संगठनों को ही विकासात्मक क्रियाकलाप चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

10.3 गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित स्कीम पारदर्शी तरीके से राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों की भागीदारी से कार्यान्वित की जाएं यह सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने वर्ष 2005-06 में गैर-सरकारी संगठनों के प्रस्तावों की प्राप्ति, पहचान, संवीक्षा एवं स्वीकृति के लिए एक विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया विकसित की है और वर्ष 2008-09 के दौरान प्रासंगिक योजनाओं में संशोधन करके प्रणाली को पुनः सुदृढ़ बनाया है। इस प्रक्रिया के अनुसार सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा राज्य के प्रधान सचिव/सचिव जनजातीय/सामाजिक विकास विभाग की अध्यक्षता में गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न अन्य अधिकारियों और गैर-सरकारी सदस्यों को मिलाकर "स्वैच्छिक प्रयासों के समर्थन के लिए राज्य समिति" का गठन किया गया है। यह बहु-विषयक राज्य स्तरीय समिति गैर-सरकारी संगठनों के नए प्रस्तावों और चालू प्रस्तावों की जांच करती है और प्राथमिकता के आधार पर कम सेवा वाले जनजातीय क्षेत्रों में केवल सर्वाधिक प्रभावी परियोजनाओं की सिफारिश करती है। तथापि ईवीए के मामले में, राज्य सरकार की सिफारिश की अपेक्षा वर्ष 2014-15 से नहीं है।

राज्य स्तरीय समितियों का गठन एवं उनकी भूमिका

(क) प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को प्रधान सचिव/सचिव, राज्य जनजातीय कल्याण विभाग (राज्य सामाजिक कल्याण विभाग जैसा भी मामला हो) की अध्यक्षता में बहुविषयक राज्य समिति का गठन करना होगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(i) सचिव, राज्य ग्रामीण विकास विभाग, या उसके प्रतिनिधि;

(ii) सचिव, राज्य कृषि विभाग, या उसका प्रतिनिधि;

(iii) सचिव, राज्य स्वास्थ्य विभाग, या उसका प्रतिनिधि;

(iv) अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले तीन विशेषज्ञ/ राज्य में कार्यरत ख्याति प्राप्त गैर-सरकारी संगठन;

(v) आयुक्त/निदेशक, जनजातीय कल्याण विभाग: सदस्य सचिव या निदेशक, जनजातीय अनुसंधान संस्थान।

(ख) राज्य समिति की बैठकों का आयोजन प्रत्येक वित्त वर्ष में एक बार या अधिकतम दो बार किया जाना चाहिए।

(ग) राज्य समितियां निरीक्षण रिपोर्टों अथवा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई निष्पादन रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए दिशानिर्देश/प्रक्रियाओं के अनुसार स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के परियोजना प्रस्तावों की जांच करने के लिए जिम्मेदार होंगी।

(घ) प्रस्तावों की जांच करते समय, राज्य समितियां निम्नलिखित पहलुओं का ध्यान रखेंगी :

(i) सिफारिश की गई परियोजना सही ढंग से संचालित की जा रही है तथा कम सेवा वाले क्षेत्रों में गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान कर रही है;

(ii) सहायक आंकड़ों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के बाद चल रही परियोजनाओं को जारी रखने का औचित्य दिया गया हो;

(iii) परियोजना जारी रहने या निधियों की आवश्यकता के लिए संभावित अवधि;

(iv) आमतौर पर सामान्य जनसंख्या के राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा अधिक साक्षरता स्तर वाले जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षिक परियोजनाओं की सिफारिश नहीं की जाती है। इसी प्रकार, अच्छे अस्पतालों वाले क्षेत्रों में 10 या इससे अधिक बिस्तर वाले अस्पतालों की सिफारिश नहीं की जाती है;

(v) कम सेवा वाले जनजातीय क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है;

(vi) लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालयों में महिला सेवा स्टाफ, वार्डन एवं पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान होने चाहिएं;

(vii) जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, निगरानी इत्यादि के लिए पंचायती राज संस्थाओं से संबंध स्थापित किया जाना चाहिए;

(viii) प्रत्येक वर्ष, बजटीय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, उन परियोजनाओं को हटाने के प्रयास किए जाते हैं जिनका संचालन सही ढंग से नहीं हो रहा है; तथा चल रही ऐसी परियोजनाएं जो आत्मनिर्भर हो चुकी हैं तथा अपने स्वयं के संसाधनों से अपनी परियोजनाओं का संचालन कर सकती हैं, उन्हें भी बंद करने के प्रयास किए जाते हैं;

(ix) ऐसी नई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो पहले से चल रही हैं तथा कम सेवा वाले क्षेत्रों में गुणवत्ता परक सेवाएं प्रदान करने का रिकॉर्ड स्थापित कर चुकी हैं;

(x) नई परियोजनाओं के लिए, परियोजनाओं को शुरू करते समय उनके प्रभाव का निष्पक्षता से मूल्यांकन करने के लिए न्यूनतम बैंचमार्क डाटा उपलब्ध होना चाहिए या उसे एकत्रित किया जाना चाहिए।

(ङ) राज्य समितियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवश्यकता अनुसार निरीक्षण दौरा करके इसके निष्पादन को ध्यान में रखते हुए परियोजना की निधियन आवश्यकताओं के बारे में स्वयं को संतुष्ट करें।

10.4 स्थापित स्वैच्छिक अभिकरण (ईवीए): मंत्रालय द्वारा यह प्रयास भी किया गया था कि वह अखिल भारतीय स्वरूप के स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों का पता लगाएं जो अपनी नि:स्वार्थ सेवा और अनोखी उपलब्धियों के लिए जाने जाते हों। उन्हें औरों के मुकाबले, नए प्रस्तावों को मंजूर करने के संबंध में तथा वार्षिक अनुदान समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए निर्मुक्त करने से संबंधित सेवा शर्तों में ढील देने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। इस दिशा में मंत्रालय ने कुछ ऐसे संगठनों का पता लगाया है और उन्हें "स्थापित स्वैच्छिक अभिकरणों (ईवीए)" की श्रेणी में रखा है। ये संगठन निम्नानुसार हैं :-

1. रामकृष्ण मिशन और इसके सम्बद्ध संगठन।
2. अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम तथा इससे सम्बद्ध संगठन।
3. भारत सेवाश्रम संघ तथा इसके सम्बद्ध संगठन।
4. भारतीय आदिम जाति सेवक संघ तथा इसके सम्बद्ध संगठन।
5. सेवा भारती और इसके सम्बद्ध संगठन।
6. विद्या भारती तथा इसके सम्बद्ध संगठन।
7. स्वामी विवेकानंद युवा आंदोलन, कर्नाटक।
8. दीन दयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली।
9. सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसाइटी, पुणे, महाराष्ट्र।

10. राष्ट्रीय सेवा समिति, आन्ध्र प्रदेश।
11. विवेकानंद गिरिजन कल्याण केन्द्र, कर्नाटक।
12. अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, नई दिल्ली।
13. डी.ए.वी. मैनेजिंग कमेटी, नई दिल्ली।
14. विनोबा निकेतन, केरल।

स्वैच्छिक क्षेत्र की योजनाएं

10.5 वर्तमान में मंत्रालय की चार योजनाएं चल रही हैं जो स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी के लिए खुली हैं। ये योजनाएं निम्नलिखित हैं:-

1. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और संबद्ध योजना तथा अनुकरणीय सेवाओं के लिए पुरस्कार शामिल है, हेतु कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान।
2. कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शैक्षिक सुदृढ़ीकरण।
3. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।
4. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास। (पीटीजी) (एनजीओ घटक)

अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और संबद्ध योजना तथा अनुकरणीय सेवाओं के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान।

10.6 अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान देने की योजना 1953-54 में आरंभ की गई थी तथा यह योजना जारी है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग तथा अवसंरचना योजनाओं में सुधार के लिए एनजीओ को विशेष प्रोत्साहन योजना के साथ मिला दिया गया था तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और अवसंरचना में सुधार हेतु विशेष प्रोत्साहन सहित अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की अम्ब्रेला योजना तैयार की गई थी। इस योजना को वित्तीय मानदण्डों सहित वर्ष 2008-09 में संशोधित किया गया है। संशोधित योजना 01 अप्रैल, 2008 से प्रभावी है। आवेदन पत्रों इत्यादि सहित योजना के दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.tribal.nic.in पर उपलब्ध हैं।

10.7 उद्देश्य : इस योजना का प्रमुख उद्देश्य आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि, बागवानी, उत्पादकता, सामाजिक सुरक्षा तंत्र आदि जैसे क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों के माध्यम से कम सेवा वाले जनजातीय क्षेत्रों में अंतर को भरना और सरकार की कल्याण-योजनाओं की पहुंच को बढ़ाना तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए वातावरण प्रदान करना है। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान अथवा आजीविका सृजन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाली किसी अन्य नई गतिविधि पर स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से विचार किया जा सकता है।

10.8 प्रक्रिया एवं वित्त पोषण : यह योजना केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित राज्य समिति की बहु विषयक राज्य स्तरीय समिति द्वारा यथाविधि संस्तुत आवेदन (निर्धारित प्रपत्र में) पर संशोधित योजना में निर्धारित विभिन्न श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए पात्र गैर सरकारी संगठनों/ स्वायत्तशासी समितियों को अनुदान दिया जाता है। सरकार द्वारा आमतौर पर 90% तक निधियां दी जाती हैं। शेष 10% को स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अपने संसाधनों से पूरा करने की उम्मीद की जाती है। हांलाकि उन परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाता है जिनका क्रियान्वयन अनुसूचित क्षेत्रों में किया जा रहा है। किसी विशिष्ट वर्ग की परियोजना हेतु स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन को सहायता सरकार द्वारा उस विशिष्ट वर्ग के लिए निर्धारित वित्तीय मानदण्डों तथा समय-समय पर संशोधित मानदण्डों के अनुसार दी जाती है। अनुदानों की संस्वीकृति समय-समय पर संशोधित सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005, के नियम 209 के तहत की जाती है। अनुदान संशोधित योजना के नियमों एवं शर्तों के अनुसार जारी किए जाते हैं।

10.9 गैर सरकारी संगठनों को निर्मुक्त अनुदानों के संबंध में अलग लेखा रखने की जरूरत होती है और ये लेखे सरकार के सभी समुचित अधिकारियों/एजेंसियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले होते हैं। गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान के लेखे की वार्षिक रूप से लेखा परीक्षा भी चार्टर्ड एकाउंटेंट से

करानी होती है और 'सा.वि.नि. 19(क)' के तहत निर्धारित प्रपत्र में पिछले अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ लेखा-परीक्षा विवरण की प्रतियों का पूरा सेट मंत्रालय को प्रस्तुत करना होता है।

10.10 सामान्यतया प्रतिवर्ष अनुदान निर्मुक्त किया जाता है, बशर्ते कि गैर सरकारी संगठनों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक पाया जाए, जिसका आकलन जिला कलेक्टर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षण की रिपोर्ट एवं राज्य समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है। निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक तौर पर प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा दिनांक सहित इसे जिला कलेक्टर द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

10.11 गैर सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों को मंत्रालय या राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र के अधिकारियों के निरीक्षण के अतिरिक्त वित्तीय नियमों के उपबंधों के अनुसार निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने बाहरी निगरानी एजेंसियों को सभी एनजीओ की परियोजनाओं की स्वतंत्र निगरानी का कार्य सौंपा है।

10.12 योजना का निष्पादन : वर्ष 2014-15 के दौरान योजना के तहत मंत्रालय द्वारा वार्षिक आवंटन एवं किया गया व्यय आवंटन के व्यौरों तथा विगत 2 वर्षों में किए गए व्यय के साथ **तालिका 10.1** में दिया गया है:

तालिका 10.1: वर्ष 2014-15 तथा पिछले दो वर्षों के दौरान निधियों का आवंटन तथा निर्मुक्ति

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट आवंटन*		व्यय*
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	
2012-13	60.00	33.75	18.54
2013-14	60.00	41.50	41.18
2014-15	36.50	40.00	34.14 (31.12.2014 तक)

* इस राशि में अनुसूचित जनजातियों को कोचिंग के लिए तथा स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान के अंतर्गत पूर्वोत्तर पूल की निधियां शामिल हैं।**

10.13 संशोधित योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की विभिन्न श्रेणियां निर्धारित की गई हैं जिन पर अनुदान के लिए विचार किया जा सकता है। श्रेणियों की सूची निम्नलिखित है :

1. आवासीय विद्यालय
2. गैर-आवासीय विद्यालय
3. छात्रावास
4. सचल औषधालय
5. दस बिस्तरों वाला अस्पताल
6. कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र
7. पुस्तकालय
8. सचल पुस्तकालय सह दृश्य-श्रव्य (एवी) इकाई
9. जनजातीय प्रौढ़ शिक्षा के लिए ग्रामीण रात्रि विद्यालय
10. बालवाड़ी/क्रैच केन्द्र
11. स्वास्थ्य रोकथाम एवं स्वच्छता कार्यक्रम
12. पेय जल कार्यक्रम
13. कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में प्रशिक्षण
14. रोजगार वाले शिल्पों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र
15. वृद्ध आश्रम
16. जागरूकता के प्रसार में स्कूल के बच्चों को शामिल करना
17. सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कोई अन्य अभिनव परियोजना

परियोजनाओं की कुछ श्रेणियों के ब्यौरे

आवासीय विद्यालय

10.14 आवासीय विद्यालय परियोजना की एक लोकप्रिय श्रेणी है, जिसका उद्देश्य उन गरीब जनजातीय बच्चों को शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना है, जो अपने पड़ोस में स्कूल न होने की वजह से अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं और वे अपने गांवों से बाहर शिक्षा पाने और रहने की लागत वहन नहीं कर पाते हैं। स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा आवासीय स्कूल ऐसी जगहों, गांवों या कस्बों में स्थापित किए जाते

हैं जो राज्य और जिले के अन्य भागों से अच्छी तरह जुड़े नहीं होते हैं। आवासीय विद्यालयों में छात्रों को रहने और खाने की मुफ्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वर्दी की लागत, पुस्तकें, लेखन सामग्री और अन्य प्रासंगिक प्रभार भी योजना से पूरे किए जाते हैं। अध्यापकों तथा अन्य स्टाफ के सदस्यों जैसे वार्डन, एकाउंटेंट, डॉक्टर और अन्य सहायक स्टाफ को मानदेय का भुगतान भी सहायता अनुदान में से किया जाता है। आवासीय विद्यालय परियोजना को कार्यान्वित करने वाले संगठन, परियोजना को खुद की बिल्डिंग में या किराए पर लेकर चला सकते हैं, जिसमें पर्याप्त संख्या में कमरे तथा टायलेट/बाथरूम सुविधाएं हों। रखरखाव प्रभार अथवा भवन के किराए का भुगतान अनुदान सहायता से किया जाता है। अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों की एक बड़ी संख्या इन परियोजनाओं से लाभान्वित हो रही है।

10.15 2014-15 (31.12.2014 तक) के दौरान 21 राज्यों में 67 आवासीय विद्यालयों को निधिपोषित किया गया जिनसे 9118 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

गैर-आवासीय विद्यालय

10.16 यह भी अत्यधिक लोकप्रिय और सफल परियोजनाओं में से एक है। विद्यालय में छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा और मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है। वर्दी, पुस्तकें, स्टेशनरी, चिकित्सीय सहायता और अन्य आकस्मिक खर्चों को भी योजना से पूरा किया जाता है। अध्यापक और अन्य कर्मचारियों जैसे अकाउंटेंट, डॉक्टर और अन्य सहायक कर्मचारियों को भी सहायता अनुदान से मानदेय दिया जाता है। गैर-आवासीय विद्यालय परियोजनाओं का संचालन करने वाले संगठन इनका संचालन अपने स्वयं के भवनों या किराए के भवनों में भी कर सकते हैं जिनमें पर्याप्त संख्या में कमरे तथा टायलेट सुविधाएं हों। इन परियोजनाओं से अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियां दोनों लाभान्वित हो रहे हैं।

10.17 वर्ष 2014-15 (31.12.2014 तक) के दौरान 4 राज्यों में संचालित 133 गैर-आवासीय विद्यालयों को निधिपोषित किया गया जिनसे 15791 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा।

छात्रावास

10.18 इस परियोजना का उद्देश्य ऐसे जनजातीय छात्रों को छात्रावास की सुविधाएं प्रदान करना है जिन्होंने अपनी प्राइमरी या मिडिल शिक्षा अपने गांव के पास के स्कूलों से पूरी की हो लेकिन वे शहरों में रहन-सहन की उच्च लागत की वजह से बाहर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते और उनके अपने गांवों के नजदीक महाविद्यालय की सुविधाएं नहीं हैं। ये छात्रावास उन शहरों और नगरों में चलाए जाते हैं, जहां शिक्षा की अच्छी सुविधाएं होती हैं।

10.19 वर्ष 2014-15 (31.12.2014 तक) के दौरान 13 राज्यों में 45 छात्रावासों को निधिपोषित किया गया जिनसे 10275 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा।

सचल औषधालय

10.20 सचल औषधालयों/क्लीनिकों के जरिए अलग-थलग गांवों/बस्तियों में रहने वाले जनजातीय लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने वाले संगठन को सहायता प्रदान की जाती है। वैन, जीप, दवाइयों और उपस्करों की खरीद की लागत को वहन करने के साथ-साथ डॉक्टरों एवं अन्य कर्मचारियों तथा दवाइयों के आवर्ती खर्चों को पूरा करने के लिए वार्षिक सहायता अनुदान मंजूर किया जाता है।

10.21 वर्ष 2014-15 (31.12.2014 तक) के दौरान 11 राज्यों मे 28 सचल औषधालयों को निधिपोषित किया गया जिनसे 280135 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को फायदा पहुंचा।

दस अथवा उससे अधिक बिस्तर वाले अस्पताल

10.22 इस परियोजना को चलाने के पीछे विशिष्ट उद्देश्य स्वैच्छिक एजेंसियों को जनजातीय क्षेत्रों में, जहां सरकार ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकी है, दस अथवा उससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल चलाने के लिए सहायता देना है। इन छोटे अस्पतालों में ज्यादातर बाह्य रोगियों का इलाज किया जाता है लेकिन अन्तरंग रोगियों के इलाज की सुविधाएं भी हैं। फर्नीचर, उपस्कर, अस्पताल उपकरणों, एम्बुलेंस, एक जेनरेटर सेट तथा डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों को मानदेय प्रदान करने के लिए आवर्ती खर्चों तथा दवाइयों की अधिप्राप्ति, भवन किराया शुल्क इत्यादि के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

10.23 वर्ष 2014-15 (31.12.2014 तक) के दौरान 6 राज्यों में 24 अस्पताल चलाने के लिए निधियां प्रदान की गई, जिनसे 194974 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभ पहुंचा।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र

10.24 कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों में 30 छात्रों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। इस परियोजना का विशिष्ट प्रयोजन कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग आदि का ज्ञान बढ़ाना और उन्हें सार्वजनिक, निजी क्षेत्रों में रोजगार पाने की क्षमता प्रदान करना है। इन केन्द्रों में आयोजित पाठ्यक्रमों की मान्यता सुनिश्चित करने और इन्हें मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र/डिप्लोमा के साथ जोड़ने के लिए मंत्रालय ने इस बात पर बल दिया है कि संगठन अपने कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कम्प्यूटर पाठ्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रत्यायन विभाग (डीओईएसीसी) द्वारा मान्यता दिलवाएं और मंत्रालय द्वारा मान्यता के लिए भी वित्तीय सहायता दी जा रही है।

10.25 2014-15 (31.12.2014 तक) के दौरान 3 राज्यों में 4 कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों को निधिपोषित किया गया जिससे 106 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा।

10.26 वर्ष 2014-15 तथा पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान किए गए स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों/ स्वायत्तशासी समितियों की सूची **अनुलग्नक : 10-क** में दी गई है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग

10.27 अनुसूचित जनजातियों को कोचिंग (पूर्ववर्ती कोचिंग और संबद्ध) योजना चौथी पंचवर्षीय योजना से प्रचालनरत है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 में संशोधित किया गया है। आवेदन-पत्र इत्यादि सहित योजना के दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.tribal.nic.in पर उपलब्ध हैं।

10.28 उद्देश्य : वंचित परिवारों और उपेक्षित परिवेश की अनुसूचित जनजातियों के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ पृष्ठभूमि से आए लोगों के साथ प्रतियोगिता करना कठिन होता है। समान अवसर प्रदान करने तथा अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए जनजनातीय कार्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता कोचिंग संस्थानों में वंचित अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को कोचिंग प्रदान करने की एक योजना को बढ़ावा दिया जाता है ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सकें और सिविल सर्विस तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उपयुक्त नौकरी पा सकें।

10.29 कार्यान्वयन एजेंसियां तथा वित्त पोषण पद्धति

इस योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/विश्वविद्यालय तथा ख्यातिप्राप्त व्यावसायिक कोचिंग संस्थानों जो परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र चलाते हैं, के माध्यम से किया जाता है। सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं की अपेक्षा गुणवत्तायुक्त व्यावसायिक कोचिंग संस्थानों में परिवर्तन पर ध्यान देने के प्रयास किए जा रहे हैं। निधियां प्रति विद्यार्थी लागत के आधार पर प्रदान की जाती हैं। मंत्रालय से संघ राज्य क्षेत्रों/ विश्वविद्यालयों/निजी संस्थाओं को ठेके के आधार पर 100% की सीमा तक सहायता प्रदान की जाती है जबकि राज्यों द्वारा संचालित संस्थाओं को मंत्रालय से 80% सहायता दी जाती है।

10.30 वित्त पोषण में कोचिंग शुल्क, (संकाय के प्रभार सहित) विज्ञापन प्रभार, प्रत्याशियों को वजीफा, बाहर से आने वाले छात्रों को रहने और भोजन की सहायता भी शामिल है।

10.31 मुख्य विशेषताएं

- राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा कोचिंग संस्थानों, विश्वविद्यालयों से विज्ञापन के जरिए प्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से निजी संस्थानों के संदर्भ में सफलता दर के अनुसार ट्रेक रिकॉर्ड और वास्तविकता की पुष्टि की जाती है।
- प्रस्तावों की जांच चयन समिति द्वारा की जाती है और संस्थाओं को समिति के सामने अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। कोचिंग संस्थानों को 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। मंत्रालय द्वारा एक बार चुने जाने पर कोचिंग संस्थाओं को परियोजना अवधि के दौरान विज्ञापन के उत्तर में तब तक पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती जब तक कि उन्हें दोबारा ऐसा करने के लिए न कहा जाए।
- कोचिंग संस्थाओं को निर्धारित आवेदन पत्र में निर्धारित वित्तीय मानकों के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने की होते हैं। गैर-अनुसूचित जनजातियों के छात्रों सहित कुल छात्रों की संख्या योग्यता के आधार पर प्रवेश के अनुसार 40 छात्र प्रति कक्षा से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की कुल संख्या में प्रधिमानतः 30 प्रतिशत महिला अनुसूचित जनजाति प्रत्याशी और 5 प्रतिशत विकलांग अनुसूचित जनजाति प्रत्याशी होने चाहिएं।
- कोचिंग कक्षा आरंभ होने के एक सप्ताह के अंदर

संस्थानों को अपने प्रत्याशियों के फोटो सहित पाठ्यक्रम वार नाम और उनके अन्य विवरण तथा पूरे पते निर्धारित प्रपत्र में देने होते हैं।

प्रत्याशी किसी एक विशेष प्रतियोगी परीक्षा के स्कीम के अंतर्गत केवल एक बार और कुल मिलाकर अधिकतम दो कोचिंग पाठ्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। प्रत्याशियों को संस्थान को यह वचन देना होगा कि उन्होंने इससे पूर्व इस मंत्रालय से सहायता प्राप्त किसी कोचिंग संस्थान का लाभ नहीं उठाया है/उठा रहे हैं।

- प्रत्याशी की आय सीमा (अपनी स्वयं की आय और/अथवा माता-पिता की आय, यदि उन पर निर्भर है) इस योजना के तहत 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- छात्रों को पूरी कोचिंग अवधि में प्रतिमाह 1 हजार रुपये की निश्चित राशि का वजीफा दिया जाता है। बाहरी छात्रों को रहने और भोजन के लिए प्रति छात्र प्रति माह 2 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। संबंधित कोचिंग संस्थानों को बाहरी छात्रों के लिए व्यवस्था करनी होती है और प्रमाणित करना होता है कि छात्र बाहर से आया है।
- राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को वर्ष में कम से कम एक बार कोचिंग संस्थान चलाने की निगरानी करनी होती है और निर्धारित प्रपत्र में मंत्रालय में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।
- कोचिंग संस्थानों को परिणाम घोषित होने तक वित्तीय वर्ष के आरंभ में तथा वित्तीय वर्ष के अंत में अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को रोल नं. के साथ प्रत्येक परीक्षा विवरण सहित पाठ्यक्रम वार सूची जमा करानी होती है। कोचिंग संस्थानों को निरंतर सहायता देने के लिए प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कम से कम 10 प्रतिशत सफलता दर पाने की आवश्यकता होती है।

10.32 आवंटन : वर्ष 2014-15 के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग हेतु आबंटन 1.50 करोड़ रुपये है।

10.33 वर्ष 2014-15 के दौरान तथा पिछले दो वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान किए गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और व्यावसायिक कोचिंग संस्थाओं की सूची **अनुलग्नकः 10-ख** में दी गई है।

कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की योजना :

10.34 कम साक्षरता वाले पॉकेटों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों हेतु महिला-पुरुष आधारित विशिष्ट योजना की शुरूआत 1993-94 में की गई थी। इस योजना को वर्ष 2008-09 में संशोधन किया गया, जो 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हुई। आवेदन-पत्र सहित योजना के दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.tribal.nic.in पर उपलब्ध हैं।

10.35 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य अभिज्ञात जिलों या ब्लॉकों में जनजातीय लड़कियों का अधिकाधिक संख्या में नामांकन सुनिश्चित करके, विशेषकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों या पीटीजी (पूर्व में आदिम जनजातीय समूह के रूप में ज्ञात) द्वारा निवास क्षेत्रों में, तथा शिक्षा के लिए अच्छा माहौल बनाकर प्रारंभिक स्तर पर बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों में कमी करके सामान्य महिला जनसंख्या तथा जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता स्तर के अंतर को पूरा करना है। इस योजना में वैसे क्षेत्रों जहां 5 कि.मी. की दूरी के भीतर विद्यालय नहीं हैं, वहां विद्यालय एवं छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करा कर अनुसूचित जनजाति की लड़कियों हेतु विद्यालय शिक्षा सुलभ कराए जाने हेतु बल दिया गया है। सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रभावी रूप से भाग लेने हेतु समर्थ बनाने के लिए जनजातीय लड़कियों की साक्षरता दर में सुधार करना अति आवश्यक है।

10.36 कवरेज :

(क) योजना का क्रियान्वयन, जैसा कि संशोधित योजना में बताया गया है, देश के उन 54 विशिष्ट जिलों में किया जा रहा है जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 25 प्रतिशत या इससे अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से कम है।

(ख) उपरोक्त 54 अभिज्ञात जिलों की अपेक्षा जिले में कोई अन्य जनजातीय ब्लॉक जिसमें जनगणना 2001 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत या इससे अधिक है तथा जनजातीय महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से कम है को भी कवर किया गया है।

(ग) इसके अतिरिक्त, इस योजना में ऐसे ब्लॉक स्तर से नीचे के क्षेत्रों (ग्राम पंचायतों) को भी शामिल किया जाता है जहां अधिसूचित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी) निवास करते हैं।

(घ) उपरोक्त सभी क्षेत्रों में से **नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को** प्राथमिकता दी जाती है।

10.37 कार्यान्वयनकारी एजेंसी

(क) इस योजना का क्रियान्वयन स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों और स्वायत्तशासी समिति/राज्य सरकार के संस्थानों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गठित बहु-विषयक **"स्वैच्छिक प्रयासों को समर्थन हेतु राज्य समिति"** (एससीएसवीई) इस योजना के तहत गैर-सरकारी संगठनों की परियोजनाओं की छानबीन तथा पहचान करने के लिए जिम्मेवार है।

10.38 प्रक्रिया एवं निधियन प्रतिमान :

(क) यह लिंग विशिष्ट केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना है तथा इसके लिए मंत्रालय 100 प्रतिशत निधियां प्रदान करता है। निधियां संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की बहुविषयक राज्य स्तरीय समिति की सिफारिश पर निर्धारित आवेदन-पत्र में आवेदन करने वाले (निर्धारित प्रपत्र में) पात्र गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की जाती हैं। संशोधित योजना में निर्धारित समय-सारणी के अनुसार आवेदन-पत्र तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान की सीमा का निर्धारण संशोधित योजना के तहत निर्धारित वित्तीय मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। अनुदानों की संस्वीकृति समय-समय पर संशोधित, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005, के नियम 209 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। अनुदानों की निर्मुक्ति योजना के साथ संलग्न नियम एवं शर्तों के अनुसार की जाती है।

(ख) गैर-सरकारी संगठनों को जारी किये गये अनुदानों के संबंध में अलग से खाता (अकाउंट) खोलने की आवश्यकता होती है, जो सरकार के सभी उचित अधिकारियों एवं एजेंसियों के निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहता है। गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष में एक बार अपने सहायता अनुदान खातों को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षित करवाना होता है तथा जीएफआर 19(क) के तहत निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ लेखा परीक्षित विवरण की प्रतियों का एक पूरा सैट प्रस्तुत करना होता है।

(ग) अनुदान आमतौर पर प्रत्येक वर्ष में जारी किए जाते हैं, परंतु यह अधिकृत अधिकारियों या जिला कलेक्टर द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षण पर आधारित गैर-सरकारी संगठन के संतुष्टिपूर्ण कार्य-निष्पादन तथा राज्य समिति की सिफारिशों के धीन होते हैं। निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक तौर पर प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा यह तारीख सहित जिला कलेक्टर द्वारा यथा प्रतिहस्ताक्षरित होनी चाहिए।

(घ) गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों की निगरानी मंत्रालय या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों के निरीक्षण के अतिरिक्त वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। इसके अलावा, मंत्रालय ने बाह्य निगरानी अभिकरण के माध्यम से सभी गैर सरकारी संगठनों की परियोजनाओं की स्वतंत्र निगरानी का कार्य सौंपने का कार्य आरंभ किया है।

10.39 मुख्य विशेषताएं : जनजातीय लड़कियों की साक्षरता में सुधार करने के लिए एक सुनियोजित ढंग से हस्तक्षेप करने के लिए निम्नलिखित हस्तक्षेप/कार्रवाइयां की गई हैं :

(क) जनजातीय लड़कियों द्वारा नियमित तौर पर मिडिल/ माध्यमिक स्कूलों में दाखिला लेने के लिए ब्लॉक स्तर पर छात्रावास सुविधाएं तथा प्राथमिक स्कूलों में नियमित दाखिले के लिए पंचायत स्तर पर छात्रावास सुविधाएं प्रदान करना।

(ख) केवल छात्रावास सुविधाओं, न कि स्कूल की स्थापना यदि आवश्यक हो तो चरणबद्ध ढंग से की जा सकती है, 100 प्राथमिक स्कूल की लड़कियों के लिए तथा 150 मिडिल एवं उच्च स्कूल की लड़कियों के लिए क्रमशः पंचायत तथा ब्लॉक स्तर पर इनकी स्थापना की जा सकती है। आवश्यक परिस्थितियों में, इनमें शामिल की जाने वाली लड़कियों की संख्या अधिक हो सकती है। छात्रावास एक या अधिक स्थानों पर हो सकते हैं किन्तु, ये पहाड़ी क्षेत्रों में 0.5 कि.मी. तथा मैदानी भू-भाग में 2 कि.मी. से अधिक दूरी पर नहीं होने चाहिए।

(ग) अपवाद-स्वरूप मामलों में, जहां सर्व शिक्षा अभियान

या शिक्षा विभाग की अन्य योजनाओं के तहत संचालित नियमित स्कूल पांच कि.मी. के दायरे में नहीं हैं, वहां छात्रावास के साथ ही स्कूली सुविधाएं प्रदान करने पर भी विचार किया जा सकता है।

(घ) जहां कहीं भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीएस) कार्यरत हैं, वहां इस योजना के तहत 5 कि.मी. के दायरे में कोई छात्रावास नहीं खोला जाएगा।

(ङ) संशोधन पूर्व योजना के तहत पहले से ही स्थापित वे शैक्षिक परिसर, जो संशोधित योजना के बाद 54 नए चिन्हित कम साक्षरता वाले जिलों/या जनजातीय ब्लॉकों के अंतर्गत आते हैं तथा 'कवरेज' शीर्ष के तहत वर्णित मानदण्डों को पूरा करते हैं एवं जो प्राचीन जनजातीय समूह क्षेत्रों में आते हैं, उन्हें निर्बाध रूप से जारी रखा गया है।

(च) कोचिंग/विशेष ट्यूशन के लिए प्राथमिक स्तर की छात्राओं के लिए 100 रुपए प्रति माह तथा मिडिल और माध्यमिक स्तर तक की छात्राओं के लिए 200 रुपये प्रति माह की दर से नकद वजीफा प्रदान किया जाता है।

(छ) दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राथमिक स्तर तक (कक्षा V तक) 100 रुपये प्रति माह की दर से तथा मिडिल एवं माध्यमिक स्तरों (कक्षा VI से XII) तक 200 रुपये प्रति माह की दर से नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

10.40 आवंटन : विगत दो वर्षों में आवंटन तथा व्यय के व्यौरों सहित चालू वर्ष के दौरान किया गया आवंटन तथा व्यय **तालिका 10.2** में दर्शाया गया है :-

तालिका 10.2

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
2012-13	40.00	14.61	7.41
2013-14	40.00	42.00	40.30
2013-14	40.00	35.00	30.55 (31.12.2014 तक)

10.41 उपलब्धि : वर्ष 2014-15 (31.12.2014 तक) के दौरान, 74 शैक्षिक परिसरों के लिए 30.55 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए, जिसमें 6 राज्यों की अनुसूचित जनजाति की 21355 लाभार्थी लड़कियों को कवर किया गया।

10.42 स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों की स्वायत्तशासी समितियों की अंतर सूची जिन्हें इस योजना के तहत वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक वित्तीय सहायता प्रदान की गई, **अनुलग्नक: 10-ग** में दी गई है।

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना (वीटीसी)

10.43 इस योजना के बारे में वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 9 में चर्चा की गई है। वित्तीय मानदण्डों सहित वर्ष 2008-09 के दौरान योजना में संशोधन किया गया था संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी है।

10.44 स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की सूची जिन्हे वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक इस योजना के तहत सहायता-अनुदान प्रदान की गई, **अनुलग्नक: 10-घ** में दी गई है।

10.45 ''अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान'' की योजनाओं को 12वीं योजना अवधि के दौरान जारी रखने के लिए संशोधित किया जा रहा है। ''कम सक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण'', ''अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग'', ''अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण'' की विद्यमान योजनाओं को एक सिंगल विंडो योजना ''अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान'' में मिला दिया गया है। तथापि, ये पूर्व योजनाएं संशोधित योजना के घटक के रूप में जारी रहेंगी

अनुलग्नक:10-क

'अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान' योजना के तहत वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान निधि-पोषित स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची

(राशि रुपये में)

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2012-13	2013-14	2014-15 (31.12.2014 तक)
आंध्र प्रदेश					
1	गुरुकुलाम आंध्र प्रदेश जनजातीय कल्याण आश्रम तथा आवासीय शैक्षिक संस्था समिति, (एपीटीडब्यूएआरईआईएस) तेलुगू संशक्षैम भवन दूसरी मंजिल, मसाब टैंक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय (18 इकाई)	0	23859198	0
2	बापूजी एकीकृत ग्रामीण विकास सोसायटी, गड्डामनुगु, जिला : कृष्णा, आं.प्र.	आवासीय विद्यालय	2176580	0	0
3	एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए ग्राम अभ्युदय सोसायटी, ग्रामीण विकास, छठा वार्ड, कोटा स्ट्रीट, उरवाकोंडा, जिला-अनंतपुर, आं.प्र.	आवासीय विद्यालय	0	1609470	0
4	के.एस.आर. मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर रूरल डेवलपमेंट हाउस न. 2-1-68/ए, बाजार स्ट्रीट, नैदुपेटा टॉउन और मंडल, एसपीएसआर नेल्लोर (जिला) आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	0	2012220	0
5	आर.के.मिशन कोरूकोण्डा रोड, राजामुन्दरी, आंध्र प्रदेश	सचल औषधालय	0	1860119	0
6	श्री लक्ष्मी महिला मंडली, डी.न. 15-155, मिलावरम (वी एंड एम), गडामनुगू, जिला-कृष्णा, आंध्र प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	1301310	0	0
7	सोसायटी फॉर इंटीग्रेटिड रूरल इम्प्रूवमेंट (एसआईआरआई), 7/163-ए, प्रकाश रोड, जिला-अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	3234192	0	0
8	सिम्हापुरी विद्या सेवा समिति एट सोमसेखापुरम, नेल्लोर-जिला, आंध्र प्रदेश	10 - बिस्तरों वाला अस्पताल	1317470	1369899	0
9	चेतनया एजुकेशनल एण्ड रूरल डिवलपमेंट जिला- कूड्डपाह, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	4038435	0	2006775
	कुल		**12067987**	**30710906**	**2006775**

अरुणाचल प्रदेश					
10	अरुणाचल पाली विद्यापीठ चांगखाम, जिला - लोहित, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	0	3804210	3807450
11	बुद्धिस्ट कल्चरल प्रिजरवेशन सोसायटी अपर गाम्पा, पोस्ट/थाना, बामडिला, जिला - वेस्ट कमांग, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0	2247523	2236523
12	सेन्टर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज ग्राम एवं पोस्ट - तवंग, जिला - तवंग, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	0	1580895	1580895
13	महाबोधी मैत्री मंडल, पो./पु. चांगलांग जिला, अरुणाचल प्रदेश	वृद्धाश्रम	43650	0	0
14	आर.के.मिशन नरोत्तम नगर, वाया - देवमाली, जिला - तिराप, अरुणाचल प्रदेश	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (2 इकाई) आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय और 20 बिस्तरो वाला अस्पताल	4519406	13695019	0
15	आर.के.मिशन, पोस्ट-विवेकानंदनगर, एलांग, पश्चिम सियांग जिला, अरुणाचल प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय, 10. बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषध ालय, छात्रावास और दृश्य-श्रव्य इकाई	0	23609080	2882986
16	आर.के.मिशन हॉस्पिटल, पो. रामकृष्ण मिशन, जिला पामपुम्पारे, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, 791113	60. बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषधालय	0	14790305	0
17	रामकृष्ण शारदा मिशन, पो. खोनसा, जिला- तिराप, पिन कोड-786630, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	2292255	3654306	3222459
18	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापूर स्मारक सदन, नई दिल्ली-110055 (मुख्यालय) परियोजना रुपा, आंध्र प्रदेश	छात्रावास	1178550	0	1178550
19	ओजू वेलफेयर एसोसिएशन, नजदीक नहारलगुन, पुलिस स्टेशन, नहारलगुन, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय (प्राथमिक+माध्यमिक)	0	3751290	4646925
	कुल		**8033861**	**67132628**	**19555788**

असम					
20	असम सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट, इन्द्रकांता भवन, कनकलता पथ, पो.ऑ. उलूबारी, गुवाहाटी–781007, असम	सचल औषधालय	0	685350	0
21	भारत सेवाश्रम संघ (गुवाहाटी शाखा) असम, ग्राम गंगानगर, जिला चचार, असम	आवासीय विद्यालय	157500	0	1366650
22	डॉ अंबेडकर मिशन, ग्राम धोपतारि, जिला कामरूप, असम	10- बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषध ालय	6861993	0	0
23	ग्राम विकास परिषद ग्राम– रंगालो, जिला – नौगांव, असम	सचल औषधालय	1370700	0	0
24	पठारी वोकेशनल इंस्टीट्यूट, टॉप फ्लोर, बार लिब्राग, जिला–नौगांव, असम	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द	0	328500	0
25	आर.के. मिशन आश्रम, उलूबारी, गुवाहाटी, असम	छात्रावास, सचल औषध ालय और पुस्तकालय	0	909009	0
26	आर के मिशन सेवाश्रम, आर के मिशन रोड, सिलचर, असम	छात्रावास	0	1728568	0
27	सदाऊ असोम ग्राम्य पुथीभारल सांथा, तेलीपट्टी, चम्साई रोड़, जिला – नौगांव, असम	पुस्तकालय और गैर–आवासीय विद्यालय	0	0	2191500
28	श्रीमंत शंकर मिशन, पो. पानीगांव, पो.– पानीगांव जिला–नौगांव, असम 782001	सचल औषधालय	0	0	704349
29	दयानंद सेवाश्रम संघ, एनईआई, बोकाजन, कार्बी, एंगलोंग, असम (अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, 315, आसफ अली रोड, नई दिल्ली की एक इकाई) (मुख्यालय) का एकक दयानंद सेवाश्रम संघ एनइआई बोकाजन कारबी अंगलॉग, असम, बोकाजन में 2 इकाई, जपारजन तथा दीफू	छात्रावास (4 इकाई)	0	6274989	3124598
	कुल		**8390193**	**9926416**	**7387097**
छत्तीसगढ़					

30	कछाना ध्रुव सेवा एंड कल्याण समिति, गाँव+पो-पांडुका, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़	गैर-आवासीय विद्यालय	0	738180	0
31	नव अभिलाषा शिक्षा संस्थान, ग्राम एवं पोस्ट - बुधवानी, जिला- राजनांदगांव, छत्तीसगढ	आवासीय विद्यालय	1620270	0	0
32	शिवम छात्रावास शिक्षा सेवा संस्थान, सत्य साई बाबा मंदिर, मोठी तालाब, परम जगदालपुर (बस्तर) छत्तीसगढ़ 494661	आवासीय विद्यालय	0	157500	0
33	आर.के.मिशन आश्रम, नारायणपुर, जिला - बस्तर, छत्तीसगढ	6 छात्रावास, 1 जनजातीय युवा प्रशिक्षण केन्द्र और ऑटो मोबाईल इंजीनियरिंग + दिव्यन कृषि प्रशिक्षण तथा सम्बद्ध विषयों की नई परियोजनाएं और सचल औषधलय	0	8628222	4943900
कुल			**1620270**	**9523902**	**4943900**
गुजरात					
34	भारत सेवाश्रम संघ, पोस्ट-डेडियापाडा, जिला-नर्मदा, गुजरात	सचल औषधालय	0	0	706950
35	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर (नावासारी), नावासारी, गुजरात	गैर-आवासीय विद्यालय (सह-शिक्षा), सचल औषधालय (चार)सचल ए.वी. यूनिट	0	5246350	9249800
36	भारत यात्रा केन्द्र पो. डेडियापाड़ा, जिला नर्मदा, पिन-393040, गुजरात	छात्रावास	0	0	2642950
37	इनरेका, रायपीपला रोड, टिम्बापाड़ा, डेडियापाड़ा, जिला नर्मदा -393040, गुजरात	छात्रावास	0	0	1208790
38	पंचमहल आदिवासी विकास युवक मंडल ग्राम- धलसीमल, पोस्ट-मोली, तालुका-झालोड, जिला - झालोड, गुजरात	आवासीय विद्यालय	0	0	1412752
39	श्री जाला राम आरोग्य सेवा ट्रस्ट, पो. मेघराज, जिला साबरकंठा, गुजरात	40 बिस्तरों वाला अस्पताल	0	0	3600000
40	श्री सद्गुरुदेव स्वामी अखण्डानंद मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, बारूमल, जिला-वलसाड, गुजरात	छात्रावास और सचल औषधालय	0	0	1844035
41	श्री स्वामी नारायण एजूकेशन ट्रस्ट, मोल्हापंधा, जिला वलसाड, गुजरात	आवासीय विद्यालय	0	3132540	0
कुल			**0**	**8378890**	**20665277**
हिमाचल प्रदेश					
42	बुद्धिस्ट कल्चरल सोसायटी ऑफ की गाम्पा, पोस्ट - के.गाम्पा, जिला - लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश,	छात्रावास	0	1208475	1329925
43	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन पोस्ट बॉक्स नं. 98, क्लब हाउस रोड मनाली, जिला- कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	0	3173954	3182288
44	इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज इन बुद्धिस्ट फिलॉस्फी एण्ड ट्राइबल कल्चरल सोसायटी, ताबो, जिला - लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	0	4088324	4086633

45	रामधा बुद्धिस्ट सोसायटी, ग्राम एवं पोस्ट – सिद्धपुर, वाया–डारी, नौरबीलिंगा, धर्मशाला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	छात्रावास	0	1219390	1219590
46	रिंचेन झांगपो सोसायटी फॉर स्पीति डेवलपमेंट, स्पीति भवन, तहसील–धर्मशाला योल कैन्ट, जिला – कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	0	5617822	5617995
47	रिंचेन झांगपो सोसायटी फॉर स्पीति डेवलपमेंट, स्पीति भवन, योल कैन्ट, तहसील धर्मशाला, जिला – कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय ग्राम काजा तह, जिला स्पीति, लाहौल स्पीति	157500	0	1637613
कुल			**157500**	**15307965**	**17074044**
जम्मू और कश्मीर					
48	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल सोसायटी, ग्राम–गुलाबगढ़ पोस्ट – अठौली, जिला – डोडा, जम्मू व कश्मीर	आवासीय विद्यालय	0	1849380	4035911
	कुल		**0**	**1849380**	**4035911**
झारखंड					
49	भारत सेवाश्रम संघ (पाकुर), ग्राम एवं पोस्ट+जिला – पाकुर, झारखंड	आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	1057350	2110700	2114700
50	भारत सेवाश्रम संघ (सोनारी), सोनारी (वेस्ट) रिवर्स मीट रोड, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर, रिवर्स मीट रोड, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर, पिन– 831011, झारखंड	सचल औषधालय (3), कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द, केन और बम्बू, ए.वी. यूनिट, कताई तथा बुनाई केन्द्र (2), 20 बिस्तरों वाला अस्पताल (2 इकाई) तथा आवासीय विद्यालय (2 इकाई)	0	12432125	3185057
51	भारत सेवाश्रम संघ, पाथरा, पीओ–रानीश्वर, जिला–दुमका, झारखंड	आवासीय विद्यालय (2), 20 बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषधालय, बुनाई तथा कताई प्रशिक्षण केन्द्र	0	3685036	0
52	भारत सेवाश्रम संघ, (रांची इकाई) बरियातू, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, रांची, झारखंड	आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	1268100	2534324	0
53	आर.के. मिशन मठ ग्राम पोस्ट एवं जिला – जामतारा, पिन–815351, झारखंड	सचल औषधालय	280586	834472	0
54	आर.के.मिशन विवेकानंद सोसायटी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर, झारखंड	छात्रावास, सचल औषधालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, टाइपिंग एवं आशुलिपि केन्द्र, सचल पुस्तकालय–व–ए वी यूनिट	0	1722497	0

55	आर.के.मिशन आश्रम, मोराबादी, रांची, झारखंड	दिव्यन यूनिट, सचल औषधालय, पुस्तकालय, ए.वी. यूनिट	2680037	2672357	5431389
56	आर.के. मिशन टी.बी. सैनेटोरियम, रांची, झारखंड	50 बिस्तरों वाला अस्पताल ग्राम डुंगरी, ब्लॉक नामकुम	810000	0	4201669
57	आर.के. मिशन टी.बी. सैनेटोरियम, रांची, झारखंड	70 बिस्तरों वाला अस्पताल और सचल औषधालय	5753951	4737793	11981430
	कुल		**11850024**	**30729304**	**26914245**
कर्नाटक					
58	आशीर्वाद रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट (आर), के. एच.बी कालोनी जिला– गुडीबाण्डे, कर्नाटक	10 बिस्तरों वाला अस्पताल	1616400	1616400	0
59	भारती एजूकेशनल ट्रस्ट ग्राम – पाथापल्ली, तालुका – बागेपल्ली, जिला – कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1609470	0	3218940
60	डॉ. जचानी राष्ट्रीय सेवापीठ 49, एच.बी. समाज रोड, बासवानगुडी, बंगलौर, कर्नाटक	गैर-आवासीय विद्यालय	0	1363140	0
61	हरिहर ग्रामीण विरूद्धी संघ ग्राम – चिक्काबलपुर जिला – कोलार, कर्नाटक	सचल औषधालय	685350	685350	0
62	कुमुदवती रूरल डेवलपमेंट सोसायटी मकान न. 32, आर.आर. एक्सटेंशन, मधु गिरि-572132, जिला – तुमकुर, कर्नाटक	सचल औषधालय और गैर-आवासीय विद्यालय	0	1647270	0
63	प्रगति रूरल डेवलपमेंट सोसायटी ग्राम एवं पोस्ट-गेराहल्ली, तालुका-चिकबालपुर, जिला-कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1620270	1620270	1620270
64	संत कबीरदास एजुकेशन सोसायटी, सेदाम रोड़, जगत, जिला- गुलबर्गा, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	0	0	1609470
65	श्री मंजूनाथ स्वामी विद्या संस्था, 4206/9, जिला-देवानगिरि, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	0	1546021	1584450
66	श्री स्वामी सर्वधर्म शरणालय ट्रस्ट, रंगपुरा, जिला – तुमकुर, कर्नाटक	गैर-आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	0	0	5153940
67	श्री विनायक सेवा ट्रस्ट, काईवाडा, चिंतास्वामी-तालुक, जिला-कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1576080	0	0
68	स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, कंचनहल्ली, शांति नगर पीओ, हेगादवदेनकोटी तालुक, जिला – मैसूर, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय (2) 10 बिस्तरों वाला अस्पताल (2 यूनिट) और सचल औषधालय	0	8196446	0

69	विवेकानंद गिरिजन कल्याण केंद्र, बी.आर. हिल्स, यालांदुर तालुक, जिला चामराजनगर, पिन-571441, कर्नाटक	सचल औषधालय, 10 बिस्तरों वाला अस्पताल और आवासीय विद्यालय	2358622	0	9443844
	कुल		**9466192**	**16674897**	**22630914**
केरल					
70	मां अमृतामयी मठ अमृत भवन, पारीपल्ली, जिला - कोलाम - 691574 (केरल)	छात्रावास और 10-बिस्तरों वाला अस्पताल	0	0	3380371
71	श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम, पोस्ट - कलाडी, जिला - एरनाकुलम, केरल	छात्रावास	0	1352425	0
72	स्वामी निर्मलानंद मेमोरियल बालभवन, श्री रामकृष्ण आश्रम कयामकुलम, 690502, जिला अल्पाज़ पूजा, केरल	छात्रावास	0	0	939036
73	स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन, विवेकानन्द नगर मूतिल, जिला-वयानाड, केरल	सचल औषधालय और 20 बिस्तरों वाला अस्पताल	2066993	675050	2772493
74	वनवासी आश्रम ट्रस्ट, एट-पेरिया - 34 पोस्ट- पेरिया, जिला - वयानाड, केरल	आवासीय विद्यालय	2731770	2826270	2815470
75	विनोबा निकेतन पोस्ट - विनोबा निकेतन, जिला-तिरुअनन्तपुरम, केरल	छात्रावास और सचल औषधालय	1083065	2169258	0
76	वयांड गिरिजन सेवा ट्रस्ट, मटिलायम पो. वीलामुंडा (विया) वयांडा, जिला केरल-670731	आवासीय विद्यालय	382500	0	0
	कुल		**6264328**	**7023003**	**9907370**
मध्य प्रदेश					
77	अमरपुर बाल विकास विद्यामंदिर, पो. अमरपुर, जिला-डिंडोरी, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	0	2152200	0
78	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, सरदारपुर, कुकशी, धार, मध्यप्रदेश, (भारतीय आदिम जाति सेवक संघ इकाई, ठक्कर बापुर, स्मारक सदन, नई दिल्ली-110055)	आवासीय विद्यालय	1261272	0	0
79	हितेश्री सामाजिक सांथा, एमआईजी-30/4बी, साकेतनगर, भोपाल, मध्य प्रदेश	सचल औषधालय	0	1474416	0
80	जन कल्याण आश्रम समिति, ग्राम सिधपुर, (डोभ), पो. सेमिरि हरिचंद, तहसील बबाई, जिला हौशंगाबाद, मध्यप्रदेश	आवासीय विद्यालय	1213048	0	0
81	मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, 166 ई. उज्जैन, म. प्र.	आवासीय विद्यालय	0	0	3292173
82	एम.पी. वनवासी सेवा मंडल, तिकारिया, जिला-ढिंढोरी, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	1203764	1160500	0

83	दिनदयाल रिसर्च इंस्टीच्यूट, 7 ई, रामतीरथ नगर, नई दिल्ली (मुख्यालय), सतना परियोजना (मध्यप्रदेश)	आवासीय विद्यालय	1667387	1693202	0
84	युवक कल्याण सेवा प्रशिक्षण संस्थान, गांव रांगरी (ठोका), अनंगगांव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	आवासीय विद्यालय (सैकेंडरी)	1708830	0	0
	कुल		**7054301**	**6480318**	**3292173**
MAHARASHTRA					
85	जय हिन्द मित्र मंडल, कोलहा, जिला फुलबानी, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय विद्यालय	0	2228680	0
86	खांडेराव एजूकेशन सोसायटी, बसार, जिला - धुले, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय विद्यालय प्राथमिक विद्यालय और अवासीय विद्यालय	4860810	0	3240540
87	रेनुका देवी शिक्षण प्रसारक मंडल, कुकाणे, मालेगांव, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय प्राथमिक विद्यालय (वर्ष 2013-14 से आवासीय विद्यालय)	1929780	0	1615640
88	शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडल, तकली, जलगांव, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	3145135	0	0
89	श्री सांइनाथ एजूकेशन सोसायटी, प्रतापपुर, तालुका तालोडा, नंदुरबार, (महाराष्ट्र)	छात्रावास	1219590	0	2417805
90	श्री स्वामी स्वयं सेवा भावी संस्था, गणेश पुर, जिला धुले महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	1614870	0	1615679
91	सिद्धकला शिक्षण प्रसारक मंडल, नंद गांव तालुका नंद गांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र	आवासीय प्राथमिक विद्यालय	1620270	0	1616670
92	उज्ज्वल रूरल डेपलेपमेंट सोसायटी, पोस्ट नवाड़े, तालुका सिंधखेड़ा, जिला धुले, महाराष्ट्र	छात्रावास	2376170	0	1215497
93	यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नजदीक राधिका होटल, विष्णुवादी, बुल्दाना, जिला बुल्दाना, महाराष्ट्र	10 बिस्तरों वाला अस्पताल	0	1616400	1616400
94	चंदराई महिला मंडल, पो. पिम्पलनेर, जिला धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	1598670	0	1788570
95	तापी परिसर एजुकेशन एण्ड कल्चर्ल ट्रस्ट, एटी-नेवाडे, जिला-धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	1593270	0	1615770
96	राजमाता शिक्षण प्रसारक मंडल, एटी-दथान, तहसील-अस्थि, जिला-बीड, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	3188183	1502217	1607747

97	स्व. यशवंत बलि राम पाटिल शिक्षण प्रसारक मंडल, तलाई, तहसील इरनडोल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	0	934798	1347057
	कुल		**23146748**	**6282095**	**19697375**
मणिपुर					
98	आदिमजाति शिक्षण आश्रम, चिंगमिरोंग खोंगनांग अनिकारक, डीएम रोड, इम्फाल पश्चिम, इम्फाल, मणिपुर-795001 (भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापुर समारक सदन, नई दिल्ली-110055 की इकाई, इम्फाल मणिपुर की शाखा)	छात्रावास	1918535	0	987143
99	चिलचिल एशियन मिशन सोसायटी चैम्स कैम्पस कांगला टांबी, जिला सेनापति मणिपुर	छात्रावास	1748580	1762830	2638800
100	क्रिश्चन ग्रामर स्कूल (चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर) ग्रीन हिल्स तामींगलोंग मुंख्यालय पिन-795141, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	3542940	1771740	1771470
101	इन्टीग्रेटेड एजूकेशनल सोशल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन पूर्वी इम्फाल, मणिपुर	गैर-आवासीय विद्यालय	1162890	1162890	0
102	इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एण्ड एजूकेशनल आर्गेनाइजेशन वांगबाल, पोस्ट - थाऊबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय (2 यूनिट)	1620270	3629993	3633233
103	सियामसिनपाल्पी, (पाइटे स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) एसएसएसपी कॉम्पलेक्स बूंगनूअल पोस्ट बॉक्स नं 99 जिला-लमका, पिन- 795128, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	0	6235470	6096150
104	टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट सर्विस,थाउबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	1620270	1620270	0
105	यूनाइटेड रूरल डेवलपमेंट सर्विस (यूआरडीएस) मुख्यालय हीरोक, हीतूपोक्पी जिला - थाउबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	0	1620270	1620270
106	वालंटियर्स फॉर रूरल हेल्थ एण्ड एक्शन (वी ओ आर एच ए) लैमडिंग, वांगजिंग, मणिपुर	सचल औषधालय, टाइपिंग तथा आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र	929430	929430	0
107	टीयर फंड इंडिया कमेटी ऑन रिलिफ एंड रिहेबिलिटेशन सर्विस (टीएफआईसीओआरआरएस) चिंमटूंग वेंग डोरकास्ट रोड, न्यू लमका,जिला-चराचंदपुर, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	0	2648520	2702520
	कुल		**12542915**	**21381413**	**19449586**

मेघालय					
108	आर.के.मिशन, लाइथुमखूट. पो. बॉक्स-9, ब्लॉक/मंडल-शिलांग, पो. शिलांग-793003 जिला पूर्वी खासी हिल्स, मेघालय	छात्रावास, सचल औषधालय और पुस्तकालय (2 यूनिट)	829365	2448485	0
109	आर.के.मिशन आश्रम, चेरापूंजी, जला - ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय	62 एलपी तथा एमई/ माध्यमिक विद्यालय, छात्रावास और गैर-आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 2 छात्रावास, 3 सचल औबधालल, सीटीसी, पुस्तकालय, सचल ए-वी-यूनिट, कनई तथा बुनाई	28520555	83343266	67215218
	कुल		**29349920**	**85791751**	**67215218**
मजोरम					
110	मिजोरम मिथाई एसोसिएशन, मर्सी विला, 10-ए, अपर रिपपब्लिक रोड, आईजोल-796012 मिजोरम	आवासीय विद्यालय तथा सचल औषधालय	0	1775790	1775790
111	सोशल गाइडेंस एजेंसी, 6ठा तल, ललत चैम्बर, निकट सोलोमन कैब, तुईक्वल, 'ए' आइजोल-796001 मिजोरम	सचल औषधालय	0	700533	689040
112	थुकटक ननपुईतु टीम, मुआना वेंघ, जुआंगतुई आईजोल-796017 मिजोरम	आवासीय विद्यालय	0	1550340	1574730
	कुल		**0**	**4026663**	**4039560**
नागालैंड					
113	दयानंद सेवाश्रम संघ दीमापुर, की एक इकाई नागालैंड, (अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ , 315, आसफ अली रोड, नई दिल्ली की एक इकाई, दीमापुर, (मुख्यालय) परियोजना नाहरवाड़ी, जिला दीमापुर नागालैंड	छात्रावास	0	0	1447560
114	नागालैंड चिल्ड्रन होम, दीमापुर, पो. बॉक्स नं. 10, पिन-797112, जिला दीमापुर नागालैंड	छात्रावास	0	1050361	1042882
	कुल		**0**	**1050361**	**2490442**
दिल्ली					
115	भारत सेवाश्रम संघ (दिल्ली) श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र और छात्रावास	735565	0	0
	कुल		**735565**	**0**	**0**

ओडिशा					
116	आदिवासी सोशल एण्ड कल्चरल सोसायटी, पोस्ट - कुचिण्डा, जिला - सबलपुर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	0	0	1610594
117	अरुण इंस्टीटड्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स, ग्राम- अस्वखोला, पोस्ट - कारामुल, जिला - देनकेनाल, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1864170	0	1907370
118	एशोसिएशन फॉर वोल्यूंटरी एक्शन (एवीए), दीमापुर, जिला – पुरी, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	0	1824752	0
119	बनवासी सेवा समिति, पो. बलिगुडा, जिला कंधमाल, पिन 762103, ओडिशा	छात्रावास	2318580	0	0
120	बांकी आंचलिक आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद, बांकी जिला-कटक, उड़ीसा	छात्रावास और क्रेच केन्द्र (5 यूनिट)	0	0	2439180
121	भैरवी क्लब, लखनपुर, पो सरंगधरपुर, वाया रानपुर, जिला नयागढ़, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	0	1620270	1620270
122	कटक जिला हरिजन सेवा संस्कार योजना, हलादीबसाता बंस्ता, जिला - केन्द्रापारा, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1609470	0	0
123	नेहरू सेवा संघ बानपुर, जिला - खुर्दा, उड़ीसा	छात्रावास	0	1617525	0
124	निखिल उत्कल हरिजन सेवा संघ नीलाद्री विहार, सलाश्री विहार, भुवनेश्वर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय (माध्यमिक)	0	2245095	2245095
125	उड़ीसा सर्वोदय परिषद, सर्वोदय आश्रम, पोस्ट न्यूपाडा, जिला न्यूपाडा, उड़ीसा-766105	छात्रावास	0	0	2370060
126	उड़ीसा सोशल रूरल टेक्नोलोजी इंस्टीट्यूट, जिला कटक, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय (माध्यमिक)	0	1788993	0
127	आर.के.मिशन विवेकानंद मार्ग, भुवनेश्वर, उड़ीसा	छात्रावास और पुस्तकालय	0	1999530	0
128	आर.के.मिशन, पुरी, उड़ीसा	छात्रावास, सचल औषधालय टाईपिंग तथा आशुलिपि प्रशिक्षण केंद	1065285	0	1065285
129	राष्ट्रीय सेवा समिति 9, ओल्ड हुजूर ऑफिस बिल्डिंग, तिरुपति, आंध्र प्रदेश (मुख्यालय) परियोजना(पदवा, जिला कौरापुट), उड़ीसा	उड़ीसा में सचल औषधालय	1404062	0	0

130	सेवा समाज पोस्ट गुनुपुर, जिला- रायगाडा, उड़ीसा	छात्रावास	1214773	1054494	1127790
131	श्री आर.के.मिशन आश्रम पो.- रामपुर, कालाहांडी, उड़ीसा	छात्रावास, कृषि एवं सम्बद्ध विषय में प्रशिक्षण और सचल औषधालय	6803460	0	6803460
132	विश्व जीवन सेवा संघ सरधपुर, खुर्दा, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	0	2820690	2817180
133	भारत सेवाश्रम संघ (जमशेदपुर ब्रांच), सोनारी (वैस्ट), रिवर्स मीट रोड, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर, पिन 831011, झारखंड (मुख्यालय)	आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय (2 यूनिट) 10-बिस्तरों वाला अस्पताल और बुनाई, कताई तथा हेंडलूम प्रशिक्षण केन्द्र	0	7250397	0
134	लक्ष्मी नारायण सेवा प्रतिष्ठान, तालुका - मनसापोल, जिला – जाजपुर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	0	0	3218940
135	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ओडिशा स्टेट ब्रांच, एचआईजी-116, कानक बिहार, फेज-1, पटिया, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-31 (भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ल-110055 का एक युनिट)	ओडिशा में 3 छात्रावास, सरत, सुबुदीबांध, चंद्रपुर, जिला-मयुरभंज	0	0	1749015
136	सोशल बेलफेयर एंड रूरल डवलपमेंट (एसडब्लूएआरडी) बाली जोरांदा, पोस्ट बेनरिया, वाया महीनगढ़ी, जिला-घेनकेनाल, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	2025270	0	0
	कुल		**18305070**	**22221746**	**28974239**
राजस्थान					
137	वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली, पो वनस्थली विद्यापीठ, तहसील नेवाई, जिला - टोंक, पिन 304022, राजस्थान	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह सहित पूर्वोत्तर की अनुसूचित जनजाति लड़कियों हेतु वजीफा योजना	0	0	5142300
138	मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति, हिंटा पोस्ट भिंडेर जिला – उदयपुर, राजस्थान	आवासीय विद्यालय	0	0	1579230
139	श्रद्धालय आश्रम समिति सूरजपोल, कोटा, आदर्श नगर, रावाभाटा, जलिा चित्तौड़गढ़, राजस्थान	आवासीय विद्यालय	0	0	1609470
	कुल		**0**	**0**	**8331000**
SIKKIM					
140	हयूमन डिवलपमेंट फाउंडेशन, जीआरबीए रोड, चोगने तार, गंगटोक, पिन कोड -737 101, सिक्किम	आवासीय विद्यालय तथा छात्रावास	0	0	2564384

141	मुयाल लियांग ट्रस्ट योंगड़ा हिल्स, डी.पी.सी.ए., ड्रेकचुंग-जोंग-737113 गंगटोक, सिक्किम	आवासीय विद्यालय	0	2829000	0
	कुल		**0**	**2829000**	**2564384**
तमिलनाडु					
142	न्यू लाइफ एजेंसी फॉर ट्राइबल पीपुल अपलिफ्टमेंट (एनएटीपीयू), जिला वेल्लोर, तमिलनाडु, पिन-632009	छात्रावास	0	1103348	1181354
143	ग्राम्या मक्कल अभिविरूधी इयाकम (जीएमएआई) पुनथोटटम, पोस्ट कोयम्बटूर, तमिलनाडु	10 विस्तरों वाला अस्पताल सचल औशधालय	2330550	2330550	2328165
	कुल		**2330550**	**3433898**	**3509519**
तेलंगाना					
144	सरोजनी देवी हरिजन महिला मंडली 11-10-635/1, बुरहानपुरा, जिला खम्मम, तेलंगाना-507001	आवासीय विद्यालय	0	0	2375010
145	जीयर एजुकेशनल ट्रस्ट गंग महल कालोनी, दोमलगुडा, हैदराबाद, तेलंगाना	आवासीय विद्यालय	0	2372423	0
	कुल		**0**	**2372423**	**2375010**
त्रिपुरा					
146	बहुजन हिताय एजुकेशन ट्रस्ट पोस्ट विष्णुपुर मणिबंकुट स्वरूप, त्रिपुरा	आवासीय विद्यालय	1579230	0	0
147	खुमपुई बुरूई बोडोल, ग्राम नवचन्द्र ठाकुर पराट, पो कमलघाट, जिला पश्चिम त्रिपुरा (हतकाटा परियोजना, ब्लॉक पदमाबिल, जिला पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा)	कताई/बुनाई, हथकरघा प्रशिक्षण केन्द्र	0	107370	0
148	त्रिपुरा आदिवासी महिला समिति, सलकामा, 9/4, कृष्णानगर, त्रिपुरा	आवासीय विद्यालय	1715281	0	1715310
	कुल		**3294511**	**107370**	**1715310**
उत्तर प्रदेश					
149	सर्वेन्ट ऑफ इंडिया सोसायटी, 846, शिवाजी नगर, पुणे, पिन-411001, महाराष्ट्र, (मुख्यालय) लखीमपुर में परियोजना	छात्रावास (4 यूनीट) आवासीय विद्यालय	0	1683981	2843909
	कुल		**0**	**1683981**	**2843909**
उत्तराखंड					
150	अशोक आश्रम पोस्ट - अशोक आश्रम, वाया - डाक पत्थर, देहरादून, उत्तराखंड	आवासीय विद्यालय	2857243	3035707	0

151	इनफारमेशन टेक्नालॉजी इंस्टीट्यूट फॉर ट्राइब्स ऑफ इंडिया पो. झाजरा, प्रेमनगर, देहरादून, उत्तराखंड (झाजरा, ब्लॉक साहसपुर जिला देहरादून में परियोजना)	आवासीय विद्यालय	0	0	225000
152	समग्र ग्रामीण विकास समिति, पी.ओ. पोस्ट ग्वालदान, जिला चमोली, उत्तराखंड	सचल औषधालय	0	1413900	0
153	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, कलसी, जिला देहरादून, उत्तराखंड	दो छात्रवास (कनिष्ठ जाम प्रथमिक)	0	0	8513133
154	सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसायटी, पुणे महाराष्ट्र (मुख्यालय) बीजापुर, उत्तराखंड,	छात्रावास और आवासीय विद्यालय	0	4574695	0
	कुल		**2857243**	**9024302**	**8738133**
पश्चिम बंगाल					
155	भारत सेवाश्रम संघ, (औरंगाबाद), पोस्ट औरंगाबाद, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास और सचल औषधालय	3412530	0	2981655
156	भारत सेवाश्रम संघ (बलुरघाट), बलुरघाट, जिला दक्षिण दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल	छात्रावास, (6 यूनिट) पुस्तकालय और सचल पुस्तकालय -सह-ए. वी. यूनिट	0	14547200	0
157	भारत सेवाश्रम संघ, (बेलडंगा), बेलडंगा जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय (2 यूनिट) सचल औषधालय, 10 बिस्तरों वाला अस्पताल और टाइपिंग-आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र	0	11519709	0
158	भारत सेवाश्रम संघ (मुलुक) वाया बोलपुर, जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय (2 यूनिट) बुनाई/कताई तथा हेंडलूम प्रशिक्षण केन्द्र	4449330	0	4315124
159	भारत सेवाश्रम संघ (सुरी), जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल	छात्रावास और सचल औषधालय	0	3666630	0
160	भारत सेवाश्रम संघ (डोकरा) गांव-पो. डोकरा, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और आवासीय विद्यालय	0	0	2247364
161	भारत सेवाश्रम संघ, पो. बहरामपुर, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	0	0	1394638

162	भारत सेवाश्रम संघ (घाकसोल), घाकसोल यूनिट, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	1981800	0	1826250
163	भारत सेवाश्रम संघ (हुगली), गांव पांजीपुरकुमर, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल	छात्रावास और पुस्तकालय	1429650	0	1301850
164	भारत सेवाश्रम संघ, ग्राम कुसुरिया, पो. प्रीतिनगर, जिला नाडिया, पश्चिम बंगाल (रंग घाट पयराडंगा ब्रांच) (नादिया),	आवासीय विद्यालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, टाइपिंग और सचल औषधालय	3600805	0	3514005
165	भारत सेवाश्रम संघ (पुरुलिया), पोस्ट/जिला पुरुलिया, पश्चिम बंगाल	छात्रावास, और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	1563210	0	0
166	भारत सेवाश्रम संघ (रायगंज), रायगंज, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय	706950	0	706950
167	भारत सेवाश्रम संघ (ताजपुर), ताजपुर यूनिट, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	1981800	0	1860300
168	भारत सेवाश्रम संघ (टियोर) गांव+पोस्ट टियोर, जिला दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	0	2356050	2362050
169	भारत सेवाश्रम संघ (कुनोर), गाँव/पो. कुनोर, जिला उत्तर दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	1306530	0	1185030
170	बिरसा मुंडा एजूकेशन सेंटर ग्राम- क्रांति, पोस्ट- क्रांति हाट, जिला - जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	2988630	0	0
171	गोहालडिहा जाति उपजाति ब्लू बर्ड, वूमैन वेलफेयर सेंटर, गोहालडिहा, जिला - मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	0	0	4919040
172	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एशोसिएशन, बुद्ध केंद्र, सालूगाड़ा, जिला जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल-734318	गैर-आवासीय विद्यालय	0	924390	914490
173	प्रणब कन्या संघ, प्रणब पैली, पोस्ट- कोरा चण्डीगढ़, मधयम ग्राम, जिला - नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल, पिन-743298	छात्रावास	0	1442579	0
174	आर.के.मिशन ब्वायेज होम, रहारा, जिला-नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल	छात्रावास-सह-आवासीय विद्यालय	0	1600830	1600830
	कुल		**23421235**	**36057388**	**31129576**
		कुल योग	**180888413**	**400000000**	**341486755**

अनुलग्नकः 10-क का राज्यवार सारांश

'अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान' की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त निधियो के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य का नाम	2013-13	2013-14	2014-15 (31.12.2014 तक)
1	आंध्रप्रदेश	12067987	33083329	2006775
2	अरुणाचल प्रदेश	8033861	67132628	19555788
3	असम	8390193	9926416	7387097
4	छत्तीसगढ़	1620270	9523902	4943900
5	गुजरात	0	8378890	20665277
6	हिमाचल प्रदेश	157500	15307965	17074044
7	झारखंड	11850024	30729304	26914245
8	जम्मू और कश्मीर	0	1849380	4035911
9	कर्नाटक	9466192	16674897	22630914
10	केरल	6264328	7023003	9907370
11	मध्य प्रदेश	5386914	6480318	3292173
12	महाराष्ट्र	23146748	6282095	19697375
13	मणिपुर	12542915	21381413	19449586
14	मेघालय	29349920	85791751	67215218
15	मिजोरम	0	4026663	4039560
16	नागालैंड	0	1050361	2490442
17	ओडिशा	18305070	22221746	28974239
18	राजस्थान	0	0	8331000
19	सिक्किम	0	2829000	2564384
20	तमिलनाडु	2330550	3433898	3509519
21	तेलंगाना	-	-	2375010
22	त्रिपुरा	3294511	107370	1715310
23	उत्तराखंड	2857243	9024302	8738133
24	उत्तर प्रदेश	1667387	1683981	2843909
25	पश्चिम बंगाल	23421235	36057388	31129576
26	दिल्ली	735565	0	0
	कुल योग	**180888413**	**400000000**	**341486755**

अनुलग्नक:10-ख

वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त अनुदान

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालय/निजी संस्थानों के नाम		2012-13	2013-14	2014-15 (as on 31.12.2014)
			निर्मुक्त राशि	निर्मुक्त राशि	निर्मुक्त राशि
(क) पेशेवर कोचिंग संस्थान					
1	**दिल्ली**	दिल्ली एजुकेशन सेंटर, 28ए/11, जीआ सराय, आईआईटी के पास, हौज खास, दिल्ली-110016 (दिल्ली के लिये)	7.13	0.00	0.00
2	**गुजरात**	एमटी एजुकेयर प्रा.लि. 101/102, सत्यम मॉल, नियर कामेश्वर हाई स्कूल, स्टेरेल्लिटी अहमदाबाद-380015	0.00	12.97	0.00
3	**केरल**	सेशन ऐकडमी पट्टम, तिरूवनंतपुरम, केरल	13.95	2.75	0.00
4	**मणिपुर**	वालुनटियर्स फॉर, रूरल हेल्थ एण्ड एक्शन (वोहरा), हेड ऑफिस लेमडौंग, जिला थाउबाल, मणिपुर	11.78	14.84	0.00
		कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सेंटर, एमआई रोड, थाउबाल अचौबा, जिला थाउबाल, मणिपुर	12.20	0.00	0.00
5	**मध्य प्रदेश**	कोठारी इंस्टीच्यूट, 7, शिलवासा पैलेस, राजवाड़ा चौक, इंदौर, मध्यप्रदेश	0.00	21.32	0.00
6	**राजस्थान**	एनएसए कृषि समिति, डी-23, जगनपथ, चौमु हाऊस, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-30200, राजस्थान	0.00	17.00	0.00
		उत्कर्ष विकास समिति, 265 विश्वकर्मा नगर, महारानी फार्म, दुर्गापुर, जयपुर-302018, राजस्थान	0.00	17.70	0.00
		बीएल सैनी कोचिंग सैन्टर, टोंकफाटक, जयपुर, राजस्थान-302018, राजस्थान	0.00	31.84	0.00
	कुल योग		**45.06**	**118.42**	0.00

अनुलग्नक:11-ख का राज्यवार सारांश

अनुसूचित जनजातियों के लिए
कोचिंग की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे

(yk[k #i;s esa

क्र.सं.	राज्य का नाम	2012-13	2013-14	2014-15 (31.12.2014 तक)
1	दिल्ली	713000	0	0
2	गुजरात	0	1297000	0
3	केरल	1395000	275000	0
4	मध्य प्रदेश	0	2132000	0
5	मणिपुर	2398000	1484000	0
6	राजस्थान	0	6654000	0
कुल		**4506000**	**11842000**	**0**

अनुलग्नक:10-ग

2012-13 से 2014-15 के दौरान 'कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण' की योजना के तहत निधि पोषित संगठनों की राज्य-वार सूची

(राशि रूपये में)

क्र.सं.	पते सहित एनजीओ/वीओ का नाम	2012-13	2013-14	2014-15 (as on 31.12.2014)
आंध्र प्रदेश				
1	आंध्र प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर आश्रम एण्ड रेजीडेंसियल एजूकेशन इंस्टीट्यूशन सोसायटी, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) **(31 इकाई)**	0	0	5207920
	कुल	**0**	**0**	**5207920**
अरुणाचल प्रदेश				
2	भारत सेवाश्रम संघ, लखरा रोड, काहिलीपाडा, गुवाहाटी, असम (मुख्यालय) पक्के कसेंग, जिला–वेस्ट कमेंग, अरुणाचल प्रदेश में परियोजना	0	1295053	0
	कुल	**0**	**1295053**	**0**
छत्तीसगढ़				
3	विवेकानन्द इंस्टीट्युट ऑफ सोशल हेल्थ एण्ड वेल्फेयर सर्विस, मां शारदा विद्यामंदिर ओरछा, नारायणपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़	3723818	4407038	3925448
	कुल	**3723818**	**4407038**	**3925448**
गुजरात				
4	गुजरात स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट रेजिडेंशियल एजूकेशन इंस्टीट्यूट सोसायटी (जीएसआईटीडीआरईआईएस), बिरसा मुंडा भवन, गांधीनगर (36 यूनिट)	0	143104706	192194624
5	लोक निकेतन, पोस्ट-रत्नपुर, तालुक-पालनपुर, जिला-बनासकंथा, पिन-385 001, गुजरात	0	2581507	0
6	श्री जीवनदीप एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, शिवरत्न कॉम्पलेक्स, दातर रोड, कादियावाड, जुनागढ़, गुजरात (छात्रावास तलाल, ब्लॉक ताला, जिला जुनागढ़)	0	313250	0
	कुल	**0**	**145999463**	**192194624**
झारखंड				
7	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली (मुख्यालय) लुम्बई में परियोजना	0	0	2373000
8	झारखंड विकास संस्था, एल-104, अरगारा हाउसिंग कॉलोनी, रांची, झारखंड	1846586	0	0
	कुल	**1846586**	**0**	**2373000**
मध्य प्रदेश				
9	आदर्श लोक कल्याण संस्था, जे.आर. बिरला रोड, निकट ज्ञान मंदिर, हायर सेकेंडरी स्कूल, सतना, मध्य प्रदेश (2-शैक्षिक परिसर)	0	5905810	0

10	अमय ग्रामीण उत्थान समिति, 86 चन्द्रशेखर आजाद मार्ग, राणापुर, ब्लॉक राणापुर, जिला-झाबुआ, म.प्र. (छात्रावास परियोजनाएं)	0	1106670	2057295
11	बंधेवाल शिक्षा समिति, 92, पुराना नारियल खेडा, भोपाल -462038 भोपाल, मध्य प्रदेश	0	0	5847170
12	केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति, ग्राम-तिक्रिया, जिला-डिंडोरी, म.प्र. (2-शैक्षिक परिसर)	0	4612000	4611240
13	म.प्र. ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेन्शियल एंड आश्रम एजूकेशलन सोसाइटी, सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्य प्रदेश (13 परियोजनाएं)	0	31172132	18675490
14	म.प्र. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, 166-ई, मुनिनगर, उज्जेन, मध्य प्रदेश	0	2208884	2212127
15	पुष्पा कंवेन्ट एजुकेशन सोसाइटी, पटेल नगर, ब्लॉक गौराडोंगरी जिला, बैतुल-462010, पुष्पा नगर, भोपाल मध्य प्रदेश	0	0	2496430
16	पाण्डेय शिक्षा समिति, गांव बाम्राहा, साथा, मध्य प्रदेश	0	2156000	0
17	राजेंद्र आश्रम ट्रस्ट, ग्राम/पोस्ट काठीवाड़ा, जिला- झाबुआ, म.प्र.	0	2573904	2400248
18	सव्य सांची सेंटर फोर अरबन एण्ड रूरल डेवलपमेंट, पोस्ट अमर निकुंज, अर्जुन नगर, सिद्धी, जिला सिद्धी, पिन-486661, मध्य प्रदेश	0	10728459	0
19	श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवाश्रम, माई की बगिया, अमरकंटक, जिला अनुपुर, पिन-484886, मध्य प्रदेश	0	3817720	1960520
20	मध्यप्रदेश आदिवासी सेवक संघ, जिला-शहदोल, मध्य प्रदेश	0	4312000	0
	कुल	**0**	**68593579**	**40260520**
महाराष्ट्र				
21	चंद्राई महिला मंडल, पिम्पलनेर, तालुका सकरी, जिला धुले, महाराष्ट्र (ग्राम-पंखेड़ा, तालुका-सकरी, जिला धुले, महाराष्ट्र में छात्रावास परियोजना)	375000	1805200	0
22	श्री स्वयं सेवा भावी संस्था, गणेशपुर, तालुका-सकरी, पिन-424310, जिला धुले महाराष्ट्र (छात्रावास परियोजना)	375000	1806200	0
23	नवनिर्माण शिक्षण संस्था, बेब्रातंडा, तहसील-डेगलूर, जिला-नांदेड़, महाराष्ट्र (ग्राम मेंढकी, ब्लॉक-माहोर, जिला-नांदेड, छात्रावास परियोजना)	375000	0	1795200
24	संधि निकेतन शिक्षण संस्था, वड़गाँव, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र	4823849	5862400	0
	कुल	**5948849**	**9473800**	**1795200**
ओडिशा				
25	अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स, अस्वखोला, पोस्ट-करमुल, जिला धेनकनाल, ओडिशा	3583650	3583650	0

26	ब्राइट कैरियर एकाडमी, एट-डोलोमंडप, चंदनबाद एरिया पोस्ट-जेपौर, जिला-कोरापुट, पिन-764001, ओडिशा	3618000	0	3002700
27	कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, उत्कल शाखा, पो.-सत्यभामापुर, जिला कटक, पिन-754200, ओडिशा	2999979	1806800	0
28	कोरापुट डेवलपमेंट फाउंडेशन, लिंगराण नगर, पोस्ट-जैयपोर, जिला कोरापुट, ओडिशा	7080000	0	0
29	लिबरेशन एजूकेशन एण्ड एक्शन फोर डेवलपमेंट (एलईएडी) पोस्ट-जैयपोर, ग्रा. सुन्दरगढ़, जिला कोरापुट, ओडिशा	6023371	0	2823712
30	मर-म्यूनिंग आश्रम, अरबिन्दो नगर, पोस्ट जयपोर, जिला-कोरापुट, ओडिशा	0	2246200	2246200
31	ओडिशा मॉडल ट्राइबल एजूकेशन सोसायटी, भुवनेश्वर, ओडिशा (19 परियोजना)	6906711	137932242	0
32	प्रकल्प, पोस्ट- ज्योतिपुर, जिला-क्योंझर, ओडिशा	4499720	0	4794249
33	सर्वेन्ट ऑफ इंडिया सोसायटी, ग्राम/पोस्ट-रायगाडा, जिला- रायगाडा, ओडिशा	1432865	2173442	0
34	सेवा समाज, पो.-गुनुपुर, जिला रायगडा, पिन 762022, ओडिशा	4023512	0	0
35	सोशल एजुकेशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट (एसईईडी) एन-2/152, आईआरसी गांव, नयापाली, भुवनेश्वर, ओडिशा	2894600	2894600	0
36	सोसायटी फॉर नेचर एण्ड हेल्थ एजूकेशन (एसएनईएच), प्लॉट नं.- एनडी-19-20, आईआरसी गांव, नयापाली, वीआईपी ऐरिया, भुवनेश्वर, ओडिशा (2 शैक्षिक परियोजनाएं)	5867174	5702500	5822500
37	श्री रामाकृष्ण आश्रम, बादारोहिला, पोस्ट-कडालिमुंडा, जिला-आंगुल, पिन-759126, ओडिशा (2 शैक्षिक परियोजनाएं)	3670600	5916300	0
38	टैगोर सोसायटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, ए-47, रामेश्वर पटना, मौसिमा चौक, भुवनेश्वर, ओडिशा	1586638	0	0
39	सर्वोदय समिति, ग्राम/पोस्ट कोरापुटः पिन-764020, जिला कोरापुट, ओडिशा	2999083	0	0
40	होली होम-डाईनमुडां छाक (महाराष्ट्र), पोस्ट-तानवत जिला-नउ पाडा, ओडिशा	5144200	0	0
	कुल	**62330103**	**162255734**	**18689361**
राजस्थान				
41	महावीर जैन विद्यालय संस्थान, 940, हिरन मागरि, सै.न. 4, उदयपुर-313002, राजस्थान	0	3003600	0

42	मेवार शारीरिक शिक्षा समिति, हिन्टा, पोस्ट- भंडर, उदयपुर, राजस्थान	0	3820180	0
43	श्री गोर्वधन विद्या विहार, खडगांव, जिला-डुंगरपुर, राजस्थान (खडगडा, ब्लॉक सगवार, पो.-खगवडा, जिला-डुंगरपुर में छात्रावास)	300000	0	0
44	राजस्थान बाल कल्याण समिति, ग्राम एवं पोस्ट - झाडोल (फलासिया) जिला-उदयपुर, राजस्थान	0	4152800	0
	कुल	**300000**	**10976580**	**0**
तेलंगाना				
45	तेलंगाना ट्राइबल वेल्फेयर रेजिडेन्शियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी (टीटीडब्ल्यूआरईआईएस), हैदराबाद	0	0	41056770
	कुल			**41056770**
	कुल योग	**74149356**	**403001247**	**305502843**

अनुलग्नक:10-ग का राज्यवार सारांश

'कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण'
की योजना के तहत निर्मुक्त की गई निधियों ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	2012-12	2014-14	2014-15 (31.12.2014 तक)
1	आंध्रप्रदेश	0	0	5207920
2	अरुणाचल प्रदेश	0	1295053	0
3	छत्तीसगढ़	3723818	4407038	3925448
4	गुजरात	0	145999463	192194624
5	झारखंड	1846586	0	2373000
6	मध्य प्रदेश	0	68593579	40260520
7	महाराष्ट्र	5948849	9473800	1795200
8	ओडिशा	62330103	162255734	18689361
9	राजस्थान	300000	10976580	0
10	तेलंगाना	-	-	41056770
कुल		**74149356**	**403001247**	**305502843**

vuqyXud%10&?k

वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण की योजना के तहत निधि पोषित गैर सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	संगठन का नाम	2012-13	2013-14	2014-15 (as on 31.12.2014)
असम				
1	डॉ अंबेडकर मिशन, ग्राम-धोपतारि, पो-चंगसारि, पिन-781101, जिला कामरूप, असम	6864000	0	4112000
2	ग्राम विकास परिषद, डाकघर-जुमारमुर, जिला- नौगांव, असम	1944000	4296000	0
3	पठारी वोकेशनल इंस्टीटयूट बार लाइब्रेरी, नौगांव, असम	0	3120000	3120000
	कुल	**8808000**	**7416000**	**7232000**

कर्नाटक				
4	श्री मंजूनाथ स्वामी विद्या संस्था, देवेनगिरि	612000	5388000	3000000
	कुल	**612000**	**5388000**	**3000000**
मेघालय				
5	नोंगक्रेम यूथ डेवलपमेंट एशोसिएशन पी.ओ. - नांगक्रेम, वाया - मैडमरितिंग, शिलांग - 793021	4896000	4896000	3044800
	कुल	**4896000**	**4896000**	**3044800**
नागालैंड				
6	विटोले वूमन सोसायटी, बेलोव पुटोनुओ नर्सिंग होम, नई मार्केट रोड, कोहिमा-797001, नागालैंड	0	0	6096000
7	वूमेन वेलफेयर सोसायटी, पो.-अटोइजु, जून्हेबोटो, नागालैंड	2496000	0	0
	कुल	**2496000**	**0**	**6096000**
तमिलनाडु				
8	भाराथीयार माक्कल नलवालू संघम, 82, सनयासी कुंडु एक्सटेनशन, किचीपालायाम, सलेम-636015	0	9375300	0
	कुल	**0**	**9375300**	**0**
	कुल योग	**16812000**	**27075300**	**19372800**

अनुलग्नक:10-घ का राज्यवार सारांश

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना के तहत निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	2012-13	2013-14	2014-15 (31.12.2014 तक)
1	असम	8808000	7416000	7232000
2	कर्नाटक	612000	5388000	3000000
3	मेघालय	4896000	4896000	3044800
4	नागालैंड	2496000	0	6096000
5	तमिलनाडु	0	9375300	0
	कुल योग	**16812000**	**27075300**	**19372800**

अध्याय 11
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास के लिए कार्यक्रम

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी)के विकास के लिए योजना

11.1 अनुसूचित जनजातियो में कुछ जनजातीय समूह हैं जिनमें घटती हुई या स्थिर जनसंख्या, साक्षरता का निम्न स्तर, कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी है और वे आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। ये समूह हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से एक हैं, क्योंकि वे संख्या में बहुत कम हैं, उन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक विकास का कोई महत्वपूर्ण स्तर प्राप्त नहीं किया है तथा वे सामान्यत खराब अवसंरचना एवं प्रशासनिक समर्थन वाले सुदूर क्षेत्रों में निवास करते हैं। 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में 75 ऐसे समूहों की पहचान की गई तथा उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की राज्यवार सूची **अनुलग्नकः 11-क** पर है। इन्होंने सामाजिक और आर्थिक प्रगति के किसी महत्वपूर्ण स्तर को प्राप्त नहीं किया है तथा सामान्यतया उनका निवास स्थान दूर है जहां प्रशासनिक तथा अवसंरचना आधार खराब है। अतः इसे प्राथमिकता दी जाती है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए और उनका विकास किया जाए और उनकी आबादी के घटते रुझान को नियंत्रित किया जाए।

11.2 उद्देश्य : विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की कमजोरी को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता हैं कि पीटीजी के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय रूप से प्रायोजित तथा राज्य योजनाओं से पर्याप्त धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता है। 1998-99 में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के अनन्य विकास के लिए 100% केन्द्रीय रूप से एक अलग योजना आरंभ की गई। इस बीच ज्ञान और प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर वर्ष 2008-09 में इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधित किया गया।

11.3 कार्यक्षेत्र : इस योजना में अनुसूचित जनजातियों में से केवल 75 अभिज्ञात विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह शामिल किए गए हैं। यह योजना अत्यंत लचीली है तथा यह प्रत्येक राज्य को उन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने मे सक्षम बनाती है, जिन्हें वे अपने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए संगत तथा उनके सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश के लिए उपयुक्त मानते हैं। इस योजना के अंतर्गत आने वाले कार्यकलापों में आवास, भूमि संवितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, पशु विकास, संपर्क सड़कों का निर्माण, प्रकाश संबंधी आयोजन के लिए ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोतों की संस्थापना, जनश्री बीमा योजना सहित सामाजिक सुरक्षा अथवा पीटीजी, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी), के व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अभिप्रेत कोई अन्य नवाचारी कार्यकलाप हैं। इस योजना के अंतर्गत निधियां उन मदों/कार्यकलापों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के जीवन, संरक्षण और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिनके लिए राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना द्वारा अथवा संविधान के अनुच्छेद 275(1) और जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन निधियों के उपयोग को अभिशासित करने वाले दिशानिर्देशों द्वारा विशेष रूप से निधियां प्रदान नहीं की गई हैं। निधियों और कार्यकर्ताओं की सम्मिलन का सामान्य सिद्धांत भी लागू होता है।

11.4 योजना का कार्यान्वयन (संरक्षण और विकास (सीसीडी) योजनाएं): वर्ष 2014-15 के दौरान 2014 में राज्यों के साथ आयोजित परियोजना आकलन समिति की बैठकों में मध्यावधि समीक्षा के रूप में संरक्षण और विकास योजनाओं की समीक्षा की गई थी और उनके अन्तर्गत गतिविधियों को पुनः तैयार किया गया था ताकि उन्हें ओर अधिक संगत तथा पीवीटीजी की आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रियात्मक बनाया जाए। संरक्षण-सह-विकास योजनाओं को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने पांच वर्षो के लिए स्वयं द्वारा किए गए आधारभूत या अन्य सर्वेक्षण से

प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निवास स्थान विकास दृष्टिकोण को अपनाकर तैयार किया था और मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने इन्हें अनुमोदित किया था। संरक्षण-व-विकास योजनाओं में प्रत्येक वित्त वर्ष के वार्षिक प्रावधानों तथा उस कार्यकलाप के कार्यान्वयन में लगाए गए अभिकरण का भी उल्लेख किया जाता है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से यह कहा गया है कि उनके राज्य में पाए गए सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए समानुपातिक रूप से वित्तीय संसाधन प्रदान करने को तथा इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से उपायों को उपयुक्त रूप से शामिल करके कार्यकलापों को किया जाना सुनिश्चित किया जाए। एक ही क्षेत्र में दोहरे हस्तक्षेप से बचा जाए। नवाचारी योजनाओं और प्रक्रियाविधियों के माध्यम से सुपुर्दगी तंत्र को सुदृढ़ किया जाए।

11.5 सीसीडी योजनाओं की जांच और अनुमोदन

एक विशेषज्ञ समिति राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रस्तुत सीसीडी योजनाओं की जांच करती है। विशेषज्ञ समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है :

1. सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय - अध्यक्ष।
2. संबंधित संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय - सह-अध्यक्ष।
3. सलाहकार, योजना आयोग।
4. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
5. पीटीजी के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण से एक विशेषज्ञ।
6. निदेशक (एसजी), जनजातीय कार्य मंत्रालय।
7. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्य को देख रहे निदेशक/ उपसचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
8. निदेशक/उप-सचिव (एनजीओ) - सदस्य-सचिव।

अध्यक्ष को, जब कभी अपेक्षित हो, किसी अन्य अधिकारी (अधिकारियों)/गैर-सरकारी विशेषज्ञ सदस्य (सदस्यों) को सहयोजित करने की स्वतंत्रता है।

11.6 वर्ष 2014-15 (31.12.2014 तक) के दौरान 10 राज्यों अर्थात छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा को परियोजना आकलन समिति के समक्ष चर्चा के आधार पर निधियां निर्मुक्त की गई हैं।

11.7 राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किए जाने वाले कार्यकलापों की अनुसूची और उन्हें जारी रखने तथा पूरे होने के संभावित समय के बारे में सूचना प्रस्तुत करें ताकि परियोजना की प्रगति का अनुवीक्षण कारगर ढंग से किया जा सके। उनसे यह सुनिश्चित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि क्षेत्रीय स्तर पर उपयुक्त सुपुर्दगी तंत्र की व्यवस्था हो और संरक्षण-व-विकास योजनाओं को इस उद्देश्यार्थ राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के पर्यवेक्षण में कार्यान्वित किया जाता है।

11.8 कार्यान्वयन अभिकरण : यह योजना राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विभिन्न अभिकरणों जैसे समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं (आई टी डी पी)/एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों (आईटीडीए), जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) तथा गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से संरक्षण-व-विकास योजनाओं के अनुसार कार्यान्वित की जाती है।

11.9 निधियन पद्धति : यह एक 100% केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। निधियां सीसीडी योजना में किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार एक किस्त में राज्यों/गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त की जाती हैं। गैर-सरकारी संगठनों के पक्ष में निधियां, सीसीडी योजना के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सीधे निर्मुक्त की जाती हैं।

11.10 निगरानी : सीसीडी योजना के कार्यान्वयन की मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा तथा इस प्रयोजन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त की जा सकने वाली स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा निगरानी की जानी अपेक्षित है। मंत्रालय के पास किसी भी समय निगरानी और प्रगति को सुधारने के लिए प्रपत्र अथवा दिशानिर्देश निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को निर्धारित प्रपत्र में जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित होती है। इस रिपोर्ट में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कार्यों को शामिल करना भी अपेक्षित होता है।

12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए ध्यान केन्द्रित करना

11.11 मंत्रालय ने सभी हितधारियों के सहयोग से समग्र सीसीडी योजनाएं तैयार करने के लिए राज्य सरकारों के साथ पहले ही कवायद शुरू कर दी है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पीटीजी समुदायों की आवश्यकताओं तथा

वर्तमान योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित सीसीडी योजनाओं की कमियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक जमीनी स्तर के कार्य करने का सुझाव दिया गया है। सीसीडी योजनाओं के परिणामों के अनुवीक्षणीय होने के साथ उपयुक्त कार्यान्वयन अनुसूची होनी चाहिए। योजनाओं की तैयारी के लिए मंत्रालय द्वारा राज्यों को निम्नलिखित पहलु दर्शाए गए हैं:

- छोटी जनसंख्या वाले पीटीजी तथा वे पीटीजी जिनकी संख्या स्थिर है/घट रही है पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- प्रत्येक पीटीजी के विकास का बैंचमार्क निर्धारित किया जाए तथा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समय अनुसूची तैयार की जाए।
- राज्य/केन्द्र की अन्य योजनाओं के अधिकतम लाभों का उपयोग करना तथा निरूपणाधीन योजनाओं में विभिन्न विभागों से समर्थन प्राप्त करना है।
- स्वास्थ्य, आय सृजन, शिक्षा तथा शिल्प विकास, आवास, सड़क संपर्क, भूमिहीन को भूमि प्रदान करना, भूमि का विकास, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि के केन्द्रित क्षेत्रों पर आवश्यकता आधारित हस्तक्षेपों को शामिल करने के अलावा योजनाओं में प्रबल पोषण पर ध्यान केन्द्रित करना।
- सीसीडी योजनाओं को विभिन्न स्तरों पर निगरानी के लिए अंत:निर्मित तंत्र निर्दिष्ट करना तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीटीजी की निधियों का विपथण नहीं हो रहा है, विशिष्ट कदम उठाना।

11.12 आवंटन : वर्ष 2014-15 के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना के तहत किया गया वार्षिक आवंटन और इस संबंध में किया गया व्यय पिछले दो वर्षों के आवंटन और व्यय के ब्यौरों सहित **तालिका 11.1** में दिए गए हैं:-

तालिका 11.1 : वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 तक आवंटन एवं निर्मुक्तियां

(करोड़ रु. में)

वर्ष	**बजट अनुमान***	**संशोधित अनुमान***	**व्यय***
2012-13	244.00	178.50	178.50
2013-14	244.00	207.00	206.90
2014-15	207.00	180.00	134.45 (31.12.2014 तक)

* पूर्वोत्तर पूल से निधियाँ शामिल हैं।

11.14 वर्ष के दौरान निष्पादन : वर्ष 2014-15 (31.12.2014 तक) के दौरान संरक्षण-सह-विकास (सीसीडी) योजनाओं, के आधार पर 10 राज्यों को 134.54 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है। इस योजना के तहत पिछले दो वर्षों और वर्ष 2014-15 के दौरान इस योजना के तहत निर्मुक्त की गई निधियों का विवरण **अनुलग्नक-11(ख)** में दिया गया है।

अनुलग्नक : 11-क

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों के रूप में ज्ञात) के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार नाम

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीटीजी जनसख्या का नाम
1	आंध्र प्रदेश	1. बोण्डो गाडाबा 2. बोण्डा पोरजा 3. चेचूं 4. डोंगरिया खोण्ड 5. गुटोब गाडाबा 6. खोण्ड पोरजा 7. कोलाम 8. कोण्डा रेड्डी 9. कोण्डोसवारा 10. कुटिया खोंड 11. पारेंगी पोरोजा 12. थोटी
2	बिहार (झारखंड सहित)	13. असुर 14. बिरहोर 15. बिरजिया 16. हिल खारिया 17. कोरवा 18. मल पहारिया 19. परहाइयास 20. सौरिया पहारिया 21. सावर
3	गुजरात	22. काथोडी 23. कोतवालिया 24. पधार 25. सिधि 26. कोलघा
4	कर्नाटक	27. जेनू कुरूबा 28. कोरागा
5	केरल	29. चोलानाइकायन (कट्टूनायकन का एक क्षेत्र) 30. कदार 31. कट्टूनायकन 32. कुरूम्बा 33. कोरागा
6	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	34. अबूझ मारिया 35. बैगा 36. भारिया 37. हिल कोरबा 38. कमार 39. सहरिया 40. बिरहोर

7	महाराष्ट्र	41. कटकारिया(कथोडिया) 42. कोलाम 43. मारिआ गोण्ड
8	मणिपुर	44. मारम नागास
9	ओडिशा	45. बिरहोर 46. बोंडो 47. डिडाई 48. डोंगरिया खोण्ड 49. जुआंग 50. खारिया 51. कुटिया खोण्ड 52. लानजिया सौराव 53. लोधा 54. मनकिडिया 55. पौडी भूयान. 56. साउरा 57. चुकटिया भुंजिया
10	राजस्थान	58. सहरिया
11	तमिलनाडु	59. कट्टू नायकन 60. कोटा 61. कोरूम्बा 62. इरूला 63. पानियान 64. टोडा
12	त्रिपुरा	65. रियांग
13	उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड सहित)	66. बुकसा 67. राजी
14	पश्चिम बंगाल	68. बिरहोर 69. लोधा 70. टोटो
15	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	71. ग्रेट अण्डमानीज 72. झरावा 73. ओन्गेज 74. सेंटेनल 75. शोम पेन

अनुलग्नक 11-ख

वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों के रूप में ज्ञात) के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत राज्यों/गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य/गैर-सरकारी संगठनों/कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम	2012-13	2013-14	2014-15 (31.12.2014 तक)
1	आंध्र प्रदेश	1) आंध्र प्रदेश सरकार	2000.00	3000.00	0.00
2	अंडमान और निकोबार	1) अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	75.00	0.00
3	छत्तीसगढ़	1) छत्तीसगढ़ सरकार	2000.00	1400.00	2212.02
		2) विश्वास, नारायणपुर, जिला बस्तर	6.86	17.12	8.56
		3) रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर, जिला बस्तर	4.83	5.78	3.17
4	गुजरात	1) गुजरात सरकार	700.00	1000.00	775.00
5	झारखंड	1) झारखंड सरकार	630.54	0.00	0.00
		2) भारत सेवा आश्रम संघ, सोनारी, जमशेदपुर	0.00	229.94	221.91
		3) भारत सेवाश्रम संघ, पाकुर, पश्चिम बंगाल	0.00	35.29	0.00
		4) भारत सेवा आश्रम संघ, बाराजुरी,वाया-घाटशिला, झारखंड	8.37	112.98	0.00
		5) भारत सेवा आश्रम संघ, देवगढ़, झारखंड	7.07	0.00	0.00
6	केरल	1) केरल सरकार	0.00	600.00	600.00
7	कर्नाटक	1) कर्नाटक सरकार	659.46	0.00	0.00
		2) स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, हंचिपुरा रोड, सारागुर, ताल- एचडी कोटे, मैसूर जिला, 571121, कर्नाटक	47.91	26.68	0.00
8	मध्य प्रदेश	1) मध्य प्रदेश सरकार	4350.00	4500.00	3500.00

9	महाराष्ट्र	1) महाराष्ट्र सरकार	0.00	2610.00	1900.00
		2) महारोगी सेवा समिति, बरोरा (लोक बिरादरी प्रकल्प), हेमाकक्ष, पीओ-भमरागढ़, जिला-गढ़चिरौरी, पिन-442710, महाराष्ट्र	28.30	0.00	0.00
10	**मणिपुर**	1) मणिपुर सरकार	100.00	100.00	0.00
11	ओडिशा	1) ओडिशा सरकार	3260.00	2000.00	2000.00
12	राजस्थान	1) राजस्थान सरकार	1500.00	700.00	1500.00
13	तमिलनाडु	1) तमिलनाडु सरकार	1400.00	2000.00	0.00
		2) नीलगिरी आदिवासी वेलफेयर एसोसिएशन, कोटागिरी, नीलगिरी जिला,	46.66	26.76	105.23
14	त्रिपुरा	1) त्रिपुरा सरकार	700.00	950.00	619.05
15	उत्तराखंड	1) उत्तराखंड सरकार	400.00	0.00	0.00
16	पश्चिम बंगाल	1) पश्चिम बंगाल सरकार	0.00	1300.00	0.00
		कुल योग	**17850.00**	**20689.54**	**13444.94**

अनुलग्नक 11-ख का राज्यवार सारांश

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों को की गई राज्यवार निर्मुक्तियां

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2012-13	2013-14	2014-15
1	आंध्र प्रदेश	2000.00	3000.00	0.00
2	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	75.00	0.00
3	छत्तीसगढ़	2011.69	1422.90	2223.75
4	गुजरात	700.00	1000.00	775.00
5	झारखंड	645.98	378.21	221.91
6	केरल	0.00	600.00	600.00
7	कर्नाटक	707.37	26.68	0.00
8	मध्य प्रदेश	4350.00	4500.00	3500.00
9	महाराष्ट्र	28.30	2610.00	1900.00
10	**मणिपुर**	100.00	100.00	0.00
11	ओडिशा	3260.00	2000.00	2000.00
12	राजस्थान	1500.00	700.00	1500.00
13	तमिलनाडु	1446.66	2026.76	105.23
14	त्रिपुरा	700.00	950.00	619.05
15	उत्तराखंड	400.00	0.00	0.00
16	पश्चिम बंगाल	0.00	1300.00	0.00
	कुल	**17850.00**	**20689.54**	**13444.94**

अध्याय 12

अनुसंधान, सूचना और जनसंचार

अनुसंधान

12.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय यह मानता है कि जनजातियों से संबंधित सांस्कृतिक, मानव-विज्ञान संबंधी, सामाजिक-आर्थिक तथा संबंधित मुद्दों पर निरंतर अनुसंधान करने की आवश्यकता है। हालांकि, इस प्रकार के अनुसंधान कई संगठनों, यथा-भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों द्वारा किए जा रहे हैं, तथापि जनजातीय कार्य मंत्रालय भी इस प्रकार के अनुसंधानों की, ज्ञान की हिमायत करने के लिए महत्वपूर्ण मानता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुसंधान योजना के निम्नलिखित तीन घटक है: -

1. जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को अनुदान।
2. उत्कृष्टता केन्द्र।
3. अखिल भारतीय स्वरूप अथवा अन्तर्राष्ट्रयी स्वरूप की परियोजनाओं को सहायता। अनुसंधान, मूल्यांकन अध्ययन करने, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं को आयोजित करने तथा जनजातीय मुद्दों से संबंधित साहित्य का प्रकाशन करने के लिये संस्थानों, संगठनों, विश्वविद्यालयों को 100% के आधार पर अनुदान दिए जाते हैं।

जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता अनुदान

12.2 आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट,ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा नामक राज्यों और अंडमान तथा निकाबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्रों में जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई)

माननीय जनजातीय कार्य मंत्री राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव 'वनज 2015' का सेन्ट्रल पार्क कनॉट प्लेस नई दिल्ली में उद्घाटन करते हुए

माननीय जनजातीय कार्य मंत्री राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव 'वनज 2015' का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र नई दिल्ली में उद्घाटन करते हुए

स्थापित किए गए हैं। अविभाजित आंध्र प्रदेश का जनजातीय अनुसंधान संस्थान तेलंगाना में चला गया है और नया जनजातीय अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मंत्रालय के सहयोग से विशाखापत्तनम मे स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

12.3 ये संस्थान राज्य सरकारों को आयोजना संबंधी जानकारी प्रदान करने, अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करने,आंकड़े एकत्र करने, जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के क्षेत्र में चुनौतियों का पता लगाने और उनकी संस्कृति को बढ़ावा देने और संरक्षण करने के काम में लगे हैं। हितधारकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और ज्ञान की हिमायत से कि साक्ष्य आधारित नीति और आयोजना तैयार करने में मदद मिलेगी जो इस योजनाके बल देने वाले क्षेत्र हैं। प्रचलित कानूनों का प्रलेखन प्रशिक्षण करने, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित करने, जनजातीय कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना करना तथा इनसे संबंधित अन्य कार्यकलाप संचालित करने में सहायता करने के कार्य में लगे हुए हैं।

12.4 मंत्रालय, जनजातीय कला, शिल्प एवं वास्तु संस्कृति के संरक्षण हेतु जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की अनुसंधान गतिविधियों के भाग के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थान के प्रांगण में जनजातीय संग्रहालय के निर्माण के लिए भी सहायता देता है।

12.5 वर्ष 2013-14 के दौरान योजना को संशोधित किया गया है और अब ये केवल चुनिंदा कार्यकलापों के लिए केंद्र सरकार से 100% अनुदान वाली केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना बन गई है।

12.6 जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) इस रुप में कार्य करेंगे:

क. जानकारी और अनुसंधान के निकाय के रुप में।

ख. साक्ष्य आधारित नीति, आयोजना और कानूनों का समर्थन।

ग. जनजातीय कार्यों से जुड़े लोगों और कार्मिकों और संस्थानों का क्षमता निर्माण करना।

घ. सूचना के प्रचार-प्रसार और जागरुकता पैदा करने के लिए जिम्मेदार होगा।

संशोधित स्कीम के अनुसार 'जनजातीय द्वारा यात्राओं का आदान/प्रदान' 'जनजातीय उत्सवों का आयोजन' तथा 'राष्ट्रीय जनजातीय अवार्ड' को जनजातीय अनुसंधान संस्थान के क्रियाकलापों में जोड़ दिया गाय है।

12.7 वर्ष 2014-15 के लिए बजट आवंटन 8.50 करोड़ रु. था जिसकी तुलना में 8.01 करोड़ रु. 31.12.2014 तक निर्मुक्त किए गए हैं।

उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई)

12.8 अनुसंधाान संस्थान और संगठन जनजातीय कार्य मंत्रालय से देश के जनजातीय समुदायों के मध्य अल्पकालिक अनुसंधान और विस्तार कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करते रहें हैं। इन अनुसंधान अध्ययनों को नियमित आध ार पर जारी रखने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कठिन चयन प्रक्रिया के माध्यम से निम्नलिखित संस्थानों/संगठनों को देश की जनजातियों के विकास के लिए दीर्घकालिक और नीति आधारित अनुसंधान अध्ययनों के लिए उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में चुना है और मान्यता प्रदान की है ताकि इन्हें इन अध्ययनों में शामिल किया जा सके:-

क. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद।

ख. बी.ए.आई.एफ. विकास अनुसंधान प्रतिष्ठान, पुणे।

ग. भाषा अनुसंधान और प्रलेखन केन्द्र, वडोदरा।

घ. विश्व भारती शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल।

12.9 इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालय विभागों की जनजातीय समुदायों पर गुणवत्तापरक, कार्योन्मुखी और नीति आधारित अनुसंधान करने की सांस्थानिक संसाधान क्षमताओं में वृद्धि करना तथा इन्हें सुदृढ़ करना है। संस्थान/संगठन जिन्हें उत्कृष्ठता केंद्र घोषित किया है उन्हें मंत्रालय द्वारा सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 2014-15 को बजट आवंटन के 334 लाख रूपए के प्रति 154.44 लाख रूपए इन उत्कृष्ठता केंद्रों को 31.12.2014 तक जारी किए गए हैं।

अखिल भारतीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप की सहायक परियोजनाएं

12.10 यह योजना अध्ययन, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं और जनजातीय साहित्य को प्रकाशित करने के माध्यम से जनजातीय मुद्दों और विकास की योजनाओं/कार्यो के बारे में लोगों में ज्ञान का प्रचार-प्रसार करने के लिए इस योजना के अधीन निम्नलिखित गतिविधियों के लिए 100% आधार पर गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

i. अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन,

ii. अनुसूचित जनजातियों के लिए विकासोन्मुख कार्यक्रमों में सहायक कार्यशालाओं/संगोष्ठियों तथा जनजातीय लोगों और उनके क्षेत्रें से संबंधित ज्ञान एवं अनुभव का प्रचार-प्रसार, एवं

iii. जनजातीय विकास से संबंधित साहित्य का प्रकाशन।

12.11 अनुसंधान/मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए विश्व विद्यालयों/संस्थानों/गैर-सरकारी संगठनों को अनुसंधान अध्ययन के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अनुसंधान अध्ययन पर लागत की कोई सीमा नहीं है किन्तु संपूर्ण लागत पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे संस्थानों द्वारा लागू सीमा को ध्यान में रखना होगा। स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है और स्वीकृत राशि को 70 और 30 प्रतिशत की दो किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है।

12.12 संवीक्षा एवं स्वीकृति: परियोजना/प्रस्तावों की संवीक्षा की जाती है और उनका चयन अनुसंधान सलाहकार समिति करती है, जिसमें जनजातीय कार्य/विकास के क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्ति होते हैं और इसका गठन जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में किया जाता है।

12.13 सहायता की प्रमात्र: संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों को निम्नलिखित पद्धति पर अनुदान दिए जाते हैं:

संगोष्ठी/कार्यशाला की अवधि	धनराशि रु. में
एक दिन के लिए	50,000/-
दो दिन के लिए	75,000/-

तीन दिनों के लिए (अपवादात्मक मामलों में जहां क्षेत्रीय दौरे अनिवार्य हैं) 1,00,000/-

12.14 अलिखित जनजातीय लोक कथाओं सहित जनजातीय विकास पर अच्छी पुस्तकें लिखने अथवा अनुवाद करने के लिए प्रमुख लेखकों/रचयिताओं को बढ़ावा देने हेतु, मंत्रालय प्रधिमानतः उस संस्थान को अनुदान प्रदान करता है, जिस से ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं। एक परियोजना/पुस्तक के प्रकाशन के लिए अधिकतम 30,000 रु. की सहायता दी जाती है। निगरानी एवं मूल्यांकन अध्ययन

12.15 वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बजट परिव्यय 50. 00 लाख रु. था।

सूचना और मास मीडिया

12.16 जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय संस्कृति, शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक विकास एवं मंत्रालय की कल्याण योजनाओं सहित जनजातीय जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मीडिया के माध्यम से सूचना प्रसारित करता है। मंत्रालय की अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों को उजागर करने के लिए समय-समय पर समाचार पत्रों में विज्ञापन देता है। मंत्रालय की स्कीमों/कार्यक्रमों के लाभों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक मीडिया मुद्रण मीडिया और लोक जागरूकता के उपयोग के माध्यम से एक प्रभावी और कुशल लोक सेवा आपूर्ति प्रणाली मनाई गई है।

12.17 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 13 से 18 फरवरी, 2015 तक नई दिल्ली में 'वनज' राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आयोजित किया गया। यह तीन स्थानों पर आयोजित किया गया था जिसमें कनाटप्लेस में सेंट्रल पार्क और बाबा खड़क सिंह मार्ग तथा डॉ राजेंद्र प्रसाद रोड इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित किया गया है। इस उत्सव ने लोक नृत्यों, गीतों और अन्य पारंपरिक रीतियों के अनोखे रूप तथा नागरिकों के बीच देश के सांस्कृति विविधिता की सराहना की भावना विकसित करने पर धयान केंद्रित करने के द्वारा देश भर के जनजातीय लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक उपलब्ध करायी।

असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओड़िशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना तथा पश्चिम बंगाल राज्यों से 900 से अधिक कलाकारों और प्रस्तुति कर्ताओं ने संबंधित राज्यों के पारंपरिक नृत्यों और संगीत कार्यक्रमों में भाग लिया। उत्सव की अन्य विशेषताओं में विशिष्ट जनजातीय कुटी, पुस्तकों की प्रदर्शनी, कला और शिल्प, जनजातीय व्यंजन, पुरस्कार प्राप्त फोटोग्राफ तथा चित्रकला शिल्प और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में पारंपरिक कौशल का प्रदर्शन उल्लेखनीय है। डाक्यूमेंट्री फिल्मों का प्रदर्शन और जनजातीय मुद्दों से संबंधित विषयों पर संगोषठियों का आयोजन 6 दिवसीय समारोह के अन्य आकर्षण थे।

यह उत्सव प्रतिवर्ष फरवरी के दूसरे शुक्रवार से तीसरे बुधवार तक आयोजित किया जाएगा।

राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव 'वनज 2015' - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र नई दिल्ली में कला तथा शिल्प प्रदर्शनी की झलकियां

अध्याय 13
पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान

पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय विकास

13.1 योजना आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों को पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के विकास के विशेष कार्यक्रमों के लिए अपने बजट आबंटन में से कम से कम 10% का निर्धारण करना आवश्यक है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसरण में मंत्रालय पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के विकास के लिए निधियों का आबंटन कर रहा है। सामान्यतया कुल बजट आबंटन के 10% से अधिक धनराशि आबंटित की जाती है।

13.2 मंत्रालय विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को अनुदान निर्मुक्त करता है। मंत्रालय ''गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान'' की योजनाओं के तहत कम साक्षरता वाले जिलों में जनजातीय लड़कियों की शिक्षा को सुदृढ़ करने, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए सीधे अनुदान देता है। जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान को छोड़कर, राज्य सरकारों से नए प्रस्तावों की प्राप्ति पर तथा योजनाओं के अंतर्गत धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन सभी योजनाओं के अंतर्गत अनुदान निर्मुक्त किए जाते हैं। मंत्रालय इस विषय पर पूरा ध्यान रखता है कि ऐसी केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को अनुदान निर्मुक्त किया जाए और मंत्रालय न पूर्वोत्तर राज्यों को इन योजनाओं के अंतर्गत बजट आबंटन को कम से कम 10% का प्रवाह सुनिश्चित किया है।

13.3 वर्ष 2012-13 से 2013-14 (31.12.2014 तक) की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत की गई निर्मुक्तियों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक 13-(क)** में दर्शाया गया है। यह सूचना नीचे दी गई **आकृति 13 (i)** में भी दी गई है। केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में की गई निर्मुक्तियां-**आकृति 13 (i)**

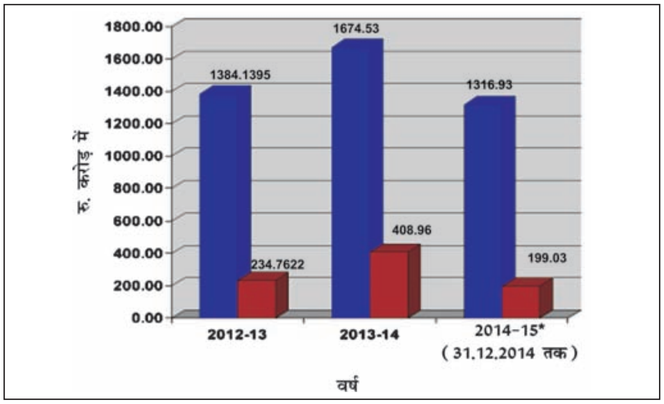

चित्र 13(i) केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में की गई निर्मुक्तियां

13.4 वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन वर्षवार निधियों के प्रतिशत प्रवाह को नीचे दी गई आकृति 13(ii) में दर्शाया गया है:

पूर्वोत्तर राज्यों पर बल

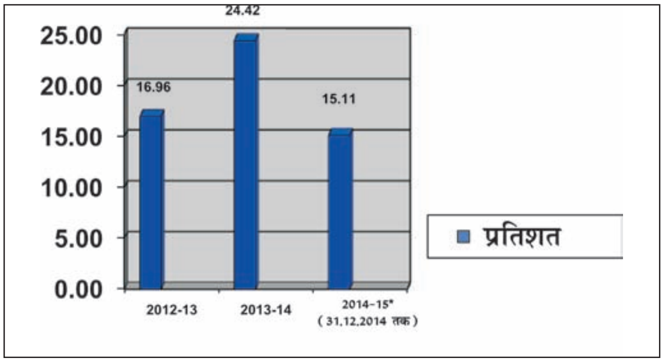

चित्र 13(ii) केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लिए निधियों के प्रवाह की प्रतिशतता

13.5 वित्तीय वर्ष 2014-15 (31.12.2014 तक) के लिए यही आंकड़े **अनुलग्नक 13-ख** में दिए गए हैं।

अनुलग्नक : 13-क

वर्ष 2012-13 से 2014-15 (31.12.2014) के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वर्षवार निर्मुक्तियां

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	2012-13		2013-14		2014-15 *	
		कुल	पूर्वोत्तर	कुल	पूर्वोत्तर	कुल	पूर्वोत्तर
I	केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं	393.1213	22.04	524.68	44.60	446.63	22.12
II	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	991.0182	212.7222	1149.85	364.36	870.30	176.91
	उप जोड़ (I + II)	1384.1395	234.7622	1674.53	408.96	1316.93	199.03
	उपर्युक्त I और II के प्रति पूर्वोत्तर क्षेत्र को निर्मुक्त की गई राशि का प्रतिशत		16.9609		24.42		15.11
III	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	852.5435	82.96	1050.00	106.84	760.73	59.21
IV	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन अनुदान	819.9978	59.44	1097.14	140.04	924.65	54.93
	कुल (I से IV)	3056.6808	377.1622	3821.67	655.84	3002.31	313.17
	उपर्युक्त I से V के प्रति पूर्वोत्तर क्षेत्र को निर्मुक्त की गई राशि का प्रतिशत		**12.3389**		**17.16**		**10.43**

अनुलग्नक 13-ख

वर्ष 2014-15 (31.12.2014 तक) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत निर्मुक्त की गई राशि

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	असम	अरुणाचल प्रदेश	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल	अखिल भारत कुल*	अखिल भारतीय स्तर पर निर्मुक्त राशि में पूर्वोत्तर क्षेत्र की हिस्सेदारी प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
क	**केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाए**											
1	कोचिंग एवं संबद्ध योजना तथा अनुकरण ीय सेवा हेतु पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए एनजीओ को सहायता अनुदान	0.74	1.96	1.94	6.72	0.40	0.25	0.26	0.17	12.44	34.15	36.43
2	**जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण**	0.72	0.00	0.00	0.30	0.00	0.61	0.00	0.00	1.63	1.94	84.02
3	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.56	0.00
4	जनजातीय उत्पादों/उपज का बाजार विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25	0.00
5	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	6.14	19.54
6	**विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) का विकास**											
	एनजीओ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39	0.00
	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19	6.19	131.06	4.72
7	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों को समर्थन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
8	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) एवं एमएफपी की मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.90	0.00

10	विश्व बैंक परियोजना-जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00
ख	**केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं**											
11	निगरानी एवं मूल्यांकन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00
12	सूचना प्रौद्योगिकी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00
13	वन बंधु कल्याण योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00
14	**अनुसंधान सूचना जनशिक्षा, जनजातीय उत्सव तथा अन्य**											
	अनुसंधान प्रशिक्षण (2225)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00
	सूचना एवं मास मीडिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	राष्ट्रीय जनजातीय कार्य पुरस्कार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00
	उत्कृष्टता केन्द्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
	अखिल भारतीय तथा अन्तर्राज्यीय प्रकृति की समर्थनकारी परियोजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	जनजातीय उत्सव का आयोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	जनजातीय लोगों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण-जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान (3601)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	7.66	8.62
	कुल योग	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.66**	**0.66**	**10.47**	6.30
15	राष्ट्रीय समुद्र पारीय छात्रवृत्ति योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00
ख	**केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं**											
16	अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के लिए अम्ब्रेला योजना	16.02	0.02	41.17	4.47	10.91	23.30	64.48	16.54	176.91	870.30	20.33
ग	**ब्लॉक अनुदान**											
17	टीएसपी को विशेष केन्द्रीय सहायता	17.89	22.03	6.89	0.00	0.00	0.00	0.56	11.84	59.21	760.73	7.78
18	संविधान के अनुछेद 275(1)के तहत सहायता अनुदान	0.00	8.92	7.50	7.21	5.76	13.62	2.78	9.14	54.93	924.65	5.94
	कुल	**35.37**	**32.93**	**57.50**	**18.70**	**17.07**	**37.78**	**68.08**	**45.74**	**313.17**	**3002.31**	**10.43**

* अनतिम (पीएण्डएओ के अनुसार)

अध्याय 14

जेंडर संबंधी मामले

14.1 संविधान में न केवल महिलाओं को समानता प्रदान करता है, बल्कि राज्यों को भी महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेद-भाव के उपाय अपनाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था के ढांचे के भीतर, हमारे कानूनों, विकासात्मक नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति करना रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा 1990 में किया गया था ताकि महिलाओं के अधिकारों और कानूनी हकदारी का संरक्षण किया जा सके। भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन (1993) में किए गए प्रावधान के अनुसार पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था से स्थानीय स्तरों पर निर्णय करने के कार्य में उनकी भागीदारी को ठोस आधार प्रदान किया गया है।

14.2 किसी भी देश के समग्र समाजिक-आर्थिक विकास के लिए समस्त विकास प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। इसलिए, सामान्य रूप से महिलाओं का दर्जा बढ़ाना और विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी महिलाओं का दर्जा बढ़ाना न केवल नैतिक दृष्टि से बल्कि नीतिगत दृष्टि से भी आवश्यक है।

14.3 मंत्रालय में एक जेंडर बजटिंग एकक बनाया गया है जो विभिन्न जेंडर उत्तरदायी बजट कार्यों के कार्यान्वयन के साथ-साथ और मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों को इस प्रकार देखेगा जिससे कि वह जेंडर असंतुलन, जेंडर समानता और विकास को प्रोत्साहित करने के कार्य को कर सके और यह सुनिश्चित करे कि मंत्रालय के बजट के माध्यम से लोक संसाधन आवंटित किए जाए और तदनुसार प्रबंधित किये जाएं। जनजातीय कार्य मंत्रालय उन अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में चिन्तित है जो एक समूह के रूप में अपने सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन व तुलनात्मक अलगाव के कारण कष्ट उठाते हैं। मंत्रालय की प्रमुख नीतियां तद्नुसार अनुसूचित जनजातीय महिलाओं व पुरुषों दोनों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए लक्षित हैं। तथापि, अनुसूचित जनजातियों में महिलाएँ और अधिक अलाभकारी स्थिति को झेलती हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय अतएव यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते समय कि महिलाएँ व सामान्य स्कीमों से समान लाभ प्राप्त करें वहीं कुछ विशेष स्कीमें अनुसूचित जनजातीय महिलाओं और लड़कियों के लाभ के लिए होनी चाहिए। वर्ष 2014-15 के दौरान स्कीमों के अंतर्गत उपलब्धियाँ जिनमें महिला लाभार्थियों को भी शामिल किया गया है **अनुलग्नक 14** में दी गई हैं।

14.4 मंत्रालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) और जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता, अनुसूचित जनजातियों के विकास तथा जनजातीय क्षेत्रों अवसंरचना के सृजन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को अनुदान दिए जाते हैं। मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन भी किया जाता है जो शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में जनजातीय लड़कियों और महिलाओं के उन्नयन पर केन्द्रित हैं, ताकि वे आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा के साथ जीवन जी सकें।

14.5 अनुसूचित जनजातियों में कम महिला साक्षरता एक विशेष चिंता की बात होने के कारण 1993-94 में जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता विकास के लिए "कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षणिक परिसरों की स्थापना" योजना की शुरूआत की गई थी। इसे वर्ष 2008-09 में संशोधन किया गया तथा इसका नया नाम "कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण" रखा गया। संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हुई। योजना का क्रियान्वयन 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाले 54 चिह्नित जिलों में किया जा रहा है जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से या इसके अंशों से कम है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों जिन्हें पूर्व में उपर्युक्त चिन्हित किए गए 54 जिलों के अलावा, किसी जिले के अन्य किसी जनजातीय ब्लाक, जहां वर्ष 2001 की जनगणना अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या 25% या इससे अधिक है और जनजाति

की महिला साक्षरता दर 35% से कम या इसके अंशों में है, उन्हें भी इस योजना में शामिल किया गया है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (जिसे पहले आदिम जनजातीय समूह कहा जाता था) वाले क्षेत्रों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को इसमें प्राथमिकता दी गई है। इस योजना का उद्देश्य सामान्य महिला जनसंख्या और जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता स्तर के अंतर को पाटना है, ऐसा चिह्नित जिलों या ब्लॉकों, विशेष तौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तथा कमजोर जनजाति समूहों के क्षेत्रों में जनजातीय लड़कियों का 100% नामांकन करके तथा प्रारंभिक स्तर पर उपयुक्त माहौल बनाकर बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या में प्राथमिक स्तर पर कमी लाकर किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों/संघ शासित राज्य प्रशासन की स्वायत्तशासी सोसाइटी/संस्थानों के माध्यम से किया जाएगा। यह योजना विद्यालयों में नियमित रूप से उपस्थित होने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने पर बल देती है और जहां पांच कि.मी. की दूरी के अंदर विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं, विद्यालय और छात्रावास सुविधाओं, दोनों पर विचार किया जा सकता है। संशोधित योजना में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजनाओं का अभिसरण करने की परिकल्पना की गई है। यह प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों के साथ-साथ मिडिल/माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करती है तथा अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को स्कूल में बनाए रखने के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करती है। औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त, संशोधित योजना में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों का विभिन्न व्यवसायों में दक्षता उन्नयन करने पर भी ध्यान दिया गया है।

14.6 कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति दिनांक 01.07.2012 से आरंभ की गई है। यह योजना राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है जो संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की प्रतिबद्ध देयता के अलावा मंत्रालय से 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करते हैं। छात्रवृत्तियों का भुगतान वर्ष में 10 माह की अवधि हेतु दिवा-छात्र के लिए 150 रु. प्रतिमाह की दर से तथा छात्रावासी के लिए 350 रु. प्रतिमाह की दर से किया जाता है। पुस्तकों तथा तदर्थ अनुदान का भुगतान दिवा-छात्र के लिए 750 रु. वार्षिक की दर से तथा छात्रावासी के लिए 1000 रु. वार्षिक की दर से किया जाता है। सहायता न दिए जाने वाले मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थी विकलांगता की डिग्री के आधार पर 160 रु. से 240 रु. प्रतिमाह की दर से मासिक भत्तों हेतु पात्र हैं। छात्रवृति उन अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्रों तथा छात्राओं को प्रदान की जाती है जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.00 लाख रु. है।

14.7 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाए जा रहे माध्यमिकोत्तर/मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए सभी मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर के अध्ययन के लिए, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति को (1) अधिकतम वार्षिक आय सीमा, (2) पाठ्यक्रमों के समूहों में संशोधन तथा (3) अनुरक्षण और अन्य भत्तों की दर छात्रवृत्ति के लिए सभी स्रोतों से माता-पिता की आय सीमा को 1.4.2013 से संशोधित कर दो लाख रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये कर दिया गया है।

14.8 मंत्रालय अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण को निधिपोषित करता है जो अन्यथा अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाते वह भी अपनी खराब आर्थिक स्थिति व सुदुरता के कारण। राज्य सरकार सभी छात्राओं के लिए छात्रावास बनाने के लिए केन्द्रीय हिस्से से 100% लेने के पात्र है।

14.9. चालू वर्ष 2014-15 में एक नई केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम वन बंधु कल्याण योजना (वीकेवाई) को 100 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ शुरु किया गया है। वीकेवाई एक रणनीतिक प्रक्रिया है जो कि जनजातीय लोगों के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यकता आधारित और परीणामों के लिए और समर्थकारी वातावरण बनाने का उद्देश्य लिए हुए है। वीकेवाई उपयुक्त संस्थागत तंत्र के माध्यम से संसाधनों के तालमेल द्वारा लक्षित समूहों तक वास्तव में पहुंचने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के तहत हितों और सेवाओं के सभी लक्षित लाभों को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। स्कीम के तहत क्रियाकलाप करते समय राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि बजटीय आवंटनों का 50 प्रतिशत महिला लाभार्थियों/कृषकों के लिए उपयोग हो। संबंधित राज्य/कार्यान्वयनकारी एजेंसियां इन घटकों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे और इस मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जैसा भी मांगा जाए वैसी रिपोर्टें प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

14.10 देश के स्तर तक जनजातीय क्षेत्रों को लाने के लिए अपेक्षित महत्वपूर्ण अवसंरचना के सृजन व उन्नयन के लिए विशेष परियोजनाएं बनाने के लिए राज्य सरकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां जारी की जाती है। दिशा-निर्देश कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष रूप से परिकल्पित करते हैं कि कार्यान्वयन के

चरण से लेकर आयोजना तक महिलाओं की भागीदारी सहित परियोजनाओं/स्कीमों की तैयारी में महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दे/चिंताएं केन्द्र में होनी चाहिए।

14.11 विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत टीएसपी के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए समुदाय आधारित आय देने वाली गतिविधियां होनी चाहिए, दिशा-निर्देशों मे दिया गया है कि महिला लाभार्थियों की आय देने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाए।

14.12 2014-15 के दौरान राज्य सरकारों को निम्नलिखित विकासात्मक पहलों के लिए इस शर्त के साथ निधियां आवंटित की गई कि निधियों का 50 प्रतिशत महिला लाभार्थियों पर व्यय किया जाएगा :

- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
- कौशल विकास कार्यक्रम
- सह शिक्षा/आश्रम विद्यालयों का निर्माण
- जनजातीय लोगों की स्वास्थ्य मैपिंग और शौचालय सहित स्वच्छता उपाय

14.13 जनजातीय कार्य मंत्रलय के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं/परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक शीर्ष संस्थान है। इस निगम ने जनजातीय महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए 'आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना' (एएमएसवाई) योजना प्रारंभ की है। योजना के तहत, निगम 1,00,000 रु. की इकाई लागत तक वाली योजनाओं/परियोजनाओं के लिए 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह वित्तीय सहायता 4% वार्षिक की अत्यधिक रियायती ब्याज दर पर दी जाती है।

14.14 वर्ष के दौरान एएमएसवाई के तहत एनएसटीएफडीसी ने 687 महिला लाभार्थियों के आर्थिक विकास हेतु 2.78 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।

14.15 निगम अन्य आय सृजनकारी योजनाओं के तहत महिला लाभार्थियों के लिए अपनी वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

14.16 ''जनजातियों द्वारा यात्रओं का आदान-प्रदान'' नामक योजना को संशोधित स्कीम के तहत जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के क्रियाकलापों में जोड़ दिया गया है। ''जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता अनुदान'' की स्कीम के तहत जनजातियों द्वारा यात्राओं के आदान-प्रदान को आयोजित करने के लिए 100 प्रतिशत के आधार पर जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को अनुदान दिया जाता है ताकि वे ताकि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जनजाति के लोग 10-12 दिन की अवधि के लिए देश के अन्य भागों की यात्रा कर सकें। विद्यमान प्रावधानों के अनुसार 10 जनजातीय लोगों के प्रत्येक दल/समूह में कम से कम पांच महिलाएं सम्मिलित होंगी। इससे उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया जा सकेगा और देश में हो रहे विकास के संबंध में जागरूकता पैदा की जा सकेगी।

14.17 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की उपलब्धियों को मान्यता देने के उद्देश्य से 2007-08 से 'राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार' नामक एक योजना प्रारम्भ की है। 'व्यक्तिगत' श्रेणी के अन्तर्गत, एक पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता महिला होगी।

14.18 जनजातीय कार्य मंत्रलय अपनी कुछ योजनाओं में 50% लड़कियों अथवा महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान देता है। उदाहरण के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 50% सीटें अनुसूचित जनजातीय लड़कियों के लिए आरक्षित होती हैं। एम.फिल एवं पी.एच.डी के लिए राष्ट्रीय राजीव गांधी अध्येतावृत्ति योजना के अन्तर्गत यूजीसी (जो इस योजन को कार्यन्वित करता है) को निर्देश जारी किए गए हैं कि 50% छात्रवृत्तियां महिलाओं को प्रदान करने के प्रयास किए जाएं। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र से दो जनजातीय लोगों को दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एक महिला और एक पुरुष को भेजे।

14.19 अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत ग्राम सभा को इस प्रकार परिभाषित (धारा 2 छ) किया है कि ''ग्राम सभा जिसमें गाँव के सभी वयस्क सदस्य शामिल होंगे और राज्यों के मामले में जहाँ कोई पंचायत, पडा, टोला और अन्य परंपरागत ग्रामीण संस्थान और चयनित ग्राम समितियां महिलाओं के पूर्ण और अप्रतिबंधित भागीदारी के साथ नहीं है।'' इसके अतिरिक्त धारा 4 (4) उपबंधित करता है कि उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार पैतृक होंगे। किन्तु परिवर्तन योग्य या अंतरणीय नहीं होंगे और विवाहित लोगों के मामले में पति-पत्नी दोनों के नाम में संयुक्त रूप से पंजीकृत होंगे और

एक व्यक्ति मुखिया वाले परिवार के मामले में एकल प्रमुख के नाम में पंजीकृत होंगे और सीधे वारिस की अनुपस्थित में पैतृक अधिकार अगले सगे संबंधी को अंतरित हो जाएँगे। धाारा 6(8) के अनुसार भी ''उप प्रभागीय स्तर समिति, जिला स्तरीय समिति और राज्य स्तरीय निगरानी समिति में राजस्व विभाग, राज्य सरकार के अधिकारी होंगे और पंचायती राज्य संस्थान के तीन सदस्य समुचित स्तर पर जिन्हें संबंधित पंचायती राज संस्थान द्वारा नियुक्त किया गया है, जिसमें से दो अनुसूचित जनजातीय सदस्य होंगे और कम से कम एक महिला होगी जैसा कि विहित किया गया है।'' इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियमावली, 2012 प्रावधान करती है कि (धारा 3 (1) के तहत) ग्राम सभाएँ ग्राम पंचायत द्वारा बुलायी जाएंगी और इसकी प्रथम बैठक में इसके सदस्यों से ही वन अधिकार समिति के सदस्यों के रूप में कम से कम दस व्यक्ति और अधिक से अधिक पन्द्रह व्यक्तियों का चयन किया जायेगा। जिसमें दो तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजाति के होंगे बशर्ते ऐसे सदस्यों में कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएँ हों। यह आगे उपबंधित करता है कि जहाँ कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है। कम से कम एक तिहाई ऐसे सदस्य महिलाएं होंगी।

14.20 इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिक्षा और आजीविका जैसे विशिष्ट मुद्दों को मंत्रालय द्वारा लाइन मंत्रालयों के साथ अनुसूचित जनजातियों के संपूर्ण विकास के लिए कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रम/स्कीमों की निगरानी, आयोजना व प्रगति के लिए गठित समन्वय समिति की बैठकों मे उठाया जाता है तथा जनसंख्या के अनुसूचित जनजाति भाग को सशक्त करने की प्रक्रिया में महिलाएं छूट न जाएं यह सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद भी किया जाता है।

अनुलग्नक:14

वर्ष 2014-15 (31.12.2014 तक) के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियां

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजनाओं/ कार्यक्रमों का नाम	उपयोजनाओं के ब्यौरे	2014-15 का बजट अनुमान	पता लगाने योग्य, मापने योग्य और निगरानी करने योग्य आउटपुट/परिणाम	31.12.2014 तक प्राप्त लक्ष्य
1	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम - आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई)	28.50	(i) सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या (ii) क्षेत्रवार सृजित वास्तविक परिसंपत्तिया (क) कृषि और संबद्ध; (ख) औद्योगिक; (ग) सेवाएं	एनएसटीएफडीसी ने 31.12.2014 तक एएमएसवाई के तहत 687 महिला लाभार्थियो के आर्थिक उत्थान के लिए 2.78 करोड रु. स्वीकृत किए है। इसके अलावा लघु ऋण योजना सहित अन्य आय सृजनकारी योजना के तहत महिला लाभार्थियों को कवर किया गया है
2	जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए)	• कौशल विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम • सह शिक्षा/आश्रम विद्यालय/छात्रावास का निर्माण • जनजातीय लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा शौचालय सहित स्वच्छता के उपाय	1200.00	(i) सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजातीय लाभार्थियों की संख्या। (ii) घटकवार वास्तविक परिसम्पतियां/ सृजित अवसर; (क) कृषि/बागवानी-हैक्टेयर में; (ख) वाटरशेड विकास/मृदा एवं नमी संरक्षण-हैक्टेयर में; (ग) पशुपालन-संख्या में; (घ) पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जिसमें वनों का विकास शामिल है- हैक्टेयर में अथवा खरीदे गए लघुवन उत्पादों की प्रमात्रा; (ङ) वन ग्रामों का विकास; (च) उद्यमशीलता का विकास-सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या; (छ) सभी घटकों में कवर की गई महिलाओं का प्रतिशत; लक्ष्य एवं परिणाम राज्यों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के प्रकारों पर निर्भर होंगे और परिणाम सभी परियोजनाओं की स्वीकृति/ कार्यान्वयन के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है।	परियोजना 50% दिशानिर्देशों के अधीन महिला लाभार्थियों हेतु खर्च किए जाने के लिए निर्धारित किए जाने के साथ अनुमोदित एवं स्वीकृत हैं। परीक्षण के समय परियोजना की प्रस्तावों की जांच तथा प्राथमिकता निर्धारित की गई है। 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार टीएसपी को एससीए के अंतर्गत 760.00 करोड़ रु. निर्मुक्त किए गए हैं।

3	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान कार्यक्रम	• कौशल विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम • सह शिक्षा/आश्रम विद्यालय/छात्रावास का निर्माण • जनजातीय लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा शौचालय सहित स्वच्छता के उपाय • एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)	1317.00	चूंकि निधियन जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना में अंतर को भरने के लिए तथा प्रशासन के स्तर सुधार के लिए है, इससे जनजातीय क्षेत्रों में जीवन की समग्र रूप से प्रगति होगी। तथापि, परियोजनावार परिमाणीकरण सम्भव नहीं है। दिशा निर्देशों में यह प्रावधान है कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर, आयोजना से कार्यान्वयन स्तर तक महिलाओं की सहभागिता के अधिकारों सहित परियोजनाओं/योजनाओं को तैयार करते समय, ध्यान केंन्द्रीत होना चाहिए। परियोजनाएं इस प्रकार से नियोजित की जाएं कि महत्वपूर्ण लाभ महिलाओं के लिए लक्षित हो।	परियोजना 50% दिशानिर्देशों के अधीन महिला लाभार्थियों हेतु खर्च किए जाने के लिए निर्धारित किए जाने के साथ अनुमोदित एवं स्वीकृत हैं। परीक्षण के समय परियोजना की प्रस्तावों की जांच तथा प्राथमिकता निर्धारित की गई है। 31.12.2014 तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत 924. 65 करोड़ रु. निर्मुक्त किए गए हैं
4	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभा उन्नयन की योजना	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभा उन्नयन की योजना	646.90	उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने (क) ग्रुप I (ख) ग्रुप II (ग) ग्रुप III (घ) ग्रुप IV पूरा कर लिया है।	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 2106403 प्रत्याशित लाभार्थियों के लिए 587.84 करोड़ रु. निर्मुक्त किए गए है, जिसमें अध्ययनों के सभी ग्रुपों में 514420 प्रत्याशित महिला लाभार्थियों के लिए 184.33 करोड़ रू शामिल हैं।
5	कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना	कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना	258.82	विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने कक्षा 9 तथा 10 पास कर ली है	1118608 अनुसूचित जनजातीय लाभार्थियों के लिए 193.06 करोड़ रू का अनुदान आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्य सरकारों को जारी किए गए जिसमें 3.11 करोड रू 536911 अनुसूचित जनजाति की लडकियों के लिए है।

6.		जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता अनुदान	7.00	जनजातीय द्वारा यात्रा के आदान-प्रदान की उपयोजना दस व्यक्तियों के प्रत्येक समूह में कम से कम पांच को शामिल करने के लिए है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा त्रिपुरा के टीआरआई में जनजातियों की यात्रा के आदान-प्रदान के लिए 21.12.2014 तक निधियां निर्मुक्त की है।	चूंकि राज्यों ने प्रस्ताव प्रेषित नहीं किए हैं, लक्ष्य निर्धारित नहीं है।
6.	अनुसंधान, सूचना और जनशिक्षा, जनजातीय त्यौहार और अन्य	जनजातीय जनजातीय लोगों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान	0.44	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	इस योजना में 10 व्यक्तियों के प्रत्येक समूह मे कम से कम पांच महिलाओं को शामिल करने का प्रावधान है। 2013-14 के दौरान अलग-अलग राज्य सरकारों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।
7.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	65.66	(i) निर्मित छात्रावासों की क्षमता (ii) अधिभोग दर	विभिन्न राज्य सरकारों/ संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 6 छात्रावासों के निर्माण के लिए 47.86 करोड़ रु. का अनुदान निर्मुक्त किया गया है। जिसमें 13.81 करोड़ रु. 500 जनजातीय महिला छात्रावास के लिए हैं। इसके अलावा 5.75 करोड़ रु. की राशि अनुच्छेद 575(1) की योजना के तहत अनुसूचति जनजाति की 150 छात्राओं के लिए 3 बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु मिज़ोरम को जारी किए गए हैं।
8.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.) की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति (अ.ज.) की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	40.00 (सं.अ.)	वित्तपोषित शैक्षणिक परिसरों और लाभ प्राप्त अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की संख्या	योजना विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए है। वर्ष 2014-15 के दौरान (31.12.2014 तक) 74 शैक्षणिक परिसरों को वित्तपोषित किया गया जिसमें अनुसूचित जनजातियों की 21355 लड़कियों को कवर किया गया है और 30.55 करोड़ रु. निर्मुक्त किये गए हैं।

अध्याय 15

विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के अंतर्गत विकलांग विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधान

15.1 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना :-

अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान किया गया है:

(क) नेत्रहीन अध्येताओं के लिए वाचक भत्ता:

पाठ्यक्रम का स्तर	वाचक भत्ता (रुपये प्रति माह)
समूह-I, II	240
समूह-III	200
समूह-IV	160

(ख) विकलांग विद्यार्थियों के लिए 160 रुपये प्रतिमाह तक परिवहन भत्ते का प्रावधान, यदि ऐसा विद्यार्थी उस छात्रवास में नहीं रहता है, जो शैक्षिक संस्थान के परिसर के अंदर है। विकलांग व्यक्ति की विकलांगता को (समान अवसर अधिकार और पूर्ण सहभागिता का संरक्षण) अधिनियम, 1955 के अनुसार विकलांगता, नेत्रहीनता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग चिकित्सा, सुनने में परेशानी, चलने संबंधी विकलांगता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी के रुप में परिभाषित किया गया है

(ग) कम अग्रांग विकलांगता वाले गंभीर रुप से विकलांग अध्येता दिवा छात्रों के लिए 160 रुपये प्रतिमाह की दर से अंगरक्षण भत्ता;

(घ) किसी शैक्षिक संस्थान के छात्रवास में रहने वाले, गंभीर रुप से हड्डी रोग से पीड़ित विकलांग छात्र, जिसे किसी सहायक की आवश्यकता होती है, को सहायता प्रदान करने के इच्छुक छात्रावास के किसी कर्मचारी को 160 रुपये प्रतिमाह का विशेष वेतन अनुमत है;

(ड.) मानसिक मंदता और मानसिक रुप से बीमार व्यक्तियों को अतिरिक्त कोचिंग के लिए 240 रुपये प्रतिमाह भत्ता।

(ख) से (घ) में प्रावधान कुष्ठ रोग मुक्त विद्यार्थियों के लिए भी लागू होंगे।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए प्रतिभा उन्नयन:

15.2 जहां कहीं संभव हो, 3% अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थियों को शामिल करने का प्रावधान है। छात्रवृत्ति की राशि के अतिरिक्त, विकलांग विद्यार्थियों को निम्नलिखित सहायता दी जाती है:-

(क) कक्षा 9 से 12 में नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए 150 रुपये प्रतिमाह का वाचक भत्ता;

(ख) विकलांग विद्यार्थियों के लिए 100 रुपये प्रतिमाह तक परिवहन भत्ता, यदि ऐसा विद्यार्थी उस छात्रावास में नहीं रहता है, जो शैक्षिक संस्थान के परिसर के अंदर है। उक्त अधिनियम के अनुसार विकलांगता को नेत्रहीनता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग चिकित्सा, सुनने में परेशानी, चलने संबंधी विकलांगता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी के रुप में परिभाषित किया गया है;

(ग) किसी शैक्षिक संस्थान अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रबंधित छात्रवास में रहने वाले, गंभीर रुप से हड्डी रोग से पीड़ित विकलांग छात्र, जिसे किसी सहायक की आवश्यकता होती है, को सहायता प्रदान करने के इच्छुक छात्रावास के किसी कर्मचारी को 150 रुपये प्रतिमाह का विशेष वेतन अनुमत है;

(घ) निम्न अग्रांग विकलांगता वाले गंभीर रुप से विकलांग दिवा स्कोलर विद्यार्थियों के लिए 100 रुपए प्रतिमाह अंगरक्षण भत्ता।

(ख) से (घ) में दिए गए प्रावधान कुष्ठ रोग मुक्त से उपचारित विद्यार्थियों पर भी लागू होंगे।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

15.3. शारीरिक रुप से विकलांग और दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के मामलों में 2000 रुपए प्रतिमाह की दर से अंगरक्षण/वाचक सहायता प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास

15.4. योजना के प्रावधानों में यह व्यवस्था है कि अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए छात्रावासों के कुछ कमरे/ब्लॉक अवरोधमुक्त तथा रैम्प इत्यादि जैसी सुविधाओं के साथ निर्मित किए जाएं।

जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना

15.5. योजना के प्रावधानों में यह व्यवस्था है कि अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए छात्रावासों के कुछ कमरे/ब्लॉक अवरोधमुक्त तथा रैम्प इत्यादि जैसी सुविधाओं के साथ निर्मित किए जाएं।

कक्षा 9 तथा 10 मे पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

15.6 निजी असहायित विद्यालयों में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त भत्ते

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित 'माध्यमिक स्तर पर विकलांगों की समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस) की केन्द्रीय प्रयोजित योजना के तहत 3,000 रुपये वार्षिक की दर से सहायता, सरकारी विद्यालयों, स्थानीय निकाय के विद्यालयों तथा सरकार द्वारा सहायित विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ रहे विकलांग विद्यार्थियों को इसके 'विद्यार्थी उन्मुख घटक' के तहत पहले ही दी जा रही है। तथपि, असहायित विद्यालयों में विद्यार्थियों को आईईडीएसएस के तहत कवर नहीं किया जाता है। अत: निजी असहायित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थी इस योजना के तहत भत्तों हेतु पात्र होंगे, जो निम्नानुसार है:

असहायित गैर-सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विकलांग विद्यार्थियों के लिए भत्ते	राशि (रुपये में)
1) दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए मासिक वाचक भत्ता।	160
2) विकलांग विद्यार्थियों के लिए मासिक परिवहन भत्ता (विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 में यथा परिभाषित) यदि ऐसे विद्यार्थी छात्रावास जो शैक्षिक संस्थान के परिसर के अन्दर है, में नहीं रहते हैं।	160
3) गंभीर रुप से विकलांग (अर्थात 80% या उससे अधिक विकलांगता) के लिए मासिक अनुरक्षण भत्ता, निम्नांग विकलांगता वाले दिवाछात्र/विद्यार्थी।	160
4) सैक्षिक संस्थान में रह रहे शारीरिक रुप से गंभीर विकलांग विद्यार्थी जिसे सहायक की सहायता की आवश्यकता है, को सहायता देने हेतु छात्रवास के किसी कर्मचारी के लिए मासिक सहायक भत्ता अनुमत है।	160
5) मानसिक रुप से कमजोर तथा मानसिक रुप से बीमार विद्यार्थियों के लिए मासिक कोचिंग।	240

टिप्पणी: विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा तथा पूरी सहभागिता अधिनियम, 1955) के तहत यथा परिभाषित विकलांगता को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

एनजीओ की योजनाएं

15.7. राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे एनजीओ की योजनाओं के तहत तथा विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) के विकास की योजना के तहत निधियां प्राप्त कर रहे एनजीओ को सलाह दें कि वे विकलांग लोगों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006 के अनुसार आवासीय विद्यालयों/गैर-आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, 10 या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों तथा सामुदायिक केन्द्रों जैसे भवनों में "अवरोध मुक्त वातावरण" जैसी सुविधाएं प्रदान करायें।

अध्याय 16

अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

पृष्ठ भूमिः

16.1 वन निवासी इस देश के सबसे गरीब लोग हैं। कई जनजातीय लोग तथा अन्य वन समुदायों के लिए वन आजीविका, पहचान, रीति–रिवाज तथा परंपरा के स्रोत हैं। पीढ़ियों से वनों में रह रहे वन निवासी अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परंपरागत वन निवासी सदियों से वन भूमि पर कब्जा किए हुए थे। तथापि, वन की पारिस्थितिकी पद्धति की उत्तरजीविता एवं स्थिरता के बावजूद उनके पूर्वजों की भूमि तथा उनके आवास पर उनके अधिकारों को पर्याप्त मान्यता नहीं दी गई थी। भूतकाल में, राज्य वनों के समेकन के दौरान दोषपूर्ण आरक्षण प्रक्रिया के माध्यम से वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के परंपरागत अधाकारों एवं हितों को न तो मान्यता दी गई थी और न ही इन्हें दर्ज किया गया था।

16.2 वन निवासी जनजातीय लोग तथा वन अविभाज्य हैं, तथ्य यह है कि जनजातीय लोगों के बहुत लोकाचार से पारिस्थितिकी स्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित होता है। वन निर्माण के लिए संरक्षण प्रक्रिया तथा वानिकी उत्पादन हेतु वनक्षेत्र में, जहां जनजातीय समुदाय प्रमुख रुप से रह रहे हैं, विधायी ढांचे से जनजातीय समुदाय की वास्तविक रुचि को किसी तरह नजर–अंदाज कर दिया गया है। जनजातियों की सादगी तथा आधुनिक नियामक ढांचे की अनभिज्ञता, जिन क्षेत्रों में वे रह रहे हैं तथा जिन पर वे निर्भर हैं, उन्हें संसाधानों के वास्तविक दावे पर जोर नहीं देने देती। आधुनिक संरक्षण संबंधी दृष्टिकोण भी एकीकरण के बजाय अपवर्जन की वकालत करता है। यह बहुत बाद में हुआ कि वन प्रबंधान तंत्र ने वन निवासियों के कब्जे तथा अन्य अधिकार को मान्यता देने के लिए कार्रवाई शुरु की और इन्हें प्रबंधान के स्वरुप में शामिल किया। वन तथा वन भूमि से जनजातीय समुदाय भावनात्मक रुप से तथा वास्तविक रुप से हटाए जाने का सबसे बड़ा कारण शायद कार्यकाल में असुरक्षा की भावना तथा भूमि से बेदखली, जहां वे पीढियों से रहते आ रहे थे तथा संपन्न थे, का डर होगा। इस ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने की आवश्यकता है। इसलिए, सरकार ने अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया है, जिसे सामान्यतः वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के रुप में जाना जाता है। अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए दिनांक 01.01.2008 को नियमों की अधिसूचना के साथ अधिनियम प्रचालन में आया है।

16.3 अधिनियम वन अधिकारों की 'मान्यता' देने की व्यवस्था से आगे जाता है और वन अधिकार धारकों को किसी भी समुदाय के वन स्रोतों की रक्षा, पुनः सृजन, संरक्षण तथा प्रबंध का भी अधिकार देता है। संसाधान प्रशासन में यह निर्णायक उपाय है। जनजातीय लोगों तथा वन निवासियों के आंदोलनों के इतिहास में इसे ठीक ही मील का पत्थर कहा गया है। अधिनियम में सतत उपयोग तथा संरक्षण के लिए वनों को प्रशासित करने के लिए उनके राजनीतिक सशक्तिकरण को सरल बनाने की व्यवस्था है। ठीक इन्हीं कारणों से, प्रतिमान में आवश्यक बदलाव लाने के लिए विशेष रुप से राज्य सरकारों द्वारा कड़े साकारात्मक उपाय करना आवश्यक हो गया है।

वन अधिकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

16.4 वन अधिकार अधिनियम, 2006 की प्रमुख विशेषताएं

नीचे दी गई हैं:–

1. अधिनियम की धारा 3 में अधिकारों को सूचीब किया गया है जो वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकार होंगे। ये वन अधिकार हैं:

क वन निवासी अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी के एक सदस्य या सदस्यों द्वारा आजीविका हेतु निवास या स्व–कृषि हेतु व्यक्तिगत या सामान्य कब्जे के तहत वन भूमि पर कब्जा करने तथा वहाँ रहने का अधिकारहै।

ख भूतपूर्व राजसी राज्यों, जमींदारी या ऐसे अंतरवर्ती राज्यों में प्रयुक्त समुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, जो भी नाम हो।

ग लघु वन उत्पाद के स्वामित्व, इन्हें एकत्रित करने, इनके उपयोग तथा निपटान का अधिकार जिसे गांव की सीमाओं के भीतर या बाहर परंपरागत रुप से एकत्र किया गया है।

घ सामुदायिक अधिकार जैसे मछली तथा जल निकायों के अन्य उत्पादों, चराई (स्थायी या मौसम के अनुसार स्थान बदलने वाले) और घुमंतु या चरवाहा समुदायों के परंपरागत मौसमी संसाधान तक पहुंच।

ड. आदिम जनजातीय समूहों तथा कृषि पूर्व समुदायों के लिए अधिवास तथा आवास के कार्यकाल सहित अधिकार।

च किसी भी राज्य में किसी नामावली के तहत विवादित भूमियों पर अधिकार।

छ अधिकार पत्रों के लिए वन भूमि पर किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए पटों के परिवर्तन या लीज या अनुदानों के लिए अधिकार।

ज सभी वन गांवों, पुराने निवास स्थान, गैर–सर्वेक्षित गावों तथा वनों में अन्य गावों के निपटान तथा परिवर्तन का अधिकार चाहे राजस्व गांवों में रिकार्ड किया गया हो, अधिसूचित किया गया हो या न किया गया हो।

झ किसी समुदाय वन संसाधान की सुरक्षा, सुधार या संरक्षण का अधिकार जिसे वे सतत उपयोग के लिए परंपरागत रुप से सुरक्षित तथा संरक्षित कर रहे हैं।

ञ अधिकार जो किसी राज्य विधि या किसी स्वायत्त जिला परिषद् के विधि या स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद् के तहत मान्यता प्राप्त हो या किसी राज्य के संबंधित जनजातियों के किसी परंपरागत या प्रत्यायन विधि के तहत जनजातीय लोगों के अधिकार के रुप में स्वीकृत हो।

ट जैव–विविधता तक पहुंच का अधिकार एवं बौद्धिक संपदा तथा जैव–विविधता और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित परंपरागत ज्ञान के लिए सामुदायिक अधिकार।

ठ वन निवासी अनुसूचित जनजातियों या अन्य परंपरागत वन निवासियों द्वारा परम्परागत रूप से प्राप्त कोई अन्य परम्परागत अधिकार जैसा भी मामला हो जिसका उल्लेख खण्ड (क) से (ट) में नहीं किया गया है, परन्तु उनमें जंगली जानवर की किसी भी प्रजाति का शिकार करने या पकड़ने या शरीर के एक हिस्से को निकालने के परम्परागत अधिकार को छोड़कर।

ड वैकल्पिक भूमि, जहां अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को अवैध रुप से बेदखल किया गया है या 13 दिसंबर, 2005 से पहले उनके पुनर्वास की कानूनी हकदारी प्राप्त किए बिना वन भूमि से विस्थापित किया गया है, के मामले सहित पुनर्वास के बदले में अधिकार।

1 इस अधिनियम की धारा 3(2) में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में दिए गए किसी प्रावधान के बावजूद सरकार द्वारा प्रबंधित कुछ सुविधाओं के लिए वन भूमि के विपथन हेतु प्रावधन है तथा जिसके तहत प्रति हेक्टेयर 75 वृक्षों से अधिक नहीं गिराए जाने चाहिएं और इस उद्देश्य के लिए विपथित की जाने वाली वन भूमि का एक हेक्टेयर से कम होना तथा ऐसी विकास परियोजना की क्लीयरेंस की सिफारिश ग्राम सभा द्वारा दिया जाना शामिल है।

2 इस अधिनियम की धारा 4 (1) किसी समय लागू किए जाने हेतु किसी अन्य कानून में दिए गए किसी प्रावधान के बावजूद वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन अधिकारों को मान्यता देता है तथा इन्हें प्रदान करता है।

3 अधिनियम की धारा 4(2) में वन्य जीव संरक्षण हेतु अक्षत क्षेत्र सृजित करने के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारण्यों के महत्वपूर्ण वन्य जीव आवासों में वन अधिकारों के संशोधन या पुन:स्थापन हेतु प्रावधान है जो विचारार्थ सभी क्षेत्रों में अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया पूरी करने का कोई विकल्प विद्यमान नहीं है,

जैसी शर्तों के अधीन है, यह सुस्थापित है कि वर्तमान अधिकार धारकों की गतिविधियां या प्रभाव वन्य जीवों तथा उनके आवास को अनुत्क्रमणीय हानि तथा उनके अस्तित्व को खतरा पैदा करेंगे, संबंधित ग्राम सभाओं की मुक्त एवं संसूचित स्वीकृति प्राप्त की गई है, पुनःस्थापन या वैकल्पिक पैकेज तैयार कर लिए गए हैं तथा भेज दिए गए हैं जो प्रभावित व्यक्तियों तथा समुदायों के लिए एक सुरक्षित आजीविका प्रदान करते हैं तथा ऐसे प्रभावित परिवारों और समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जो संगत कानूनों और केन्द्र सरकार की नीतियों में दी गई हैं तथा पुनःस्थापन स्थल पर सुविधाओं और भूमि आबंटन के पूरा हो जाने के उपरांत ही पुनःस्थापन किया जाना चाहिए। यह प्रावधान भी किया गया है कि महत्वपूर्ण वन्य जीव आवासों जहां से अधिकार धारकों को पुनःस्थापित किया गया है, को किसी अन्य उपयोग के लिए पुनः बदला नहीं जाएगा।

4 अधिनियम की धारा 4(3) इस शर्त के साथ वन अधिकारों की मान्यता और इन्हें प्रदान करने का उद्देश्य करती है कि वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों ने 13 दिसम्बर, 2005 से पूर्व वन भूमि पर कब्जा किया था, धारा 4(4)में व्यवस्था है कि इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अधिकार अनुवांशिक होंगे, परन्तु अन्य हस्तान्तरणीय या परिवर्तनीय नहीं होंगे और विवाहित व्यक्तियों के मामले में पति–पत्नी दोनों के नाम पर संयुक्त रूप से पंजीकृत किए जायेंगे।

5 धारा 4(5) के माध्यम से वन अधिकार धारकों को एक बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक सुरक्षोपाय प्रदान किया गया है जो इस बात को अनिवार्य करता है कि किसी वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को मान्यता एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक उनके कब्जे वाली वन भूमि से बेदखल या हटाया नहीं जा सकेगा।

6 वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के सदस्य या सदस्यों द्वारा आजीविका के लिए स्वकृषि या आवास के लिए व्यक्तिगत या सामान्य कब्जे के तहत वनभूमि को धारण करने तथा वहां रहने का अधिकार उसके वास्तविक कब्जे के अंतर्गत क्षेत्र तक प्रतिबंधित होगा तथा इस अधिनियम की धारा 4(6) के अनुसार किसी मामले में यह चार हैक्टेयर से अधिक नहीं होगा। अधिनियम की धारा 4(7) में प्रावधान है कि सभी बाधाओं और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से मुक्त वन अधिकार सौंपे जाएंगे।

7 इस अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त एवं प्रदान किए गए वन अधिकारों में वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के लिए भूमि का अधिकार शामिल है जो यह स्थापित कर सकता है कि राज्य विकास हस्तक्षेपों के कारण भूमि की क्षतिपूर्ति के बिना उन्हें उनके रहने एवं खेती वाली जगह से विस्थापित किया गया था तथा इस अधिनियम की धारा 4(8) के अनुसार जहां उक्त अधिग्रहण के पांच वर्षों के अन्दर भूमि का उपयोग उस उद्देश्य से नहीं किया गया है जिसके लिए उसका अधिग्रहण किया गया था।

8 अधिनियम की धारा 5 वन अधिकार धारकों, ग्राम सभा तथा ग्राम स्तरीय संस्थानों को (क) वन्यजीव, वन एवं जैव विविधता की सुरक्षा (ख) यह सुनिश्चित करना कि निकटवर्ती आवाह क्षेत्र, जल स्रोत तथा अन्य संवेदनशील पारिस्थतिकी क्षेत्रों की समुचित रूप से सुरक्षा हो (ग) यह सुनिश्चित करना कि वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के आवास किसी विनाशकारी प्रक्रियाओं जो उनकी सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को प्रभावित कर रहे हैं, से संरक्षित रहे, तथा (घ) यह सुनश्चित करना कि सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को नियमित करने के लिए ग्राम सभा में लिए गए निर्णय तथा कोई गतिविधि जो जंगली जानवरों और जैव विविधता को बुरी तरह से प्रभावित करता है, की रोक को संकलित किए जाने को सशक्त करती है।

9 इसअधिनियम की धारा 6 (अध्याय–4) वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को वन अधिकार प्रदान करने के प्राधिकरणों और प्रक्रियाओं से संबंधित है। वन अधिकार प्रदान करने के लिए प्राधिकरणों की एक तीन संरचना है, ग्राम सभा व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों जिन्हें वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को प्रदान किया जा सकता है, की प्रकृति तथा सीमा के निर्धारण हेतु प्रारंभिक प्राधिकरण है। उप–मण्डल स्तरीय समिति ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प की

जांच करती है तथा इसे अंतिम निर्णय हेतु जिला स्तरीय समिति के पास भेजती है। ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प से अपकृत कोई व्यक्ति उप-मण्डल स्तरीय समिति के निर्णय द्वारा अपकृत कोई व्यक्ति जिला स्तरीय समिति में याचिका प्रस्तुत कर सकता है। वन अधिकारों की मान्यता और इन्हें प्रदान करने की प्रक्रिया की निगरानी करने तथा नोडल एजेंसी को प्रस्तुत ऐसे विवरण तथा रिपोर्टें जिन्हें उस एजेंसी द्वारा मांगा जा सकता है, के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति है।

10 अधिनियम की धारा 7 में इस अधिनियमया इसके तहत बनाए गए किसी नियम के किसी प्रावधान के उल्लंघन के लिए किसी प्राधिकरण या अधिकारी को सजा देने का प्रावधान है।

11 जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार अधिनियम की धारा 11 के अनुसार इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है।

12 धारा 12 इस अधिनियम के अधयाय-4 में संदर्भित प्राधिकरणों को निर्देश जारी करने के लिए भारत सरकार को शक्ति प्रदान करती है।

13 अधिनियम की धारा 13 के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अलावा होंगे तथा उसके अपकर्ष में नहीं होंगे।

16.5 अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति:-

31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, एफआरए के तहत दायर दावों की कुल संख्या 39,59,019 है, जिसमें से 32,70,195 दावे निपटा दिए गए हैं और 15,56,676 अधिकार पत्र (15,26,969 व्यक्तिगत तथा 29,707 सामुदायिक) जारी किए जा चुके हैं। ओडिशा ने सबसे अधिक अधिकार पत्र जारी किए हैं जिनकी संख्या 3,44,068 है (3,40,594 व्यक्तिगत अधिकार पत्र और 3474 सामुदायिक अधिकार पत्र)।

16.6 चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाएं हैं :-

- टीआरआई, ओडिशा में एक राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र की स्थापना की गई है, जहां शासकीय तंत्र के लिए एफआरए के तहत कार्यक्रम से संबंधित प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण किया जाएगा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा संसाधन तंत्र का विकास किया जाएगा।
- यूएनडीपी-जनजातीय कार्य मंत्रालय की परियोजना के तहत तीन महत्वपूर्ण अध्ययन एफआरए से संबंधित मुद्दों के कार्यान्वयन के गहन अध्ययन के लिए किए गए। वामपंथ उग्रवाद के क्षेत्रों में चुनौतियों वाले कार्यान्वयन से संबंधित अध्ययन आयोजित किए गए तथा एफआरए के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वामपंथ उग्रवाद वाले राज्यों को उचित सुझाव दिए गए हैं। पीवीडीजी के अधिवास अधिकारों की मान्यता तथा सीएफआर पर दो अन्य अध्ययन किए गए एवं इन पर परीक्षण भी किया गया।
- राज्य तथा जिला स्तरीय कार्यकरणों के साथ एफआरए के कार्यान्वयन पर महाराष्ट्र राज्य में दो परामर्शी भी आयोजित किया गया था।
- मंत्रालय एफआरए के उल्लंघनों से संबंधित विभिन्न मुद्दों का भी सक्रियता से समाधान किया है तथा इन कानून के पालन के लिए राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- मंत्रालय ने वन भूमि के हस्तांतरण को प्रभावी वन अधिकारों की मान्यता की सुरक्षा के लिए अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ इन मुद्दों का कठोरता से समाधान भी किया है।
- सामुदायिक अधिकारों के महत्व पर मंत्रालय के लगातार बल दिए जाने से सामुदायिक अधिकार पत्रों के संवितरण में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी हुई है। 31.03.2014 तक 3131 सामुदायिक अधिकार पत्र जारी हुए थे वहीं 31.12.2014 तक 29,707 अधिकार पत्र पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

प्रगति

16.7 इस मंत्रालय के सतत प्रयासों से यह आशा की जाती है कि सभी राज्यों में वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन, विशेषतः सामुदायिक अधिकारों एवं पीटीजी के अधिवास अधिकारों को मान्यता देने से, आने वाले वर्षों में जोर पकड़ेगा। राज्य सरकारें, जनजातीय कार्य मंत्रालय के समर्थन से, जमीनी स्तर पर इस ऐतिहासिक अधिनियम का पूरा उद्देश्य हासिल करने के लिए अंतिम कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन एक मिशन के तौर पर करेंगी।

अध्याय 17

सूचना का अधिकार-आरटीआई अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

17.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12.10.2005 से प्रभावी हुआ। जैसा कि अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में बताया गया है, मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी नियमावली तैयार करके उसे मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) और (2) की शर्तों के अनुसार मंत्रालय के संबंध में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। संबंधित अनुदेशों को मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। पीसी एंड वी अनुभाग को मंत्रालय से संबंधित 'सूचना का अधिकार' अधिनियम के तहत किए गए आवेदनों को प्राप्त करने का कार्य सौंपा गया है। प्राप्त सभी आवेदनों तथा फीस के रजिस्टर में सही ढंग से प्रविष्टियां करने के बाद, आवेदनों को आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु मंत्रालय के संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के पास अग्रेषित किया जाता है। मंत्रालय से संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों तथा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों का विवरण **अनुलग्नक: 17-क तथा 18-ख** में दिया गया है। इन अधिसूचनाओं को (यथा संशोधित) इस मंत्रालय की वेबसाइट (www.tribal.gov.in) पर डाल दिया गया है। मंत्रालय में सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए श्री गोपाल साधवानी, उप सचिव (प्रशासन/पीसी एण्ड वी) को "नोडल अधिकारी" मनोनीत किया गया है।

17.2 इसी प्रकार की अधिसूचनाएं/नियम पुस्तिकाएं (i) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड); (ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी); और (iii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने प्रकाशित की हैं और उन्हें अपने-अपने संगठनों की वेबसाइट पर डाल दिया गया है तथा इन्हें इस मंत्रालय की वेबसाइट से जोड़ दिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत (दिनांक 1.4.2014 से 31.12.2014 तक) प्राप्त आवेदनों तथा उनके दिए गए उत्तर के विवरण निम्नांकित हैं :

(क)	'सूचना का अधिकार अधिनियम' के अधीन प्राप्त आवेदनों की संख्या	–	452
(ख)	उत्तर दिए गए आवेदनों की संख्या	–	425

अनुलग्नक : 17-क

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (के.जन.सूचना अधिकारी) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	पता/दूरभाष सं.
1.	श्री नदीम अहमद	अवर सचिव (एसजी)	कमरा सं. 217, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115, दूरभाष : 23073708
2.	श्री पी.के. साहू	अवर सचिव (एनजीओ)	कमरा सं. 218-बी, डी-विंग, शास्त्री भवन, दिल्ली-110115 दूरभाष: 23073709
3.	श्री के. चन्द्रसेकर	अवर सचिव (प्रशासन)	कमरा सं. 217, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115, दूरभाष : 23387187
4.	श्री आर.सी. ध्यानी	अवर सचिव (पीसीएण्डवी)	कमरा सं. 218-बी, डी-विंग, शास्त्री भवन, दिल्ली-110115 दूरभाष: 23074408
5.	श्री जीवन कुमार	अवर सचिव (सीपीएण्डआर)	कमरा सं. 218-बी, डी-विंग, शास्त्री भवन, दिल्ली-110115 दूरभाष: 23074408
6.	श्री जीवन कुमार	अवर सचिव (अनुसंधान)	कमरा सं. 218-बी, डी-विंग, शास्त्री भवन, दिल्ली-110115 दूरभाष: 23074408
7.	श्री डी.एन. मण्डल	उप निदेशक(सांख्यिकी)	अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाष: 26182153
8.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	अवर सचिव (शिक्षा)	कमरा सं. 400, बी-विंग, शास्त्री भवन, दिल्ली-110115 दूरभाष: 23386980
9.	श्री एम.के. झा	अवर सचिव (आईएफडी)	कमरा सं. 217, डी-विंग, शास्त्री भवन, दिल्ली-110115 दूरभाष: 23073708
10.	श्री यू.के. कर	अवर सचिव (एफआरए)	अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाष: 26182429
11.	सुश्री पूर्णिमा शर्मा	संयुक्त निदेशक (रा.भा.)	कमरा सं. 216-जे, डी-विंग, शास्त्री भवन, दिल्ली-110115 दूरभाष: 23383728
12.	सुश्री पूर्णिमा टुडू	अवर सचिव (सीएण्डएलएम)	अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाष: 26182089
13.	सुश्री एल रामदीनी रेनथलई	सहायक निदेशक (आर्थिक)	अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाष: 26182823
14.	श्री धीरज चंद्र रे	अनुसंधान अधिकारी (सीएंडएलएम-1)	कमरा सं. 217, डी-विंग, शास्त्री भवन, दिल्ली-110115 दूरभाष: 23383461

*** अद्यतन**

अनुलग्नक : 17-ख

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय में अपीलीय प्राधिकारी (अ.प्रा.) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद नाम और पता	दूरभाष संख्या/ईमेल	प्रभाग/अनुभाग
1	श्री राजीव प्रकाश	निदेशक कमरा सं. 214, 'डी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23073706 rajeev.prakash@nic.in	सीएण्डएलएम/(केवल अनुसूची करण)
2	श्री एस.एम. सहाय	निदेशक कमरा सं. 736, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23073176 sm sahai@nic.in	एसजी/एफआरए
3	श्री एस. दास	निदेशक कमरा सं. 212, 'डी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23387396 subrata.d@nic.in	आईएफडी
4	श्री बिस्वरंजन सस्माल	निदेशक कमरा सं 401'बी' विंग शास्त्री भवन नई दिल्ली	23070508	शिक्षा/मीडिया
5	श्री गोपाल साधवानी	उप सचिव कमरा सं. 218-ए, 'डी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23383965 sadhwani.gopal@nic.in	प्रशासन/पीसीएण्डवी/रा.भा./एचएलसी
6	सुश्री निवेदिता	उप सचिव कमरा सं 412'बी' विंग शास्त्री भवन नई दिल्ली	23383965 nivedita13@nic.in	सीपीएण्डआर/अनुसंधान
7	श्री रूपक चौधरी	उप सचिव अगस्त क्रांति भवन, भी. काजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23386893 r.chaudhari@nic.in	सीएण्डएलएम (अनुसूचीकरण तथा कार्यबल के अलावा)/सभी नीतिगत मुद्दे
8	श्रीमती शायला टाइटस	उप सचिव कमरा सं. 216, जे.डी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23387444 s.titus@nic.in	एनजीओ
9	श्री पी.एल. वर्मा	उप सचिव (आर्थिक प्रभाग) अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066	26182823 pl.verma@nic.in	आर्थिक प्रभाग
10	श्रीमती हनी सी.एच	संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066	26182814 ch.honey@nic.in	सांख्यिकी

*** अद्यतन**

अध्याय 18
जनजातियों के जनसांख्यिकी रुझान

जनसांख्यिकी रुझान

18.1 जनसंख्या विवरण: जनगणना 2011, के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10.45 करोड़ है (जिसमें मणिपुर के सेनापति जिले के तीन उपमंडल शामिल हैं) जो कि देश की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है। 1961 से अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जनजातीय जनसंख्या के संबंध में जनगणना वर्ष 1991 से 2001 के बीच दशकीय जनसंख्या वृद्धि संपूर्ण जनसंख्या (22.66%) की तुलना में उच्चतर (24.45%) है। इसके समान जनगणना वर्ष 2001 से 2011 के दौरान संपूर्ण जनसंख्या के लिए 17.69% की वृद्धि दर की तुलना में इनकी वृद्धि दर 23.66% है। राज्यवार संपूर्ण जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, वृद्धि दर इत्यादि अनुलग्नक 18(क) पर दी गई है।

18.2 लिंग अनुपात : जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के संबंध में लिंग अनुपात 2001 (जनगणना 2001) में 978 की तुलना में प्रति हजार पुरुषों के लिए 990 महिलाएं है। वर्ष 2011 में 990 का लिंग अनुपात संपूर्ण जनसंख्या के लिंग अनुपात 943 की अपेक्षा उच्चतर है। राज्य जहां वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों के संबंध में उच्च लिंग अनुपात दर्शाया गया है में गोवा, केरल, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ इत्यादि सम्मिलित हैं। तथापि, वर्ष 2011 में जम्मू और कश्मीर ने अनुसूचित जनजाति का न्यूनतम लिंग अनुपात 924 दर्शाया है। वर्ष 2001 तथा वर्ष 2011 के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के लिए निवास द्वारा राज्यवार लिंग अनुपात अनुलग्नक 18(ख) में दर्शाया गया है।

18.3 बाल लिंग अनुपात : जनगणना 2011 के आंकड़े दर्शाते हैं कि सामान्य जनसंख्या के लिए 0-6 आयु समूह में बाल लिंग अनुपात वर्ष 2001 में प्रति 1,000 लड़कों पर 927 लड़कियों से गिरकर प्रति 1,000 लड़कों पर 914 लड़कियां हो गया है। अनुसूचित जनजातियों के संबंध में बाल लिंग अनुपात वर्ष 2001 में 972 से गिरकर 2011 में 957 हो गया है। यद्यपि सामान्य जनसंख्या हेतु बाल लिंग अनुपात की तुलना में यह उच्चतर है।

18.4 साक्षरता दर: जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए साक्षरता दर वर्ष 2001 में 47.1: से 2011 में 59: तक की बढ़ोतरी हुई है। इन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजाति के पुरुषों में साक्षरता दर 59.2% से 68.5% तक बढ़ी है तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में साक्षरता दर 34.8% से 49.4% तक बढ़ी है। संपूर्ण जनसंख्या के लिए साक्षरता दर वर्ष 2001 में 64.8% से वर्ष 2011 में 73% तक की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े दर्शाते हैं कि अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर सामान्य जनसंख्या की संपूर्ण साक्षरता दर की तुलना में 14 प्रतिशतता बिन्दु तक निम्नतर है। वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर संपूर्ण महिला साक्षरता दर की तुलना में लगभग 15 प्रतिशतता बिन्दुओं तक निम्नतर है। ब्यौरे तालिका **18.1** में दिए गए हैं।

वर्ष	अनुसूचित जनजातियां			सभी सामाजिक समूह		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1961	13.83	3.16	8.53	40.40	15.35	28.30
1971	17.63	4.85	11.30	45.96	21.97	34.45
1981	24.52	8.04	16.35	56.38	29.76	43.57
1991	40.65	18.19	29.60	64.13	39.29	52.21
2001	59.17	34.76	47.10	75.26	53.67	64.84
2011	68.5	49.4	59.0	80.9	64.6	73.0
स्रोत: भारत के महापंजीयक का कार्यालय						

तालिका 18.1: अनुसूचित जनजातियों तथा सभी सामाजिक समूहों में साक्षरता दर

यह भी पाया गया था कि वर्ष 2001 से 2011 तक अनुसूचित जनजातियों के लिए साक्षरता दर 11.9 प्रतिशतता बिन्दुओं तक बढ़ी तथा इसी अवधि के दौरान कुल जनसंख्या के लिए यह 8.16 प्रतिशतता बिन्दुओं तक बढ़ी। अनुसूचित जनजातियों के लिए महिला-पुरुष साक्षरता दर में अंतर वर्ष 2001 में 24.41 प्रतिशतता बिन्दुओं से 2011 में 19.1 प्रतिशतता बिन्दुओं तक घटा है जबकि कुल जनसंख्या के लिए यह अंतर वर्ष 2001 में 21.59 प्रतिशतता बिन्दुओं से 2011 में 16.3 प्रतिशतता बिन्दुओं तक घटा है।

वर्ष 2011 के दौरान तमिलनाडु, ओडिशा, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा केरल नामक राज्यों ने कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित

जनजातियों की साक्षरता दर में 18 प्रतिशतता बिन्दुओं से अधिक अंतर दर्शाया है। तथापि, सभी राज्यों ने वर्ष 2001 तथा 2011 के बीच साक्षरता दर के अंतर में गिरावट दर्ज की है। राज्यवार ब्यौरे अनुलग्नक- 18 ग में दिए गए हैं।

वर्ष 2011 के दौरान अलग-अलग श्रेणियों (सभी आयु, 10-14, 15-19, 20-24 के बीच की आयु, किशोर (10-19) तथा युवा (15-24)) के लिए अखिल भारत स्तर पर साक्षरता अंतर को भारत, कुल जनसंख्या तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए लिंगवार वर्गीकृत किया गया है, जो निम्नानुसार दिया गया है।

सभी श्रेणियां (आयु समूह)	साक्षरता दर								
	कुल			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
सभी आयु	73.0	80.9	64.6	66.1	75.2	56.5	59.0	68.5	49.4
10-14	91.1	92.2	90.0	90.3	91.5	89.0	86.4	88.3	84.4
15-19	88.8	91.2	86.2	87.1	89.7	84.1	80.2	85.7	74.6
20-24	83.2	88.8	77.3	79.1	86.2	71.6	69.2	79.6	59.0
किशोर (10-19)	90.0	91.7	88.2	88.8	90.6	86.8	83.6	87.1	79.9
युवा (15-24)	86.1	90.0	81.8	83.3	88.1	78.0	75.0	82.9	67.1

पिछड़ेपन के संकेतक

18.5 योजना आयोग वर्षों से गरीबी के अनुपातों का अनुमान करता है जिसके लिए परिवार उपभोक्ता व्यय पर बड़े प्रतिदर्श नमूने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा लिए गए हैं। सामाजिक समूहों में गरीबी के अनुपात का अनुमान संबंधित सामाजिक समूहों के व्यक्तियों के वितरण की प्रतिशतता से किया जाता है जिसे एनएसएसओ के उपभोक्ता व्यय आंकड़ों के बढ़े प्रतिदर्श सर्वेक्षण तथा संपूर्ण जनसंख्या के लिए गरीबी रेखा से प्राप्त किया जाता है। योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011-12 में संपूर्ण जनसंख्या के लिए गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण क्षेत्रें में 25.7 प्रतिशत व्यक्तियों तथा शहरी क्षेत्रें में 13.7 प्रतिशत व्यक्तियों की तुलना में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रें में 45.3 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रें में 24.1 प्रतिशत थी। वर्ष 2009-10 तथा 2011-12 के लिए राज्यवार ब्यौरे निम्नलिखित **तालिका 18.2** में दिए गए हैं।

तालिका 18.2 : वर्ष 2009-10 तथा 2011-12 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की राज्यवार प्रतिशतता

(तेंदूलकर पद्धति)

क्र सं.	राज्य	ग्रामीण		शहरी	
		2009-10	2011-12	2009-10	2011-12
1	आंध्रप्रदेश	40.2	24.1	21.2	12.1
2	असम	32.0	33.4	29.2	15.6
3	बिहार	64.4	59.3	16.5	10.3
4	छत्तीसगढ़	66.8	52.6	28.6	35.2
5	गुजरात	48.6	36.5	32.2	30.1
6	हिमाचल प्रदेश	22.0	9.5	19.6	4.0
7	जम्मू और कश्मीर	3.1	16.3	15.0	3.0
8	झारखण्ड	51.5	51.6	49.5	28.7
9	कर्नाटक	21.3	30.8	35.6	33.7
10	केरल	24.4	41.0	5.0	13.6
11	मध्यप्रदेश	61.9	55.3	41.6	32.3
12	महाराष्ट्र	51.7	61.6	32.4	23.3
13	ओडिशा	66.0	63.5	34.1	39.7
14	राजस्थान	35.9	41.4	28.9	21.7
15	तमिलनाडु	11.5	36.8	17.6	2.8
16	उत्तरप्रदेश	49.8	27.0	20.2	16.3
17	उत्तराखण्ड	20.0	11.9	0	25.7
18	पश्चिम बंगाल	32.9	50.1	20.6	44.5
	अखिल भारत	47.4	45.3	30.4	24.1

अनुसूचित जनजातियां बनाम अन्य के स्वास्थ्य संकेतक

18.6 वर्ष 2005-06 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-3 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ सभी श्रेणियों के लिए शिशु मृत्यु दर तथा 5 वर्ष से कम बाल मृत्यु दर तालिका **18.3** में दर्शाई गई है।

तालिका 18.3 : राज्यवार बाल स्वास्थ्य संकेतकरू शिशु मृत्यु दर तथा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर

क्र सं.	राज्य	शिशु मृत्यु दर (आईएमआर)		5 वर्ष से कम आयु केबच्चों की मृत्यु दर	
		सभी	अ.ज.जा	सभी	अ.ज.जा
1	आंध्रप्रदेश	68.4	(94.1)	78.7	(112)
2	अरुणाचल प्रदेश	60.7	67.6	87.7	100.9
3	असम	66.1	59	85	83.2
5	छत्तीसगढ़	80.8	90.6	105.5	128.5
7	गुजरात	62.8	(86.0)	77.0	(115.8)
10	जम्मू और कश्मीर	45.5	(34.3)	53.8	*
11	झारखण्ड	76.6	93.0	112.4	138.5
12	कर्नाटक	53.0	(45.8)	66.2	(77.9)

14	मध्यप्रदेश	81.9	95.6	108.2	140.7
15	महाराष्ट्र	45.3	51.4	53.4	69.8
16	मणिपुर	29.7	51.2	41.9	71.4
17	मेघालय	44.6	49.3	70.5	74
18	नागालैण्ड	38.3	45.8	64.7	65.8
19	ओडिशा	67.7	78.7	94.7	136.3
20	राजस्थान	72.7	73.2	93.3	113.8
21	सिक्किम	33.7	28.9	40.1	35.9
	अखिल भारत	57	62.1	74.3	95.7

स्रोत: एएफएचएस, 2005-06, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(·) अभारित मामलों 250-499 पर आधारित

* 250 अभारित मामलों के बजाए निम्नतर पर आधारित दर दर्शाई नहीं गई हैं जो आयु के आरंभिक वर्षों से मध्याह्न तक जीवित हैं।

अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या तथा सामान्य जनसंख्या के लिए बाल मृत्यु दर में प्रतिशतता अंतर आंध्रप्रदेश (25.7), गुजरात (23.2) तथा मणिपुर (21.5) में बहुत उच्च है वहीं असम, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक तथा सिक्किम राज्यों के लिए अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या हेतु बाल मृत्यु दर सामान्य जनसंख्या से क्रमश: 7.1, 11.2, 7.2 तथा 8.4 प्रतिशतता बिन्दुओं तक निम्नतर है। इसके समान अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के लिए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में सामान्य जनसंख्या से प्रतिशतता अंतर ओडिशा (41.6), गुजरात (38.8), आंध्रप्रदेश (33.3) तथा मध्यप्रदेश (32.5) में बहुत उच्च है। सिक्किम तथा असम राज्यों हेतु अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के लिए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की दर सामान्य जनसंख्या से क्रमश: 4.2 तथा 1.8 प्रतिशतता बिन्दुओं तक निम्नतर है।

एनएफएचएस-3 के अनुसार जाति/जनजाति द्वारा 5 वर्ष से कम बच्चों में रुका हुआ विकास, क्षय रोग तथा वजन में कमी की स्थिति निम्नानुसार दी गई है:-

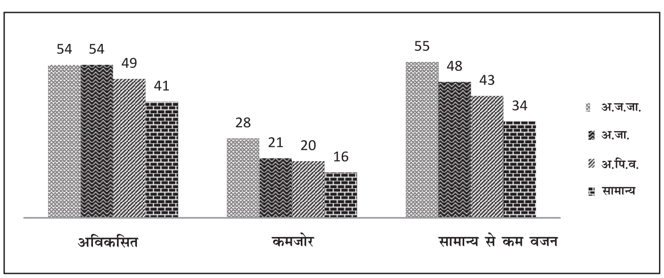

यह देखा गया है कि वंचित समूहों में पोषण संबंधी कमियां अधिक व्याप्त है। अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के युवा बच्चों में अन्य श्रेणियों की तुलना में रुके हुए विकास, क्षय रोग तथा वजन में कमी की अधिक संभावना पाई जाती है।

शिक्षा

18.7 शिक्षा के प्राथमिक चरण (कक्षा 1-8) के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) की आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष से कम में अनुमानित बच्चों की जनसंख्या के लिए प्राथमिक स्तर में नामांकन के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस चरण में अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सकल नामांकन अनुपात 2004-05 में 102.4 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 119.7 प्रतिशत हो गया है और सभी श्रेणियों के लिए यह 2004-05 के 93.5 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 103.9 प्रतिशत हो गया है। तथापि, अनुसूचित जनजाति तथा सभी श्रेणियों के बच्चों के मामले में वर्ष 2011-12 में सकल नामांकन अनुपात में मामूली गिरावट देखी गई है। प्राथमिक स्तर (1-8) पर कुल जनसंख्या और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्षवार सकल नामांकन अनुपात तालिका : 18.4 पर दिया गया है।

तालिका 18.4: प्राथमिक स्तर (GER) के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)

वर्ष	अनुसूचित जनजाति की श्रेणी			सभी श्रेणियां		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
2000-01	102.5	73.5	88.0	90.3	72.4	81.6
2001-02	99.8	77.3	88.9	90.7	73.6	82.4
2002-03	86.7	73.9	80.5	85.4	79.3	82.5
2003-04	90.6	81.1	86.1	87.9	81.4	84.8
2004-05	108.5	95.8	102.4	96.9	89.9	93.5
2005-06	111.9	100.6	106.4	98.5	91.0	94.9
2006-07	114.7	104.2	109.6	100.4	93.5	97.1
2007-08	116.3	108.9	112.7	102.4	98.0	100.3
2008-09	119.0	113.4	116.3	102.5	99.6	101.1
2009-10	119.1	115.2	117.2	102.5	100.4	101.5
2010-11	120.5	118.7	119.7	104.5	103.3	103.9
2011-12	103.0	100.6	101.8	97.2	97.6	97.4

स्रोत : स्कूल शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सांख्यिकी, 2011-12

इन स्तरों में नामांकन में कम आयु और अधिक आयु शामिल है। अत: कुल प्रतिशतता कुछ मामलों में 100 से अधिक हो सकती है।

प्राथमिक चरण में सामान्य नामांकन अनुपात में लिंग असमानता में तेजी से कमी आई है। 2004-05 में अनुसूचित जनजाति बच्चों

के लिए असमानता कारक 12.7 प्रतिशत से गिर कर 2011-12 में 2.4 प्रतिशत बिन्दु हो गया। सभी श्रेणियों के लिए गिरावट 2004-05 में 7.0 प्रतिशत बिन्दु से 2010-11 में 1.2 प्रतिशत बिन्दु हो गई। तथापि, वर्ष 2011-12 में सभी श्रेणियों के लिए लड़कों के जीअईआर की तुलना में लड़कियों का जीईआर 0.4 प्रतिशतता बिन्दु तक उच्चतर है।

18.8 आयु समूह 0-6 में विकलांगों की प्रतिशतता

जनगणना, 2001 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति के बच्चों की कुल संख्या में से आयु समूह 0-6 में 1.05 प्रतिशत बच्चे विकलांग हैं वहीं आयु समूह 0-6 में कुल जनसंख्या का 1.24 प्रतिशत विकलांग है। कुल जनसंख्या की तुलना में 0-6 वर्ष के आयु समूह में अनुसूचित जनजाति के बच्चों में विकलांगता की उच्चतर प्रतिशतता दर्शाने वाले राज्यों में केरल, उत्तराखण्ड, सिक्किम, मणिपुर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इत्यादि राज्य शामिल हैं। राज्यवार ब्यौरे अनुलग्नक 18-घ में दिए गए हैं।

18.9 अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता तथा उनके प्रकाश के स्रोत- अनुसूचित जनजाति तथा सभी आयु समूहों की तुलनात्मक तस्वीर

जनगणना, 2011 के अनुसार अखिल भारत की तस्वीर दर्शाती है कि अनुसूचित जनजाति के परिवारों तथा सभी परिवारों के लिए प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली है। इसके पश्चात मिटी के तेल का उपयोग किया जाता है। सभी परिवारों का 67.2 प्रतशित तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों का 51.7 प्रतिशत बिजली का उपयोग करता है। सभी परिवारों का 31.4 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों का 45.6 प्रतिशत मिटी के तेल का उपयोग करता है। लक्षद्वीप में 99.7 प्रतिशत परिवारों के लिए प्रकाश के मुख्य स्रोत के रुप में बिजली का उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात दमन और दीव (96.6 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (94.5 प्रतिशत), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (94 प्रतिशत) तथा गोवा (93.8 प्रतिशत) का स्थान है। पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जनजाति के परिवारों में प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली है। सिक्किम का स्थान उच्चतम (91.5 प्रतिशत) है, इसके पश्चात मिजोरम (84.3 प्रतिशत) तथा नागालैण्ड (81.2 प्रतिशत) का स्थान है। बिहार तथा ओडिशा एक विकृत तस्वीर दर्शाते हैं, जहां बिहार में कुल परिवारों के 16.4 प्रतिशत की तुलना में अनुसूचित जनजाति के केवल 11.5 प्रतिशत परिवार (न्यूनतम) तथा ओडिशा में कुल परिवार की तुलना में 15.6 प्रतिशत परिवार बिजली का उपययोग करते हैं। बिहार तथा ओडिशा में अनुसूचित जनजाति के अधिकतम परिवार मिटी के तेल का उपयोग करते हैं।

18.10 अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता जिनके मकानों में शौचालय तथा स्नानघर की सुविधा है- अनुसूचित जनजाति तथा सभी सामाजिक समूहों की तुलनात्मक तस्वीर

जनगणना, 2011 के आंकड़ों के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर ही सभी परिवारों में से 46.9 प्रतिशत के पास जिसमें से 22.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवार हैं जिनके परिसर में शौचालय की सुविधा है। पूरे परिवारों के 0.3 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के परिवार अभी भी मनुष्यों द्वारा मैला ढोने की पद्धति का प्रयोग करते हैं जबकि कुल परिवारों के 49.8 प्रतिशत खुले में जाते हैं और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के 74.7 प्रतिशत अभी भी खुले में शौच जाते हैं। राज्य स्तर पर लक्षदीप सबसे ऊपर स्थान पर है क्योंकि उसके 98.3 प्रतिशत परिवारों के पास परिसर में ही शौचालय की सुविधा है कुछ अन्य राज्य जिनमें अनुसूचित जनजाति परिवार हैं जिनके पास यह सुविधा है और इस क्रम में सबसे ऊपर मिजोरम 991.9 प्रतिशत), अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह (88.2 प्रतिशत), सिक्किम (85.9 प्रतिशत), मणिपुर (82.3 प्रतिशत), नागालैंड (74.8 प्रतिशत) और केरल (71.4 प्रतिशत) है। ओडिशा अनुसूचित जनजाति परिवारों के केवल 7.1 प्रतिशत के साथ निम्नतम स्तर पर दिखाई देता है जबकि सभी परिवार जिनके परिसर में शौचालय की व्यवस्था है वे 22 प्रतिशत है। जम्मू और कश्मीर में सभी परिवारों के 8.9 प्रतिशत की तुलना में अनुसूचित जनजाति परिवारों का 5.2 प्रतिशत मनुष्यों द्वारा मैला ढोने की पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। कई अन्य राज्य जैसे मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और दादर व नगर हवेली में इस रीति का उपयोग किया जा रहा है।

खुले में शौच जाने की यह रीति देश में प्रचलन में है जिसमें राजस्थान अनुसूचित जनजाति परिवारों के 91.7 प्रतिशत के साथ सूची में सबसे ऊपर है इसके बाद ओडिशा 91.6 प्रतिशत, मध्य प्रदेश 90.9 प्रतिशत, झारखण्ड 90.8 प्रतिशत, बिहार और छत्तीसगढ़ 85 प्रतिशत और दादर व नगर हवेली लगभग 81 प्रतिशत आते हैं। अधिकांश राज्यों में सभी परिवारों की तुलना में जो खुले में शौच का विकल्प का उपयोग करते हैं अनुसूचित जनजातीय परिवार सबसे ऊपर हैं। इस श्रेणी में निम्नतम राज्य लक्षदीप (1.5 प्रतिशत) है, जिसके बाद मिजोरम (6.6 प्रतिशत), अण्डमान व निकोबार दीप समूह (11.5 प्रतिशत) और सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड के पूर्वोत्तर राज्य क्रमशः 12.8 प्रतिशत, 16.4 प्रतिशत और 17.8 प्रतिशत पर आते हैं। अखिल भारत स्तर पर सभी परिवारों के 42 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों के 17.3 प्रतिशत के मकानों में स्नान घर की सुविधा है। मकानों में स्नान घर की सुविधा वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों का उच्चतम प्रतिशत लक्षदीप में देखा गया है जो 96.6 प्रतिशत है तथा 3.4 प्रतिशत के साथ

ओडिशा न्यूनतम स्थान पर है। (अनुलग्नक-18 में ब्यौरे देखें)।

18.11 जनगणना की स्थितियों के अनुसार अनुसूचित जनजातीय परिवारों का प्रतिशत जिनके पास घर हैं -अनुसूचित जनजातियों और सभी सामाजिक समूहों की तुलनात्मक तस्वीर

जनगणना 2011 के अनुसार कुल परिवारों के 53 प्रतिशत की तुलना में 40.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवारों को अच्छे घरों में रहते देखा गया है। अनूसूचित जनजाति परिवार जिनके पास अच्छे मकान हैं (87 प्रतिशत) उनकी अधिकतम संख्या अण्डमान और निकोबार दीप समूह में देखी गई है। इस श्रेणी में सबसे नीचे ओडिशा 19 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवारों के साथ है जिनके पास अच्छे मकान हैं इसके बाद पश्चिम बंगाल 28 प्रतिशत के साथ बिहार और राजस्थान प्रत्येक 31 प्रतिशत के साथ और असम 32 प्रतिशत के साथ आता है। दस राज्य अखिल भारतीय अनुसूचित जनजातीय परिवारों द्वारा अच्छे मकान रखने में नीचे हैं। अखिल भारतीय स्तर पर समस्त परिवार जिनके परिसर के भीतर अलग से रसोई है उनके 61.3 प्रतिशत की तुलना में अनुसूचित जनजाति परिवार 53.7 प्रतिशत पर इस श्रेणी में अनुसूचित जनजाति परिवार जो अधिकतम संख्या में देखे गए हैं वे अण्डमाव व निकोबार (97.7 प्रतिशत) देखे गए हैं इसके बाद नागालैंड (96.8 प्रतिशत), लक्षदीप (96.6 प्रतिशत), सिक्किम (91.7 प्रतिशत), मेघालय (91.2 प्रतिशत) और गोवा (90.2 प्रतिशत) पर आता है। परिसर के भीतर रसोई रखने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों में सात राज्य अखिल भारतीय प्रतिशत से नीचे हैं, निम्नतम प्रतिशत राजस्थान में है (22.1 प्रतिशत) इसके बाद बिहार (34.4 प्रतिशत) झारखण्ड (34.5 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (36.6 प्रतिशत), आन्ध्र प्रदेश (37.8 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (43.0 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (48.2 प्रतिशत) का स्थान आता है। **(अनुलग्नक 18-छ)**

18.12 घर के भीतर खाना पकाने वाले परिवार और ईंधन का प्रकार जिसका वे प्रयोग करते हैं

जनगणना 2011 के आंकड़े दर्शाते हैं कि इस श्रेणी में घर के अंदर खाना पकाने वाले परिवारों की अखिल भारतीय स्थिति दर्शाती है कि जहाँ कुल जनसंख्या का 63.99 प्रतिशत परिवार खाना पकाने के लिए जलाने की लकड़ीध्फसल का अवशिष्ट/उपले, कोयला/लिग्नाइट,कच्चा कोयला (धुँआ पैदा करने वाला ईंधन) का प्रयोग करते हैं, वहीं अनुसूचित जनजातीय परिवारों के लिए इसका प्रतिशत 87.5 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता जो मिटी के तेल/एलपीजी/पीएनजी/बिजली का प्रयोग कर रहे हैं केवल 12 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति के परिवारों की उच्चतम प्रतिशतता मिजोरम (54.44 प्रतिशत) में देखी गई है, जो घर के अंदर खाना पकाते हैं तथा मिटी के तेल (धुआं रहित ईंधन) इत्यादि का उपयोग करते हैं। इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (54.33 प्रतिशत) का स्थान है। इस श्रेणी में निकृष्टतम दृष्य ओडिशा (2.37 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (3.33 प्रतिशत), मध्यप्रदेश (4.07 प्रतिशत), झारखण्ड (4.18 प्रतिशत) तथा राजस्थान (6.06 प्रतिशत) में देखा जाता है। राज्यवार ब्यौरे **अनुलग्नक- 18 ज** दिया गया है।

18.13 परिवार जो घर के बाहर खाना पकाते हैं और उपयोग किए गए ईंधन का प्रकार

जनगणना, 2011 के अनुसार इस श्रेणी में अखिल भारतीय चित्र दर्शाता है कि कुल आबादी के 91.9 प्रतिशत परिवार खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी/फसल अवशेष/गोबर के कण्डों, कोयले/लिग्नाइट, कच्चे कोयले का प्रयोग करते हैं, वहीं 95.62 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के परिवारों में इसका प्रयोग किया जाता है जो काफी उच्चतर है। अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता जो मिट्टी के तेल/एलपीजी/पीएनजी (धुआं रहित ईंधन) का प्रयोग करते हैं, कुल 7.2 प्रतिशत परिवारों की तुलना में केवल 3.3 प्रतिशत है। राज्यवार ब्यौरे अनुलग्नक 18 ज में देखे जा सकते हैं।

18.14 परिवार जो पेयजल के मुख्य स्रोतों के पास हैं

जनगणना 2011 के अनुसार यह देखा गया है कि देश के अधिकांश सभी परिवारों 47 प्रतिशत के पास उनके परिसर के भीतर पेयजल सुविधा हैं वहीं 20 के प्रतिशत से कम अनुसूचित जनजातीय परिवार इस सुविधा का लाभ उठाते हैं। अनुसूचित जनजातीय परिवारों के एक तिहाई से अधिक लोगों को दूर स्थित स्रोतों से पेयजल भरके लाने में अपना समय और ऊर्जा लगानी पड़ती है जबकि अखिल भारतीय स्तर पर सभी परिवारों में केवल 18 प्रतिशत को ऐसा श्रम करना पड़ता है। राज्यवार ब्यौरे अनुलग्नक 19-झ में दिए गए हैं।

18.15 देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के विरु) किए गए अपराध

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यौरे (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरु) किए गए कुल संज्ञेय अपराधों की दर केरल में उच्चतम 25.58 प्रतिशत है इसके पश्चात राजस्थान (14.62 प्रतिशत), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (14.02 प्रतिशत), आंध्रप्रदेश (11.25 प्रतिशत), बिहार (8.90 प्रतिशत), कर्नाटक (8.80 प्रतिशत), मध्यप्रदेश (7.95 प्रतिशत), ओडिशा (7.17 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (4.40 प्रतिशत) इत्यादि का स्थान है। राज्यवार ब्यौरे अनुलग्नक-18 ट में दिए गए हैं।

अनुलग्नक 18 क

जनसांख्यिकी आंकड़े: जनगणना 2011

क्र.सं.	भारत/राज्य	कुल जनसंख्या		दशकीय वृद्धि प्रतिशत में	अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या		दशकीय वृद्धि प्रतिशत में	राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में अ.ज.जा. जनसंख्या का प्रतिशत	भारत की कुल जनसंख्या की तुलना में अ.ज.जा. जनसंख्या का प्रतिशत
		2001	2011		2001	2011			
	भारत	**1,028,610,328**	**1,210,569,573**	**17.69**	**84,326,240**	**104,281,034**	**23.66**	8.6	-
1.	आंध्रप्रदेश	76,210,007	84,580,777	10.98	5,024,104	5,918,073	17.79	7.00	5.68
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,097,968	1,383,727	26.03	705,158	951,821	34.98	68.79	0.91
3.	असम	26,655,528	31,205,576	17.07	3,308,570	3,884,371	17.40	12.45	3.72
4.	बिहार	82,998,509	104,099,452	25.42	758,351	1,336,573	76.25	1.28	1.28
5.	छत्तीसगढ़*	20,833,803	25,545,198	22.61	6,616,596	7,822,902	18.23	30.62	7.50
6.	गोवा	1,347,668	1,458,545	8.23	566	149,275	26273.67	10.23	0.14
7.	गुजरात	50,671,017	60,439,692	19.28	7,481,160	8,917,174	19.20	14.75	8.55
8.	हरियाणा	21,144,564	25,351,462	19.90	-	-	-	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	6,077,900	6,864,602	12.94	244,587	392,126	60.32	5.71	0.38
10.	जम्मू और कश्मीर	10,143,700	12,541,302	23.64	1,105,979	1,493,299	35.02	11.91	1.43
11.	झारखंड*	26,945,829	32,988,134	22.42	7,087,068	8,645,042	21.98	26.21	8.29
12.	कर्नाटक	52,850,562	61,095,297	15.60	3,463,986	4,248,987	22.66	6.95	4.07
13.	केरल	31,841,374	33,406,061	4.91	364,189	484,839	33.13	1.45	0.46
14.	मध्य प्रदेश	60,348,023	72,626,809	20.35	12,233,474	15,316,784	25.20	21.09	14.69
15.	महाराष्ट्र	96,878,627	112,374,333	15.99	8,577,276	10,510,213	22.54	9.35	10.08
16.	मणिपुर	2,166,788	2,570,390	18.63	741,141	902,740	21.80	35.12	0.87
17.	मेघालय	2,318,822	2,966,889	27.95	1,992,862	2,555,861	28.25	86.15	2.45
18.	मिजोरम	888,573	1,097,206	23.48	839,310	1,036,115	23.45	94.43	0.99
19.	नागालैण्ड	1,990,036	1,978,502	-0.58	1,774,026	1,710,973	-3.55	86.48	1.64
20.	उड़ीसा	36,804,660	41,974,218	14.05	8,145,081	9,590,756	17.75	22.85	9.20
21.	पंजाब	24,358,999	27,743,338	13.89	-	-	-	0.00	0.00
22.	राजस्थान	56,507,188	68,548,437	21.31	7,097,706	9,238,534	30.16	13.48	8.86
23.	सिक्किम	540,851	610,577	12.89	111,405	206,360	85.23	33.80	0.20
24.	तमिलनाडु	62,405,679	72,147,030	15.61	651,321	794,697	22.01	1.10	0.76
25.	त्रिपुरा	3,199,203	3,673,917	14.84	993,426	1,166,813	17.45	31.76	1.12
26.	उत्तराखंड*	8,489,349	10,086,292	18.81	256,129	291,903	13.97	2.89	0.28
27.	उत्तर प्रदेश	166,197,921	199,812,341	20.23	107,963	1,134,273	950.61	0.57	1.09
28.	पश्चिम बंगाल	80,176,197	91,276,115	13.84	4,406,794	5,296,953	20.20	5.80	5.08
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	356,152	380,581	6.86	29,469	28,530	-3.19	7.50	0.03
30.	चंड़ीगढ़	900,635	1,055,450	17.19	-	-	-	-	-
31.	दादर व नगर हवेली	220,490	343,709	55.88	137,225	178,564	30.12	51.95	0.17
32.	दमन व दीव	158,204	243,247	53.76	13,997	15,363	9.76	6.32	0.01
33.	दिल्ली	13,850,507	16,787,941	21.21	-	-	-	-	-
34.	लक्ष्यद्वीप	60,650	64,473	6.30	57,321	61,120	6.63	94.80	0.06
35.	पुद्दूचेरी	974,345	1,247,953	28.08	-	-	-	-	-

* मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के पुनर्गठन के बाद वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, झारखण्ड तथा उत्तराखंड राज्यों का गठन किया गया था।

अनुलग्नक 18 ख

अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का राज्यवार लिंग अनुपात : 2001-2011

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लिंग अनुपात 2001			लिंग अनुपात 2011		
		कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
	भारत	978	981	944	990	991	980
1.	जम्मू और कश्मीर	910	916	799	924	927	872
2.	हिमाचल प्रदेश	996	1,002	809	999	1,003	923
3.	पंजाब	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी
4.	चंड़ीगढ़#	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी
5.	उत्तराखंड	950	956	867	963	966	938
6.	हरियाणा	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी
7.	दिल्ली का एनसीटी#	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी
8.	राजस्थान	944	950	851	948	951	893
9.	उत्तर प्रदेश	934	945	850	952	959	884
10.	बिहार	929	934	839	958	960	934
11.	सिक्किम	957	950	1,024	960	942	1,042
12.	अरूणाचल प्रदेश	1,003	1,000	1,020	1,032	1,022	1,083
13.	नागालैण्ड	943	942	946	976	964	1,014
14.	मणिपुर	980	977	1,040	1,002	995	1,051
15.	मिजोरम	984	959	1,012	1,007	967	1,047
16.	त्रिपुरा	970	971	921	983	982	1,017
17.	मेघालय	1,000	987	1,072	1,013	996	1,104
18.	असम	972	974	929	985	984	996
19.	पश्चिम बंगाल	982	984	950	999	1,000	991
20.	झारखंड	987	989	965	1,003	1,003	1,007
21.	उड़ीसा	1,003	1,006	948	1,029	1,031	991
22.	छत्तीसगढ़	1,013	1,017	941	1,020	1,021	999
23.	मध्य प्रदेश	975	979	912	984	986	956
24.	गुजरात	974	978	926	981	984	952
25.	दमन व दीव#	947	952	928	977	982	972
26.	दादर व नगर हवेली#	1,028	1,032	973	1,010	1,011	1,002
27.	महाराष्ट्र	973	979	931	977	984	942
28.	आंध्र प्रदेश	972	974	941	993	996	968
29.	कर्नाटक	972	975	960	990	990	993
30.	गोवा	893	827	928	1,046	1,026	1,076
31.	लक्ष्यदीप#	1,003	1,001	1,006	1,003	994	1,006
32.	केरल	1,021	1,020	1,053	1,035	1,031	1,070
33.	तमिलनाडु	980	977	997	981	982	980
34.	पुद्दूचेरी#	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी	एनएसटी
35.	अंडमानऔरनिकोबारदीपसमूह#	948	954	796	937	931	1,030

अनुलग्नक 18 ग

कुल जनसंख्या एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की साक्षरता दर तथा दोनों की साक्षरता की दरों में अंतर: 2001-2011

क्र.सं.	भारत/संघ राज्य क्षेत्र	साक्षरता दर 2001		साक्षरता दर में अंतर	साक्षरता दर 2011		साक्षरता दर में अंतर
		कुल	अ.ज.जा.		कुल	अ.ज.जा.	
भारत		**64.8**	**47.1**	**17.7**	**73.0**	**59.0**	**14.0**
1.	आंध्रप्रदेश	60.5	37	23.4	67.0	49.2	17.8
2.	अरुणाचल प्रदेश	54.3	49.6	4.7	65.4	64.6	0.8
3.	असम	63.3	62.5	0.8	72.2	72.1	0.1
4.	बिहार	47	28.2	18.8	61.8	51.1	10.7
5.	छत्तीसगढ़	64.7	52.1	12.6	70.3	59.1	11.2
6.	गोवा	82	55.9	26.1	88.7	79.1	9.6
7.	गुजरात	69.1	47.7	21.4	78.0	62.5	15.6
8.	हरियाणा#	67.9	एनएसटी	-	75.6	एनएसटी	-
9.	हिमाचल प्रदेश	76.5	65.5	11	82.8	73.6	9.2
10.	जम्मू और कश्मीर	55.5	37.5	18	67.2	50.6	16.6
11.	झारखंड	53.6	40.7	12.9	66.4	57.1	9.3
12.	कर्नाटक	66.6	48.3	18.3	75.4	62.1	13.3
13.	केरल	90.9	64.4	26.5	94.0	75.8	18.2
14.	मध्य प्रदेश	63.7	41.2	22.5	69.3	50.6	18.8
15.	महाराष्ट्र	76.9	55.2	21.7	82.3	65.7	16.6
16.	मणिपुर	70.5	65.9	4.6	79.2	77.4	1.9
17.	मेघालय	62.6	61.3	1.3	74.4	74.5	-0.1
18.	मिजोरम	88.8	89.3	0.5	91.3	91.5	-0.2
19.	नागालैण्ड	66.6	65.9	0.7	79.6	80.0	-0.5
20.	उड़ीसा	63.1	37.4	25.7	72.9	52.2	20.6
21.	पंजाब#	69.7	एनएसटी	-	75.8	एनएसटी	-
22.	राजस्थान	60.4	44.7	15.7	66.1	52.8	13.3
23.	सिक्किम	68.8	67.1	1.7	81.4	79.7	1.7
24.	तमिलनाडु	73.5	41.5	32	80.1	54.3	25.8
25.	त्रिपुरा	73.2	56.5	16.7	87.2	79.1	8.2
26.	उत्तराखंड	71.6	63.2	8.4	78.8	73.9	4.9
27.	उत्तर प्रदेश	56.3	35.1	21.2	67.7	55.7	12.0
28.	पश्चिम बंगाल	68.6	43.4	25.2	76.3	57.9	18.3
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	81.3	66.8	14.5	86.6	75.6	11.0
30.	चंड़ीगढ़#	81.9	एनएसटी	-	86.0	एनएसटी	-
31.	दादर-नगर हवेली	57.6	41.2	16.4	76.2	61.9	14.4
32.	दमन व दीव	78.2	63.4	14.8	87.1	78.8	8.3
33.	दिल्ली#	81.7	एनएसटी	-	86.2	एनएसटी	-
34.	लक्ष्यद्वीप	86.7	86.1	0.6	91.8	91.7	0.1
35.	पुद्दूचेरी#	81.2	एनएसटी	-	85.8	एनएसटी	-

स्रोत: जनसंख्या 2011

2011 में मणिपुर के सेनापति जिले के पाओमाता, माओमारन एवं पुरुल उप-मंडल के आंकड़ों को छोड़कर

एनएसटी-राज्यों में अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं

अनुलग्नक 18 घ :

आयु समूह 0-6 में अनुसूचित जनजातियों तथा कुल जनसंख्या में विकलांग व्यक्तियों के विवरण की प्रतिशतता

राज्य कोड	राज्य का नाम	विकलांग बच्चों का प्रतिशत	
		कुल	अ.ज.जा.
00	भारत	1.24	1.05
01	जम्मू-कश्मीर	1.38	1.41
02	हिमाचल प्रदेश	0.93	0.88
03	पंजाब	1.42	-
04	चंडीगढ	0.78	-
05	उत्तराखंड	0.90	1.18
06	हरियाणा	1.12	-
07	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.68	-
08	राजस्थान	0.84	0.80
09	उत्तर प्रदेश	1.35	1.28
10	बिहार	1.52	1.40
11	सिक्किम	0.98	1.05
12	अरुणाचल प्रदेश	1.00	1.07
13	नागालैंड	0.66	0.63
14	मणिपुर	1.39	1.47
15	मिजोरम	0.54	0.54
16	त्रिपुरा	0.96	0.82
17	मेघालय	0.89	0.90
18	असम	0.77	0.69
19	पश्चिम बंगाल	1.25	1.06
20	झारखंड	1.36	1.15
21	ओडिशा	1.54	1.43
22	छत्तीसगढ	0.96	0.87
23	मध्य प्रदेश	1.09	0.97
24	गुजरात	1.01	0.84
25	दमन और दीव	0.42	0.45
26	दादरा एवं नगर हवेली	0.63	0.61
27	महाराष्ट्र	1.63	1.27
28	आंध्र प्रदेश	1.39	1.34
29	कर्नाटक	1.30	1.29
30	गोवा	1.05	1.05
31	लक्षद्वीप	1.06	1.05
32	केरल	0.76	1.04
33	तमिलनाडु	0.84	0.80
34	पुडुचेरी	0.96	-
35	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.94	1.12

स्रोत : जनगणना 2011

अनुलग्नक 18 ड. :

अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता तथा प्रकाश का उनका मुख्य स्रोत

क्षेत्र का नाम	परिवारों की कुल संख्या		प्रकाश का मुख्य स्रोत							
			बिजली		मिट्टी का तेल		सौर प्रकाश		अन्य	
	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज. जा.	सभी	अ.ज. जा.	सभी	अ.ज. जा.	सभी	अ.ज. जा.	सभी
भारत	23,329,105.00	246,692,667.00	51.7	67.2	45.6	31.4	1.1	0.4	1.6	0.9
जम्मू और कश्मीर	262,419.00	2,015,088.00	59.7	85.1	23.7	9.7	3.8	1.0	12.9	4.1
हिमाचल प्रदेश	92,017.00	1,476,581.00	94.5	96.8	4.1	2.8	0.9	0.1	0.4	0.3
उत्तराखंड	63,322.00	1,997,068.00	83.7	87.0	13.6	11.1	1.9	1.2	0.8	0.7
राजस्थान	1,836,014.00	12,581,303.00	39.7	67.0	57.7	30.9	0.9	0.6	1.7	1.5
उत्तर प्रदेश	512,649.00	32,924,266.00	36.7	36.8	60.8	61.9	1.1	0.5	1.4	0.8
बिहार	423,568.00	18,940,629.00	11.5	16.4	86.9	82.4	0.7	0.6	0.9	0.6
सिक्किम	46,013.00	128,131.00	91.5	92.5	7.4	6.5	0.4	0.2	0.8	0.7
अरूणाचल प्रदेश	172,913.00	261,614.00	66.2	65.7	12.3	18.5	4.0	2.9	17.5	13.0
नागालैंड	349,022.00	399,965.00	81.2	81.6	15.9	15.6	0.3	0.3	2.6	2.5
मणिपुर	173,757.00	507,152.00	57.8	68.3	32.0	25.1	4.9	1.9	5.3	4.6
मिज़ोरम	211,626.00	221,077.00	84.3	84.2	13.4	13.5	1.4	1.3	0.9	0.9
त्रिपुरा	259,322.00	842,781.00	46.9	68.4	48.6	29.1	3.8	1.9	0.7	0.6
मेघालय	456,683.00	538,299.00	59.2	60.9	38.6	37.0	0.8	0.8	1.4	1.3
असम	887,226.00	6,367,295.00	28.0	37.0	69.3	61.8	2.1	0.8	0.6	0.4
पश्चिम बंगाल	1,273,423.00	20,067,299.00	31.7	54.5	66.2	43.5	1.1	1.2	1.1	0.8
झारखंड	1,718,359.00	6,181,607.00	29.3	45.8	68.9	53.1	1.4	0.7	0.4	0.4
उड़ीसा	2,240,142.00	9,661,085.00	15.6	43.0	82.3	55.3	0.6	0.4	1.5	1.3
छत्तीसगढ़	1,747,575.00	5,622,850.00	56.8	75.3	40.1	23.2	2.2	0.9	1.0	0.6
मध्य प्रदेश	3,213,683.00	14,967,597.00	54.0	67.1	44.6	32.1	0.6	0.3	0.8	0.5
गुजरात	1,837,844.00	12,181,718.00	80.0	90.4	17.6	8.1	0.4	0.1	2.0	1.4
दमन एवं दीव	3,334.00	60,381.00	96.6	99.1	2.5	0.8	0.0	0.0	0.8	0.1
दादर नगर हवेली	33,367.00	73,063.00	90.8	95.2	8.4	4.4	0.1	0.0	0.7	0.4
महाराष्ट्र	2,445,645.00	23,830,580.00	59.8	83.9	36.2	14.5	1.2	0.2	2.8	1.4
आंध्र प्रदेश	1,560,035.00	21,024,534.00	80.0	92.2	18.2	6.9	0.4	0.3	1.3	0.7
कर्नाटक	936,995.00	13,179,911.00	83.6	90.6	15.0	8.6	0.4	0.2	1.0	0.6
गोवा	33,662.00	322,813.00	93.8	96.9	4.8	2.4	0.3	0.2	1.1	0.5
लक्षद्वीप	10,028.00	10,703.00	99.7	99.7	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1
केरल	136,006.00	7,716,370.00	62.8	94.4	34.5	5.2	2.2	0.2	0.5	0.2
तमिलनाडु	384,713.00	18,493,003.00	84.4	93.4	13.6	5.9	0.7	0.1	1.3	0.6
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	7,743.00	93,376.00	94.0	86.1	3.8	12.9	0.1	0.1	2.1	0.8

स्रोतः *जनगणना 2011*

अनुलग्नक 18 च :
ऐसे परिवारों की प्रतिशतता जिनके आवास परिसरों में शौचालय तथा स्नान घर की सुविधाएं हैं

क्षेत्र का नाम	परिवारों की कुल संख्या		आवास के अंदर शौचालय तथा स्नान घर की सुविधा वाले परिवारों की संख्या		मैला ढोने वालों की प्रतिशतता		आवास के अंदर शौचालय तथा स्नान घर की सुविधा वाले परिवारों की संख्या		खुले में शौच जाने वाले		आवास के अंदर शौचालय तथा स्नान घर की सुविधा वाले परिवारों की संख्या		गन्दे पानी की निकासी (ढके हुए नालों के साथ) जुड़ी हुई है	
	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
भारत	**23,329,105**	**246,692,667**	**22.6**	**46.9**	**0.1**	**0.3**	**77.4**	**53.1**	**74.7**	**49.8**	**17.3**	**42.0**	**6.1**	**18.1**
जम्मू और कश्मीर	262,419	2,015,088	26.7	51.2	5.2	8.9	73.3	48.8	71.1	46.1	23.7	52.4	3.5	12.6
हिमाचल प्रदेश	92,017	1,476,581	62.0	69.1	0.2	0.0	38.0	30.9	36.7	29.7	57.0	67.5	21.5	24.8
उत्तराखंड	63,322	1,997,068	46.1	65.8	0.1	0.2	53.9	34.2	51.5	33.1	42.5	60.5	14.4	19.0
राजस्थान	1,836,014	12,581,303	7.9	35.0	0.0	0.0	92.1	65.0	91.7	64.3	7.5	36.8	2.7	10.7
उत्तर प्रदेश	512,649	32,924,266	35.5	35.6	0.5	1.0	64.5	64.4	62.3	63.0	27.3	29.0	14.7	12.9
बिहार	423,568	18,940,629	13.7	23.1	0.1	0.1	86.3	76.9	85.0	75.8	7.0	11.3	4.4	6.7
सिक्किम	46,013	128,131	85.9	87.2	0.0	0.0	14.1	12.8	12.8	11.3	61.8	65.1	12.1	14.6
अरूणाचल प्रदेश	172,913	261,614	58.4	62.0	0.4	0.4	41.6	38.0	38.8	34.8	24.7	29.0	5.2	6.0
नागालैंड	349,022	399,965	74.8	76.5	0.2	0.2	25.2	23.5	17.8	16.5	51.2	52.4	4.2	4.8
मणिपुर	173,757	507,152	82.3	89.3	0.9	2.0	17.7	10.7	16.4	8.9	27.3	31.1	3.7	4.1
मिज़ोरम	211,626	221,077	91.9	91.9	0.1	0.1	8.1	8.1	6.6	6.6	65.4	65.2	12.9	13.1
त्रिपुरा	259,322	842,781	63.7	86.0	0.2	0.1	36.3	14.0	30.3	11.5	6.6	18.9	1.7	3.7
मेघालय	456,683	538,299	61.0	62.9	0.4	0.4	39.0	37.1	36.2	34.3	30.7	33.3	4.5	5.7
असम	887,226	6,367,295	43.3	64.9	0.2	0.3	56.7	35.1	54.0	33.2	13.8	24.5	2.0	3.6
पश्चिम बंगाल	1,273,423	20,067,299	24.4	58.8	0.3	0.6	75.6	41.2	73.2	38.6	9.6	27.1	3.0	9.2
झारखंड	1,718,359	6,181,607	8.3	22.0	0.0	0.0	91.7	78.0	90.8	77.0	5.2	16.5	1.8	7.2
उड़ीसा	2,240,142	9,661,085	7.1	22.0	0.1	0.3	92.9	78.0	91.6	76.6	3.4	14.1	1.1	4.3
छत्तीसगढ़	1,747,575	5,622,850	14.8	24.6	0.0	0.0	85.2	75.4	84.6	74.0	4.1	14.8	1.9	5.3
मध्य प्रदेश	3,213,683	14,967,597	8.5	28.8	0.0	0.0	91.5	71.2	90.9	70.0	5.4	25.8	1.9	9.8
गुजरात	1,837,844	12,181,718	24.3	57.3	0.0	0.0	75.7	42.7	73.5	40.4	19.9	56.5	10.8	37.3
दमन एवं दीव	3,334	60,381	36.9	78.2	0.0	0.0	63.1	21.8	54.1	10.5	40.0	70.7	22.7	39.0
दादर व नगर हवेली	33,367	73,063	16.9	54.7	0.2	0.2	83.1	45.3	80.8	40.0	14.2	51.7	4.2	27.0
महाराष्ट्र	2,445,645	23,830,580	30.1	53.1	0.0	0.0	69.9	46.9	59.7	34.0	37.2	64.3	15.7	33.2
आंध्र प्रदेश	1,560,035	21,024,534	19.5	49.6	0.0	0.0	80.5	50.4	78.0	48.0	19.4	50.6	8.4	21.6
कर्नाटक	936,995	13,179,911	28.7	51.2	0.0	0.1	71.3	48.8	66.9	45.0	56.7	74.8	13.7	26.1
गोवा	33,662	322,813	59.9	79.7	0.0	0.0	40.1	20.3	36.3	16.4	52.2	81.4	17.0	43.7
लक्षद्वीप	10,028	10,703	98.3	97.8	0.0	0.0	1.7	2.2	1.5	1.8	96.6	96.0	10.5	11.4
केरल	136,006	7,716,370	71.4	95.2	0.0	0.0	28.6	4.8	25.7	3.8	41.5	81.2	9.2	25.2
तमिलनाडु	384,713	18,493,003	34.7	48.3	0.1	0.1	65.3	51.7	60.3	45.7	34.3	49.9	21.1	25.4
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	7,743	93,376	88.2	70.1	0.0	0.0	11.8	29.9	11.5	27.5	85.1	63.5	9.5	7.4

अनुलग्नक 18 छ :

जनगणना के अनुसार परिवारों का प्रतिशत और उनके द्वारा आवासित मकानों की स्थिति

		सभी				अनुसूचित जनजातियां			
राज्य कोड	क्षेत्र का नाम	कुल मकान	अच्छे मकान	परिसर के अंदर शौचालय सुविधा वाले मकानों का %	मकान के अंदर अलग रसोईघर वाले मकानों का %	कुल मकान	अच्छे मकान	परिसर के अंदर शौचालय सुविधा वाले मकानों का %	मकान के अंदर अलग रसोईघर वाले मकानों का %
00	**भारत**	**246,692,667**	**53.1**	46.9	61.3	**23,329,105**	**40.6**	22.6	53.7
01	जम्मू और कश्मीर	2,015,088	54.1	51.2	85.7	262,419	32.8	26.7	73.6
02	हिमाचल प्रदेश	1,476,581	72.4	69.1	88.2	92,017	68.4	62.0	85.4
05	उत्तराखंड	1,997,068	66.8	65.8	70.1	63,322	58.2	46.1	74.3
08	राजस्थान	12,581,303	51.0	35.0	50.8	1,836,014	31.3	7.9	22.1
09	उत्तर प्रदेश	32,924,266	42.8	35.6	40.7	512,649	40.6	35.5	43.0
10	बिहार	18,940,629	36.1	23.1	33.5	423,568	30.6	13.7	34.4
11	सिक्किम	128,131	56.5	87.2	90.2	46,013	54.7	85.9	91.7
12	अरूणाचल प्रदेश	261,614	51.8	62.0	89.2	172,913	54.5	58.4	89.4
13	नागालैंड	399,965	52.4	76.5	96.0	349,022	52.9	74.8	96.8
14	मणिपुर	507,152	54.1	89.3	93.3	173,757	39.2	82.3	88.3
15	मिज़ोरम	221,077	62.3	91.9	83.8	211,626	62.4	91.9	83.7
16	त्रिपुरा	842,781	54.2	86.0	85.9	259,322	52.7	63.7	75.9
17	मेघालय	538,299	48.1	62.9	90.7	456,683	47.8	61.0	91.2
18	असम	6,367,295	32.8	64.9	88.3	887,226	32.4	43.3	89.4
19	पश्चिम बंगाल	20,067,299	40.9	58.8	60.9	1,273,423	27.5	24.4	48.2
20	झारखंड	6,181,607	43.4	22.0	39.4	1,718,359	36.6	8.3	34.5
21	उड़ीसा	9,661,085	29.5	22.0	62.9	2,240,142	19.1	7.1	59.6
22	छत्तीसगढ़	5,622,850	46.6	24.6	56.1	1,747,575	43.1	14.8	54.9
23	मध्य प्रदेश	14,967,597	52.3	28.8	46.8	3,213,683	38.8	8.5	36.6
24	गुजरात	12,181,718	67.3	57.3	72.3	1,837,844	51.2	24.3	65.0
25	दमन एवं दीव	60,381	68.1	78.2	65.9	3,334	57.4	36.9	83.0
26	दादर नगर हवेली	73,063	66.7	54.7	84.4	33,367	54.4	16.9	84.8
27	महाराष्ट्र	23,830,580	64.1	53.1	72.7	2,445,645	48.0	30.1	60.4
28	आंध्र प्रदेश	21,024,534	69.7	49.6	54.2	1,560,035	57.8	19.5	37.8
29	कर्नाटक	13,179,911	60.1	51.2	89.3	936,995	50.0	28.7	82.8
30	गोवा	322,813	76.1	79.7	92.9	33,662	68.6	59.9	90.2
31	लक्षद्वीप	10,703	78.7	97.8	95.5	10,028	78.9	98.3	96.6
32	केरल	7,716,370	66.3	95.2	96.7	136,006	38.4	71.4	89.6
33	तमिलनाडु	18,493,003	70.2	48.3	76.5	384,713	59.8	34.7	64.3
34	पुदुचेरी	301,276	75.0	68.4	77.5	-	-	-	-
35	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	93,376	66.5	70.1	94.1	7,743	86.5	88.2	97.9

स्रोत: जनगणना 2011

अनुलग्नक 18 ज :

आवास के अंदर खाना पकाने वाले परिवार तथा प्रयुक्त ईंधन का प्रकार

क्षेत्र का नाम	परिवारों की कुल संख्या	परिवारों की कुल संख्या (अ.ज.जा)	खाना पकाने के लिए प्रयुक्त धुआं देने वाले ईंधन का प्रकार		खाना पकाने के लिए प्रयुक्त धुआं रहित ईंधन का प्रकार	
			जलावन लकड़ी/फसल के अवशेष/गोबर के उपले/कोयला, लिग्नाइट, चारकोल (सभी)	जलावन लकड़ी/फसल के अवशेष/गोबर के उपले/कोयला, लिग्नाइट, चारकोल (अ.ज.जा.)	मिट्टी का तेल/एलपीजी/पीएनजी/बिजली/खाना नहीं पकाना (अखिल भारत)	मिट्टी का तेल/एलपीजी/पीएनजी/बिजली/खाना नहीं पकाना (अ.ज.जा.)
भारत	**215,412,336**	**20,472,827**	**63.99**	**87.50**	**35.58**	**12.00**
जम्मू और कश्मीर	1,781,204	233,272	63.21	87.47	36.63	12.35
हिमाचल प्रदेश	1,294,827	83,703	56.65	62.08	43.33	37.90
उत्तराखंड	1,757,046	45,225	48.82	57.82	51.14	42.11
राजस्थान	10,862,876	1,564,459	72.89	93.87	27.06	6.06
उत्तर प्रदेश	29,938,454	462,693	78.46	76.18	21.43	23.66
बिहार	15,425,093	332,555	88.66	92.81	10.23	6.29
सिक्किम	94,071	33,253	42.21	49.57	57.76	50.41
अरूणाचल प्रदेश	249,360	165,776	69.42	76.05	30.53	23.91
नागालैंड	366,130	319,607	78.94	83.28	20.97	16.66
मणिपुर	463,270	152,216	67.58	83.71	31.78	16.15
मिज़ोरम	217,960	208,819	44.94	45.51	55.01	54.44
त्रिपुरा	763,705	229,004	80.09	93.25	19.82	6.67
मेघालय	425,544	358,584	78.81	85.00	21.09	14.91
असम	4,972,750	714,556	76.08	87.14	23.73	12.82
पश्चिम बंगाल	17,522,869	1,024,489	74.60	88.33	22.88	8.12
झारखंड	5,807,476	1,610,498	86.42	95.29	12.98	4.18
उड़ीसा	7,836,340	1,970,227	84.66	95.46	13.69	2.37
छत्तीसगढ़	5,331,269	1,668,789	87.38	96.64	12.54	3.33
मध्य प्रदेश	14,338,709	3,088,474	79.42	95.90	20.53	4.07
गुजरात	10,426,250	1,710,189	46.79	84.78	53.16	15.16
दमन एवं दीव	56,625	2,930	10.18	46.38	89.68	53.58
दादर नगर हवेली	70,851	32,027	40.65	84.60	59.34	15.39
महाराष्ट्र	21,818,504	2,257,600	45.43	75.27	54.45	24.61
आंध्र प्रदेश	14,972,999	885,160	46.63	76.64	53.24	23.20
कर्नाटक	12,567,276	863,390	59.52	80.17	40.39	19.73
गोवा	311,133	31,449	21.06	54.25	78.89	45.71
लक्षद्वीप	7,325	6,824	59.88	61.33	40.10	38.66
केरल	7,421,600	123,436	62.20	88.39	37.76	11.57
तमिलनाडु	15,034,329	287,746	35.02	53.54	64.93	46.42
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	81,190	5,877	27.77	45.67	72.19	54.33

स्रोतः जनगणना 2011

अनुलग्नक 18 झ :

आवास के बाहर खाना पकाने वाले परिवार तथा प्रयुक्त ईंधन का प्रकार

क्षेत्र का नाम	परिवारों की कुल संख्या	परिवारों की कुल संख्या (अ.ज.जा)	खाना पकाने के लिए प्रयुक्त धुआं देने वाले ईंधन का प्रकार		खाना पकाने के लिए प्रयुक्त धुआं रहित ईंधन का प्रकार	
			जलावन लकड़ी/फसल के अवशेष/गोबर के उपले/कोयला, लिग्नाइट, चारकोल (सभी)	जलावन लकड़ी/फसल के अवशेष/गोबर के उपले/कोयला, लिग्नाइट, चारकोल (अ.ज.जा.)	मिट्टी का तेल/एलपीजी/पीएनजी/बिजली/खाना नहीं पकाना (अखिल भारत)	मिट्टी का तेल/एलपीजी/पीएनजी/बिजली/खाना नहीं पकाना (अ.ज.जा.)
भारत	**30,483,366**	**2,806,047**	**91.90**	**95.62**	**7.21**	**3.34**
जम्मू और कश्मीर	229,925	28,920	85.90	94.69	13.73	5.27
हिमाचल प्रदेश	177,451	7,858	75.87	78.77	24.11	21.23
उत्तराखंड	234,784	17,955	86.92	89.94	13.04	10.01
राजस्थान	1,690,987	268,233	96.23	98.68	3.68	1.26
उत्तर प्रदेश	2,914,445	48,407	95.32	94.68	4.47	4.88
बिहार	3,481,309	90,074	96.33	96.93	2.03	1.39
सिक्किम	33,318	12,606	86.12	87.63	13.85	12.35
अरूणाचल प्रदेश	11,458	6,759	74.66	69.98	25.19	29.81
नागालैंड	32,882	28,776	80.12	81.13	19.81	18.81
मणिपुर	43,424	21,428	86.80	94.36	12.85	5.60
मिज़ोरम	2,803	2,534	75.17	75.10	24.79	24.86
त्रिपुरा	78,437	30,165	95.55	97.13	4.35	2.66
मेघालय	111,808	97,439	96.83	97.35	3.10	2.61
असम	1,369,978	170,171	93.43	94.44	5.64	5.45
पश्चिम बंगाल	2,487,577	246,404	92.04	92.85	3.61	2.29
झारखंड	366,028	106,372	96.32	97.70	2.55	1.25
उड़ीसा	1,797,070	265,930	94.14	94.50	2.31	0.78
छत्तीसगढ़	280,521	75,676	98.00	99.02	1.90	0.91
मध्य प्रदेश	601,616	122,420	95.41	98.73	4.46	1.24
गुजरात	1,709,038	123,491	90.42	94.93	9.52	4.99
दमन एवं दीव	2,323	380	79.42	81.58	20.28	18.42
दादर और नगर हवेली	1,604	1,238	76.31	91.84	23.63	8.08
महाराष्ट्र	1,831,952	176,336	90.59	94.70	9.22	5.04
आंध्र प्रदेश	5,979,045	670,730	91.17	96.99	8.75	2.94
कर्नाटक	568,040	71,283	91.46	96.60	8.42	3.29
गोवा	9,442	2,036	56.87	79.32	42.95	20.43
लक्षद्वीप	3,110	3,023	85.18	85.21	14.82	14.79
केरल	274,269	12,045	84.60	97.42	15.34	2.52
तमिलनाडु	3,379,842	95,562	87.00	91.05	12.95	8.82
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	10,922	1,796	86.60	89.81	13.21	10.19

स्रोत: जनगणना 2011

अनुलग्नक 18 ञ :

पेय जल के मुख्य स्रोत की अवस्थिति के पास परिवार

क्षेत्र	परिवारों की कुल संख्या (सभी)			अ.ज.जा. परिवारों की कुल संख्या		
	आवास के अन्दर	आवास के निकट	दूर	आवास के अन्दर	आवास के निकट	दूर
भारत	46.6	35.8	17.6	19.7	46.7	33.6
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	60.6	27.0	12.4	61.0	15.7	23.3
आंध्र प्रदेश	43.2	37.3	19.5	21.0	45.7	33.4
अरूणाचल प्रदेश	41.1	37.4	21.6	36.5	40.4	23.1
असम	54.8	26.7	18.5	47.3	28.9	23.8
बिहार	50.1	37.9	12.0	40.9	41.4	17.7
चंडीगढ़	86.1	11.6	2.2	0.0	0.0	0.0
छत्तीसगढ़	19.0	54.5	26.5	9.1	57.7	33.2
दादर और नगर हवेली	52.6	36.4	10.9	28.7	50.2	21.0
दमन और द्विव	76.4	22.1	1.5	57.6	36.9	5.5
गोवा	79.7	15.5	4.8	58.7	28.9	12.4
गुजरात	64.0	23.5	12.4	28.8	46.4	24.8
हरियाणा	66.5	21.4	12.1	0.0	0.0	0.0
हिमाचल प्रदेश	55.5	35.0	9.5	48.9	41.2	9.9
जम्मू और कश्मीर	48.2	28.7	23.1	15.3	39.2	45.5
झारखंड	23.2	44.9	31.9	8.3	49.4	42.3
कर्नाटक	44.5	37.3	18.2	27.2	45.6	27.2
केरल	77.7	14.1	8.2	44.3	30.4	25.4
लक्षद्वीप	83.7	14.3	2.0	83.9	14.2	1.9
मध्यप्रदेश	23.9	45.6	30.5	8.4	50.1	41.5
महाराष्ट्र	59.4	27.5	13.1	33.9	43.3	22.8
मणिपुर	16.1	46.2	37.8	14.3	51.0	34.6
मेघालय	24.1	43.2	32.7	18.8	46.2	35.0
मिज़ोरम	31.2	46.7	22.2	30.6	47.0	22.4
नागालैंड	29.3	42.4	28.3	26.1	44.1	29.8
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	78.4	15.4	6.2	0.0	0.0	0.0
ओड़िसा	22.4	42.2	35.4	6.2	49.2	44.6
पुदुचेरी	77.4	21.5	1.1	0.0	0.0	0.0
पंजाब	85.9	10.0	4.1	0.0	0.0	0.0
राजस्थान	35.0	39.0	25.9	11.0	47.5	41.5
सिक्किम	52.6	29.7	17.7	48.8	31.7	19.5
तमिलनाडु	34.9	58.1	7.0	21.1	65.9	13.0
त्रिपुरा	37.1	30.5	32.4	14.2	32.2	53.6
उत्तर प्रदेश	51.9	36.0	12.1	43.0	38.8	18.2
उत्तराखंड	58.3	26.6	15.2	55.8	31.1	13.1
पश्चिम बंगाल	38.6	34.7	26.6	18.6	44.3	37.1

जनगणना 2011

अनुलग्नक 18 ट :

वर्ष 2011 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध किए गए अपराध की घटना तथा दर

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	घटनाएं	कुल अखिल भारत की तुलना में प्रतिशतता	* जनसंख्या (लाख में) #	कुल संज्ञेय अपराधों की दर	कुल संज्ञेय अपराधों की दर के अनुसार रैंक	अंश प्रतिशतता के अनुसार रैंक
	राज्य :						
1	आंध्र प्रदेश	805	14	846.65	1	8	3
2	अरूणाचल प्रदेश	34	0.6	13.83	2.5	1	14
3	असम	2	0	311.69	0	23	21
4	बिहार	97	1.7	1038.04	0.1	16	11
5	छत्तीसगढ़	336	5.8	255.4	1.3	6	5
6	गोवा	1	0	14.58	0.1	17	23
7	गुजरात	153	2.7	603.83	0.3	15	10
8	हरियाणा	0	0	253.53	0	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	4	0.1	68.57	0.1	18	19
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	125.49	0	-	-
11	झारखंड	309	5.4	329.66	0.9	9	7
12	कर्नाटक	285	5	611.31	0.5	13	8
13	केरल	231	4	333.88	0.7	11	9
14	मध्य प्रदेश	1284	22.3	725.98	1.8	4	1
15	महाराष्ट्र	321	5.6	1123.73	0.3	14	6
16	मणिपुर	1	0	27.22	0	20	22
17	मेघालय	0	0	29.64	0	-	-
18	मिज़ोरम	0	0	10.91	0	-	-
19	नागालैण्ड	0	0	19.81	0	-	-
20	उड़ीसा	484	8.4	419.47	1.2	7	4
21	पंजाब	0	0	277.04	0	-	-
22	राजस्थान	1263	21.9	686.21	1.8	3	2
23	सिक्किम	8	0.1	6.08	1.3	5	17
24	तमिलनाडु	23	0.4	721.39	0	21	16
25	त्रिपुरा	30	0.5	36.71	0.8	10	15
26	उत्तर प्रदेश	35	0.6	1995.81	0	22	13
27	उत्तराखंड	0	0	101.17	0	-	-
28	पश्चिम बंगाल	41	0.7	913.48	0	19	12
	कुल राज्य	**5747**	**99.8**	**11901.11**	**0.5**		
	संघ राज्य क्षेत्र :						
29	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	7	0.1	3.8	1.8	2	18
30	चंडीगढ़	0	0	10.55	0	-	-
31	दादर एवं नागर हवेली	2	0	3.43	0.6	12	20
32	दमन एवं दीव	0	0	2.43	0	-	-
33	दिल्ली	0	0	167.53	0	-	-
34	लक्षद्वीप	0	0	0.64	0	-	-
35	पुदुचेरी	0	0	12.44	0	-	-
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**9**	**0.2**	**200.82**	**0**		
	कुल (अखिल भारत)	**5756**	**100**	**12101.93**	**0.5**		

अनुसूचित जनजातियों सहित कुल जनसंख्या   * वास्तविक जनगणना 2011 जनसंख्या (अनंतिम)

स्रोत: वर्ष 2011 में भारत में अपराध, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय

अध्याय 19

विभागीय लेखा संगठन

लेखा संरचना :

19.1 प्रत्येक विभाग के सचिव अर्थात् जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव मुख्य लेखा अधिकारी हैं। वे अपने इस उत्तरदायित्व को वित्तीय सलाहकार एवं विभाग के मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से निभाते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक मंत्रालय के लेखा संगठन के प्रमुख होते हैं।

वेतन एवं लेख अधिकारी सहायता अनुदान, लेखों के समेकन, अवंटन, वजट, विभिन्न एमआईएस रिपोर्टों इत्यादि के संबंध में व्यय की निगरानी सहित विभिन्न प्रकार की जिलों की पूर्व जांच का कार्य निष्पादित करता है। प्रधान लेख अधिकारी कम्प्यूटरीकृत मासिक लेखों, लेखों के विनियोजन, केन्द्रीय लेनदेन के विवरण, संघ वित्त लेखा, अन्य संबंधित कार्य यथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान, पीएओं को चेकबुक की आपूर्ति/प्रापण, प्राप्ति बजट तैयार करने, महालेखा नियंत्रक के साथ समन्वयन का कार्य करने के लिए उत्तरदायी है।

21.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय में भुगतान जारी करने एवं व्यय की निगरानी का कार्यान्वयन एक मात्र वेतन एवं लेखा कार्यालय कार्यालय के माध्यम से होता है। यह वेतन एवं लेखा कार्यालय, मासिक लेखा सीधे महालेखा नियंत्रक, खान मार्किट, नई दिल्ली को प्रस्तुत करता है।

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, शास्त्री भवन इस मंत्रालय अर्थात् जनजातीय कार्य मंत्रालय हेतु प्रत्यायित बैंक है।

21.3 लेखों और भुगतान कार्य का का कम्प्यूटरीकरण

19.3.1 कॉम्पैक्ट (सीओएमपीएसीटी)

कॉम्पैक्ट के सभी मॉड्यूल्स यथा पूर्व जांच, संकलन, सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन, का वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा उपयोग किया जाता है।

कॉम्पैक्ट में ई-भुगतान की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस सुविधा का प्रयोग करके चेक जारी करने की अब कोई अवश्यकता नहीं है। भुगतान के लिए बैंक के लिए केवल इलैक्ट्रिानिक एडवाइज बनाई जाती हैं और सरकारी इलैक्ट्रिानिक भुगतान गेटवे अर्थात जीईपीजी पर डाल दी जाती है। एक्राडाइटेड बैंक ई-एडवाइस वाली फाइल डाउनलोड करते हैं और भुगतान प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में सीधे ही घंटों में आरटीजीएस/एनईएफटी के द्वारा ई-भुगतान करते हैं।

इसने कागजी कार्य को कम किया है और भुगतान के विलम्ब को समाप्त किया है। यह भुगतान करने की सबसे तेज और सुरक्षित प्रक्रिया है क्योंकि ये वेतन लेखाधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा प्राधिकृत हैं।

इसके अतिरिक्त मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय में अनेक अन्य उपाय कम्प्यूटराइजेशन प्रक्रिया बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं जिसके लिए कर्मचारियों को सरकारी लेखा एवं वित्त संस्थान में प्रशिक्षण के लिए नियमित रूप भेजा जा रहा है।

19.3.2 ई-लेखा

वेतन एवं लेखा कार्यालय वेबसाइट www.cga.nic.in/elekha/elekhahome.asp पर दैनिक आधार पर ई-लेखा में कॉम्पैक्ट डाटा अपलोड कर रहा है, ताकि मंत्रालय एवं अन्य हितधारी विभिन्न एमआईएस रिपोर्टों की निगरानी कर सके तथा पीएओ के कार्य में पारदर्शिता लाई जा सके।

19.3.3 सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

पूर्व में केंद्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली (सीपीएसएमएस) के रूप में ज्ञात सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को भारत सरकार से राज्यों तथा अन्य

कार्यान्वयनकारी हस्तियों को निधियों के प्रवाह अथवा उनसे जिलों तथा उपमंडल और व्यय बिन्दुओं तक राशियों के प्रवाह पर विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करने के विचार से आरंभ किया गया है। तदनुसार, इस उद्देश्य के लिए विकसित विशिष्ट सॉफ्टवेयर अर्थात सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से इस मंत्रालय की सभी प्लान योजनाओं का नियोजन इस संगठन द्वारा किया गया है। इस संबंध में विभाग के सभी संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अलग-अलग संगठनों/निकायों को सहायता अनुदान की निर्मुक्ति की स्थिति को देखा जा सकता है। इसे विभाग द्वारा सभी अत्यंत उपयोगी पाया गया है। विगत योजनाओं के अंतर्गत कार्यन्वयनकारी एजेंसी के बैंक खातों में अप्रयुक्त निधियों/अनुदानों को देखने के लिए इस प्रणाली में नई उपयोगिता प्रदान की गई है।

विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों मे निधियों के प्रत्यक्ष लाभा हस्तांतरण पर भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप अतिरिक्त तरीका इस उद्देश्य के लिए पीएफएमएस में प्रदान किया गया है।

राज्यों को निमुक्तियों के स्कैन किए गए स्वीकृति आदेशों को अपलोड करने तथा अंत:सरकारी लेखा सलाह (आईजीएए) के ऑनलाइन सृजिन के लिए नया तरीका प्रदान किया गया है। तथा इसे ऑनलाइन भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा गया है। जो राज्य सरकारों के लिए तत्काल ऋण सुनिश्चत करता हैं।

19.4 नई पेंशन योजना:

नई पेंशन योजना की शुरूआत उन सभी कर्मचारियों के लिए की गई, जिनकी नियुक्ति 1.1.2004 के बाद हुई है। इस योजना के तहत वेतन (ग्रेड वेतन सहित) मंहगाई भत्ते के साथ 10 प्रतिशत सभी ऐसे कर्मचारियों के वेतन से लेकर तथा उसके बराबर के हिस्से के सरकार के अंशदान को सम्मिलित रूप से एनएसडीएल (सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी) के पास उसके ट्रस्टी बैंक (बैंक ऑफ इंडिया) के माध्यम से जमा किया जाता है। यह योजना इस मंत्रालय में चालू है।

सभी वित्तीय सलाहकारों को सीआरए साइट पर एनपीएस एसेस के लिए पिन नं. आवंटित किया गया है और इन्होंने व्यक्तिगत अंशदाता के खाते में क्रेडिट करने के लिए अंशदाता प्रेषण में गलती के बारे में समीक्षा शुरू कर दी है और तिमाही आधार पर व्यक्तिगत अंशदाताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए नियमित रूप से कार्रवाई कर रहे हैं।

19.5 आंतरिक लेखा परीक्षा:

प्रधान लेखा कार्यालय की आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई, जो अनुवर्ती लेखा परीक्षा आयोजित करती है, अलग-अलग योजनाओं के आकलन, निगरानी तथा मूल्यांकन में भी शामिल है। अब आंतरिक लेखा परीक्षा निम्नलिखत पर ध्यान दें।

- सामान्यत: आंतरिक नियंत्रण की औपचारिकता एवं प्रभाव के आकलन तथा विशेषत: वित्तीय प्रणाली की मजबूती तथा वित्तीय एवं लेखा रिपोर्टों की विश्वसनीयता;
- रिस्क फैक्टर्स (जो परिणाम बजट में हैं, उनके सहित) की पहचान एवं निगरानी;
- धन की महत्ता के सुनिश्चियन हेतु सेवा सुपुर्दगी प्रणाली की सक्षमता, प्रभाव तथा कम व्यय संबंधी महत्वपूर्ण आकलन।
- सुविधा एवं मध्यावधियों में सुधार लाने हेतु एक प्रभावी निगरानी प्रणाली उपलब्ध कराना
- रिकार्ड के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय में बकाया पैराओं की संख्या निम्नांकित तालिका में दी गई है:-

1.	1.4.2013 तक बकाया पैराओं की सं.	53
2.	2013-2014 के दौरान जोड़े गए पैराओं की सं.	11
3.	2013-13 के दौरान समायोजित पैराओं की सं.	18
4.	31.3.2014 तक बकाया पैराओं की संख्या	46

19.6 उपयोगिता प्रमाण पत्र:

मंत्रालय द्वारा विभिन्न संगठनों को निर्मुक्त सहायता अनुदान से संबंधित समूचित सूचनाओं को प्राप्त करने हेतु एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रभावी निगरानी तथा मूल्यांकन हेतु मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय ने एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर का विकास किया है।

इस सॉफ्टवेयर में डाटा एंन्ट्री के दो स्तर हैं। प्रथम स्तर पर सहायता अनुदान को देख रहे आहरण एवं वितरण अधिकारी हेतु स्वीकृति एवं बिलों के ब्यौरे डालने के लिए है। द्वितीय स्तर पर वेतन एवं लेखा कार्यालय के लिए है जो बिलों को सत्यापित करता है और अंतिम रूप से उन्हे स्वीकार करता है।

यह कार्यक्रम विभिन्न एमआईएस रिर्पोटें तैयार करता है, जो मंत्रालय/विभाग द्वारा निर्णय लेने में उपयोगी होती हैं।

अध्याय 20
जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए परिणाम, रूपरेखा, दस्तावेज (आरएफडी) (2014–15)

दृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्य एवं कार्य

दृष्टि :–

सामान्य जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति के मानव विकास सूचक में अंतर को कम करने एवं हटाने के लिए और अनुसूचित जनजाति को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करना है।

लक्ष्य :–

जनजातीय कार्य मंत्रालय निम्नलिखित के माध्यम से जनजातीय लोगों के विकास तथा उनकी सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है:–

(1) जनजातीय कार्य मंत्रालय बहुआयामी रणनीति के माध्यम से देश में सभी अनुसूचित जनजातियों के हितों को बढ़ाना,

(2) विधायी और कार्यकारी हस्तक्षेपों का निरूपण एवं प्रोत्साहन,

(3) क्षेत्र एवं जनसंख्या लक्षित प्रयास के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तरों को उन्नत बनाने के लिए सुविधा देना,

(4) आजीविका अवसरों को बढ़ाने के लिए मूल अवसंरचना के सृजना को आगे बढ़ाना,

(5) पोषण में सहायता, शैक्षिक, आवश्यक कौशल एवं जलवायु एवं अन्य संकटकालीन स्थितियों के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र उपलब्ध कराना ।

उद्देश्य :–

1. उन संसाधनों को पुनर्जीवित और सुदृढ़ करना जो जनजातीय जनसंख्या और जनजातीय जनसंख्या के बुलता वाले क्षेत्रों को लोक हित और सेवाओं की आपूर्ति को सुगम बनाते हैं।
2. अन्य मंत्रालयों के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रमों के तहत जनजातीय विशिष्ट घटकों के साथ और सीएमएम कार्यक्रमों के तहत जनजातीय उपयोंजना घटक के अतिरिक्त शामिल करना है।
3. उच्च जनजातीय जनसंख्या वाले क्षेत्र जहाँ सेवाओं की कमी है। उनमें जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रयासों (सक्रिय) के माध्यम में अंतर कर करना है।
4. निगरानी और मूल्यांकर के माध्य से मंत्रालय के कार्यकरण में कार्य कुशलता और पारदर्शिता लाना।

कार्य :–

1.(क) अनुसूचित क्षेत्र

(ख) सड़कों व पुलों के कार्य और उन पर नौकाओं के अतिरिक्त पूर्व के असम के स्वायत्तशासी जिलों से संबंधित मामले और

(ग) अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए राज्य के राज्यपालों द्वारा बनाए गए विनियम

2.(क) अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर रिपोर्ट देने के लिए आयोग और

(ख) किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आवश्यक स्कीमों को तैयार करने और निष्पादन के संबंध में निर्देश जारी करना ।

3. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ।

4. सिविल अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1955 (1955 का 22) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) जिसमें अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपराधों के संबंध में आपराधिक न्याय का प्रशासन शामिल नहीं।

5. पूरे देश में जनजातीय लोगों का विकास, कल्याण तथा सुरक्षा।

6 वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

7 जनजातीय संस्कृति एवं विरासत का संरक्षण

8 इन जनजातियों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति सहित अनुसूचित जनजातियां

भाग 2

महत्वपूर्ण उद्देश्यों, सफलता संकेतकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	संभार	कार्रवाई	साफलता का संकेतक	इकाई	संभार	लक्ष्य/मानक मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीकठाक	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
उद्देश्य 1 संस्थान जो जनजातीय जनसंख्या तथा जनजातीय बहुलता वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक वस्तुओं तथा सेवाओं की सुपूर्दगी को सुसाध्य बनाते हैं को पुनर्जीवित करना तथा उनका सुदृढ़ीकरण	27	1. संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए परिप्रेक्ष्य और वार्षि योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए राज्यों के साथ परामर्श	राज्यों की संख्या जिनके साथ परामर्श किया गया	नहीं	3	20	18	16	14	12
		2. जनजातीय कार्य मंत्रालय में उपर्युक्त योजनाओं की प्राप्ति	राज्यों की संख्या	नहीं	5	15	13	11	9	7
		3. अनुमोदित तथा स्वीकृत प्रस्ताव	राज्यों की संख्या	नहीं	7	10	9	8	7	6
		4. टीएसपी को एससीए तथा अनुच्छेद 275 (1) के तहत स्वीकृत निधियों का 20 प्रतिशत	वर्ष के दौरान स्वीकृत लक्षित राशि की प्रतिशतता	%	12	100	90	80	70	60
उद्देश्य 2 अन्य मंत्रालयों के विभिन्न सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों के तहत सम्मिलित जनजातीय विशिष्ट घटक के साथ तथा सीएसएस कार्यक्रमों के तहत उनके टीएसपी घटक के अलावा	10	1. अन्य मंत्रालयों की योजनाओं के संबंध में परामर्श	मुख्य योजनाओं की संख्या	नहीं	2	15	13	11	9	7
		2. संबंधित कार्यान्वयनकारी मंत्रालयों द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं पर दिशानिर्देशों में संशोधन	योजनाओं की संख्या	नहीं	4	10	9	8	7	6
		3. जनजातीय कार्य मंत्रालय सूचना के समेकन में सहायता करता है	अंग्रेजी तथा हिन्दी का समेकर जनजातीय मंत्रालय द्वारा किया जायेगा	तिथि	4	31/12/14	31/1/15	28/2/15	15/3/15	31/3/15

उद्देश्य	संभार	कार्रवाई	साफलता का संकेतक	इकाई	संभार	लक्ष्य/मानक मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीकठाक	खराब
						100%	**90%**	**80%**	**70%**	**60%**
उद्देश्य 3 जनजातीय कार्य मंत्रालय के सक्रिय प्रयासों के माध्यम से उच्च जनजातीय बहुता वाले सेवा रहित क्षेत्रों में अंतर कम करना	38	1. टीएसपी को एससीए के तहत परियोजनाओं की स्वीकृति	बजट अनुमान की तुलना में निमुक्त निधियों की प्रतिशतता	%	8	95	85	75	65	60
		2.एनजीओ/वीओ को सहायता अनुदान प्रदान करना	बजट अनुमान की तुलना में निमुक्त निधियों की प्रतिशतता	%	3	95	85	75	65	60
		3. छात्रवृत्तियां प्रदान करना	बजट अनुमान की तुलना में निमुक्त निधियों की प्रतिशतता	%	3	95	85	75	65	60
			स्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	नहीं	2	4000000	3500000	3000000	2500000	200000
		4. शिक्षा के लिए अवसंरचना में बढोत्तरी (आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों का निर्माण)	बजट अनुमान की तुलना में निमुक्त निधियों की प्रतिशतता	%	3	95	85	75	65	60
			छात्रावासों/आश्रम विद्यालयों/ईएमआरएस में 7000 अतिरिक्त सीटों का सृजन	%	3	100	90	80	70	60
		5.एलडब्ल्यूई द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में ईएम आरएस/आवासी विद्यालय/छात्रावास	1000 अतिरिक्त सीटों का सृजन	%	2	95	85	75	65	60
		6. अपनी प्राधिकृत अंशपूंजी बढाकर एन एसटीएफडीसी/एसटीएफडीसी को सुदृढ़ करना	मंत्रिमंडल टिप्पण की समयबद्ध प्रस्तुति	तिथि	2	15/11/14	15/12/14	15/1/15	15/2/15	15/3/15
		7. अनुच्छेद 275 (1) के तहत संस्थान विकास एवं कल्याण परियोजनाओं को समर्थन	बजट अनुमान की तुलना में निमुक्त निधियों की प्रतिशतता	%	3	95	85	75	65	60
		8.संविधान के अनुच्छें 275(1) के तहत अनुदानों की योजना के मूल्यांकन का अनुसरण	पूर्व की अध्ययन रिपोर्ट पर सरकार के लिए समयबद्ध की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर)	तिथि	3	1/10/14	1/11/14	1/12/14	15/12/14	31/12/14
		9. पीवीटीजी के विकास के लिए सीसीडी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों के वित्तीय सहायता	बजट अनुमान की तुलना में निमुक्त निधियों की प्रतिशतता	%	3	95	85	75	65	60
		10. वन बंधु कल्याण योजना का कार्यान्वयन	एमएफसी प्रस्ताव का अनुमोदन तथा दिशानिर्देश का मुद्दा	तिथि	3	31/12/14	20.1.15	20.2.15		

उद्देश्य	संभार	कार्रवाई	साफलता का संकेतक	इकाई	संभार	लक्ष्य/मानक मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीकठाक	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
उद्देश्य 4 निगरानी एवं मुल्यांकन के माध्यम से मंत्रालय के कार्यकरण में दक्षता तथा पारदर्शिता लाना	10	1.वेबसाइट को अद्यतन करना	मासिक अद्यतन की संख्या	नहीं	2	12	10	9	8	7
		2. एनजीओ/वीओ द्वारा संचालित परियोजनाओं के लिए निगरानी प्रणाली की स्थापना	ऑनलाइन प्रस्तुति को अंतिम रूप देना	तिथि	2	15/11/14	15/12/14	15/1/15	15/2/15	15/3/15
		3.सुपूर्दगी तंत्र का निदानात्मक अध्ययन	राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट जारी करना	तिथि	2	31/12/14	31/1/15	28/2/15	15/3/15	31/3/15
		4. एफआरए के कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन	समीक्षा रिपोर्ट का समेकन/परिचालन	नहीं	2	6	5	4	3	2
		5. पब्लिक डोमेन में रखने के लिए जनजातीय सूचना रिपोर्ट का सृजन	वेबसाइट पर जनजातीय प्रोफाइल के आंकड़े अपलोड करना	तिथि	2	31/08/14	30/09/14	31/10/14	30/11/14	31/12/14
*आरएफडी प्रणाली का दक्ष कार्यकरण	3.00	वर्ष 2015-16 के लिए अनुमोदन हेतु मसोदा आरएफडी की समयबद्ध प्रस्तुति	समय पर प्रस्तुति	तिथि	2.0	05/03/15	6/3/2015	9/3/2015	10/3/15	11/3/15
		वर्ष 2013-14 के लिए परिणामों की समयबद्ध प्रस्तुति	समय पर प्रस्तुति	तिथि	1.0	01/05/14	2/5/2014	03/5/14	06/05/14	07/05/14
*मंत्रालय/विभाग की पारदर्शीता/ सुधरी हुई सेवा सुपूर्दगी में बढ़ोत्तरी	3.00	नागरिग/ग्राहक चार्टर (सीसीसी) के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लोखा परीक्षा से दर निर्धारण	सीसीसी में प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन के आयाम	%	2.0	100	95	90	85	80
		शिकायत निवारण प्रबंधन (जीआरएम) प्रणाली के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	जीआरएम को कार्यान्वित करने में सफलता के आयाम	%	1.0	100	95	90	85	80
*प्रशासन में सुधार करना	8.00	संशोधित प्राथमिकताओं के अनुरूप विभागीय रणनीति को अद्यतन करना	तिथि	Date	2.0	01/11/14	2/11/14	3/11/14	4/11/14	5/11/14
		भ्रष्टाचार के संभावित जोखिम की कमी (एमएससी) के लिए अनुमोदित शमनकारी रणनीतियों के सहमत उपलब्धि को कार्यान्वित करना	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	1.0	100	90	80	70	60
		आईएसओ 9001 के कार्यान्वयन के लिए सहमत उपलब्धि को कार्यान्वित करना	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	2.0	100	95	90	85	80
		आरएफएमएस में आरएफडी के साथ उत्तरदायित्व केन्द्रों का प्रतिशत	शामिल किए गए उत्तरदायित्व केन्द्र	%	1.0	100	95	90	85	80
		अनुमोदित नवीन कार्य योजनाओ (आईएपी) के सहमत उपलब्धि को कार्यान्वित करना	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	2.0	100	90	80	70	60

उद्देश्य	संभार	कार्रवाई	साफलता का संकेतक	इकाई	संभार	लक्ष्य/मानक मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीकठाक	खराब
						100%	**90%**	**80%**	**70%**	**60%**
* वित्तीय जवाबदेही की रूपरेखा के साथ बेहतर अनुपालन	1.00	सीएंडएजी के लेखा परीक्षित पैराओं पर एटीएन की समयबद्ध प्रस्तुति	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद में रिपोर्ट की प्रस्तुति की तिथि से देय समय (4 माह) के अन्दर प्रस्तुत एटीएन का प्रतिशत	%	0.25	100	90	80	70	60
		पीएसी रिपोर्टों पर पीएसी सचिव के लिए एटीएन की समयबद्ध प्रस्तुति	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद में रिपोर्ट की प्रस्तुति की तिथि से देय समय (6 माह) के अन्दर प्रस्तुत एटीआर का प्रतिशत	%	0.25	100	90	80	70	60
		31.3.2014 से पूर्व संसद में प्रस्तुत सीएंडएजी रिपोर्टों के लेखा परीक्षित पैराओं पर लम्बित एटीएन का तत्काल निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया एटीएन का प्रतिशत	%	0.25	100	90	80	70	60
		31.3.2014 से पूर्व संसद में प्रस्तुत पीएसी रिपोर्टों पर लम्बित एटीआर का तत्काल निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया एटीआर का प्रतिशत	%	0.25	100	90	80	70	60

अध्याय 21

नागरिक/ग्राहक चार्टर

नागरिक/ग्राहक चार्टर

पता: शास्त्री भवन,
नई दिल्ली- 110 001

वेबसाइट आई डी: www.tribal.nic.in

परिदृश्य

सामान्य जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मानव विकास सूचकांकों (एचडीआई) में अंतर को कम करना और समाप्त करना तथा जनजातीय लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक रुप से सशक्त बनाना।

मिशन

जनजातीय कार्य मंत्रालय निम्न लिखित के माध्यम से जनजातीय लोगों के विकास तथा उनके सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है:

1. वैधानिक एवं कार्यकारी हस्तक्षेपों का प्रतिपादन करना एवं उनका संवर्धन करना,
2. लक्षित क्षेत्र एवं जनसंख्या उपागमों के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तरों के उन्नयन को सरल बनाना, तथा
3. आजीविका अवसरों में बढ़ोत्तरी

मुख्य सेवाएं / कार्य संपादन

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ईमेल	मोबाइल फोन नं.	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	तरीका	राशि
1.	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित कार्यों के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता : क) अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कल्याण एवं सामाजिक-आर्थिक विकास, ख) अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की गरीबी का उन्मूलन तथा उद्यमशीलता का विकास।	20	श्री एस.एम. सहाय निदेशक (एसजी)	sm.sahai@nic.in	9810324269 (23381692)	राज्य सरकारों/संघ सरकारों से आवंटन/प्रस्तावों को आमंत्रित करने की सूचना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						संस्वीकृति जारी करना I/II किश्तों की निमुर्क्ति (जैसे लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संवीक्षा एवं अनुमोदन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						राज्य सरकारों संघ राज्य/क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति	1) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) 2) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति 3) विगत वर्षों में निर्मुक्त अनुदान जहां उपयोगित प्रमाण पत्र देय नहीं हैं, के लिए व्यय रिपोर्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

2.	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/ संस्थान ों/ गै.स.सं. को निम्नलिखित कार्यों के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता : क) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवासों तथा आवासीय विद्यालयों के रुप में शौक्षिक सुविधाएं, ख) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिककोत्तर स्तर पर छात्रवृतियां	15	श्री विश्वरंजन ससमल (निदेशक शिक्षा)	b.sasmal@nic.in	8985970071 (23070508)	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव आमंत्रित करना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						संस्वीकृति जारी करना I/ II किश्तों की निमुर्क्ति (जैसे लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संवीक्षा एवं अनुमोदन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति	1) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र 2) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट 3) छात्रवासों तथा आश्रम विद्यालयों के लिए सरकारी भूमि की उपलब्धता, पीडब्ल्यूडी निर्माण दरों की अनुसूची, सौर ऊर्जा प्रणाली की योजना/घटक के संबंध में प्रमाणीकरण की भी आवश्यकता है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

3.	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित कार्यों के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता : (क) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, (ख) अनुसूचित जनजातियों में विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) का सामाजिक आर्थिक विकास	15	श्रीमती शायला टाइटस उपसचिव (एनजीओ)	s.titus@nic.in	9910646306 23387444	I/II किस्त की स्वीकृति / निमुर्क्ति जारी करना (जैसा लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संवीक्षा एवं अनुमोदन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से एनजीओ द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति	1) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र 2) लेखों का लेखा परीक्षित विवरण 3) प्रबंधन समिति की सूची 4) स्टाफ सदस्यों की सूची 5) लाभार्थियों की सूची 6) जिला समाहर्ता की जांच रिपोर्ट 7) वार्षिक रिपोर्ट 8) राज्य स्तरीय बहुविषयक समिति की सिफारिशें 9) किराया करार 10) किराया आकलन प्रमाण पत्र 11) सिक्यूरिटि बॉण्ड 12) इलेक्ट्रोनिक भुगतान स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत करने संबंधी पत्र 13) संगठन द्वारा यथा हस्ताक्षरित निबंधन एवं शर्तें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

4.	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को निम्नलिखित कार्यों के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता : क) जनजातीय लोगों से सबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आयोजित करना, ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं की निगरानी तथा मूल्यांकन अध्ययन करना ग) जनजातीय त्यौहारों, दौरों का आदान-प्रदान करना	10	सुश्री निवेदिता (उपसचिव) (आर एंड एम)	nivedita.iofs@gmail.com	9582397114	अखबारों में विज्ञापन तथा मंत्रालय की वेब साइट के माध्यम से प्रस्तावों को आमंत्रित करना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						अनुसूची के अनुसार स्वीकृति जारी करना तथा I, II किस्तों की निर्मुक्ति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						अनुसंधान परामर्शदात्री समिति द्वारा संवीक्षा एवं चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से संगठनों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति	निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव, वार्षिक रिपोर्टें, लेखा परीक्षित लेखे, ज्ञापन तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र। दूसरी और तीसरी किस्त की निर्मुक्ति, चार्टर्ड एकाउंटेंट से जीएफआर 19क में लेखों के लेखा परीक्षित विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर की जाती है।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

5.	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद और राज्य स्तरीय निगमों को सहायता के लिए वित्तीय सहायता जारी करना	5	सुश्री निवेदिता उपसचिव (सी पी एंड आर)	nivedita.iofs@gmail.com	9582397114 (26182428)	संस्वीकृति /I/II किश्त जारी करना (जैसा लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						मंत्रालय में सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन व संवीक्षा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						राज्य सरकार के माध्यम से ट्राइफेड/एसटीडीसी द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति	1) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र 2) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न केन्द्रीय लाइन मंत्रालयों/ विभागों के नीतिगत दस्तावेज/मामले, विधान संबंधी प्रस्ताव, मंत्रिमंडल टिप्पणी तथा ईएफसी ज्ञापन के संबंध में इन्पुट/ टिप्पणियां प्रदान करना	10	सभी			संबंधित मंत्रालय/ विभाग तक अपने विचार संप्रेषित करना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						संगत साहित्य से मंत्रणा करते हुए गहराई से अध्ययन तथा जनजातीय लोगों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण और मूल्यांकन तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अपने विचार तैयार करना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

						विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों से नीतिगत दस्तावेजों, विधान संबंधी प्रस्ताव, मंत्रिमंडल टिप्पणी, ईएफसी ज्ञापन आदि की प्राप्ति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों तथा नीति आयोग में गठित विभिन्न कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्यदल तथा शासन परिषदों की बैठकों में सुझावों/नीति अंतर्निवेशों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना	10	सभी			संगत साहित्य का सदर्भ लेकर गहरा अध्ययन, अपने मत का निरूपण और विश्लेषण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						बैठकों में अपने विचार व्यक्त करना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों तथा नीति आयोग के कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्यदलों, शासन परिषदों से कार्यसूची मदों की प्राप्ति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8.	मंत्रालय के कर्मचारियों/ सेवा प्रदाताओं की शिकायतों/पीड़ाओं का निवारण तथा निपटान	10	श्री गोपाल साधवानी उप सचिव (प्रशासन)	sadhwani.gopal@ nic.in	9868833090 (23383965)	जांच एवं आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						शिकायत की प्राप्ति	समर्थनकारी दस्तावेज/ आदेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						आवेदक को उत्तर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	आवासीय/ गैर अवासीय/ आश्रम विद्यालयों, व्यवसायिक प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं सेमिनार के लिए संस्थानों/ एनजीओ को वित्तीय सहायता जारी करना।	5	श्रीमती शायला टाइटस (उपसचिव (एनजीओ))	s.titus@nic.in	9910646306 23387444		लागू नहीं			

सेवा मानक

क्र.सं.	सेवाएं/ समव्यवहार	भार	सफलता सूचकांक	सेवा मानक	इकाई	भार	डाटा स्रोत
1	राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- (क) लक्षित अनुसूचित जनजाति आबादी का कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास (ख) लक्षित अनुसूचित जनजाति आबादी की गरीबी का उन्मूलन और उद्यमशीलता विकास	20.0	समय	40	दिन	20.00	मंत्रालय रिकार्ड
2	राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- (क) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों के रूप में शैक्षिक सुविधाएं, (ख) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर स्तर पर छात्रवृत्तियां	15.0	समय	45	दिन	15.00	मंत्रालय रिकार्ड
3	राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- (क) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण (ख) अनुसूचित जनजातियों में विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों(पीटीजी) का सामाजिक आर्थिक विकास	15.0	समय	45	दिन	15.00	मंत्रालय रिकार्ड
4	राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- (क) जनजातीय संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित करना, (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं पर निगरानी और मूल्यांकन अध्ययन (ग) जनजातीय त्यौहार, दौरों का आदान-प्रदान	10.0	समय	45	दिन	10.00	मंत्रालय रिकार्ड
5	निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ और राज्य स्तरीय निगमों को समर्थन	5.0	समय	45	दिन	5.00	मंत्रालय रिकार्ड

6	अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न केन्द्रीय लाइन मंत्रालयों/ विभागों के नीति संबंधी दस्तावेजों/मामलों/विधायी प्रस्तावों, मंत्रिमंडल टिप्पणियों और ईएफसी ज्ञापन पर सूचना/ टिप्पणी प्रस्तुत करना	10.0	समय	25	दिन	10.00	मंत्रालय रिकार्ड
7	विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों तथा योजना आयोग में गठित विभिन्न कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्यदल तथा शासन परिषदों की बैठकों में सुझावों/नीति अंतर्निवेशों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना	10.0	समय	आवश्यकता के अनुसार	दिन	10.00	मंत्रालय रिकार्ड
8	मंत्रालय के कर्मचारियों/सेवा आपूर्तिकर्ता की शिकायतों/पीड़ाओं का समाधान व निपटान	10.0	समय	30	दिन	10.00	मंत्रालय रिकार्ड
9	आवासीय/ गैर आवासीय/ आश्रम स्कूल, व्यवसायिक प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं सेमिनार के लिए संस्थानों व एनजीओ को वित्तीय सहायता जारी करना	5.0	समय	75	दिन	5.00	मंत्रालय रिकार्ड

शिकायत निवारण तंत्र

यूआरएल वेबसाइट http://pgportal.gov.in/ को लॉज करने के लिए

क्र.सं.	लोक शिकायत अधिकारी का नाम	हैल्पलाइन नं.	ईमेल	मोबाइल नं.
1	श्री अशोक पाई, संयुक्त सचिव तथा शिकायत निदेशक	011-23073489	ashokpai@nic.in	
2	श्री आर.एस. मीणा, कार्यकारी निदेशक, ट्राइफेड	011-26522652	rsmeena@nic.in	9868100042
3	श्री अनिल पी.सी. रवेन, वरिष्ठ प्रबंधक (परि.) एनएसटीएफडीसी	011-26712539	raven.oraon@gmail.com	9873015939

हितधारकों / ग्राहकों की सूची

क्र. सं.	हितधारक / ग्राहक
1	अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित केन्द्रीय/ राज्य मंत्रालय/ विभाग
2	केन्द्रीय/ राज्य सरकार के निकाय
3	संस्थान (यूजीसी/ शैक्षिक संस्थान)
4	ट्राइफेड
5	एनएसटीएफडीसी
6	एसटीडीसी
7	जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई)
8	गैर सरकारी संगठन (एनजीओ)
9	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)
10	राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग
11	नागरिक

उत्तरदायी केंद्र और अधीनस्थ संगठन

क्र. सं.	उत्तरदायी केंद्र और अधीनस्थ संगठनों की जिम्मेदारी	लैंड लाइन नम्बर	ई-मेल	मोबाइल नम्बर	पता
1	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)	011-26866084	angurana@ias.nic.in	9910517971	एनसीयूआई बिल्डिंग, दूसरा तल, 3-इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110066
2	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	011-26712519	gursaroop@yahoo.co.in	9911370094	एनबीसीसी टावर, 5वां तल, हॉल, नं. 1, भीकाजीकामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

सेवा प्राप्तकर्ताओं से संकेतक प्रत्याशाएं

क्र. सं.	सेवा प्राप्तकर्ताओं से संकेतक प्रत्याशाएं
1	वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पूर्ण आवेदन (सभी दृष्टियों से) (अपेक्षित दस्तावेज www.tribal.gov.in पर उपलब्ध है)
2	प्रस्तावों का समय पर व पहले प्रस्तुतीकरण
3	निर्धारित अवधि में निधियों की उपयोगिता को सुनिश्चित करना
4	किसी नीति/विधान/ योजनात्मक हस्तक्षेप के गुण-दोषों के विश्लेषण और अध्ययन के लिए पर्याप्त समय/ नोटिस देना